ध्येयIAS
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

मासिक करेंट अफेयर्स पत्रिका

अक्टूबर 2026
वर्ष : 08 अंक : 10

इस अंक में...

- ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2026
- गोल्लाला गुड़ी मंदिर
- तुलु भाषा
- पूंपुहार में जलमग्न पुरातात्त्विक उत्खनन
- नशामुक्त भारत 2029
- उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2026
- किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना
- वंदे मातरम् पर सर्वोच्च न्यायालय
- ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026
- SCO का 26वाँ शिखर सम्मेलन, 2026
- अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन 2026
- ट्रंप–शी जिनपिंग शिखर सम्मेलन 2026
- UNEP रिपोर्ट 2026
- स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026
- कस्तूरीरंगन रिपोर्ट और पश्चिमी घाट
- प्रोजेक्ट राइनो
- ISRO द्वारा EOS-05 का सफल प्रक्षेपण
- भूटान ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में रेबीज का उन्मूलन किया
- UPI पर नया MDR ढाँचा
- समर्पित माल गलियारे
- भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025

और भी महत्वपूर्ण विषय...

भारत में चुनाव सुधार

निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और संस्थागत स्वायत्तता

मजबूत लोकतंत्र के लिए व्यापक सुधारों की आवश्यकता

» मुख्य विशेषताएं | पॉवर पैक्ड न्यूज़ | प्री बेस्ड एमसीक्यू | संपादकीय लेख

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Success is a Series of Small Wins

लक्ष्यभेद

"more we sweat in peace, the less we bleed in war"

UPSC-2027

ALL INDIA PRE-CUM-MAINS TEST SERIES

Total Test - 54
Mode: Offline / Online

REGISTRATION OPEN

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

NEW LAUNCH

A First at Dhyeya IAS:
Your Personal Report Card

after EVERY test — for EVERY student!

Ab sirf marks nahi, poori kahani milegi • Sirf 1 page mein

*Sample visual for illustration

Report mein kya milega?

Score Snapshot
Attempted, correct, wrong, accuracy, +ve & -ve marks, net score

Subject-wise Charts
Pie + bar graph: kis subject mein kitna scored / lost

Evaluator's Comment
Strongest & weakest areas, topics to revise, marks-badhane ki strategy

Topic & Sub-topic Table
Har sub-topic par ✓ correct X wrong O skipped

Aapko fayda kya hoga?

- Weak areas turant pakdo — guesswork se nahi, data se
- Negative marking ka asli nuksaan dekho, aur use kam karo
- Revision targeted: exact topics + question numbers ke saath
- Attempt strategy smart banao — kab attempt, kab skip

ALIGANJ 9506256789 | GOMTI NAGAR 7570009003 | PRAYAGRAJ 8853467068

पहला पन्ना

एक सही अभिक्षमता वाला सिविल सेवक ही वह सेवक है जिसकी देश अपेक्षा करता है। सही अभिक्षमता का अभिप्राय यह नहीं कि व्यक्ति के पास व्यापक ज्ञान हो, बल्कि उचित ज्ञान, संतुलित दृष्टिकोण और ज्ञान के प्रभावी क्रियान्वयन करने की क्षमता हो।

बात जब यूपीएससी या पीसीएस परीक्षा की हो तो सिर्फ ज्ञान का संचय नहीं, बल्कि उसकी प्रभावी अभिव्यक्ति महत्त्वपूर्ण होती है। यह अभ्यर्थी की विश्लेषणात्मक क्षमता, अभिव्यक्ति कौशल और समसामयिक मुद्दों के प्रति उसकी संतुलित समझ का भी मूल्यांकन करती हैं। तैयारी की यह प्रक्रिया केवल परीक्षा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि व्यक्ति को राष्ट्र और समाज के महत्त्वपूर्ण विषयों पर सार्थक दृष्टिकोण विकसित करने की दिशा में भी प्रेरित करती है। निस्संदेह यह यात्रा चुनौतीपूर्ण है, किन्तु उतनी ही प्रेरणादायी और उद्देश्यपूर्ण भी।

परफेक्ट 7 पत्रिका कई चयनित सिविल सेवकों की समसामयिकी स्तर पर समझ विकसित करने का अभिन्न माध्यम रही है। बदलते परीक्षा पैटर्न, पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं तथा समकालीन विषयों की प्रकृति के अनुरूप यह पत्रिका निरंतर स्वयं को परिष्कृत करती रही है।

मैं आशा करता हूँ कि यह आपकी तैयारी की एक परफेक्ट साथी बनकर, सिविल सेवा परीक्षा की यात्रा में आपका निरंतर मार्गदर्शन करती रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ,

विनय सिंह
संस्थापक
ध्येय IAS

टीम परफेक्ट 7

संस्थापक	:	विनय सिंह
प्रबंध संपादक	:	विजय सिंह
संपादक	:	आशुतोष मिश्र
उप-संपादक	:	भानू प्रताप
डिजाइनिंग	:	अरूण मिश्र

-: साभार :-

PIB, PRS, AIR, ORF, प्रसार भारती, योजना, कुरूक्षेत्र, द हिन्दू, डाउन टू अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, WION, BBC, Deccan Herald, हिन्दुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, दैनिक भाष्कर, जनसत्ता व अन्य

-: For any feedback Contact us :-

+91 9369227134

perfect7magazine@gmail.com

ध्येयIAS
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

मासिक समसामायिकी पत्रिका

इस अंक में ...

1. भारतीय समाज व कला एवं संस्कृति 06-17

- ➢ ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2026 और भारत: शिक्षा से आर्थिक सशक्तीकरण तक की चुनौती
- ऐतिहासिक गोल्लाला गुड़ी मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया
- UNICEF रिपोर्ट 2026
- तिरुक्कुरल
- कर्नाटक में तुलु भाषा को अतिरिक्त आधिकारिक दर्जा
- खाद्य लेबलिंग में पारदर्शिता
- पूंपुहार में पानी के नीचे पुरातात्विक उत्खनन और चोलों की समुद्री विरासत
- भारत की यूनेस्को अस्थायी सूची में पाँच नए स्थल शामिल

2. राजव्यवस्था एवं शासन 18-32

- ➢ भारत में चुनाव सुधार: निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और संस्थागत स्वायत्तता
- गर्भावस्था, मातृत्व अवकाश पदावनति का आधार नहीं हो सकते
- नशा-मुक्त भारत रोडमैप
- सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार पर स्थिति स्पष्ट की
- डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP) 3.0
- उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) संशोधन नियम, 2026
- किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना: यमुना बेसिन जल सुरक्षा
- निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिह्न को फ्रीज किया
- CBFC की फिल्म प्रमाणन के नए दिशानिर्देश 2026
- वंदे मातरम् पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय
- ओबीसी क्रीमी लेयर फैसले पर आदेश सुरक्षित

3. अन्तर्राष्ट्रीय संबंध 33-56

- ➢ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026: बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका
- शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का 26वाँ शिखर सम्मेलन 2026
- भारत-बेल्जियम संबंध
- भारत-श्रीलंका रक्षा सहयोग
- अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन 2026
- भारत-रूस संबंध
- भारत-ईरान संबंध
- भारत-फ़िलीपींस रणनीतिक साझेदारी
- अमेरिका ने अंतरिक्ष हथियार तैनात किए
- भारत ने पाकिस्तान–चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज किया
- यूनाइटेड किंगडम में संघीय एकता की बढ़ती चुनौती
- अमेरिकी प्रतिबंध कानून
- बहुपक्षवाद के लिए साझेदार (P4M) पहल
- अमेरिका-डेनमार्क-ग्रीनलैंड रक्षा समझौता
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर में 'शत्रु राष्ट्र' प्रावधान
- ट्रंप–शी जिनपिंग शिखर सम्मेलन 2026
- भारत ने साइबर अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए

4. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 57-74

- **हिमालय का बदलता स्वरूप: ग्लेशियर क्षरण से कैस्केडिंग आपदाओं तक**
- बढ़ते जलवायु संकट के बीच प्रवाल भित्तियाँ
- यूएनईपी रिपोर्ट 2026
- शहरों में सर्दियों के दौरान कचरा जलाने से होने वाला प्रदूषण
- स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026
- चित्तीदार लकड़बग्घों में सामाजिक विरासत
- बोलीविया में 100 साल बाद बिल्ली की नई प्रजाति 'लेपर्डस टिलकेयो' की खोज
- प्रोजेक्ट चीता
- जलवायु परिवर्तन और मानवजनित शोर से हिमालयी मोनाल पर खतरा
- कस्तूरीरंगन रिपोर्ट और पश्चिमी घाट
- प्रोजेक्ट राइनो
- साइक्लोन अर्नब या डीप डिप्रेशन
- भारत में जलाशयों का जल भंडारण

5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 75-83

- **भारत में डेटा सेंटर: डिजिटल युग की वैज्ञानिक एवं तकनीकी रीढ़**
- इसरो ने EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया
- भूटान ने रेबीज़ को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त किया
- भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के लिए अमेरिकी नेतृत्व वाली वैश्विक पहल में शामिल
- वैज्ञानिकों ने क्वांटम कंप्यूटिंग की प्रमुख चुनौती से निपटने के लिए विकसित किया नया तरीका

6. आर्थिकी 84-96

- **यूपीआई पर नया एमडीआर ढाँचा: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की वित्तीय स्थिरता और समावेशन के बीच संतुलन**
- राष्ट्रीय लेखा आँकड़े 2026
- चिपफ्लेशन: उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की बढ़ती कीमतें
- भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता
- समर्पित माल ढुलाई गलियारे
- UPI मर्चेंट चार्ज और एमडीआर
- भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025
- भारत–न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौता
- VRRR के माध्यम से RBI ने ₹71,971 करोड़ की तरलता अवशोषित की

7. रक्षा और आंतरिक सुरक्षा 97-104

- **रक्षा: भारत की वैश्विक रक्षा कूटनीति के लिए 10-वर्षीय रोडमैप**
- 1.10 लाख करोड़ रुपये की रक्षा खरीद को भारत की मंजूरी
- ORV सागर मंथन
- अभ्यास समुद्र लक्ष्मण 2026: भारत-मलेशिया नौसेना अभ्यास
- PRAHAAR रणनीति और नया प्रत्यर्पण पोर्टल

प्रमुख चर्चित स्थल 105-107

पावर पैक्ड न्यूज 108-118

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न 119-128

1 भारतीय समाज व कला एवं संस्कृति

ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2026 और भारत: शिक्षा से आर्थिक सशक्तिकरण तक की चुनौती

संदर्भ:

हाल ही में, विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2026 जारी की। भारत 145 अर्थव्यवस्थाओं में 131वें स्थान पर है जबकि आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे शीर्ष तीन स्थान पर हैं। वैश्विक स्तर पर, लैंगिक अंतर का 69.2% समाप्त हो चुका है, लेकिन विश्व आर्थिक मंच का अनुमान है कि वर्तमान गति से पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त करने में अभी भी लगभग 120 वर्ष लग सकते हैं।

- वर्ष 2006 से जारी यह सूचकांक महिलाओं और पुरुषों के बीच उपलब्ध अवसरों तथा परिणामों के अंतर को चार प्रमुख आयामों, आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता तथा राजनीतिक सशक्तिकरण के आधार पर मापता है। भारत 131वें स्थान पर है और उसका समग्र लैंगिक समानता स्कोर 64.5% रहा। यद्यपि 2006 की तुलना में भारत के स्कोर में 4.3 प्रतिशत अंकों का सुधार हुआ है, लेकिन भारत की स्थिति यह संकेत देती है कि शिक्षा में हुई प्रगति को आर्थिक अवसरों, नेतृत्व और निर्णय-निर्माण में समान भागीदारी में बदलना अभी भी एक बड़ी चुनौती है।

ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2026 में भारत की वास्तविक स्थिति:

भारत का प्रदर्शन चारों आयामों में समान नहीं है। यही इस सूचकांक का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है।

- **शिक्षा:**
  - » भारत ने शैक्षिक उपलब्धि में 96.6% लैंगिक समानता हासिल की है। माध्यमिक और उच्च शिक्षा में नामांकन के स्तर पर भारत लगभग पूर्ण समानता तक पहुँच चुका है। हालांकि, वयस्क साक्षरता में लैंगिक अंतर अभी भी मौजूद है, जहाँ समानता का स्तर 82.5% है।
  - » यह भारत के विकास की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पिछले दशकों में बालिका शिक्षा, विद्यालयी नामांकन, छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन, स्वच्छता सुविधाओं और सामाजिक जागरूकता जैसे उपायों ने लड़कियों की शिक्षा तक पहुँच बढ़ाई है। लेकिन समस्या यह है कि शिक्षा में समानता अपने आप आर्थिक समानता में परिवर्तित नहीं होती।
  - » यदि एक महिला शिक्षित होने के बावजूद रोजगार क्षेत्र में प्रवेश या नेतृत्व के पदों तक नहीं पहुँचती, तो शिक्षा का मानव पूंजी के रूप में पूरा लाभ अर्थव्यवस्था को नहीं मिल पाता। इसलिए भारत के लिए अगली चुनौती केवल 'बालिका को स्कूल तक पहुँचाने' की नहीं, बल्कि 'शिक्षा से रोजगार और रोजगार से नेतृत्व तक' की पूरी श्रृंखला बनाने की है।
- **आर्थिक भागीदारी:**
  - » भारत का आर्थिक भागीदारी और अवसर (Economic Participation and Opportunity) स्कोर केवल 41.2% है। महिला श्रमबल भागीदारी में लैंगिक समानता का स्तर

44.1% रहा। वहीं पेशेवर एवं तकनीकी क्षेत्रों में महिलाओं की हिस्सेदारी से संबंधित समानता 2006 के 26.6% से बढ़कर 2026 में 49.9% हुई है। इसके विपरीत विधायक, वरिष्ठ अधिकारी और प्रबंधकीय पदों पर महिलाओं की समानता केवल 13.1% है।

» यह आँकड़ा भारत की मूल समस्या को स्पष्ट करता है कि महिलाओं की शिक्षा बढ़ रही है, लेकिन रोजगार और नेतृत्व में उसका समान रूपांतरण नहीं हो रहा है। इसलिए महिला रोजगार को केवल सामाजिक न्याय के प्रश्न के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है। यह आर्थिक विकास, उत्पादकता और जनसांख्यिकीय लाभांश से भी जुड़ा विषय है।

- **स्वास्थ्य:**

» भारत ने स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता के क्षेत्र में 95.6% समानता दर्ज की है। यह अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति को दर्शाता है। फिर भी जन्म के समय लिंगानुपात से संबंधित अंतर यह बताता है कि स्वास्थ्य संबंधी समानता को केवल स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता से नहीं समझा जा सकता।

» भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य पर पोषण, मातृ स्वास्थ्य, किशोरियों में एनीमिया, स्वच्छता, प्रजनन स्वास्थ्य तथा सामाजिक मान्यताओं का प्रभाव पड़ता है। अतः लैंगिक समानता के लिए स्वास्थ्य नीति को केवल मातृत्व-केंद्रित दृष्टिकोण से आगे बढ़ाकर पूरे जीवन-चक्र आधारित महिला स्वास्थ्य नीति में बदलना आवश्यक है।

- **राजनीतिक सशक्तीकरण:**

» राजनीतिक सशक्तीकरण के क्षेत्र में भारत का स्कोर 24.5% है और इस उप-सूचकांक में भारत की वैश्विक रैंक 67वीं है। संसद में महिलाओं की समानता का स्तर 16.1% और मंत्री स्तर पर 5.9% रहा। यहाँ भी केवल संख्या पर्याप्त नहीं है। वास्तविक राजनीतिक सशक्तीकरण का अर्थ है- प्रतिनिधित्व, निर्णय लेने की शक्ति, नेतृत्व के अवसर और नीति-निर्माण में प्रभाव।

» स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण ने जमीनी स्तर पर राजनीतिक भागीदारी का आधार व्यापक किया है। इसके बावजूद उच्च स्तर की राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सीमित है। इस संदर्भ में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 महत्वपूर्ण है, जिसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान किया है। हालांकि इसका वास्तविक क्रियान्वयन परिसीमन एवं संबंधित संवैधानिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है।

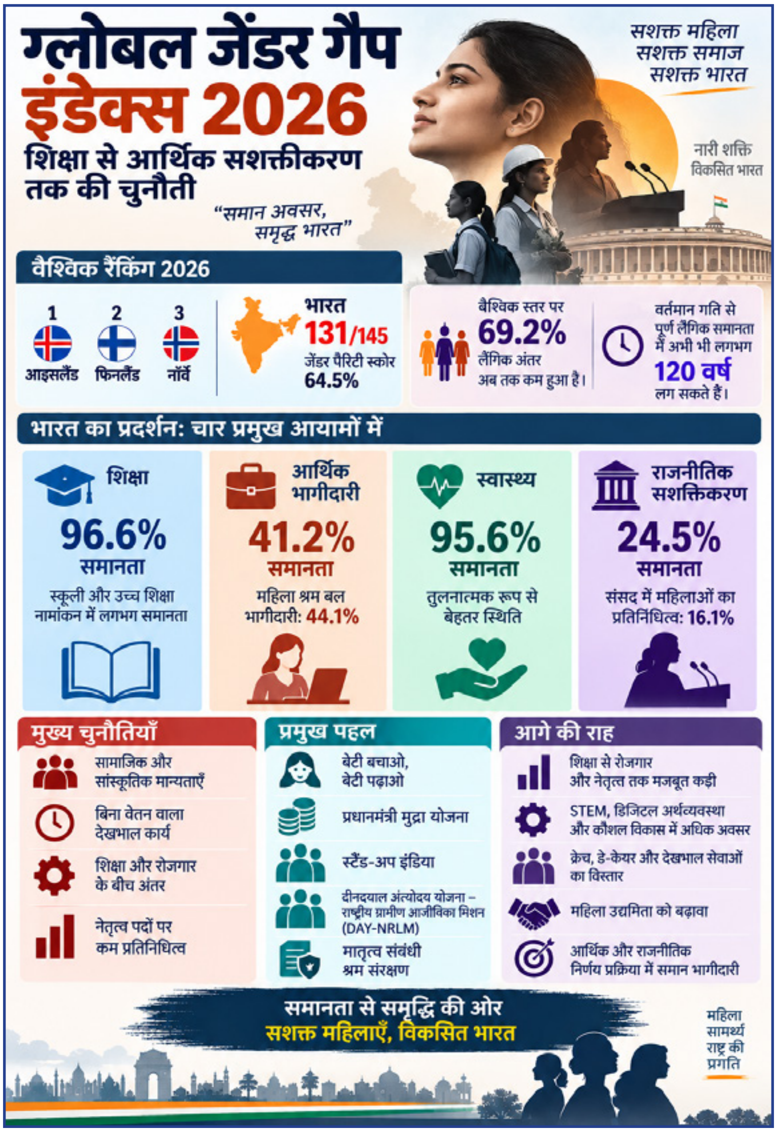

राजनीतिक सशक्तीकरण के लिए केवल संवैधानिक प्रावधान नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों की आंतरिक संरचना, चुनावी वित्त, नेतृत्व प्रशिक्षण और सामाजिक स्वीकृति भी महत्वपूर्ण हैं।

भारत की वर्तमान स्थिति के प्रमुख कारण:

- **सामाजिक-सांस्कृतिक मान्यताएँ:** भारतीय समाज के कई हिस्सों में महिलाओं से घरेलू कार्य और देखभाल की प्राथमिक जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती है। इससे उनके शिक्षा, रोजगार और करियर की निरंतरता प्रभावित होती है।
- **अवैतनिक देखभाल कार्य:** महिलाएँ घरेलू कार्य, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल और अन्य अवैतनिक देखभाल कार्य में पुरुषों की तुलना में अधिक समय देती हैं। इसका सीधा प्रभाव उनके रोजगार विकल्पों पर पड़ता है।
- **शिक्षा और रोजगार के बीच अंतर:** भारत ने लड़कियों के विद्यालय और उच्च शिक्षा में प्रवेश को बढ़ाया है, लेकिन शिक्षा के बाद पर्याप्त संख्या में महिलाओं का श्रम बाजार में प्रवेश और लंबे समय तक बने रहना अभी चुनौती है।
- **रोजगार की प्रकृति:** ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का बड़ा हिस्सा कृषि एवं अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़ा है। ऐसे रोजगार में आय, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल सुरक्षा की समस्याएँ अधिक हो सकती हैं।
- **नेतृत्व का अभाव:** पेशेवर एवं तकनीकी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के बावजूद वरिष्ठ प्रबंधन और निर्णयकारी पदों पर उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है।

लैंगिक समानता के लिए प्रमुख पहलें:

- **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ:** बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और घटते बाल लिंगानुपात की समस्या से निपटने पर जोर देता है।
- **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना:** महिलाओं को छोटे एवं सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए ऋण उपलब्ध कराती है।
- **स्टैंड-अप इंडिया:** महिला उद्यमियों को ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए संस्थागत ऋण की सुविधा देता है।
- **दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM):** स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आजीविका, वित्तीय समावेशन और स्वरोजगार से जोड़ता है।
- **मातृत्व संबंधी श्रम सुरक्षा:** मातृत्व अवकाश और रोजगार संबंधी सुरक्षा के माध्यम से महिला श्रमिकों के अधिकारों को मजबूत करती है।

आगे की राह:

- भारत को लैंगिक समानता के लिए शिक्षा से रोजगार और रोजगार से नेतृत्व तक की पूरी श्रृंखला मजबूत करनी होगी। महिलाओं के कौशल विकास, STEM, AI और डिजिटल अर्थव्यवस्था में भागीदारी बढ़ाने के साथ सुरक्षित एवं लचीले रोजगार अवसर उपलब्ध कराने आवश्यक हैं।
- क्रेच, डे-केयर और देखभाल सेवाओं के विस्तार से महिलाओं पर घरेलू कार्य का बोझ कम किया जा सकता है। महिला उद्यमिता को ऋण के साथ बाजार, तकनीक और प्रशिक्षण से जोड़ना होगा। संपत्ति स्वामित्व और वित्तीय समावेशन बढ़ाने के साथ राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।

निष्कर्ष:

भारत के लिए वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक का वास्तविक संकेत यह है कि भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन उस प्रगति को आर्थिक स्वतंत्रता, रोजगार, नेतृत्व और निर्णय-निर्माण में समान अवसरों में बदलने की गति अभी अपर्याप्त है। भारत में महिलाओं को लाभार्थी के रूप में देखने कि अपेक्षा आर्थिक गतिविधि, उद्यमिता, विज्ञान, तकनीक, प्रशासन और राजनीति में समान भागीदार और निर्णयकर्ता के रूप में स्थापित करना होगा। अंततः लैंगिक समानता केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है। यह समान अवसर, सामाजिक न्याय, मानव पूंजी, उत्पादकता और समावेशी विकास का प्रश्न है। भारत यदि अपने जनसांख्यिकीय लाभांश को वास्तविक आर्थिक शक्ति में बदलना चाहता है, तो महिलाओं की प्रतिभा और श्रमशक्ति का पूर्ण उपयोग उसकी विकास रणनीति का केंद्रीय तत्व होना चाहिए।

संक्षिप्त मुद्दे

ऐतिहासिक गोल्लाला गुड़ी मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया

संदर्भ:

हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने तेलंगाना के मुलुगु जिले के पालमपेट गांव में स्थित ऐतिहासिक काकतीय कालीन गोल्लाला गुड़ी मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक (Monument of National Importance - MNI) घोषित किया है।

गोल्लाला गुड़ी के बारे में:

- गोल्लाला गुड़ी काकतीय कालीन मंदिर स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह एक त्रिकूटालय (Trikutalaya) है, अर्थात ऐसा मंदिर जिसमें तीन गर्भगृह या गरभगृह होते हैं।
- मंदिर में पूर्व दिशा की ओर मुख वाला मंडप तथा तीन मंदिर-गर्भगृह हैं, जिनके साथ संबंधित अंतर-कक्ष भी बने हुए हैं।
- यह मंदिर काकतीय रुद्रेश्वर (रामप्पा) मंदिर के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है।

प्रमुख स्थापत्य विशेषताएँ:

- मंदिर की पैरापेट, एंटेब्लेचर और द्वारों पर सुंदर हंस आकृतियों की नक्काशी तथा जालीदार शिल्प (Jali Work) देखने को मिलता है।
- दीवारों के आले में विष्णु, लक्ष्मी, गणेश और महिषासुरमर्दिनी की मूर्तियां स्थापित हैं।
- मंदिर का ऊंचा चबूतरा (Plinth) पशु आकृतियों और पुष्पीय डिजाइनों से सजाया गया है।
- मंदिर परिसर में दो अलग स्थित छोटे मंदिर हैं, जिनमें बारीकी से तराशे गए द्वारपालों (Dvarapalas) की मूर्तियां हैं।
- मंदिर की कॉर्निस और स्क्रीन पर अत्यंत विस्तृत एवं कलात्मक सजावट की गई है।
- ये विशेषताएँ काकतीय काल की उन्नत कलात्मक एवं स्थापत्य क्षमता को दर्शाती हैं।

कानूनी एवं संवैधानिक ढांचा:

- केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारकों की सुरक्षा मुख्य रूप से प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains - AMASR Act, 1958) के अंतर्गत की जाती है।

विरासत संरक्षण की व्यवस्था:

- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारकों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रमुख संस्था है।
- संरक्षित स्मारक के चारों ओर 100 मीटर का निषिद्ध क्षेत्र (Prohibited Area) होता है, जहां सामान्यतः नए निर्माण पर रोक होती है।
- 100 से 300 मीटर के बीच का क्षेत्र विनियमित क्षेत्र (Regulated Area) कहलाता है। यहां निर्माण और अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए नियामक स्वीकृति आवश्यक होती है।
- राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (National Monuments Authority - NMA) इन संरक्षित क्षेत्रों में गतिविधियों को विनियमित करता है।

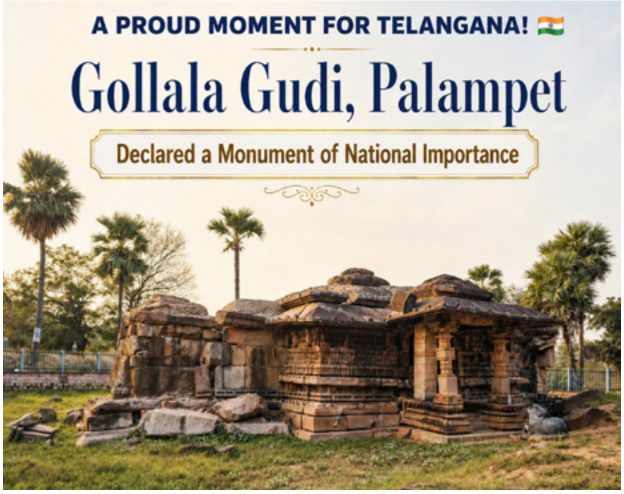

संवैधानिक प्रावधान:

- भारत में विरासत संरक्षण को संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों से समर्थन मिलता है:
  - अनुच्छेद 49 - यह राज्य को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करने का निर्देश देता है।
  - अनुच्छेद 51A(f) - यह प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य निर्धारित करता है कि वह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को महत्व दे और उसका संरक्षण करे।

महत्व:

- गोल्लाला गुड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किए जाने से इसे मजबूत संस्थागत और कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा।
- इससे:

» अतिक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी।
» स्मारक की उपेक्षा को कम किया जा सकेगा।
» अनधिकृत निर्माण पर नियंत्रण मजबूत होगा।
» स्मारक का वैज्ञानिक संरक्षण और दस्तावेजीकरण बेहतर तरीके से किया जा सकेगा।

- रामप्पा मंदिर के निकट स्थित होने के कारण यह कदम तेलंगाना में एक व्यापक काकतीय विरासत एवं पर्यटन सर्किट विकसित करने का अवसर भी प्रदान करता है।

निष्कर्षः

गोल्लाला गुड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाना काकतीय स्थापत्य विरासत के एक महत्वपूर्ण, लेकिन अपेक्षाकृत कम प्रसिद्ध उदाहरण के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह निर्णय भारत की व्यापक सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक सांस्कृतिक परिदृश्यों के संरक्षण की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है, विशेष रूप से उन स्थलों के साथ जो पहले से ही वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध हैं।

UNICEF रिपोर्टः पाँच में से एक बच्चा ऑनलाइन यौन शोषण का शिकार

संदर्भः

हाल ही में प्रकाशित एक यूनिसेफ रिपोर्ट में 21 देशों में बच्चों के प्रौद्योगिकी-सक्षम यौन शोषण और दुर्व्यवहार में चिंताजनक वृद्धि पाई गई है। रिपोर्ट के अनुसार, 12-17 वर्ष की आयु के लगभग पाँच में से एक बच्चा, अर्थात लगभग 2 करोड़ बच्चों ने एक वर्ष के दौरान ऑनलाइन यौन शोषण या दुर्व्यवहार के कम से कम एक रूप का अनुभव किया।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षः

- रिपोर्ट से पता चलता है कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ऐसे महत्वपूर्ण स्थान बन गए हैं जहाँ बच्चे यौन शोषण के संपर्क में आते हैं।
- लगभग 1.5 करोड़ बच्चों को अवांछित यौन सामग्री का सामना करना पड़ा।
- लगभग 90 लाख बच्चों पर यौन बातचीत करने या यौन तस्वीरें साझा करने के लिए दबाव डाला गया।
- लगभग 40 लाख बच्चों की यौन तस्वीरें उनकी सहमति के बिना साझा की गईं।
- रिपोर्ट की गई घटनाओं में लगभग 60% घटनाएँ मुख्यधारा के सोशल-मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर हुईं।
- ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म भी शोषण के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में सामने आए।
- अपराधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पहले से बच्चे के परिचित लोग थे, जिससे यह धारणा चुनौती मिलती है कि ऑनलाइन दुर्व्यवहार मुख्य रूप से अजनबियों द्वारा किया जाता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उभरता खतराः

- जनरेटिव एआई और डीपफेक तकनीक के तेजी से विकास ने नए जोखिम पैदा किए हैं। AI का दुरुपयोग बच्चों से संबंधित नकली यौन तस्वीरें या वीडियो बनाने के लिए किया जा सकता है, भले ही ऐसी कोई मूल तस्वीर मौजूद ही न हो।
- इससे गोपनीयता, सहमति, साइबर अपराध और बाल संरक्षण से संबंधित चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं, साथ ही हानिकारक सामग्री का पता लगाना और उसे हटाना भी अधिक कठिन हो जाता है।

दुर्व्यवहार की कम रिपोर्टिंगः

- एक प्रमुख चिंता रिपोर्टिंग की कम दर है। कई बच्चे डर, शर्म, सामाजिक कलंक, अपराधियों की धमकियों या उपलब्ध सहायता प्रणालियों के बारे में जानकारी की कमी के कारण दुर्व्यवहार का खुलासा नहीं करते हैं।
- UNICEF के निष्कर्ष बाल-अनुकूल, गोपनीय और आसानी से

सुलभ रिपोर्टिंग तंत्र की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव:

- ऑनलाइन यौन शोषण के गंभीर मनोवैज्ञानिक परिणाम हो सकते हैं। पीड़ितों को चिंता, आघात, आत्म-क्षति और आत्महत्या के विचार का अनुभव हो सकता है। इसलिए, बाल संरक्षण नीतियों में कानूनी कार्रवाई के साथ परामर्श, पुनर्वास और मनोसामाजिक सहायता को भी शामिल किया जाना चाहिए।

भारत के लिए प्रासंगिकता:

- भारत की बढ़ती डिजिटल आबादी इस मुद्दे को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। महत्वपूर्ण कानूनी और संस्थागत तंत्रों में शामिल हैं:
  - **POCSO अधिनियम, 2012 –** बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा।
  - **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 –** यौन रूप से स्पष्ट सामग्री और बाल यौन सामग्री से संबंधित प्रावधान।
  - **IT नियम, 2021 –** डिजिटल मध्यस्थों के लिए उचित सावधानी संबंधी दायित्व।
  - **राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल –** साइबर अपराध की रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करता है।

UNICEF के बारे में:

- संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो दुनिया भर में बच्चों और माताओं के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए कार्य करती है।
  - **स्थापना:** 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा।
  - **मूल नाम:** संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (United Nations International Children's Emergency Fund), जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित बच्चों की सहायता के लिए की गई थी।
  - **स्थायी दर्जा:** 1953 में यह संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी संगठन बन गया और अपने संक्षिप्त नाम UNICEF को बनाए रखते हुए United Nations Children's Fund (संयुक्त राष्ट्र बाल कोष) नाम अपनाया।
  - **मुख्यालय:** न्यूयॉर्क, अमेरिका।
  - **वैश्विक उपस्थिति:** 190 से अधिक देशों और क्षेत्रों में कार्य करता है।
  - **नोबेल शांति पुरस्कार:** शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में इसके योगदान के लिए 1965 में प्रदान किया गया।

आगे की राह:

भारत को सरकार, प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्कूलों, अभिभावकों और नागरिक समाज को शामिल करते हुए बहु-हितधारक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। उपायों में सुरक्षा-आधारित डिज़ाइन, प्लेटफ़ॉर्म की मजबूत जवाबदेही, AI सुरक्षा उपाय, डिजिटल साक्षरता, विशेषीकृत साइबर अपराध जाँच और बाल-अनुकूल रिपोर्टिंग प्रणालियाँ शामिल होनी चाहिए।

निष्कर्ष:

UNICEF के निष्कर्ष दर्शाते हैं कि पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना तकनीकी प्रगति नई प्रकार की असुरक्षा पैदा कर सकती है। डिजिटल युग में बच्चों की सुरक्षा के लिए मजबूत कानून, जिम्मेदार तकनीक, प्रभावी प्रवर्तन और अधिक जागरूकता आवश्यक है, साथ ही यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि प्रत्येक बच्चा डिजिटल दुनिया तक सुरक्षित और संरक्षित तरीके से पहुँच बना सके।

तिरुक्कुरल: प्राचीन तमिल ज्ञान और सांस्कृतिक कूटनीति

संदर्भ:

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक के दौरान, BRICS शिखर सम्मेलन 2026 से पहले, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तिरुक्कुरल का रूसी अनुवाद भेंट किया।

तिरुक्कुरल क्या है?

- तिरुक्कुरल प्राचीन तमिल साहित्य और दर्शन की एक प्रसिद्ध रचना है, जिसके लेखक कवि-दार्शनिक तिरुवल्लुवर (वल्लुवर) हैं। इसमें 1,330 दोहे हैं, जिन्हें 133 अध्यायों में व्यवस्थित किया गया है, और प्रत्येक अध्याय में 10 दोहे हैं।
- प्रत्येक कुरल में सात शब्द होते हैं और यह नैतिकता, शासन, सामाजिक जीवन और मानवीय संबंधों से संबंधित विचार प्रस्तुत करता है।

तीन प्रमुख खंड:

- **अरम – सदाचार की पुस्तक:** इसमें 38 अध्याय हैं, जो नैतिकता,

व्यक्तिगत आचरण, आध्यात्मिकता, करुणा, दान और धार्मिक/सदाचारी जीवन से संबंधित हैं।

- **पोरुल – राजनीति की पुस्तक:** इसमें 70 अध्याय हैं और यह शासन, नेतृत्व, अर्थव्यवस्था, सामाजिक जिम्मेदारियों, न्याय और राजनीतिक नैतिकता से संबंधित है।
- **इनबम – प्रेम की पुस्तक:** इसमें 25 अध्याय हैं और यह प्रेम, संबंधों और भावनात्मक जीवन का वर्णन करती है। यह आगे कलवियाल और करपियाल से संबंधित है।

प्रमुख विषय और शिक्षाएँ:

- **सार्वभौमिक मानवतावाद:** तिरुवल्लुवर ने जाति, धर्म, नस्ल या पंथ के आधार पर भेदों की अपेक्षा नैतिकता, दया, ज्ञान और करुणा पर जोर दिया।
- **नैतिक शासन:** पोरुल खंड सुशासन, नेतृत्व, न्याय और शासकों की जिम्मेदारियों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिससे यह आधुनिक लोक प्रशासन के लिए प्रासंगिक बनता है।
- **शिक्षा और ज्ञान:** यह ग्रंथ शिक्षा को सदाचार और ज्ञान से जोड़ता है, यह सुझाव देते हुए कि ज्ञान को व्यक्तिगत चरित्र और सामाजिक कल्याण में योगदान देना चाहिए।
- **नैतिकता और सामाजिक कल्याण:** तिरुवल्लुवर ने लालच, ईर्ष्या, क्रोध और कठोरता के विरुद्ध चेतावनी दी, जबकि दान, प्रेम और सदाचारी आचरण को बढ़ावा दिया।

वैश्विक मान्यता:

- तिरुक्कुरल पहली बार 1840 में अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था और इसके बाद इसका 60 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। पुतिन को भेंट किया गया रूसी अनुवाद नायरा म्कर्त्च्यान द्वारा किया गया था और इसे केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान द्वारा 2026 में प्रकाशित किया गया।

भारत के लिए महत्व:

- सांस्कृतिक कूटनीति और सॉफ्ट पावर को मजबूत करता है।
- भारत की सभ्यतागत और साहित्यिक विरासत को प्रदर्शित करता है। तमिल संस्कृति की वैश्विक प्रासंगिकता को बढ़ावा देता है।
- बहुलवाद और सार्वभौमिक मूल्यों की भारत की परंपरा को दर्शाता है।
- शासन और सार्वजनिक जीवन के लिए प्रासंगिक नैतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है।

निष्कर्ष:

तिरुक्कुरल सदाचार, न्याय, ज्ञान, शासन और मानवतावाद पर अपने कालातीत जोर के माध्यम से भाषाई और सांस्कृतिक सीमाओं से परे जाता है। राष्ट्रपति पुतिन को इसका प्रस्तुतीकरण दर्शाता है कि भारत की प्राचीन ज्ञान परंपराएँ आधुनिक सांस्कृतिक कूटनीति और वैश्विक समझ में किस प्रकार योगदान दे सकती हैं।

कर्नाटक में तुलु भाषा को अतिरिक्त आधिकारिक दर्जा

संदर्भ:

हाल ही में 18 सितंबर 2026 को मंगलुरु में आयोजित कर्नाटक मंत्रिमंडल की बैठक में तुलु भाषा को दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों में अतिरिक्त आधिकारिक (प्रशासनिक) भाषा का दर्जा देने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय तटीय कर्नाटक में तुलु भाषी समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

तुलु भाषा:

- तुलु दक्षिण भारत की एक प्रमुख द्रविड़ भाषा है। यह मुख्य रूप से कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों तथा पड़ोसी केरल के कासरगोड क्षेत्र में बोली जाती है।

- तुलु की अपनी समृद्ध लोक, साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपरा है। इसलिए इसका प्रशासनिक स्तर पर उपयोग केवल भाषाई सुविधा का विषय नहीं, बल्कि सांस्कृतिक संरक्षण और स्थानीय पहचान से भी जुड़ा हुआ है।

संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 345

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 345 राज्यों को अपनी आधिकारिक भाषा या भाषाएँ निर्धारित करने की संवैधानिक शक्ति देता है। इसके अनुसार, अनुच्छेद 346 और 347 के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा राज्य में प्रचलित एक या अधिक भाषाओं अथवा हिंदी को राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक प्रयोजन के लिए अपनाने का प्रावधान कर सकता है।
- इस प्रकार, संविधान राज्यों को अपनी भाषाई और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप आधिकारिक भाषा व्यवस्था विकसित करने का पर्याप्त स्थान देता है।
- वहीं, अनुच्छेद 347 किसी राज्य की आबादी के एक पर्याप्त हिस्से द्वारा किसी भाषा को मान्यता देने की मांग होने पर, राष्ट्रपति को उस भाषा को पूरे राज्य या उसके किसी भाग में आधिकारिक रूप से मान्यता देने का निर्देश देने की शक्ति देता है।

कर्नाटक में कानूनी स्थिति:

- कर्नाटक राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 2 में कन्नड़ को राज्य की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है। बाद में कन्नड़ भाषा व्यापक विकास अधिनियम, 2022 के माध्यम से सरकारी एवं प्रशासनिक कार्यों में कन्नड़ के उपयोग को और मजबूत किया गया।
- कुछ विधि विशेषज्ञों और विधि स्नातकों के अनुसार, केवल मंत्रिमंडल का निर्णय पर्याप्त नहीं होगा और तुलु को निर्धारित जिलों में प्रशासनिक भाषा के रूप में लागू करने के लिए संबंधित भाषा कानून में उचित विधायी संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है।
- इसके बाद विधेयक को राज्य विधानमंडल से पारित कराकर राज्यपाल की स्वीकृति तथा आवश्यक अधिसूचना की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। इस कानूनी प्रक्रिया की अंतिम रूपरेखा संबंधित सरकारी अधिसूचनाओं और विधायी कार्रवाई से स्पष्ट होगी।

अन्य राज्यों का उदाहरण:

- आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उर्दू को अतिरिक्त/दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा देने के लिए संबंधित आधिकारिक भाषा कानूनों में संशोधन किए गए।

- तेलंगाना में 2017 के संशोधन द्वारा तेलुगु के साथ उर्दू को पूरे राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। आंध्र प्रदेश में भी 2022 में कानून में संशोधन कर उर्दू को सभी जिलों में दूसरी आधिकारिक भाषा का प्रावधान किया गया।

निर्णय का महत्व:

- तुलु को अतिरिक्त प्रशासनिक दर्जा मिलने से स्थानीय नागरिकों और प्रशासन के बीच भाषाई पहुँच, सरकारी सेवाओं की प्रभावशीलता तथा सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि, इसके लिए अनुवाद व्यवस्था, प्रशिक्षित मानव संसाधन, प्रशासनिक शब्दावली तथा डिजिटल सामग्री विकसित करना भी आवश्यक होगा।

निष्कर्ष:

तुलु को अतिरिक्त आधिकारिक प्रशासनिक दर्जा देने का निर्णय भारत की भाषाई बहुलता, संघवाद और सहभागी शासन की भावना से जुड़ा विषय है। यह उदाहरण दर्शाता है कि संविधान राज्यों को स्थानीय भाषाओं की प्रशासनिक भूमिका बढ़ाने के लिए पर्याप्त संवैधानिक आधार प्रदान करता है। साथ ही, किसी भी मंत्रिमंडलीय निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए संवैधानिक प्रावधानों और मौजूदा राज्य कानूनों के बीच विधिक सामंजस्य आवश्यक है।

खाद्य लेबलिंग में पारदर्शिता: FSSAI का पनीर पर नया प्रस्ताव

संदर्भ:

हाल ही में, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिबंध एवं निषेध) विनियम, 2011 में संशोधन का मसौदा प्रस्तावित किया है। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादों को "पनीर" के नाम से प्रस्तुत या बाजार में बेचने पर रोक लगाना है, जो दूध से प्राप्त सामग्री के बजाय गैर-दुग्ध घटकों से बनाए जाते हैं। यह मसौदा 24 सितंबर 2026 को अधिसूचित किया गया है और FSSAI ने इस पर हितधारकों तथा आम जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं।

प्रस्तावित संशोधन में क्या कहा गया है?

- प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिबंध एवं निषेध) संशोधन विनियम, 2026 में विनियम 2.1.1 के तहत एक नया प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव है, जो विशेष रूप से ऐसे पनीर से संबंधित है जो दूध से प्राप्त घटकों के बजाय अन्य सामग्री से बनाया जाता है।
- वर्तमान में "डेयरी संदर्भ में एनालॉग (Analogue in Dairy Context)" श्रेणी के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों को, यदि वे दूध से प्राप्त नहीं हैं, तो उनके नामकरण, लेबल या विपणन में "पनीर" शब्द का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
- इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी खाद्य उत्पाद का नाम और प्रस्तुतीकरण उसकी वास्तविक प्रकृति एवं संरचना को सही रूप से दर्शाए, ताकि उपभोक्ता सोच-समझकर खरीदारी का निर्णय ले सकें।

एनालॉग पनीर क्या है?

- एनालॉग पनीर एक कारखाने में तैयार किया जाने वाला ऐसा विकल्प है, जिसे पारंपरिक डेयरी पनीर के समान दिखने, बनावट और पकाने के गुणों वाला बनाया जाता है।
- इसमें दूध से प्राप्त सामग्री पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय वनस्पति वसा, स्टार्च, इमल्सीफायर और स्टेबलाइजर जैसे घटकों का उपयोग किया जा सकता है।
- यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि उपभोक्ता "पनीर" नाम देखकर यह मान सकते हैं कि उत्पाद में पारंपरिक डेयरी पनीर जैसी संरचना और पोषण संबंधी विशेषताएं मौजूद हैं।

नियमन क्यों महत्वपूर्ण है?

- मौजूदा FSSAI व्यवस्था पहले से ही ऐसे कुछ खाद्य उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाती है, जिनमें निर्धारित मानकों के अनुरूप न होने वाले पदार्थ शामिल होते हैं।
- उदाहरण के लिए, 2011 के विनियमों के विनियम 2.1.1 के तहत निर्धारित दूध और दूध से बने उत्पादों में ऐसे पदार्थों की मौजूदगी पर बिक्री संबंधी प्रतिबंध हैं, जो दूध में स्वाभाविक रूप से नहीं पाए जाते हैं, हालांकि नियामकीय अपवाद लागू हो सकते हैं।
- प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य विशेष रूप से "पनीर" शब्द के उपयोग को लेकर अधिक स्पष्टता प्रदान करना और गैर-दुग्ध उत्पादों को भ्रामक तरीके से पनीर के रूप में प्रस्तुत किए जाने से रोकना है।

उपभोक्ता संरक्षण के दृष्टिकोण से महत्व:

- यह प्रस्ताव सूचित उपभोक्ता विकल्प (Informed Consumer Choice) के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। सही और स्पष्ट लेबलिंग से उपभोक्ताओं को यह समझने में मदद मिलती है कि वे वास्तव में क्या खरीद रहे हैं और वे उत्पादों की संरचना के आधार पर उनकी तुलना कर सकते हैं।
- इससे खाद्य व्यवसायों पर नियामकीय निगरानी को भी मजबूत किया जा सकता है तथा वास्तविक डेयरी उत्पादों और डेयरी एनालॉग उत्पादों के बीच मौजूद भ्रम को कम किया जा सकता है।

FSSAI के बारे में:

- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) एक वैधानिक प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत की गई है। यह भारत में खाद्य सुरक्षा और खाद्य मानकों के नियमन एवं पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है।
- **प्रमुख कार्य:**
  - » विज्ञान आधारित खाद्य मानक निर्धारित करना।

- » खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री को विनियमित करना।
- » खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस और पंजीकरण करना।
- » खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा की निगरानी करना।
- » खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान करना।
- » खाद्य सुरक्षा के संबंध में उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष:

प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य सही खाद्य लेबलिंग और सूचित उपभोक्ता विकल्प सुनिश्चित करना है। इसके तहत "पनीर" शब्द को दूध से प्राप्त उत्पादों के लिए सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है। इन उद्देश्यों को प्रभावी रूप से प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक परीक्षण, स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था और उपभोक्ता जागरूकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

पूंपुहार में पानी के नीचे पुरातात्विक उत्खनन और चोलों की समुद्री विरासत

संदर्भ:

हाल ही में, तमिलनाडु के पूंपुहार (कावेरीपूम्पट्टिनम) के तट से दूर किए गए नए जलमग्न पुरातात्विक उत्खनन से इसके व्यापक समुद्री संपर्कों के नए प्रमाण मिले हैं। तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग (TNSDA) ने इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के सहयोग से पश्चिम एशिया के एक टॉरपीडो जार का टुकड़ा, मिट्टी के चार रिंग वेल (वृत्ताकार कुएँ) और 250 से अधिक मृद्भांड अवशेष प्राप्त किए हैं।

पूंपुहार के बारे में:

- पूंपुहार तमिलनाडु के मयिलादुथुराई जिले में बंगाल की खाड़ी के तट पर कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित है। यह प्रारंभिक चोलों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था और संगम तथा उत्तर-संगम साहित्य में इसका प्रमुख उल्लेख मिलता है।
- इस नगर को परंपरागत रूप से मरुवूरपक्कम, पट्टिनप्पक्कम और नालंगाडी में विभाजित किया गया था, जो इसके समुद्री, आवासीय और व्यापारिक स्वरूप को दर्शाते हैं।

प्रमुख पुरातात्विक खोजें:

- पश्चिम एशियाई टॉरपीडो जार का टुकड़ा मिलना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ऐसे पात्रों का उपयोग समुद्री व्यापार मार्गों के माध्यम से शराब और तेल जैसे तरल पदार्थों के परिवहन के लिए किया जाता था। इसकी उपस्थिति से संकेत मिलता है कि पूंपुहार के पश्चिम एशिया तथा व्यापक हिंद महासागर–भूमध्यसागरीय व्यापार नेटवर्क के साथ संपर्क थे।
- समुद्र तल पर मिले चार रिंग वेल संभवतः एक पुराचैनल (Palaeochannel) के अस्तित्व का संकेत देते हैं। पुराचैनल से आशय किसी प्राचीन नदी की उस धारा से है, जो बाद में तटीय परिवर्तनों के कारण जलमग्न हो गई। चमकीले/ग्लेज्ड मृद्भांडों सहित 250 से अधिक मृद्भांड अवशेष मिलने से भी यहाँ व्यापारिक गतिविधियों के प्रमाण और मजबूत होते हैं।

चोल साम्राज्य के बारे में:

- साम्राज्यवादी चोल (9वीं–13वीं शताब्दी ईस्वी) का उदय विजयालय चोल के अधीन हुआ, जिन्होंने लगभग 850 ईस्वी में तंजावुर पर अधिकार किया। राजराजा प्रथम ने चोल शक्ति का विस्तार किया और तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। इसके बाद राजेंद्र

प्रथम ने श्रीलंका में अभियानों तथा दक्षिण-पूर्व एशिया में श्रीविजय की ओर प्रसिद्ध नौसैनिक अभियान के माध्यम से साम्राज्य का और विस्तार किया।

- चोलों ने एक शक्तिशाली समुद्री क्षमता विकसित की, जिसने बंगाल की खाड़ी और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच व्यापार तथा सांस्कृतिक संपर्कों को बढ़ावा दिया।

प्रशासन और अर्थव्यवस्था:

- चोल प्रशासन अपनी विकसित स्थानीय संस्थाओं के लिए जाना जाता है। साम्राज्य को मुख्य रूप से इस प्रकार संगठित किया गया था: मंडलम्, वलनाडु, नाडु, गाँव
- उत्तरमेरूर अभिलेख ग्राम सभाओं और प्रतिनिधियों के चयन के लिए प्रयुक्त कुडवोलै प्रणाली के महत्वपूर्ण प्रमाण प्रदान करते हैं।
- कावेरी डेल्टा में विकसित व्यापक सिंचाई व्यवस्था ने कृषि को समर्थन दिया, जबकि भूमि राजस्व राज्य की आय का एक प्रमुख स्रोत था।

कला और वास्तुकला:

- चोलों ने द्रविड़ मंदिर वास्तुकला, कांस्य मूर्तिकला और धार्मिक कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। बृहदेश्वर मंदिर तथा अन्य महान जीवंत चोल मंदिर (Great Living Chola Temples) इस काल की स्थापत्य और सांस्कृतिक उपलब्धियों को प्रदर्शित करते हैं।

भारत के लिए महत्व:

- यह उत्खनन निम्नलिखित विषयों को समझने में मदद करता है:
    - प्राचीन हिंद महासागर व्यापार नेटवर्क
    - प्रारंभिक तमिल समुद्री इतिहास
    - चोलों की व्यापारिक और नौसैनिक गतिविधियाँ
    - प्राचीन नगरीकरण
    - तटीय और समुद्र-स्तर में होने वाले परिवर्तन
    - दक्षिण-पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंध

निष्कर्ष:

पूंपुहार में हुई जलमग्न पुरातात्विक खोजें भारत के समुद्री अतीत को समझने में समुद्री पुरातत्व (Marine Archaeology) के महत्व को दर्शाती हैं। कावेरीपूम्पट्टिनम के प्रारंभिक चोल बंदरगाह से लेकर बाद के साम्राज्यवादी चोलों के नौसैनिक विस्तार तक, तमिल क्षेत्र ने व्यापक हिंद महासागर क्षेत्र के साथ भारत के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जलमग्न विरासत की निरंतर वैज्ञानिक खोज और संरक्षण से भारत की समुद्री सभ्यता, व्यापारिक नेटवर्क और तटीय इतिहास की समझ को और गहरा किया जा सकता है।

भारत की यूनेस्को अस्थायी सूची में पाँच नए स्थल शामिल

संदर्भ:

हाल ही में, भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची (UNESCO Tentative List of World Heritage Sites) में पाँच नए विरासत प्रस्ताव जोड़े गए हैं, जिससे देश में कुल 78 स्थल हो गए हैं। इन नए प्रस्तावों में मध्य प्रदेश के चार स्थल और भारत तथा दक्षिण अफ्रीका से जुड़ा एक क्रमिक अंतरराष्ट्रीय प्रस्ताव (serial transnational proposal) शामिल है।

यूनेस्को क्या है?

- यूनेस्को (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1945 में शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
- 1972 का विश्व धरोहर कन्वेंशन (World Heritage Convention) उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य (Outstanding Universal Value - OUV) वाली सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों की पहचान तथा संरक्षण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।
- अस्थायी सूची (Tentative List) उन संपत्तियों की एक सूची है, जिन्हें कोई देश भविष्य में विश्व धरोहर सूची में नामांकन के लिए उपयुक्त मानता है। अस्थायी सूची में शामिल होना एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक चरण है, लेकिन इससे स्वयं किसी स्थल को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त नहीं होता है।

अस्थायी सूची में पाँच नए शामिल स्थल:

- **बाघ गुफा चित्रकला:**
    - बाघ गुफाओं में नौ शैल-कट बौद्ध गुफाएँ शामिल हैं, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में बागनी नदी के किनारे विंध्य पर्वतमाला की दक्षिणी ढलानों पर स्थित हैं।

» ये गुफाएँ विशेष रूप से अपनी बौद्ध भित्ति चित्रकलाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। ये गुफाएँ भूवैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये मुख्य रूप से बेसाल्ट से बने क्षेत्र में बलुआ पत्थर के एक उभार पर स्थित हैं।

- **चंबल घाटी के मंदिरों का समूह:**
  » इस प्रस्ताव में मध्य प्रदेश के बटेश्वर, पदावली और ककड़मठ के मंदिर परिसर शामिल हैं।
  » यह समूह क्षेत्र की मध्यकालीन मंदिर वास्तुकला, धार्मिक परंपराओं और मूर्तिकला विरासत को दर्शाता है तथा चंबल घाटी के सांस्कृतिक महत्व को उजागर करता है।
- **उदयगिरि गुफाएँ:**
  » मध्य प्रदेश में स्थित उदयगिरि गुफाएँ गुप्त काल के एक महत्वपूर्ण पवित्र सांस्कृतिक परिदृश्य का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसका विकास मुख्य रूप से चौथी शताब्दी के उत्तरार्ध और पाँचवीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ के बीच हुआ।
  » इस स्थल में 20 उत्खनित गुफाएँ, मूर्तिकला पैनल, अभिलेख, शैल-चिह्न तथा संबंधित स्थलाकृतिक और जलवैज्ञानिक विशेषताएँ शामिल हैं।
- **गिन्नौरगढ़ किला:**
  » मध्य प्रदेश में स्थित गिन्नौरगढ़ किला, गोंड शासकों की राजनीतिक और सैन्य विरासत को दर्शाता है।
  » इस पहाड़ी किले में किलेबंदी की दीवारें, प्रवेश द्वार, बुर्ज, बावड़ियाँ, महलनुमा संरचनाएँ और जलाशय मौजूद हैं। इसका वन क्षेत्र में स्थित होना और गोंड सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ाव इसे जनजातीय राज्य निर्माण और स्वदेशी स्थापत्य परंपराओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण बनाता है।
- **सत्याग्रह के स्थल:**
  » सत्याग्रह के स्थल (Sites of Satyagraha) एक प्रस्तावित क्रमिक अंतरराष्ट्रीय संपत्ति (serial transnational property) है, जिसमें भारत और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। यह दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की अवधारणा के विकास से लेकर भारत में इसके प्रयोग, सुदृढ़ीकरण और संस्थागत रूप लेने तक की यात्रा को दर्शाता है।
  » इस प्रस्ताव में नौ घटक—दक्षिण अफ्रीका में दो और भारत में सात शामिल हैं। इनमें दक्षिण अफ्रीका के पीटरमैरिट्जबर्ग स्टेशन और फीनिक्स सेटलमेंट तथा भारत में साबरमती आश्रम, मणि भवन, सेवाग्राम आश्रम, आगा खान पैलेस और गांधी स्मृति जैसे स्थल शामिल हैं।

भारत के लिए महत्व:

- इन स्थलों का जुड़ना भारत की सांस्कृतिक विरासत की विविधता को दर्शाता है, जिसमें बौद्ध कला, गुप्तकालीन वास्तुकला, मध्यकालीन मंदिर परंपराएँ, जनजातीय विरासत और अहिंसक प्रतिरोध का इतिहास शामिल हैं।
- ये स्थल विरासत संरक्षण, सांस्कृतिक पर्यटन, स्थानीय रोजगार और सामुदायिक भागीदारी को भी बढ़ावा दे सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक पहचान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों के संरक्षण के प्रयासों को मजबूत कर सकती है।

निष्कर्ष:

अस्थायी सूची के विस्तार से भारत के विरासत संरक्षण प्रयासों को मजबूती मिलती है। अब अगली प्राथमिकता वैज्ञानिक संरक्षण, उचित दस्तावेजीकरण, सामुदायिक भागीदारी और सतत पर्यटन होनी चाहिए, ताकि इन स्थलों को विश्व धरोहर की मान्यता की दिशा में आगे बढ़ाया जा सके और साथ ही इन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जा सके।

2 राजव्यवस्था एवं शासन

भारत में चुनाव सुधार: निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और संस्थागत स्वायत्तता

सन्दर्भ:

भारतीय लोकतंत्र की शुचिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India-ECI) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल के महीनों में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच SIR, फॉर्म 6, ईसीआईनेट (ECINet) तथा आंतरिक निर्णय-प्रक्रिया से संबंधित मतभेदों की रिपोर्ट सामने आई है। यह घटनाक्रम भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, मतदाता सूची की शुद्धता, संस्थागत पारदर्शिता और निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता जैसे व्यापक संवैधानिक प्रश्नों से जुड़ा है।

संवैधानिक ढाँचा:

- संविधान के भाग XV (अनुच्छेद 324–329) में निर्वाचन संबंधी संवैधानिक व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग को संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और चुनावों के संचालन का "अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण" प्रदान किया गया है।

'अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण' का अर्थ:

- सर्वोच्च न्यायालय ने मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त (1978) में अनुच्छेद 324 की शक्तियों की व्यापक प्रकृति को स्पष्ट किया। आयोग के पास ऐसी परिस्थितियों में आवश्यक कदम उठाने की संवैधानिक शक्ति हो सकती है जहाँ कानून न हो; हालांकि ये शक्तियाँ असीमित नहीं हैं। जहाँ संसद या राज्य विधानमंडल ने वैध कानून बनाया है, आयोग को उसका पालन करना होगा।
- इस प्रकार अनुच्छेद 324 आयोग को चुनावी शुचिता बनाए रखने के लिए पूर्ण/अवशिष्ट शक्तियाँ (plenary/residual powers) देता है, लेकिन यह शक्ति कानून से ऊपर नहीं है।

आयोग की संरचना:

- अनुच्छेद 324(2) के अनुसार निर्वाचन आयोग में एक मुख्य

निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, जितने राष्ट्रपति समय-समय पर निर्धारित करें। इस प्रकार संविधान ने निर्वाचन आयुक्तों की संख्या निश्चित नहीं की है।

- भारत में 1950 से 1989 तक निर्वाचन आयोग मूलतः एकल-सदस्यीय निकाय था और मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसके प्रमुख थे।
  - **1989:** पहली बार दो अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए।
  - **1990:** आयोग पुनः एकल-सदस्यीय हो गया।
  - **1993:** निर्वाचन आयोग को स्थायी रूप से तीन-सदस्यीय निकाय बनाया गया।
- CEC आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, लेकिन उनके पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। CEC और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के मत का संस्थागत निर्णयों में समान महत्व है। बहु-सदस्यीय व्यवस्था का मूल उद्देश्य किसी एक व्यक्ति में अत्यधिक शक्ति के संकेंद्रण को रोकना और नियंत्रण और संतुलन को बनाए रखना था।

हालिया आंतरिक मतभेद:

- हालिया रिपोर्टों के अनुसार, CEC और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच मतभेद मुख्यतः SIR, फॉर्म 6 और ईसीआईनेट (ECINet) से संबंधित प्रक्रियाओं पर सामने आए हैं।
  - **एसआईआर (SIR):** विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची से मृत, डुप्लीकेट और अपात्र प्रविष्टियों को हटाना तथा पात्र मतदाताओं को बनाए रखना है। हालांकि, दस्तावेजी सत्यापन के कारण पात्र मतदाताओं के बहिष्करण की आशंका को लेकर चिंता है।
  - **भौतिक सुनवाई:** एसआईआर (SIR) के दौरान कई मतदाताओं को नोटिस और दस्तावेज सत्यापन से गुजरना पड़ा। सुधारों के तहत बीएलओ द्वारा घर पर दस्तावेज एकत्र करने तथा केवल असाधारण मामलों में व्यक्तिगत सुनवाई पर जोर दिया गया है। मुख्य चुनौती मतदाता सूची की शुद्धता और नागरिक सुविधा के बीच संतुलन है।
  - **फॉर्म 6:** नए मतदाताओं के पंजीकरण से जुड़े फॉर्म 6 में अतिरिक्त घोषणा (Declaration) को लेकर सवाल उठे हैं। इसलिए इसके बदलाव को कानूनी वैधता, प्रशासनिक प्रक्रिया और मतदाता सुविधा के दृष्टिकोण से देखना आवश्यक है।
  - **ईसीआईनेट (ECINet):** इसके केंद्रीकरण से फील्ड अधिकारियों की भूमिका को लेकर चिंता सामने आई है। ECI के अनुसार, भूमिका-आधारित पहुँच और विशेषज्ञ समीक्षा के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित की जा रही है। मुद्दा डिजिटल दक्षता, कानूनी जवाबदेही और डेटा पारदर्शिता के संतुलन का है।

न्यायिक हस्तक्षेप: अनूप बरनवाल केस, 2023

- निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के प्रश्न पर न्यायपालिका का सबसे महत्वपूर्ण हस्तक्षेप अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023) में हुआ।
- याचिका में मुख्य प्रश्न यह था कि संविधान के अनुच्छेद 324(2) के बावजूद निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए संसद ने लंबे समय तक कोई व्यापक वैधानिक व्यवस्था क्यों नहीं बनाई।
- 2 मार्च 2023 को पाँच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान की मूल ढांचा का हिस्सा हैं और निर्वाचन आयोग को नियुक्तियों के संदर्भ में विशेष कार्यकारी नियंत्रण (exclusive executive control) से मुक्त होना चाहिए।
- जब तक संसद कानून नहीं बनाती, न्यायालय ने नियुक्ति के लिए एक अंतरिम व्यवस्था निर्धारित की:
  - प्रधानमंत्री
  - लोकसभा में विपक्ष के नेता
  - भारत के मुख्य न्यायाधीश
- यह व्यवस्था अंतरिम थी, अर्थात संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक लागू होनी थी। संसद ने मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 पारित कर भारत के मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को चयन समिति में शामिल किया।
- इस प्रकार समिति में कार्यपालिका के दो सदस्य हैं। यही व्यवस्था अब फिर न्यायिक जांच के केंद्र में है।

2026 का वर्तमान घटनाक्रम:

- 23 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ के बीच इस बात पर मतभेद हुआ कि 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ के पास भेजा जाना चाहिए या नहीं।
- दोनों न्यायाधीशों के अलग-अलग विचार सामने आए और अंततः

मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उपयुक्त संविधान पीठ के गठन पर विचार के लिए भेज दिया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर 2026 को 2023 के कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं किया। कानून की संवैधानिक वैधता का अंतिम निर्णय अभी लंबित है।

चुनाव सुधार समितियाँ और उनकी प्रमुख सिफारिशें:

- **दिनेश गोस्वामी समिति, 1990:** समिति ने निर्वाचन आयोग को अधिक स्वतंत्र और प्रभावी बनाने के लिए बहु-सदस्यीय निर्वाचन आयोग, CEC की नियुक्ति में व्यापक परामर्श, अन्य ECs की नियुक्ति में CEC की भूमिका, EPIC का विस्तार, EVM का चरणबद्ध उपयोग और बूथ कैप्चरिंग के विरुद्ध कड़े उपायों की सिफारिश की। हालांकि, इसकी सिफारिशों और अनूप बरनवाल मामले में PM–LoP–CJI वाली अंतरिम समिति को समान मानना उचित नहीं है, क्योंकि दोनों की संस्थागत संरचना अलग थी।
- **तारकुंडे समिति:** इस समिति ने निर्वाचन आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक स्वतंत्र, पारदर्शी और परामर्श-आधारित बनाने पर जोर दिया। इसका मुख्य उद्देश्य नियुक्तियों में कार्यपालिका के अत्यधिक प्रभाव को कम करना था।
- **विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट, 2015:** विधि आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में व्यापक परामर्श, सभी चुनाव आयुक्त को अधिक संस्थागत सुरक्षा, अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त के समान निष्कासन सुरक्षा देने पर विचार तथा निर्वाचन आयोग के लिए अधिक स्वतंत्र प्रशासनिक ढाँचे की सिफारिश की। इन सभी सिफारिशों का व्यापक उद्देश्य निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और संस्थागत स्वायत्तता को मजबूत करना है।

आगे की राह:

- निर्वाचन आयोग की संस्थागत स्वतंत्रता और विश्वसनीयता को मजबूत करने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया, संवैधानिक सुरक्षा, प्रशासनिक स्वायत्तता तथा डिजिटल प्रणालियों में सुधार आवश्यक हैं। सर्वप्रथम, 2023 की चयन समिति में कार्यपालिका के 2:1 प्रभाव को देखते हुए ऐसी संतुलित व्यवस्था पर विचार किया जाना चाहिए, जिसमें सरकार, विपक्ष और स्वतंत्र संस्थाओं की भूमिका संतुलित हो। हालांकि, न्यायपालिका को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने से जुड़े संभावित संस्थागत प्रश्नों पर भी विचार जरूरी है।
- CEC और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच हटाने की सुरक्षा (Removal Protection) में अंतर को कम किया जाना चाहिए, ताकि आयुक्त स्वतंत्र रूप से असहमति और निर्णय व्यक्त कर सकें। साथ ही, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग सचिवालय से प्रशासनिक, वित्तीय और परिचालन स्वायत्तता मजबूत की जा सकती है।
- ईसीआईनेट (ECINet) जैसी डिजिटल प्रणालियों का स्वतंत्र तकनीकी एवं साइबर सुरक्षा ऑडिट, डेटा सुरक्षा, एल्गोरिदमिक जवाबदेही और ऑडिट ट्रेल सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तकनीकी दक्षता को कानूनी जवाबदेही का विकल्प नहीं बनाया जाना चाहिए।
- अंततः, SIR में मतदाता सूची की शुद्धता और मतदाता समावेशन के बीच संतुलन आवश्यक है। अपात्र नाम हटाने के साथ यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रक्रियागत कठिनाइयों के कारण कोई पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न हो। यही लोकतांत्रिक निर्वाचन की मूल भावना है।

निष्कर्ष:

भारत में चुनाव केवल मतदान की प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक वैधता का आधार हैं। इसलिए मतदाता सूची की शुद्धता और मतदाता के अधिकार, दोनों को समान महत्व दिया जाना चाहिए। SIR जैसी प्रक्रियाएँ मतदाता सूची की विश्वसनीयता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, लेकिन उनका संचालन कानूनी स्पष्टता, उचित प्रक्रिया, पारदर्शिता और नागरिक सुविधा के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। इसी प्रकार ईसीआईनेट (ECINet) जैसी डिजिटल प्रणालियाँ चुनाव प्रबंधन को अधिक प्रभावी बना सकती हैं, लेकिन इनके साथ स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट, डेटा सुरक्षा और जवाबदेही भी आवश्यक है। अंततः निर्वाचन आयोग की संस्थागत स्वतंत्रता केवल उसके संवैधानिक अधिकारों से नहीं, बल्कि निष्पक्ष नियुक्ति प्रक्रिया, सुरक्षित कार्यकाल, समान संवैधानिक संरक्षण, आंतरिक सामूहिकता, प्रशासनिक स्वायत्तता, तकनीकी पारदर्शिता और मतदाता अधिकारों के संरक्षण से मजबूत होगी।

गर्भावस्था, मातृत्व अवकाश पदावनति का आधार नहीं हो सकते

संदर्भ:

हाल ही में,दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि गर्भावस्था और मातृत्व अवकाश पदावनति, पेशेवर स्थिति में कमी या करियर में उन्नति से वंचित करने का आधार नहीं हो सकते। न्यायालय ने सॉफ्टवेयर कंपनी हैशिकॉर्प को राखी बिष्ट को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया, जिन्हें कथित रूप से मातृत्व अवकाश से लौटने के बाद काफी निम्न स्तर की भूमिका सौंप दी गई थी।

न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियाँ:

- न्यायालय ने कहा कि गर्भावस्था और मातृत्व को निम्नलिखित का आधार नहीं माना जा सकता:
  - पदावनति या स्थिति में कमी
  - पेशेवर जिम्मेदारियों में कमी
  - करियर में उन्नति से वंचित करना
  - पेशेवर नुकसान के अन्य रूप
- न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि मातृत्व कार्यस्थल पर अपमान का कारण नहीं बन सकता। न्यायालय ने इसमें शामिल निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों पर प्रकाश डाला:
  - **अनुच्छेद 14:** कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है, जो कार्यस्थल पर महिलाओं के समान व्यवहार का समर्थन करता है।
  - **अनुच्छेद 15:** लिंग सहित विभिन्न आधारों पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, जिससे गर्भावस्था से संबंधित भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण मजबूत होता है।
  - **अनुच्छेद 21:** जीवन और गरिमा के अधिकार की रक्षा करता है, जिसमें कार्यस्थल पर गरिमा और निष्पक्ष व्यवहार शामिल है।
  - **अनुच्छेद 42:** राज्य को न्यायसंगत और मानवीय कार्य-परिस्थितियाँ तथा मातृत्व सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।
- सामूहिक रूप से, ये प्रावधान महिलाओं को गर्भावस्था या मातृत्व के कारण पदावनति, भेदभाव और करियर के अवसरों के नुकसान से बचाने के लिए संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं।

कानूनी ढाँचा:

- **मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961:** मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 महिलाओं को मातृत्व से संबंधित विभिन्न सुरक्षा प्रदान करता है। हालाँकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि इस अधिनियम में मातृत्व अवकाश के बाद महिलाओं को कार्यस्थल पर पुनः शामिल करने के लिए कोई व्यापक व्यवस्था स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं की गई है।
- **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020:** न्यायालय ने यह भी कहा कि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में भी मातृत्व अवकाश के बाद महिलाओं को कार्यस्थल पर पुनः शामिल करने के लिए कोई व्यापक व्यवस्था स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं की गई है। न्यायालय के अनुसार, विस्तृत व्यवस्था के अभाव की व्याख्या इस प्रकार नहीं की जानी चाहिए कि नियोक्ताओं को महिलाओं को उपलब्ध वास्तविक सुरक्षा से बचने की अनुमति मिल जाए।

मातृत्व अवकाश के बाद पुनः समायोजन:

- मातृत्व अवकाश से लौटने वाली महिला को सामान्यतः वही पद वापस मिलना चाहिए, जिस पर वह मातृत्व अवकाश से पहले कार्यरत थी।
- यदि संगठनात्मक कारणों से वह पद वास्तव में उपलब्ध नहीं है, तो उसे निम्नलिखित मामलों में समकक्ष पद दिया जाना चाहिए:
  - वेतन और पद-स्तर
  - स्थिति और जिम्मेदारियाँ
  - प्रबंधकीय अधिकार
  - करियर में उन्नति के अवसर
- नियोक्ताओं को बदलाव के कारणों को भी स्पष्ट करना चाहिए और वैकल्पिक भूमिका का विवरण प्रदान करना चाहिए।

भारत के लिए महत्व:

- यह निर्णय कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करता है और लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। यह केवल मातृत्व अवकाश प्रदान करने के बजाय मातृत्व के बाद सार्थक करियर सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
- यह विशेष रूप से निजी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ मातृत्व अवकाश के बाद पुनः समायोजन की स्पष्ट नीतियों की आवश्यकता बनी हुई है।

चुनौतियाँ:

- प्रमुख चुनौतियों में व्यापक पुनः समायोजन व्यवस्था का अभाव, अप्रत्यक्ष कार्यस्थल भेदभाव, अपर्याप्त बाल देखभाल सुविधाएँ, प्रतिशोध का भय और वास्तविक संगठनात्मक पुनर्गठन तथा भेदभावपूर्ण व्यवहार के बीच अंतर करने में कठिनाई शामिल हैं।

निष्कर्ष:

यह निर्णय समानता, गरिमा और सामाजिक न्याय के संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करता है। गर्भावस्था या मातृत्व के कारण उत्पन्न करियर संबंधी नुकसान से महिलाओं की रक्षा करना लैंगिक समानता, महिला कार्यबल की अधिक भागीदारी और समावेशी आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है।

नशा-मुक्त भारत रोडमैप

संदर्भ:

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में घोषणा की कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा-मुक्त बनाने के लिए तीन वर्षीय रोडमैप तैयार किया है। इस पहल का उद्देश्य मादक पदार्थों के नेटवर्क को नष्ट करना, उनके वित्तीय स्रोतों को बाधित करना, कृत्रिम मादक पदार्थों पर नियंत्रण करना तथा रोकथाम, उपचार और पुनर्वास को मजबूत करना है।

पृष्ठभूमि:

- मादक पदार्थों का दुरुपयोग केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी चिंता नहीं है, बल्कि यह आंतरिक सुरक्षा, संगठित अपराध और सामाजिक स्थिरता का भी मुद्दा है।
- प्रमुख मादक पदार्थ उत्पादक क्षेत्रों गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच भारत की स्थिति होने के कारण यह अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के प्रति संवेदनशील है। देश की बड़ी युवा आबादी मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने के महत्व को और बढ़ा देती है।

कानूनी और संस्थागत ढाँचा:

- भारत में मादक पदार्थों को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS Act) है। यह निर्दिष्ट मादक पदार्थों और मन:प्रभावी पदार्थों के उत्पादन, कब्जे, बिक्री, परिवहन और तस्करी को नियंत्रित तथा प्रतिबंधित करता है और गंभीर अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान करता है।
- स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम, 1988 अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल व्यक्तियों की निवारक हिरासत की अनुमति देता है।
- संस्थागत स्तर पर स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) प्रवर्तन संबंधी प्रयासों का समन्वय करता है, जबकि राज्य पुलिस, सीमा शुल्क विभाग, BSF और अन्य एजेंसियाँ आपूर्ति में कमी लाने में योगदान देती हैं।

चार-स्तंभ आधारित दृष्टिकोण:

- **खुफिया सूचना और अभियान आधारित प्रवर्तन:** ध्यान छोटे स्तर के अपराधियों को गिरफ्तार करने से हटकर खुफिया सूचना आधारित अभियानों और समन्वित प्रवर्तन के माध्यम से पूरे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ नेटवर्क को नष्ट करने की ओर स्थानांतरित किया जा रहा है।
- **कृत्रिम मादक पदार्थों पर नियंत्रण:** कृत्रिम मादक पदार्थ और गुप्त प्रयोगशालाएँ एक उभरती हुई चुनौती हैं। सरकार का उद्देश्य निगरानी में सुधार करना, अवैध प्रयोगशालाओं को नष्ट करना तथा मादक पदार्थ उत्पादन नेटवर्क और पूर्वगामी रसायनों की निगरानी को मजबूत करना है।
- **मांग और हानि में कमी:** रणनीति में प्रवर्तन के साथ जागरूकता, परामर्श, उपचार और पुनर्वास को शामिल किया गया है। मादक पदार्थों की लत से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए मानस हेल्पलाइन (1933) भी शुरू की गई है।
- **क्षमता निर्माण और समन्वय:** एनकॉर्ड (NCORD) तंत्र, जिसकी स्थापना 2019 में की गई थी, राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर एजेंसियों के बीच समन्वय को बढ़ावा देता है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मादक पदार्थ विरोधी कार्यबल भी स्थापित किए गए हैं, जबकि NCB को मजबूत किया गया है।

प्रमुख लक्ष्य:

- मार्च 2029 तक सरकार का लक्ष्य है:
  - » 100 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ नेटवर्क को नष्ट करना।
  - » मादक पदार्थों से संबंधित गतिविधियों में शामिल 100 भगोड़ों को वापस लाना।
  - » मार्च 2027 तक मादक पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला की शुरुआत से अंत तक दृश्यता प्राप्त करना।
  - » 2026 में कम-से-कम 75 गुप्त प्रयोगशालाओं को नष्ट करना।

चुनौतियाँ:

- इन उपायों के बावजूद, भारत के सामने कृत्रिम मादक पदार्थ, डिजिटल तस्करी, संगठित अपराध, अपर्याप्त पुनर्वास अवसंरचना और नशे की लत से जुड़ा सामाजिक कलंक जैसी चुनौतियाँ हैं।

निष्कर्ष:

नशा-मुक्त भारत 2029 का रोडमैप खंडित प्रवर्तन से हटकर आपूर्ति, मांग, वित्तपोषण और पुनर्वास को लक्षित करने वाली एकीकृत रणनीति की ओर बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। मादक पदार्थों से प्रभावी ढंग से निपटना भारत के युवाओं की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने और विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने वैवाहिक बलात्कार पर स्थिति स्पष्ट की

संदर्भ:

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 63 में दिए गए अपवाद (Exception) को असंवैधानिक घोषित नहीं कर दिया जाता, तब तक पतियों के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा चलाने में गंभीर कानूनी दुविधा है। अदालत ने इस संवेदनशील मुद्दे पर तीन सप्ताह बाद अंतिम सुनवाई (Final Hearing) तय की है।

वैवाहिक बलात्कार क्या है?

- वैवाहिक बलात्कार से तात्पर्य पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना यौन संबंध बनाने से है। मुख्य कानूनी विवाद यह है कि क्या विवाह यौन संबंधों में सहमति की आवश्यकता के लिए एक अपवाद हो सकता है।
- यह मुद्दा एक ओर व्यक्तिगत शारीरिक स्वायत्तता और गरिमा तथा दूसरी ओर वैवाहिक संबंधों की रक्षा करने वाले मौजूदा वैधानिक ढाँचे के बीच संघर्ष से जुड़ा है।

भारत में कानूनी स्थिति:

- पूर्ववर्ती भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 के तहत, अपवाद 2 में यह प्रावधान था कि किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ किया गया यौन संबंध या यौन कृत्य, जहाँ पत्नी की आयु 15 वर्ष से कम नहीं थी, बलात्कार नहीं माना जाता था।
- IPC के स्थान पर लागू हुई भारतीय न्याय संहिता (BNS) ने धारा 63 के तहत वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को बरकरार रखा है, जबकि संबंधित आयु सीमा को 15 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया है।
- इस प्रकार, वर्तमान कानून के तहत, किसी वयस्क पति द्वारा अपनी वयस्क पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना किया गया यौन संबंध सामान्यतः बलात्कार के अपराध के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

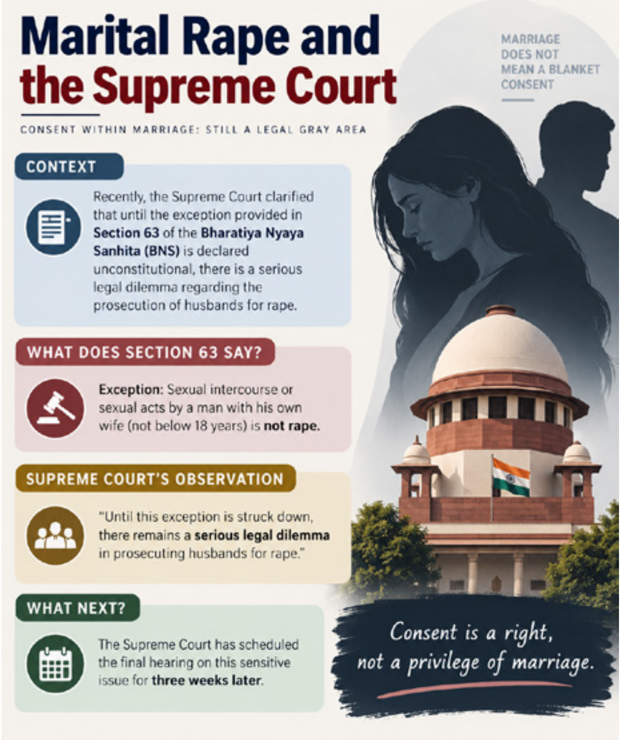

मामले में तर्क:

- **अपराधीकरण के पक्ष में तर्क:**
    - » मौजूदा कानून की पर्याप्त व्यापक व्याख्या की जा सकती है, जिससे विवाह के भीतर यौन हिंसा होने पर अभियोजन को उचित ठहराया जा सके। उन्होंने जोर दिया कि विवाह से महिलाओं की शारीरिक स्वायत्तता और सहमति का अधिकार समाप्त नहीं होना चाहिए।
- **सरकार का पक्ष:**
    - » वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को तब तक जारी रखा जाना चाहिए, जब तक सर्वोच्च न्यायालय इसकी संवैधानिक वैधता का निर्धारण नहीं कर देता।
    - » केंद्र ने पहले तर्क दिया था कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने से विवाह की संस्था प्रभावित हो सकती है और वैवाहिक संबंधों में गंभीर व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं।

न्यायिक पृष्ठभूमि:

- कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 2022 में एक पति को बलात्कार के आरोपों का सामना करने की अनुमति दी थी, जिस पर अपनी पत्नी के साथ जबरन यौन संबंध बनाने का आरोप था। न्यायालय ने कहा था कि विवाह यौन हिंसा करने के लिए पूर्ण लाइसेंस प्रदान नहीं करता।
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने इससे पहले वैवाहिक बलात्कार के अपवाद की संवैधानिक वैधता पर विभाजित फैसला दिया था।
- सर्वोच्च न्यायालय ने पहले कर्नाटक मामले की सुनवाई करने और उसके बाद अपवाद की संवैधानिकता को सीधे चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने का निर्णय लिया है।

निष्कर्ष:

वैवाहिक बलात्कार पर बहस महिलाओं के अधिकारों, व्यक्तिगत स्वायत्तता, आपराधिक कानून और संवैधानिक शासन के एक जटिल संगम को दर्शाती है। सर्वोच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणियाँ इस बात को रेखांकित करती हैं कि किसी कृत्य को हानिकारक मानना और किसी आपराधिक अपराध का निर्माण या उसका विस्तार करना अलग-अलग बातें हैं। अंतिम समाधान के लिए संवैधानिक अधिकारों, विधायी अधिकार-क्षेत्र, व्यक्तिगत गरिमा और विवाह की संस्था की सुरक्षा के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन की आवश्यकता होगी।

डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP) 3.0

सन्दर्भ:

हाल ही में, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि भवन में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP) 3.0 (2026–2031) के परिचालन दिशानिर्देश लॉन्च किए। इस कार्यक्रम का अनुमानित वित्तीय परिव्यय ₹565.50 करोड़ है और इसका उद्देश्य भूमि प्रशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) के रूप में एक एकीकृत, GIS-सक्षम "लैंड स्टैक" तैयार करना है।

डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम:

- डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP), ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग (DoLR) द्वारा कार्यान्वित एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। यह 2008 में शुरू किए गए राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (NLRMP) से विकसित हुई है।
- इसका उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड का आधुनिकीकरण करना, पाठ्य और स्थानिक जानकारी को एकीकृत करना, भूमि विवादों को कम करना तथा संपत्ति से संबंधित सेवाओं को पारदर्शी और नागरिक-अनुकूल बनाना है।

DILRMP 3.0 में नया क्या है?

- मुख्य बदलाव केवल डिजिटलीकरण से एकीकृत भूमि शासन की ओर है।
  - » **GIS-सक्षम लैंड स्टैक:** यह GIS और APIs के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड, भूकर मानचित्र, संपत्ति पंजीकरण और न्यायालय से संबंधित जानकारी को एकीकृत करेगा। राज्य-स्तरीय लैंड स्टैक एक संघीय राष्ट्रीय लैंड स्टैक में योगदान देंगे, जबकि डेटा का स्वामित्व संबंधित प्राधिकरणों के पास ही रहेगा।
  - » **सार्वभौमिक भू-आधार (ULPIN):** एक 14-अंकीय विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या प्रत्येक भूमि पार्सल को एक स्पष्ट पहचान प्रदान करेगी, जिससे धोखाधड़ी को रोकने और भूमि लेनदेन में सुधार करने में मदद मिलेगी।
  - » **कागजरहित संपत्ति पंजीकरण:** अंत से अंत तक डिजिटल पंजीकरण और एक पंजीकरण रिपॉजिटरी आसान स्वामित्व सत्यापन और संपत्ति की उचित जाँच को सक्षम बनाएगी। 75 उप-पंजीयक कार्यालयों को नागरिक-अनुकूल पंजीकरण सेवा केंद्रों में उन्नत किया जाएगा।
  - » **कागजरहित राजस्व न्यायालय:** राजस्व न्यायालय वाद प्रबंधन प्रणाली (RCCMS) का भूमि रिकॉर्ड के साथ एकीकरण नामांतरण और भूमि-विवाद समाधान में देरी को कम कर सकता है।
  - » **शहरी भूमि मानचित्रण:** NAKSHA पायलट GIS-आधारित

शहरी भूमि रिकॉर्ड को बढ़ावा देगा तथा मानचित्रण और संपत्ति दस्तावेजीकरण में सुधार करेगा।

भारत के लिए महत्व:

- DILRMP 3.0 सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता को कम करके जीवन जीने में सुगमता और व्यापार करने में सुगमता में सुधार कर सकता है। विश्वसनीय भूमि रिकॉर्ड किसानों और संपत्ति मालिकों को संस्थागत ऋण तक पहुँच बनाने में भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि सटीक भूमि जानकारी संपत्ति के बेहतर सत्यापन और मूल्यांकन को सक्षम बनाती है।
- यह भूमि संबंधी मुकदमों, धोखाधड़ी, बेनामी लेनदेन और विरासत संबंधी विवादों को कम कर सकता है, जबकि राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ा सकता है।

ग्रामीण विकास से संबंध:

- भूमि ग्रामीण परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण उत्पादक संपत्ति है। डिजिटलीकृत और विश्वसनीय भूमि रिकॉर्ड किसानों की ऋण, सरकारी योजनाओं, मुआवजे और कृषि सेवाओं तक पहुँच का समर्थन कर सकते हैं।
- DILRMP (स्वामित्व) जैसी पहलों का भी पूरक है, जो ग्रामीण संपत्ति कार्ड प्रदान करने के लिए ड्रोन-आधारित मानचित्रण का उपयोग करती है। साथ मिलकर, ये पहल औपचारिक संपत्ति अधिकारों और ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूत कर सकती हैं।

चुनौतियाँ:

- अशुद्ध और पुराने विरासत रिकॉर्ड
- पाठ्य और भूकर रिकॉर्ड के बीच अंतर
- भूमि कानूनों में अंतर-राज्यीय भिन्नताएँ
- डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा
- स्थानीय स्तर पर तकनीकी क्षमता की कमी
- भू-संदर्भित मानचित्रों की सटीकता सुनिश्चित करना
- ग्रामीण नागरिकों के बीच डिजिटल विभाजन

निष्कर्ष:

डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP) 3.0 भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण से एकीकृत डिजिटल भूमि शासन के निर्माण की ओर बदलाव को दर्शाता है। GIS, ULPIN, डिजिटल पंजीकरण और न्यायालय के एकीकरण को मिलाकर, भारत अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और नागरिक-केंद्रित भूमि प्रशासन का निर्माण कर सकता है, जिससे ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी और विकसित भारत के दृष्टिकोण को समर्थन मिलेगा।

उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) संशोधन नियम, 2026

संदर्भ:

हाल ही में सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2026 जारी किया है। उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) (संशोधन) नियम, 2026 1 जनवरी, 2027 से लागू होंगे।

प्रमुख प्रावधान:

- **पारदर्शी छूट मूल्य निर्धारण:** प्लेटफॉर्म को कम की गई कीमत और पिछली कीमत, दोनों प्रदर्शित करनी होंगी। पिछली कीमत पिछले 30 दिनों के दौरान ली गई सबसे कम कीमत होगी, जिससे भ्रामक छूट के दावों को रोकने में मदद मिलेगी।
- **निष्पक्ष खोज परिणाम:** ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म खोज परिणामों में इस तरह हेरफेर नहीं कर सकते जिससे उपभोक्ताओं को गुमराह किया जाए या उनके प्रश्नों के लिए परिणामों की प्रासंगिकता कम हो।
- **प्रायोजित लिस्टिंग का खुलासा:** भुगतान किए गए या प्रायोजित खोज परिणामों पर स्पष्ट और प्रमुख खुलासा होना चाहिए, जिससे उपभोक्ता विज्ञापनों और ऑर्गेनिक परिणामों के बीच अंतर कर सकें।
- **डार्क पैटर्न का विनियमन:** प्लेटफॉर्म को डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन पर 2023 के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। वे वार्षिक स्व-ऑडिट भी करेंगे और एक अनुपालन प्रमाणपत्र प्रमुखता से प्रदर्शित करेंगे।
- **उपभोक्ता शिकायत निवारण को मजबूत करना:** उपभोक्ताओं को प्लेटफॉर्म के शिकायत अधिकारी द्वारा दर्ज की गई अपनी शिकायत की एक प्रति प्राप्त होनी चाहिए, जिससे शिकायत निपटान में पारदर्शिता बढ़ेगी।
- **राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के साथ एकीकरण:** प्रत्येक ई-कॉमर्स इकाई को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) की अभिसरण प्रक्रिया में भागीदार बनना होगा। 2025 में, NCH को 17,71,622 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें लगभग 29% ई-कॉमर्स से संबंधित थीं।

- **बेहतर उत्पाद और विक्रेता जानकारी:** प्लेटफॉर्म को बेस्ट-बिफोर/यूज़-बिफोर तिथियाँ, रिटर्न और रिफंड नीतियाँ, वारंटी, डिलीवरी और भुगतान संबंधी जानकारी जैसे महत्वपूर्ण विवरणों का खुलासा करना होगा।
- **आयातित वस्तुएँ और उपभोक्ता डेटा:** आयातित उत्पादों के लिए, प्लेटफॉर्म को मूल देश और आयातक के विवरण का खुलासा करना होगा। स्पष्ट और सकारात्मक सहमति के बिना निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए उपभोक्ता जानकारी का उपयोग नहीं किया जा सकता।
- **बंडल शुल्क पर प्रतिबंध:** प्लेटफॉर्म ऐसी सेवाओं के लिए बंडल शुल्क नहीं लगा सकते जो ई-कॉमर्स लेनदेन से संबंधित नहीं हैं, सिवाय उन मामलों के जहाँ लॉयल्टी या सदस्यता कार्यक्रमों के लिए इसकी अनुमति हो।

पृष्ठभूमि:

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का स्थान लिया और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) तथा भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं से संबंधित प्रावधानों जैसे तंत्रों के माध्यम से उपभोक्ता अधिकारों को मजबूत किया।

महत्व:

- उपभोक्ता पारदर्शिता और सूचित विकल्प को बढ़ावा देता है।
- भ्रामक छूट और धोखाधड़ीपूर्ण प्रथाओं को रोकता है।
- डेटा गोपनीयता और सहमति-आधारित डेटा उपयोग को मजबूत करता है।
- शिकायत निवारण में सुधार करता है।
- बड़े डिजिटल मार्केटप्लेस की जवाबदेही बढ़ाता है।
- अधिक निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी डिजिटल अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है।

निष्कर्ष:

2026 के संशोधन पारदर्शी, जवाबदेह और उपभोक्ता-अनुकूल डिजिटल मार्केटप्लेस बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। प्रभावी कार्यान्वयन, तकनीकी निगरानी और उपभोक्ता जागरूकता यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे कि डिजिटल सुविधा उपभोक्ता अधिकारों की कीमत पर न आए।

किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना: यमुना बेसिन जल सुरक्षा

संदर्भ:

हाल ही में, यमुना बेसिन के छह राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान ने लंबे समय से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता 15 सितंबर 2026 को हुआ, जिससे आठ साल के गतिरोध के बाद परियोजना कार्यान्वयन के और करीब पहुंच गई है।

परियोजना के बारे में:

- किशाऊ परियोजना यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी टोंस नदी पर प्रस्तावित है, जो हिमाचल प्रदेश–उत्तराखंड सीमा के साथ स्थित है।
- प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:
  - » **बांध:** लगभग 232.6 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध
  - » **भंडारण क्षमता:** 1,562 मिलियन घन मीटर (MCM)
  - » **सिंचाई क्षमता:** लगभग 97,000 हेक्टेयर
  - » **अनुमानित लागत:** ₹15,624 करोड़
  - » **जलविद्युत:** परियोजना को बहुउद्देशीय जल-भंडारण और जलविद्युत परियोजना के रूप में डिजाइन किया गया है।
  - » **लाभार्थी:** यमुना बेसिन के छह राज्य, जिसमें दिल्ली को पर्याप्त जल लाभ मिलने की उम्मीद है।
  - » **स्थान:** सिरमौर जिला (हिमाचल प्रदेश) और देहरादून जिला

(उत्तराखंड) की सीमा।

वित्त पोषण और विद्युत साझेदारी:

- केंद्र सरकार जल-घटक की लागत का लगभग 90% वहन करेगी, जबकि शेष 10% भागीदारी करने वाले राज्यों द्वारा 1994 के यमुना जल समझौते के अनुसार साझा किया जाएगा।
- एक प्रमुख मुद्दा हिमाचल प्रदेश की वित्तीय देनदारी से संबंधित था। राज्य का तर्क था कि उसे विद्युत घटक की पूरी लागत वहन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसे परियोजना से जुड़े पर्यावरणीय और सामाजिक लागतों का भी वहन करना होगा। बताया गया है कि व्यवस्था के अनुसार लाभार्थी राज्य संबंधित विद्युत-घटक के भार को वहन करेंगे।

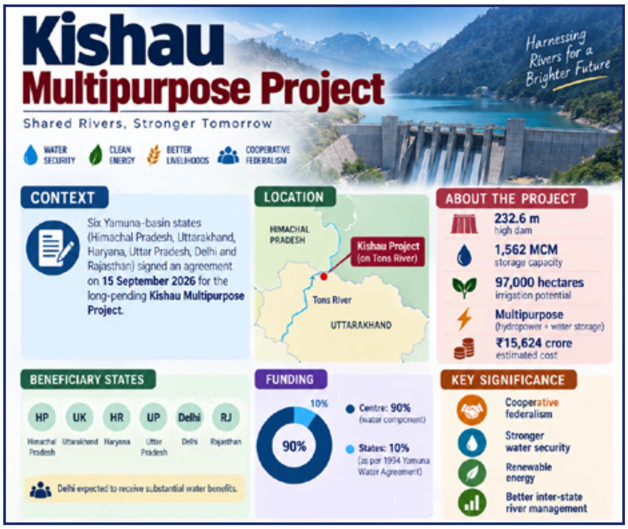

पर्यावरणीय महत्व:

- परियोजना के सिंचाई और विद्युत उत्पादन से आगे भी प्रभाव हैं।
- यमुना को प्रदूषण और अपर्याप्त पर्यावरणीय प्रवाह से संबंधित गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, विशेष रूप से नीचे की ओर के क्षेत्रों में। भंडारण के माध्यम से जल प्रवाह का नियमन संभावित रूप से कम प्रवाह वाले मौसम में प्रवाह में सुधार कर सकता है, हालांकि पारिस्थितिक लाभ वास्तविक जलाशय-संचालन प्रथाओं पर निर्भर करेंगे।
- इसलिए, परियोजना जल उपयोग और पारिस्थितिक प्रवाह की आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

भारत के लिए महत्व:

- **सहकारी संघवाद:** यह समझौता साझा नदी बेसिनों के प्रबंधन में केंद्र-राज्य और अंतर-राज्यीय सहयोग के महत्व को दर्शाता है।
- **जल सुरक्षा:** यह यमुना बेसिन में पेयजल, सिंचाई और अन्य उपयोगों के लिए जल की उपलब्धता को मजबूत कर सकता है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा:** जलविद्युत भारत की नवीकरणीय-ऊर्जा और ग्रिड-संतुलन आवश्यकताओं में योगदान दे सकती है।
- **अंतर-राज्यीय नदी प्रबंधन:** यह परियोजना उन नदियों के प्रबंधन की जटिलताओं को दर्शाती है जिनके बेसिन कई राजनीतिक सीमाओं को पार करते हैं।

प्रमुख चुनौतियाँ:

- प्रभावित समुदायों का विस्थापन और पुनर्वास
- हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र पर पर्यावरणीय प्रभाव
- वित्त पोषण और लागत एवं लाभों का समान वितरण
- जल और विद्युत को लेकर अंतर-राज्यीय असहमति
- यमुना में पर्याप्त पर्यावरणीय प्रवाह सुनिश्चित करना
- बड़े हिमालयी बुनियादी ढांचे से जुड़े भूवैज्ञानिक और आपदा जोखिम

संवैधानिक प्रावधान:

- जल संविधान के तहत मुख्य रूप से राज्य सूची का विषय है, जबकि संसद अनुच्छेद 262 के तहत अंतर-राज्यीय नदी विवादों पर कानून बना सकती है। अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 ऐसे विवादों के निपटारे के लिए एक तंत्र प्रदान करता है।
- किशाऊ समझौता केवल न्यायिक निर्णय पर निर्भर रहने की अपेक्षा एक बातचीत/सहकारी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है।

निष्कर्ष:

किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना जल सुरक्षा, संघवाद, जलविद्युत, कृषि और पर्यावरणीय स्थिरता के जटिल अंतर्संबंध को दर्शाती है। इसका कार्यान्वयन यमुना बेसिन को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान कर सकता है, लेकिन दीर्घकालिक सफलता विकासात्मक उद्देश्यों को पारिस्थितिक और सामाजिक चिंताओं के साथ संतुलित करने पर निर्भर करेगी।

निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिह्न को फ्रीज किया

संदर्भ:

हाल ही में, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने तृणमूल कांग्रेस (AITC/

TMC) के अंदर दो प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच जारी संगठनात्मक विवाद के चलते पार्टी के नाम "ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस" और उसके आरक्षित चुनाव चिन्ह "फूल और घास" (दो फूल और घास) के उपयोग पर अंतरिम रोक लगा दी है।ममता बनर्जी गुट को 'ममता अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस' नाम दिया गया और इसका चुनाव चिह्न 'फुटबॉल खिलाड़ी' है। अरूप रॉय गुट को 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' नाम दिया गया और इसका चुनाव चिह्न 'लिफाफा' है। ये व्यवस्था अभी अस्थाई है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को अगले कुछ महीनों के भीतर मूल पार्टी पहचान के सही हकदार के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह निर्णय 6 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनावों के मद्देनजर लिया गया है।

पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न का कानूनी आधार:

- यह विवाद चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैराग्राफ 15 द्वारा नियंत्रित होता है। यह भारत निर्वाचन आयोग को उन विवादों का निर्धारण करने का अधिकार देता है, जिनमें किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिद्वंद्वी गुट पार्टी के नाम, संगठनात्मक पहचान और आरक्षित चुनाव चिह्न पर अपना दावा करते हैं।

ECI पार्टी-विभाजन विवादों का निर्णय कैसे करता है?

- पैराग्राफ 15 के अंतर्गत अंतिम निर्धारण के लिए आयोग प्रासंगिक संगठनात्मक और विधायी समर्थन की जाँच करता है, जिसमें शामिल हैं:
    - **संगठनात्मक बहुमत:** पदाधिकारियों और संगठनात्मक समितियों के बीच समर्थन।
    - **विधायी बहुमत:** निर्वाचित सांसदों और विधायकों के बीच समर्थन।
- आयोग अपना निर्धारण करने से पहले प्रतिद्वंद्वी समूहों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार करता है।

भारत निर्वाचन आयोग का संवैधानिक ढाँचा:

- ECI एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत की गई है। भाग XV (अनुच्छेद 324–329) चुनावों और निर्वाचन तंत्र से संबंधित है।
- **प्रमुख कार्य:**
    - लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडलों के चुनाव कराता है।
    - राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव कराता है।
    - मतदाता सूचियाँ तैयार करता है और चुनावी प्रक्रिया की निगरानी करता है।
    - मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चुनाव चिह्न आवंटित करता है।
    - कुछ अर्ध-न्यायिक (Quasi-Judicial) कार्य करता है, जिनमें पार्टी-चिह्न विवादों का निर्णय करना शामिल है।
    - ECI पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं कराता; ये चुनाव राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा कराए जाते हैं।

महत्व:

- यह विवाद अनसुलझे पार्टी विवाद के दौरान समान चुनावी अवसर (Level Electoral Playing Field) सुनिश्चित करने में ECI की भूमिका को उजागर करता है। यह अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आयोग की व्यापक शक्तियों, प्रक्रियात्मक निष्पक्षता, आंतरिक पार्टी लोकतंत्र और चुनाव चिह्न विवादों के समयबद्ध समाधान की आवश्यकता के बीच संतुलन से संबंधित व्यापक प्रश्न भी उठाता है।

आगे की राह:

पार्टी-विभाजन विवादों के लिए पारदर्शी, समयबद्ध और साक्ष्य-आधारित निर्णय प्रक्रिया की आवश्यकता है, साथ ही राजनीतिक दलों के भीतर मजबूत आंतरिक लोकतांत्रिक तंत्र की भी आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

TMC चुनाव चिह्न विवाद चुनावी प्रक्रिया में स्पष्टता और निष्पक्षता बनाए रखने में ECI की संवैधानिक और अर्ध-न्यायिक भूमिका के महत्व को दर्शाता है। अंतरिम फ्रीज आगामी उपचुनावों को आगे बढ़ने की अनुमति देता है, जबकि पार्टी की पहचान से संबंधित मूल प्रश्न को बाद के अंतिम निर्धारण के लिए छोड़ देता है।

CBFC की फिल्म प्रमाणन के नए दिशानिर्देश 2026

संदर्भ:

हाल ही में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B) ने सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों के प्रमाणन हेतु संशोधित दिशानिर्देश (Guidelines for Certification of Films for Public Exhibition) अधिसूचित किए हैं। संशोधित दिशानिर्देशों में मुख्य रूप से 1991 के फिल्म प्रमाणन दिशानिर्देशों के विस्तृत ढाँचे को बरकरार रखा गया है। हालांकि, इसमें

मादक पदार्थों और आयु-आधारित UA प्रमाणन संकेतकों से संबंधित दो महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़े गए हैं।

फिल्म प्रमाणन क्या है?

- फिल्म प्रमाणन वह वैधानिक प्रक्रिया है, जिसके तहत भारत में फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन से पहले जाँचा जाता है।
- केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है और यह सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत कार्य करता है। भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए बनाई गई फिल्म के लिए CBFC से प्रमाणन प्राप्त करना आवश्यक है।

कानूनी ढाँचा:

- फिल्म प्रमाणन की व्यवस्था मुख्य रूप से निम्नलिखित पर आधारित है:
  - » सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952
  - » सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024
  - » सिनेमैटोग्राफ अधिनियम की धारा 5B के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश।
  - » राष्ट्रीय प्रतीकों, बच्चों की सुरक्षा, अश्लीलता, तंबाकू और पशु क्रूरता जैसे मुद्दों से संबंधित प्रासंगिक कानून।

2026 के दिशानिर्देशों में दो प्रमुख बदलाव:

- **मादक पदार्थों पर अनिवार्य चेतावनी:**
  - » मादक दवाओं या मन:प्रभावी पदार्थों (Psychotropic Substances) के उपयोग, सेवन या तस्करी को दर्शाने वाले या उनसे संबंधित दृश्यों में एक अस्वीकरण/वैधानिक चेतावनी देना अनिवार्य होगा।
  - » यह दिशानिर्देश फिल्मों में मादक पदार्थों के चित्रण पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाता। इसके बजाय, संबंधित दृश्यों के लिए एक विशिष्ट चेतावनी की आवश्यकता निर्धारित करता है।
- **नए आयु-आधारित UA संकेतक:** संशोधित दिशानिर्देशों में सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 के तहत शुरू की गई आयु-आधारित UA श्रेणियों को शामिल किया गया है:
  - » UA 7+
  - » UA 13+
  - » UA 16+
- इन संकेतकों का अर्थ है कि फिल्म को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है, लेकिन निर्धारित आयु से कम उम्र के बच्चों के लिए माता-पिता या अभिभावकों को विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए।

फिल्म प्रमाणन के प्रमुख सिद्धांत:

- संशोधित दिशानिर्देशों में 1991 के ढाँचे के कई प्रमुख सिद्धांतों को बरकरार रखा गया है।
  - » **हिंसा/अपराध का महिमामंडन नहीं:** असामाजिक गतिविधियों, हिंसा, आपराधिक तरीकों और शराब के सेवन को महिमामंडित या प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।
  - » **बच्चों की सुरक्षा:** बच्चों को हिंसा या बाल शोषण का सामना करते हुए या उसे देखते हुए दिखाने से, जहाँ तक संभव हो, अनावश्यक रूप से बचना चाहिए।
  - » **मानवीय गरिमा:** अश्लीलता, महिलाओं का अपमानजनक चित्रण, दिव्यांग व्यक्तियों का उपहास, पशु क्रूरता तथा समुदायों का अपमानजनक चित्रण रोकने पर जोर दिया गया है।
  - » **यौन हिंसा:** ऐसे दृश्यों से बचना चाहिए। जहाँ उनका चित्रण आवश्यक हो, उन्हें न्यूनतम और गैर-ग्राफिक रखा जाना चाहिए।

सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 5B के बारे में:

- धारा 5B के अनुसार, किसी फिल्म को प्रमाणित नहीं किया जाएगा, यदि वह अन्य बातों के साथ निम्नलिखित के विरुद्ध मानी जाती है:
  - » भारत की संप्रभुता और अखंडता

   » राज्य की सुरक्षा
   » विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध
   » लोक व्यवस्था
   » शिष्टता या नैतिकता
- इसमें मानहानि, न्यायालय की अवमानना और किसी अपराध के लिए उकसाने की संभावना जैसे विषय भी शामिल हैं।
- इस प्रकार, धारा 5B फिल्म प्रमाणन से संबंधित दिशानिर्देशों का प्रमुख वैधानिक आधार प्रदान करती है।

प्रमाणन की श्रेणियाँ:

2024 के नियमों के माध्यम से लागू वर्तमान आयु-आधारित व्यवस्था के तहत प्रमुख श्रेणियाँ निम्नलिखित हैं:

श्रेणी	अर्थ
U	सभी के लिए अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन
UA 7+	अप्रतिबंधित प्रदर्शन, लेकिन 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सावधानी आवश्यक
UA 13+	अप्रतिबंधित प्रदर्शन, लेकिन 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सावधानी आवश्यक
UA 16+	अप्रतिबंधित प्रदर्शन, लेकिन 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सावधानी आवश्यक
A	केवल वयस्कों के लिए प्रतिबंधित प्रदर्शन

- पहले की व्यापक UA श्रेणी को अब UA 7+, UA 13+ और UA 16+ में विभाजित किया गया है। इन आयु संकेतकों का उद्देश्य माता-पिता/अभिभावकों को मार्गदर्शन देना है, न कि कम उम्र के बच्चों के लिए UA प्रमाणित फिल्मों को देखने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना।

महत्त्व:

- संशोधित ढाँचा:
   » 1991 के प्रमाणन सिद्धांतों को बनाए रखता है।
   » माता-पिता के लिए अधिक स्पष्ट आयु-आधारित मार्गदर्शन प्रदान करता है।
   » मादक पदार्थों के विरुद्ध एक विशिष्ट चेतावनी जोड़ता है।
   » कलात्मक स्वतंत्रता तथा लोक व्यवस्था, शिष्टता और बाल संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है।
   » ई-सिनेप्रमाण (e-Cinepramaan) के माध्यम से डिजिटल प्रमाणन की दिशा में जारी बदलाव को आगे बढ़ाता है।

निष्कर्ष:

2026 के दिशानिर्देशों में मौजूदा फिल्म प्रमाणन व्यवस्था को काफी हद तक बनाए रखते हुए मादक पदार्थों से संबंधित चेतावनियों और आयु-आधारित UA वर्गीकरण को शामिल किया गया है। केंद्रीय नियामकीय चुनौती अब भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बाल संरक्षण, लोक व्यवस्था तथा संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य हितों के बीच संतुलन स्थापित करना है।

वंदे मातरम् पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

संदर्भ:

22 सितंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 को चुनौती देने वाली याचिका तथा वंदे मातरम् के गायन से संबंधित सरकारी निर्देशों पर सुनवाई की।

न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियाँ:

- न्यायालय ने संकेत दिया कि लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार राष्ट्रीय गीत के दायरे और इसकी कितनी पंक्तियाँ गाई जाएँ, यह निर्धारित कर सकती है, लेकिन वह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं कर सकती और वास्तविक अंतःकरण संबंधी आपत्ति रखने वाले व्यक्ति को एक या अधिक पदों को गाने से इनकार करने पर दंडित नहीं किया जाना चाहिए।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा।
- न्यायालय ने ऐतिहासिक बिजोए इमैनुएल बनाम केरल राज्य मामले का भी संदर्भ दिया। इस मामले में यहोवा के साक्षी (Jehovah's Witnesses) धर्म से संबंधित तीन स्कूली बच्चों ने अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण राष्ट्रगान नहीं गाया था, लेकिन राष्ट्रगान बजाए जाने के दौरान वे सम्मानपूर्वक खड़े रहे।
- सर्वोच्च न्यायालय ने उनके अधिकारों की रक्षा करते हुए अंतःकरण की स्वतंत्रता और धार्मिक विश्वास को मान्यता दी थी। वर्तमान मामला वंदे मातरम् के संदर्भ में इसी सिद्धांत की प्रासंगिकता की जांच करता है।

पृष्ठभूमि:

- यह याचिका कर्नाटक संगीत के गायक और लेखक टी. एम. कृष्णा द्वारा दायर की गई है। उन्होंने 2026 के संशोधन और गृह मंत्रालय

द्वारा जारी प्रशासनिक निर्देशों को चुनौती दी है।

- याचिकाकर्ता का तर्क है कि संशोधित कानून और कार्यकारी निर्देश प्रभावी रूप से सार्वजनिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम् के सभी छह पदों को बजाने और सामूहिक रूप से गाने को अनिवार्य बनाते हैं।
- याचिका के अनुसार, इसका पालन न करने पर तीन वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों का प्रावधान हो सकता है।

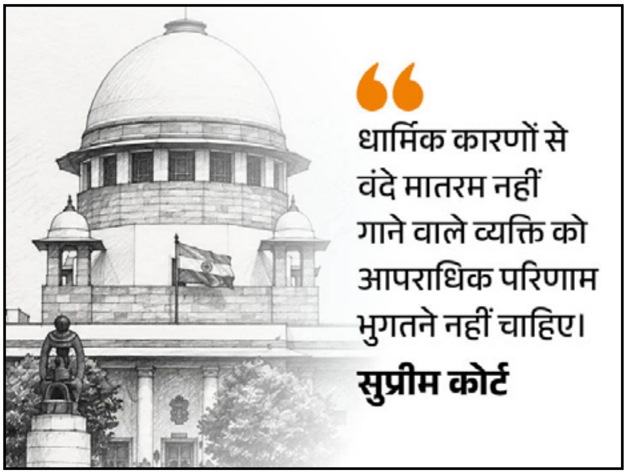

संवैधानिक मुद्देः

- **अनुच्छेद 19(1)(a):** अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी विशेष भावना को व्यक्त न करने की स्वतंत्रता भी शामिल हो सकती है। इसलिए किसी व्यक्ति को अनिवार्य रूप से कोई गीत गाने के लिए बाध्य करना व्यक्तिगत स्वायत्तता और बलपूर्वक अभिव्यक्ति (Compelled Expression) से जुड़े प्रश्न उठाता है।
- **अनुच्छेद 25 और 26:** धार्मिक स्वतंत्रता: अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जबकि अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों के कुछ अधिकारों की रक्षा करता है। न्यायालय ने संकेत दिया कि राष्ट्रीय प्रोटोकॉल इन संवैधानिक सुरक्षा उपायों को खत्म नहीं कर सकते।
- **धर्मनिरपेक्षता:** याचिकाकर्ता का तर्क है कि गीत के धार्मिक भाव वाले अंशों के अनिवार्य गायन से संविधान के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर प्रभाव पड़ सकता है। हालाँकि, न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि किसी राष्ट्रीय प्रतीक में धार्मिक संदर्भ होना अपने आप में यह निर्धारित नहीं करता कि संवैधानिक व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष है या नहीं।

राष्ट्रीय गीत बनाम राष्ट्रगान:

- बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम् भारत का राष्ट्रीय गीत है, जबकि जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है।
- अनुच्छेद 51A(a) नागरिकों के लिए संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य के रूप में स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है। इसमें राष्ट्रीय गीत का विशेष रूप से उल्लेख नहीं है।

प्रमुख मुद्दाः

- इस मामले में मुख्य अंतर है-
  - » जानबूझकर किसी राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान या उसमें व्यवधान डालना; और
  - » वास्तविक अंतःकरण संबंधी या धार्मिक आपत्ति के कारण शांतिपूर्वक भाग लेने से इनकार करना।
  - » न्यायालय ने संकेत दिया कि दूसरे प्रकार के आचरण को स्वतः आपराधिक अभियोजन का आधार नहीं बनाया जा सकता।

महत्वः

- अंतःकरण की स्वतंत्रता की रक्षा।
- आपराधिक दंड के उपयोग की सीमाओं को रेखांकित करता है।
- संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करता है।
- मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कार्यपालिका की कार्रवाई की जांच करता है।
- राष्ट्रीय पहचान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संबंध को स्पष्ट करने में सहायक।

निष्कर्षः

यह मामला दर्शाता है कि राष्ट्रीय सम्मान और संवैधानिक स्वतंत्रता आवश्यक रूप से एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान की व्यवस्था भी मौलिक अधिकारों के ढाँचे के भीतर होनी चाहिए, विशेष रूप से अंतःकरण की स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में।

ओबीसी क्रीमी लेयर फैसले पर आदेश सुरक्षित

संदर्भः

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस मांग पर अपना आदेश

सुरक्षित रख लिया है, जिसमें ओबीसी क्रीमी लेयर के निर्धारण से संबंधित मार्च 2026 के फैसले को लागू करने के लिए दो साल का समय मांगा गया है। केंद्र ने कहा है कि मौजूदा और चल रही भर्ती, नियुक्ति, कैडर आवंटन और वरिष्ठता की प्रक्रियाओं में व्यवधान न हो, इसके लिए फैसले को लागू करने हेतु समय आवश्यक है।

पृष्ठभूमि:

- यह मामला अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) में क्रीमी लेयर के निर्धारण से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ बनाम रोहित नाथन मामले में यह विचार किया कि क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) और निजी क्षेत्र में कार्यरत माता-पिता का वेतन या आय अपने आप में यह तय करने का आधार हो सकती है कि उनके बच्चों को OBC आरक्षण का लाभ दिया जाए या नहीं।
- कोर्ट ने कहा कि केवल माता-पिता की वेतन आय को एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता। माता-पिता के पद की स्थिति और श्रेणी के साथ-साथ लागू आय/संपत्ति संबंधी मानदंडों को भी मौजूदा व्यवस्था के तहत ध्यान में रखा जाना चाहिए।

1993 का कार्यालय ज्ञापन और 2004 का स्पष्टीकरण:

- 1993 के कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) के तहत क्रीमी लेयर निर्धारित करने के लिए आय/संपत्ति संबंधी परीक्षण में माता-पिता की वेतन आय और कृषि आय को बाहर रखा गया था।
- हालांकि, 2004 के DoPT स्पष्टीकरण में PSU, बैंकों और निजी कंपनियों में कार्यरत माता-पिता के वेतन को शामिल किया गया, जबकि समान स्तर के पदों पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के साथ अलग व्यवहार किया गया।
- इसके परिणामस्वरूप, समान स्थिति वाले उम्मीदवारों के साथ उनके माता-पिता के रोजगार क्षेत्र के आधार पर अलग-अलग व्यवहार होने लगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पदों की उचित समानता स्थापित किए बिना ऐसा अलग-अलग व्यवहार 'शत्रुतापूर्ण भेदभाव' (Hostile Discrimination) की स्थिति पैदा कर सकता है।

केंद्र की मांग क्या है?

- केंद्र ने फैसले को पूरी तरह लागू करने से पहले दो साल की संक्रमण अवधि की मांग की है। सरकार का तर्क है कि तत्काल प्रभाव से फैसला लागू करने पर पहले से चयनित या नियुक्त उम्मीदवार प्रभावित हो सकते हैं और भर्ती, कैडर आवंटन तथा वरिष्ठता को लेकर अनिश्चितता पैदा हो सकती है।
- सरकार को सरकारी सेवाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) और निजी क्षेत्र में समान या तुलनीय पदों की पहचान करने के लिए पद-समानता (equivalence) का व्यापक अध्ययन करने के लिए भी समय चाहिए।
- इसलिए केंद्र ने फैसले को भविष्य में लागू (prospective operation) करने तथा हितधारकों से परामर्श और पदों की समानता निर्धारित करने के लिए एक उपयुक्त एवं समान नीति तैयार करने हेतु दो साल का समय मांगा है।

संवैधानिक महत्व:

- यह मुद्दा संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 से जुड़ा हुआ है, जो क्रमशः समानता तथा सकारात्मक भेदभाव/आरक्षण से संबंधित प्रावधानों को आधार प्रदान करते हैं।
- क्रीमी लेयर की अवधारणा सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक इंद्रा साहनी फैसले (1992) से विकसित हुई। इसका उद्देश्य पिछड़े वर्गों के अपेक्षाकृत उन्नत वर्गों को आरक्षण के लाभ पर अत्यधिक कब्जा करने से रोकना है, ताकि आरक्षण का लाभ वास्तव में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तक पहुंच सके।
- वर्तमान मामला वास्तविक/सार्थक समानता (Substantive Equality) से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाता है, क्या समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ केवल इसलिए अलग व्यवहार किया जाना चाहिए क्योंकि उनके माता-पिता अलग-अलग क्षेत्रों में कार्यरत हैं?

आगे की राह:

सरकार को पदों की समानता निर्धारित करने के लिए स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी मानदंड विकसित करने चाहिए। विश्वसनीय सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों के आधार पर समय-समय पर समीक्षा करने से क्रीमी लेयर की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। साथ ही, संक्रमणकालीन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे पहले से चल रही भर्ती प्रक्रियाओं और उनसे जुड़े उम्मीदवारों पर न्यूनतम प्रभाव पड़े।

3 अन्तर्राष्ट्रीय संबंध

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026: बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका

संदर्भ:

हाल ही में 12–13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। वर्ष 2026 में भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता की। भारत की अध्यक्षता की मुख्य थीम "लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माण" रही। सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम नई दिल्ली घोषणा-पत्र रहा, जिसमें लगभग 140 बिंदु शामिल हैं। घोषणा-पत्र में वैश्विक शासन, आतंकवाद, व्यापार, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और विकास जैसे विभिन्न विषयों पर सदस्य देशों के बीच सहयोग की दिशा तय की गई।

2026 शिखर सम्मेलन की प्रमुख उपलब्धियाँ:

- **नई दिल्ली घोषणा-पत्र**
  - » शिखर सम्मेलन का प्रमुख परिणाम नई दिल्ली घोषणा-पत्र रहा। लगभग 140 बिंदुओं वाले इस घोषणा-पत्र में विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर सदस्य देशों की साझा चिंताओं और सहयोग की प्राथमिकताओं को रेखांकित किया गया। इसके प्रमुख क्षेत्र वैश्विक शासन में सुधार, बहुपक्षवाद, आतंकवाद का मुकाबला, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, स्थानीय मुद्राओं में भुगतान, जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वास्थ्य, कृषि,अंतरिक्ष सहयोग और सतत विकास हैं।
  - » इस घोषणा-पत्र का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि ब्रिक्स के सदस्य देशों की राजनीतिक और रणनीतिक प्राथमिकताएँ कई मुद्दों पर अलग-अलग हैं। इसके बावजूद साझा घोषणा-पत्र पर सहमति बनाना समूह की कूटनीतिक क्षमता को दर्शाता है।

- **आतंकवाद के विरुद्ध साझा रुख**
  - » भारत के लिए सम्मेलन की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक पहलगाम आतंकवादी हमले का स्पष्ट उल्लेख और निंदा रही। भारत लंबे समय से आतंकवाद को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताता रहा है।

- **पश्चिम एशिया के मुद्दे पर संतुलित दृष्टिकोण**
  - » ब्रिक्स के विस्तार के बाद इसमें पश्चिम एशिया के कई महत्वपूर्ण देश शामिल हो गए हैं। ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे देशों की क्षेत्रीय प्राथमिकताएँ अलग-अलग हैं। इसलिए पश्चिम एशिया के विवादों पर सर्वसम्मति बनाना चुनौतीपूर्ण है।
  - » 2026 के सम्मेलन में ऐसी भाषा पर जोर दिया गया जिससे सदस्य देशों के बीच मतभेदों के बावजूद सहयोग का वातावरण बना रहे।
- **एकतरफा शुल्क और व्यापार संरक्षणवाद**
  - » घोषणा-पत्र में एकतरफा व्यापारिक प्रतिबंधों और अत्यधिक शुल्कों पर चिंता व्यक्त की गई। ब्रिक्स देशों ने ऐसी अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया जो खुली हो, पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो, गैर-भेदभावपूर्ण हो तथा नियम-आधारित हो।
  - » यह मुद्दा भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में अपनी भागीदारी बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। एक स्थिर और पूर्वानुमानित वैश्विक व्यापार व्यवस्था भारतीय उद्योग, निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा सेवा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है।
- **स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और भुगतान**
  - » ब्रिक्स देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और सीमा-पार भुगतान व्यवस्था को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। इसका उद्देश्य तत्काल कोई साझा मुद्रा बनाना नहीं है, बल्कि भुगतान व्यवस्था को अधिक विविध और कुशल बनाना है। जिसके संभावित लाभ सीमा-पार भुगतान की लागत कम होना, भुगतान में तेजी आना, वित्तीय जोखिमों में कमी, स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा, अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रणाली में विविधता हो सकते है।
  - » हालाँकि इसे डॉलर को पूरी तरह हटाने की प्रक्रिया के रूप में देखना उचित नहीं होगा। अलग-अलग देशों की अर्थव्यवस्थाओं, विनिमय दरों और मौद्रिक नीतियों में काफी अंतर है। इसलिए वर्तमान प्रयास अधिकतर स्थानीय मुद्रा आधारित भुगतान और भुगतान व्यवस्था के विविधीकरण पर केंद्रित हैं।
- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार**
  - » ब्रिक्स देशों ने संयुक्त राष्ट्र सहित वैश्विक संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता दोहराई। विशेष रूप से विकासशील देशों को वैश्विक निर्णय लेने वाली संस्थाओं में अधिक प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और स्थायी सदस्यता की मांग करता रहा है।
- **जलवायु परिवर्तन और कार्बन सीमा उपाय**
  - » जलवायु परिवर्तन भी सम्मेलन के प्रमुख मुद्दों में रहा। भारत सहित अनेक विकासशील देशों के सामने चुनौती है कि आर्थिक विकास को बनाए रखते हुए जलवायु परिवर्तन से कैसे निपटा जाए। इस संदर्भ में कार्बन सीमा समायोजन तंत्र जैसे उपाय महत्वपूर्ण हैं। ऐसे उपायों के माध्यम से आयातित वस्तुओं पर उनके कार्बन उत्सर्जन के आधार पर अतिरिक्त लागत लगाई जा सकती है।
  - » विकासशील देशों की चिंता है कि इससे उनके उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित हो सकती है। भारत के लिए यह मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यूरोपीय बाजारों में भारतीय निर्यातकों को भविष्य में ऐसी व्यवस्थाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भारत जलवायु कार्रवाई के साथ-साथ जलवायु न्याय और समान अवसर पर भी जोर देता है।
- **कृषि और खाद्य सुरक्षा**
  - » भारत की अध्यक्षता में कृषि क्षेत्र में सहयोग को भी महत्व दिया गया। ब्रिक्स देशों के बीच डिजिटल कृषि, जलवायु अनुकूल कृषि, कृषि-जैव विविधता, कृषि इनपुट, आनुवंशिक संसाधन, कृषि अनुसंधान, कृषि में नई तकनीकों का प्रयोग जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में पहल की गई।
  - » ब्रिक्स कृषि नेटवर्क जैसी पहलों के माध्यम से सदस्य देशों के बीच कृषि संबंधी ज्ञान और तकनीक साझा करने की संभावना बढ़ती है। यह खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन दोनों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल सहयोग**
  - » कृत्रिम बुद्धिमत्ता 2026 में वैश्विक नीति-निर्माण का एक प्रमुख विषय बन चुकी है। भारत के पास डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है।
  - » आधार, यूपीआई और डिजिटल सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में

भारत का अनुभव अन्य विकासशील देशों के लिए उपयोगी हो सकता है। इसलिए ब्रिक्स भारत को अपनी डिजिटल क्षमताओं को वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ साझा करने का अवसर देता है।

- **स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग**
  - » ब्रिक्स देशों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग की दिशा में पहल महत्वपूर्ण है।
  - » निमहांस, बेंगलुरु को ब्रिक्स मानसिक स्वास्थ्य सहयोग से जुड़े प्रयासों में समन्वय की भूमिका से जोड़ा गया। इससे भारत के लिए स्वास्थ्य कूटनीति का विस्तार करने की संभावनाएँ बढ़ती हैं।
- **अंतरिक्ष सहयोग**
  - » ब्रिक्स देशों के बीच अंतरिक्ष सहयोग को भी आगे बढ़ाया गया। ब्रिक्स रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन का उद्देश्य सदस्य देशों के पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
  - » इससे आपदा प्रबंधन, कृषि निगरानी, जलवायु परिवर्तन का अध्ययन, प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी, पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में सहायता मिल सकती है। यह भारत की अंतरिक्ष कूटनीति के लिए भी महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

भारत के लिए ब्रिक्स का महत्व:

- **वैश्विक दक्षिण में भूमिका:** ब्रिक्स भारत को विकासशील देशों की समस्याओं को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाने का अवसर देता है।
- **रणनीतिक स्वायत्तता:** भारत ब्रिक्स के साथ-साथ अन्य बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मंचों में भी सक्रिय है। इससे भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखने में सहायता मिलती है।
- **चीन के साथ संवाद:** भारत और चीन के बीच सीमा तथा रणनीतिक मुद्दों पर मतभेद हैं। इसके बावजूद ब्रिक्स दोनों देशों को नियमित बहुपक्षीय संवाद का मंच उपलब्ध कराता है। 2026 सम्मेलन के दौरान भारत और चीन के शीर्ष नेतृत्व के बीच द्विपक्षीय संपर्क भी हुआ, जिससे ब्रिक्स का उपयोग व्यापक कूटनीतिक संवाद के लिए होने की क्षमता सामने आती है।
- **आर्थिक अवसर:** ब्रिक्स के बड़े बाजार भारतीय जैसे औषधि उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, विनिर्माण, स्टार्टअप, सेवा क्षेत्र के लिए नए अवसर उपलब्ध करा सकते हैं।
- **वैश्विक संस्थाओं में सुधार:** ब्रिक्स भारत को संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में सुधार की मांग को आगे बढ़ाने का मंच देता है।

ब्रिक्स के सामने प्रमुख चुनौतियाँ:

- सदस्य देशों के राजनीतिक और रणनीतिक हित समान नहीं हैं।
- भारत और चीन के बीच सीमा विवाद तथा रणनीतिक प्रतिस्पर्धा ब्रिक्स सहयोग को प्रभावित कर सकती है।
- रूस और पश्चिमी देशों के बीच जारी तनाव का प्रभाव वैश्विक व्यापार और वित्तीय व्यवस्था पर पड़ता है।
- ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के अलग-अलग क्षेत्रीय हित हैं।
- सदस्य देशों की संख्या बढ़ने से ब्रिक्स का आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव बढ़ा है, लेकिन सर्वसम्मति बनाना भी अधिक कठिन हुआ है।
- ब्रिक्स की एक महत्वपूर्ण चुनौती यह है कि घोषणाओं को वास्तविक परियोजनाओं और संस्थागत सहयोग में कैसे बदला जाए।

निष्कर्ष:

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 वैश्विक शक्ति-संतुलन में हो रहे बदलाव और वैश्विक दक्षिण की बढ़ती भूमिका का महत्वपूर्ण उदाहरण है। नई दिल्ली घोषणा-पत्र ने आतंकवाद, व्यापार, जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वास्थ्य, कृषि, अंतरिक्ष और वैश्विक शासन जैसे अनेक क्षेत्रों में सहयोग का व्यापक ढाँचा प्रस्तुत किया। भारत के लिए ब्रिक्स का महत्व केवल आर्थिक नहीं है। यह भारत को वैश्विक दक्षिण की आवाज मजबूत करने, बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की मांग आगे बढ़ाने, रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने और विभिन्न शक्ति-केंद्रों के साथ संवाद कायम रखने का अवसर देता है। हालाँकि ब्रिक्स की वास्तविक प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सदस्य देश अपने राजनीतिक मतभेदों के बावजूद साझा घोषणाओं को कितनी तेजी से ठोस संस्थागत व्यवस्था और वास्तविक परियोजनाओं में बदलते हैं। इस प्रकार, ब्रिक्स को किसी एक शक्ति के विरुद्ध गठबंधन के रूप में देखने की अपेक्षा बहुध्रुवीय और अधिक प्रतिनिधिक वैश्विक व्यवस्था में सहयोग का मंच समझना अधिक उपयुक्त होगा।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का 26वाँ शिखर सम्मेलन 2026

संदर्भ:

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का 26वाँ राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर 2026 तक किर्गिज़ गणराज्य की राजधानी बिश्केक में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 2026 में SCO अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रहा है।

26वें शिखर सम्मेलन में भारत के सन्दर्भ में मुख्य बिंदु:

- **आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग:** भारत ने आतंकवाद को क्षेत्रीय शांति और विकास के लिए गंभीर चुनौती बताते हुए आतंकवादी नेटवर्क और उनके समर्थन तंत्र के विरुद्ध सामूहिक एवं निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरे मानदंड समाप्त करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया।
- **शांति और कूटनीति:** भारत ने संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और बहुपक्षीय कूटनीति की नीति के अनुरूप है।
- **कनेक्टिविटी और आर्थिक सहयोग:** भारत ने SCO क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी, व्यापार, डिजिटल सहयोग और आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई। साथ ही भारत का जोर ऐसी कनेक्टिविटी पर है जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करे।
- **मध्य एशिया और अफगानिस्तान:** SCO भारत के लिए मध्य एशियाई देशों के साथ संबंध मजबूत करने का महत्वपूर्ण मंच है। अफगानिस्तान में शांति एवं स्थिरता भी SCO की क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत ने अफगान जनता के लिए अपनी विकासात्मक एवं मानवीय सहायता जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई।

नए संस्थागत सहयोग:

- शिखर सम्मेलन में आतंकवाद, उग्रवाद, संगठित अपराध तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एससीओ सदस्य देशों की सुरक्षा के लिए चुनौतियों और खतरों का मुकाबला करने के लिए सार्वभौमिक केंद्र (Universal Centre for Countering Challenges and Threats to the Security of SCO Member States) की व्यवस्था को मंजूरी दी गई।
- इसके अलावा मादक पदार्थों की तस्करी और नार्को-टेररिज्म के विरुद्ध सहयोग को मजबूत करने के उपाय किए गए। जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा दक्षता, आपदा प्रबंधन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने के निर्णय हुए।

एससीओ क्या है?

- शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) यूरेशिया का एक प्रमुख राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। इसकी शुरुआत वर्ष 1996 में "शंघाई फाइव" के रूप में हुई थी, जिसमें चीन, रूस, कजाखस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल थे।
- वर्ष 2001 में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद इसका रूपांतरण एससीओ में हुआ। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके पूर्ण सदस्य बने। इसके बाद ईरान 2023 में और बेलारूस 2024 में पूर्ण सदस्य बने।

- यह संगठन "शंघाई भावना" को बढ़ावा देता है, जो परस्पर विश्वास, समानता, परामर्श, पारस्परिक लाभ तथा विभिन्न सभ्यताओं के प्रति सम्मान जैसे सिद्धांतों पर आधारित है।

आतंकवाद-रोधी सहयोग और रैट्स (RATS):

- आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करना जिन्हें एससीओ के "तीन दुष्ट तत्व" कहा जाता है, संगठन के सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल है।
- क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (RATS) का मुख्यालय ताशकंद में है। यह सदस्य देशों के बीच खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान तथा समन्वय को सुगम बनाता है।
- भारत इस मंच का उपयोग आतंकवाद के प्रति गैर-चयनात्मक और व्यापक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए करना चाहता है। इसका उद्देश्य केवल आतंकवादियों को निशाना बनाना नहीं, बल्कि उनके वित्तपोषकों, भर्ती करने वालों, प्रचारकों और सुरक्षित पनाहगाहों के विरुद्ध भी कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

भारत के लिए SCO का महत्व:

- मध्य एशिया के साथ रणनीतिक संबंध मजबूत करना।
- आतंकवाद एवं उग्रवाद के विरुद्ध सहयोग।
- ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक सहयोग के अवसर।
- यूरेशियाई क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाना।
- अफगानिस्तान की स्थिरता पर क्षेत्रीय सहयोग।
- रूस और चीन सहित प्रमुख शक्तियों के साथ संवाद बनाए रखना।
- भारत की रणनीति स्वायत्तता (Strategic Autonomy) को मजबूत करना।

चुनौतियाँ:

- एससीओ के सामने कई महत्वपूर्ण सीमाएँ हैं। भारत-पाकिस्तान तनाव, आतंकवाद के प्रति दोनों देशों के अलग-अलग दृष्टिकोण तथा भारत-चीन रणनीतिक प्रतिस्पर्धा संगठन के भीतर आम सहमति बनाने में बाधा डाल सकती है।
- इसके अतिरिक्त, चीन के बढ़ते प्रभाव और संगठन की सर्वसम्मति-आधारित निर्णय प्रक्रिया के कारण इसकी प्रभावशीलता और निर्णय लेने की क्षमता सीमित हो सकती है।

निष्कर्ष:

एससीओ तभी यूरेशियाई सुरक्षा का एक प्रभावी स्तंभ बन सकता है, जब इसके सदस्य आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट, गैर-भेदभावपूर्ण और व्यापक दृष्टिकोण अपनाएँ। भारत के लिए एससीओ के साथ सक्रिय सहभागिता राष्ट्रीय सुरक्षा, मध्य एशिया के साथ संपर्क-सुविधा तथा रणनीतिक स्वायत्तता को आगे बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

भारत-बेल्जियम संबंध

संदर्भ:

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 सितंबर 2026 में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर से मुलाकात की। दोनों देशों ने रक्षा, खुफिया-साझाकरण, व्यापार, निवेश, सेमीकंडक्टर और नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। यह यात्रा दो दशकों में किसी बेल्जियम के प्रधानमंत्री की भारत की पहली यात्रा थी।

पृष्ठभूमि:

- भारत और बेल्जियम के बीच दीर्घकालिक राजनयिक और आर्थिक संबंध हैं, तथा भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1947–48 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए। परंपरागत रूप से, द्विपक्षीय संबंध हीरा व्यापार पर आधारित रहे हैं, जिसमें एंटवर्प एक प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र है और भारत हीरा कटाई और पॉलिशिंग का एक प्रमुख केंद्र है।
- आर्थिक संबंधों का काफी विस्तार हुआ है। 2025–26 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 13.01 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जबकि अप्रैल 2000 और दिसंबर 2025 के बीच भारत में बेल्जियम का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह लगभग 4.2 अरब अमेरिकी डॉलर था। 200 से अधिक बेल्जियम की कंपनियों की भारत में उपस्थिति है, जबकि भारतीय कंपनियां, विशेष रूप से आईटी क्षेत्र की कंपनियां, बेल्जियम में कार्य करती हैं और यूरोपीय बाजारों के लिए इसे प्रवेश-द्वार के रूप में उपयोग करती हैं।

बैठक के प्रमुख परिणाम:

- **रक्षा और सुरक्षा सहयोग:** रक्षा और सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों के महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभरे हैं। दोनों देशों ने सैन्य आदान-प्रदान, प्रशिक्षण और खुफिया-साझाकरण को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। वे विशेष रूप से ड्रोन, बारूदी सुरंग रोधी प्रणालियों, रॉकेट, टैंक और गोला-बारूद के क्षेत्र में अधिक रक्षा सह-विकास और सह-उत्पादन की भी तलाश कर रहे हैं। इस तरह का सहयोग भारत के रक्षा स्वदेशीकरण और मेक इन इंडिया के उद्देश्यों का समर्थन कर सकता है।

- **व्यापार और निवेश:** द्विपक्षीय व्यापार 2025–26 में लगभग 13.01 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें दोनों पक्ष पांच वर्षों के भीतर व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रख रहे हैं। भारत ने बेल्जियम की कंपनियों को सुविधा प्रदान करने के लिए एक निवेश फास्ट-ट्रैक तंत्र स्थापित किया है। हीरा व्यापार महत्वपूर्ण बना हुआ है, जिसमें एंटवर्प एक प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र के रूप में कार्य करता है। हालांकि, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और सेवाओं में विविधीकरण आवश्यक है।

- **सेमीकंडक्टर और प्रौद्योगिकी साझेदारी:** सेमीकंडक्टर सहयोग एक उभरता हुआ रणनीतिक क्षेत्र है। बेल्जियम का विश्व स्तर पर प्रसिद्ध imec (इंटर यूनिवर्सिटी माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स सेंटर) सेमीकंडक्टर अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र उन्नत चिप प्रौद्योगिकी, नैनोइलेक्ट्रॉनिक्स और अनुसंधान में भारत की महत्वाकांक्षाओं का समर्थन कर सकता है। यह साझेदारी लचीली और विविधीकृत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है, जो राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा से तेजी से जुड़ी हुई हैं।
- **नवीकरणीय ऊर्जा:** भारत और बेल्जियम ने नवीकरणीय ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकियों में सहयोग को गहरा करने पर भी सहमति व्यक्त की। ग्रीन हाइड्रोजन और स्वच्छ-ऊर्जा प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्र भारत के ऊर्जा परिवर्तन में योगदान कर सकते हैं और साथ ही निवेश और नवाचार के लिए नए अवसर पैदा कर सकते हैं।

भूराजनीतिक महत्व:

- बेल्जियम भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रुसेल्स में प्रमुख यूरोपीय संघ संस्थान स्थित हैं। इसलिए, मजबूत भारत–बेल्जियम संबंध भारत के यूरोपीय संघ के साथ व्यापक जुड़ाव को पूरक बना सकते हैं। दोनों देश संवाद, कूटनीति, कानून के शासन और संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान का भी समर्थन करते हैं, जिसमें यूक्रेन और पश्चिम एशिया भी शामिल हैं।

चुनौतियां:

- प्रमुख चुनौतियों में पारंपरिक हीरा व्यापार पर अत्यधिक निर्भरता, नियामक बाधाएं, प्रौद्योगिकी-हस्तांतरण से जुड़े मुद्दे और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भूराजनीतिक व्यवधान शामिल हैं। रक्षा और प्रौद्योगिकी समझौतों को घोषणाओं से आगे बढ़कर प्रभावी कार्यान्वयन तक पहुंचना भी आवश्यक है।

निष्कर्ष:

भारत–बेल्जियम संबंध पारंपरिक हीरा-केंद्रित व्यापार से एक बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी की ओर विकसित हो रहे हैं। रक्षा, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और निवेश में सहयोग भारत की तकनीकी क्षमताओं, आर्थिक लचीलेपन और यूरोप के साथ जुड़ाव को मजबूत कर सकता है। यह साझेदारी विविधीकृत और विश्वसनीय साझेदारों के साथ रणनीतिक खुलेपन के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाती है।

भारत-श्रीलंका रक्षा सहयोग

संदर्भ:

हाल ही में, भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 8–10 सितंबर 2026 तक श्रीलंका के दौरे पर रहे, इस दौरान भारत और श्रीलंका ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए रक्षा से संबंधित तीन समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए।

तीन समझौता ज्ञापन (MoUs) क्या हैं?

- **L70 तोपों का उन्नयन**
  - भारत और श्रीलंका ने श्रीलंकाई वायु सेना की छह L70 विमान-रोधी तोपों के उन्नयन के लिए एक MoU पर हस्ताक्षर किए।
  - इस परियोजना को भारत सरकार के अनुदान के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी।
  - इन तोपों की आपूर्ति मूल रूप से भारत द्वारा की गई थी।
  - इनका आधुनिकीकरण श्रीलंका की वायु-रक्षा क्षमता को

मजबूत करेगा, विशेष रूप से महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए।

- **राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय:** भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय (NDC) और श्रीलंका के NDC के बीच एक MoU निम्नलिखित को बढ़ावा देगा:
  - » शैक्षणिक सहयोग
  - » ज्ञान का आदान-प्रदान
  - » पेशेवर आदान-प्रदान
  - » अधिक संस्थागत संबंध
  - » यह रक्षा सहयोग को सैन्य हार्डवेयर से आगे बढ़ाकर क्षमता निर्माण और मानव-संसाधन विकास की दिशा में ले जाता है।
- **राष्ट्रीय कैडेट कोर सहयोग**
  - » दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) के बीच MoU युवा और कैडेट आदान-प्रदान को औपचारिक रूप देगा।
  - » यह दोनों देशों की जन-से-जन संबंधों, नेतृत्व विकास और भावी पीढ़ियों के बीच बेहतर समझ को बढ़ावा दे सकता है।

भारत–श्रीलंका संबंध:

- भारत और श्रीलंका के बीच 2,500 से अधिक वर्षों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध हैं। उनकी भौगोलिक निकटता और हिंद महासागर में श्रीलंका की रणनीतिक स्थिति भारत की पड़ोसी प्रथम नीति (Neighbourhood First Policy) और समुद्री-सुरक्षा हितों के लिए द्विपक्षीय संबंधों को महत्वपूर्ण बनाती है।
- भारत, श्रीलंका संकट के समय भी एक प्रमुख साझेदार रहा है। श्रीलंका के 2022 के आर्थिक संकट के दौरान, भारत ने ऋण सहायता, मुद्रा सहयोग और मानवीय सहायता के माध्यम से लगभग 4 अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की। जनवरी 2023 में, भारत IMF से पहले श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन का औपचारिक रूप से समर्थन करने वाला पहला द्विपक्षीय ऋणदाता बना।

आर्थिक और विकास सहयोग:

- भारत–श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता (ISFTA), जिस पर 2000 में हस्ताक्षर किए गए थे, आर्थिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण आधार है। द्विपक्षीय वस्तु व्यापार वित्त वर्ष 2025–26 में लगभग 7.18 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।
- भारत की विकास साझेदारी 3 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है, जिसमें प्रमुख आवास और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल हैं। भारतीय आवास परियोजना (Indian Housing Project) ने युद्ध से प्रभावित और बागान समुदायों को 50,000 से अधिक घर उपलब्ध कराए हैं।

रक्षा और समुद्री सहयोग:

- भारत और श्रीलंका मित्र शक्ति (थल सेना) और SLINEX (नौसेना) अभ्यास आयोजित करते हैं। श्रीलंका कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (CSC) का भी सदस्य है, जिसमें भारत, मालदीव और मॉरीशस शामिल हैं तथा यह समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी गतिविधियों और मानवीय सहायता पर केंद्रित है।

भारत के लिए महत्व:

- **समुद्री सुरक्षा:** प्रमुख हिंद महासागर शिपिंग मार्गों के निकट श्रीलंका का स्थान भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए इसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है।
- **रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का मुकाबला:** बढ़ता हुआ रक्षा सहयोग भारत को द्वीप राष्ट्र में बढ़ती बाहरी भागीदारी के बीच श्रीलंका के साथ रणनीतिक विश्वास बनाए रखने में सहायता करता है।
- **क्षमता निर्माण:** उपकरणों के आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण, शैक्षणिक सहयोग और युवा आदान-प्रदान पर ध्यान भारत के उस दृष्टिकोण को दर्शाता है जिसमें वह केवल हथियार आपूर्तिकर्ता के बजाय एक सुरक्षा और क्षमता-निर्माण साझेदार है।
- **पड़ोसी प्रथम और महासागर (MAHASAGAR) पहल:** यह साझेदारी भारत की पड़ोसी प्रथम नीति (Neighbourhood First Policy) और महासागर पहल (MAHASAGAR) का समर्थन करती है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा, विकास और सहयोग पर जोर देती है।

चुनौतियां:

- मजबूत संबंधों के बावजूद, कुछ मुद्दे अभी भी बने हुए हैं:
  - » पाक जलडमरूमध्य में मछली पकड़ने का विवाद
  - » कच्चातिवु से संबंधित चिंताएं
  - » श्रीलंका में चीन की रणनीतिक और आर्थिक उपस्थिति
  - » मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री सुरक्षा
  - » श्रीलंका की रणनीतिक स्वायत्तता और भारत की सुरक्षा चिंताओं के बीच संतुलन

निष्कर्ष:

हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन (MoUs) भारत के क्षमता निर्माण, संस्थागत रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा की ओर बढ़ते दृष्टिकोण को

प्रदर्शित करते हैं। ये पड़ोसी प्रथम और महासागर को मजबूत करते हैं तथा हिंद महासागर क्षेत्र में एक जिम्मेदार सुरक्षा साझेदार के रूप में भारत की भूमिका को सुदृढ़ करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन 2026

संदर्भ:

हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन 9–10 सितंबर 2026 को पेरिस, फ्रांस के ग्रां पालैस में किया गया। यह पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन था, जिसमें लगभग 120 देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया। शिखर सम्मेलन का मुख्य ध्यान अंतरिक्ष स्थिरता, अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन, सुरक्षा, वाणिज्यीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर रहा।

शिखर सम्मेलन के प्रमुख विषय:

- शिखर सम्मेलन ने बाह्य अंतरिक्ष के सुरक्षित, संरक्षित, टिकाऊ और शांतिपूर्ण उपयोग को बनाए रखने के बढ़ते महत्व को रेखांकित किया। बढ़ते उपग्रह समूहों ने अंतरिक्ष मलबे, कक्षीय भीड़भाड़, रेडियो-फ्रीक्वेंसी हस्तक्षेप और टक्करों से संबंधित चिंताएँ पैदा की हैं। शिखर सम्मेलन में जिम्मेदार अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई।
- एक अन्य प्रमुख विषय बढ़ती अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था थी, जिसमें निजी कंपनियाँ उपग्रह संचार, प्रक्षेपण सेवाओं, पृथ्वी अवलोकन और अंतरिक्ष अन्वेषण में तेजी से भाग ले रही हैं।

भारत की स्थिति:

- भारत ने टकराव की अपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की वकालत की और इस बात पर जोर दिया कि बाह्य अंतरिक्ष शांतिपूर्ण अन्वेषण और सतत विकास का क्षेत्र बना रहना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के दृष्टिकोण को "वसुधैव कुटुम्बकम्" से जोड़ा, जिसमें इस विचार पर प्रकाश डाला गया कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लाभ पूरी मानवता तक पहुँचने चाहिए।
- भारत ने अंतरिक्ष मलबे, अंतरिक्ष यातायात और कक्षा में जिम्मेदार व्यवहार जैसी उभरती चुनौतियों के प्रबंधन के लिए नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय ढाँचे का भी समर्थन किया।

भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियाँ:

- भारत अपनी लागत-प्रभावी और स्वदेशी क्षमताओं के माध्यम से एक महत्वपूर्ण वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभरा है।
- चंद्रयान-3 ने सफल सॉफ्ट लैंडिंग के माध्यम से चंद्र अन्वेषण में भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया।
- आदित्य-L1 ने सौर और अंतरिक्ष-मौसम संबंधी अध्ययनों में भारत की क्षमता को मजबूत किया।
- भारत अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के माध्यम से विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण करते हुए एक विश्वसनीय वाणिज्यिक प्रक्षेपण प्रदाता के रूप में उभरा है।
- NavIC एक स्वदेशी क्षेत्रीय नौवहन क्षमता प्रदान करता है।
- भारत का बढ़ता निजी अंतरिक्ष क्षेत्र नवाचार, विनिर्माण और वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवाओं का विस्तार कर रहा है।

भारत-फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग:

- यह शिखर सम्मेलन अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत-फ्रांस रणनीतिक सहयोग के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रांस पृथ्वी अवलोकन, अंतरिक्ष विज्ञान और उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में भारत का लंबे समय से साझेदार रहा है।
- भारत चंद्र अन्वेषण, जलवायु निगरानी, उपग्रह प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष स्थिरता में गहरे सहयोग के लिए इस साझेदारी का लाभ उठा सकता है।

भारत की भविष्य की दिशा:

- भारत का लक्ष्य 2035 तक एक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और 2040 तक एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजना है। ये महत्वाकांक्षाएँ उपग्रह अनुप्रयोगों से आगे बढ़कर उन्नत मानव और गहन-अंतरिक्ष अन्वेषण की दिशा में भारत के संक्रमण को दर्शाती हैं।

निष्कर्ष:

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन बाह्य अंतरिक्ष के वैज्ञानिक अन्वेषण के क्षेत्र से अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, कूटनीति और सतत विकास के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में परिवर्तन को दर्शाता है। भारत के लिए चुनौती रणनीतिक स्वायत्तता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बीच संतुलन बनाए रखने की है। अपनी स्वदेशी क्षमताओं, बढ़ते निजी अंतरिक्ष क्षेत्र और वसुधैव कुटुम्बकम् के कूटनीतिक सिद्धांत को एक साथ जोड़कर, भारत एक शांतिपूर्ण, समावेशी और टिकाऊ वैश्विक अंतरिक्ष व्यवस्था को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभा सकता है।

भारत-रूस संबंध

संदर्भ:

हाल ही में, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 11 सितंबर, 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत–रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के पूरे दायरे की समीक्षा की, जिसमें रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, परमाणु सहयोग, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढाँचा और लोगों के बीच संबंध शामिल थे।

बैठक के प्रमुख परिणाम:

- **व्यापार और आर्थिक सहयोग:** भारत और रूस ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। सहयोग का ध्यान औद्योगिक परियोजनाओं, बुनियादी ढँचे, रेलवे, सुरंग निर्माण, इस्पात मूल्य श्रृंखलाओं और व्यापार-से-व्यापार स्तर पर अधिक सहभागिता पर रहेगा। हालाँकि, रूस के पक्ष में बढ़ता व्यापार असंतुलन भारत के लिए एक प्रमुख चुनौती बना हुआ है।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** ऊर्जा सहयोग द्विपक्षीय संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। दोनों पक्षों ने रणनीतिक संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से कच्चे तेल और उर्वरकों के सुचारु प्रवाह को सुनिश्चित करने पर चर्चा की। भू-राजनीतिक व्यवधानों के बीच यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।
- **रक्षा सहयोग:** रूस पारंपरिक रूप से भारत का एक प्रमुख रक्षा साझेदार रहा है, जो Su-30MKI विमान, T-90 टैंक और S-400 वायु रक्षा प्रणालियाँ जैसी रक्षा प्रणालियाँ उपलब्ध कराता रहा है। संबंध तेजी से खरीदार-विक्रेता संबंधों से आगे बढ़कर संयुक्त विकास और उत्पादन की ओर बढाने पर चर्चा हुई , जिसमें ब्रह्मोस और AK-203 राइफलें शामिल हैं।
- **असैन्य परमाणु सहयोग:** तमिलनाडु में स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत–रूस असैन्य परमाणु सहयोग का एक प्रमुख उदाहरण बना हुआ है। दोनों देशों ने भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परमाणु क्षेत्र में आगे सहयोग पर चर्चा की।

- **रूस–यूक्रेन संघर्ष:** प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का रास्ता है। उन्होंने कहा कि भारत शांति प्रयासों में सहायता करने के लिए तैयार है। नेताओं ने संघर्ष के काला सागर क्षेत्र और भारतीय नाविकों पर प्रभाव पर भी चर्चा की।
- **संपर्क और प्रौद्योगिकी:** अंतरराष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) और प्रस्तावित चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री

गलियारा भारत के रूस और यूरेशिया के साथ संपर्क में सुधार कर सकते हैं। अंतरिक्ष, महत्वपूर्ण खनिजों, प्रौद्योगिकी और कुशल जनशक्ति के क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा की गई।

भारत–रूस संबंधों के बारे में:

- भारत–रूस संबंधों की गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं। सोवियत संघ के साथ 1971 की शांति, मैत्री और सहयोग संधि ने रणनीतिक सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। वर्ष 2000 में संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के रूप में संस्थागत रूप दिया गया और 2010 में इसे विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के रूप में उन्नत किया गया।

प्रमुख चुनौतियाँ:

- रूस की चीन के साथ बढ़ती निकटता
- रूस–यूक्रेन संघर्ष और पश्चिमी प्रतिबंध
- द्विपक्षीय व्यापार असंतुलन
- भुगतान और निपटान संबंधी कठिनाइयाँ
- भारत द्वारा रक्षा खरीद में विविधीकरण
- वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान

आगे की राह:

भारत को रूस के लिए निर्यात में विविधता लानी चाहिए, रक्षा सह-उत्पादन को मजबूत करना चाहिए, परमाणु और ऊर्जा सहयोग का विस्तार करना चाहिए, भुगतान तंत्र में सुधार करना चाहिए, INSTC का विकास करना चाहिए और महत्वपूर्ण खनिजों तथा उन्नत प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाना चाहिए।

निष्कर्ष:

भारत–रूस साझेदारी पारंपरिक रक्षा सहयोग से आगे बढ़कर व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संपर्क और औद्योगिक सहयोग की दिशा में विकसित हो रही है। भारत को अत्यधिक निर्भरता को कम करते हुए और उभरती हुई बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के अनुरूप खुद को ढालते हुए इस रणनीतिक साझेदारी को बनाए रखना चाहिए।

भारत-ईरान संबंध: चाबहार, ऊर्जा सुरक्षा और ब्रिक्स

संदर्भ:

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर, 2026 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 से पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से मुलाकात की। दोनों देशो ने पश्चिम एशिया संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता, चाबहार बंदरगाह, संपर्क और ब्रिक्स सहयोग पर चर्चा की।

बैठक के प्रमुख परिणाम:

- **पश्चिम एशिया संघर्ष:** भारत ने दोहराया कि चल रहे अमेरिका–ईरान और व्यापक पश्चिम एशिया संघर्ष का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
- **नौवहन की स्वतंत्रता:** भारत ने नौवहन और वाणिज्य की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया, विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से, जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** नेताओं ने क्षेत्रीय तनावों के वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर प्रभावों पर चर्चा की। ईरान के पर्याप्त तेल और गैस भंडार इसे भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाते हैं, हालांकि अमेरिकी प्रतिबंधों ने ऊर्जा व्यापार को सीमित कर दिया है।
- **चाबहार बंदरगाह:** भारत ने पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुँच के लिए चाबहार बंदरगाह के रणनीतिक महत्व को दोहराया। भारत ने मई 2024 में शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल के संचालन के लिए 10-वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- **संपर्क और INSTC:** दोनों देश अंतरराष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) में महत्वपूर्ण साझेदार बने हुए हैं, जिसका उद्देश्य भारत को ईरान, मध्य एशिया, रूस और यूरोप से जोड़ना तथा परिवहन समय और लागत को कम करना है।
- **ब्रिक्स (BRICS) सहयोग:** ईरान की ब्रिक्स में भागीदारी भारत–ईरान आर्थिक और रणनीतिक सहभागिता के लिए एक नया मंच प्रदान करती है। राष्ट्रपति पेज़ेश्कियन ने राष्ट्रीय मुद्राओं के अधिक उपयोग का समर्थन किया और बुनियादी ढाँचे तथा ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 10 अरब डॉलर की प्रारंभिक पूंजी वाली संयुक्त ब्रिक्स बीमा कंपनी का प्रस्ताव रखा।
- **आर्थिक और व्यापार सहयोग:** दोनों पक्षों ने गैर-तेल व्यापार के विस्तार की संभावनाओं पर प्रकाश डाला, जिसमें बासमती चावल, चाय और फार्मास्यूटिकल्स के भारतीय निर्यात तथा ईरानी फलों और अन्य वस्तुओं के आयात शामिल हैं।

- **क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग:** भारत ने ब्रिक्स और SCO में ईरान की भागीदारी का स्वागत किया और क्षेत्रीय स्थिरता, संपर्क और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से अधिक सहयोग पर जोर दिया।

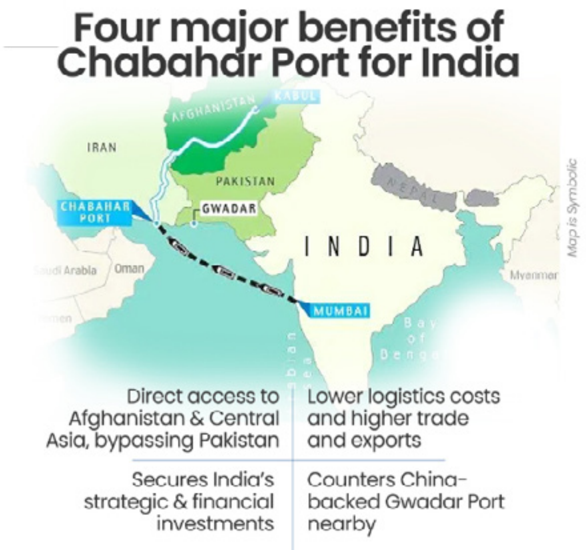

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- भारत–ईरान संबंधों में लगभग 2,500 वर्षों के सभ्यतागत संबंध हैं। औपचारिक राजनयिक संबंध 1950 की मैत्री संधि के माध्यम से स्थापित हुए। तेहरान घोषणा (2001) और नई दिल्ली घोषणा (2003) ने रणनीतिक सहयोग को मजबूत किया।

भारत के लिए महत्व:

- **ऊर्जा सुरक्षा:** ईरानी ऊर्जा संसाधनों तक भारत की पहुँच।
- **संपर्क:** चाबहार और INSTC मध्य एशिया और यूरोप तक भारत की पहुँच को बढ़ाते हैं।
- **भूरणनीतिक महत्व:** ईरान फारस की खाड़ी, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के स्थित के कारण भारत के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है।
- **व्यापार:** अधिक गैर-तेल व्यापार की संभावनाएँ।
- **क्षेत्रीय स्थिरता:** सहयोग पश्चिम एशिया में शांति का समर्थन कर सकता है।
- **बहुपक्षवाद:** ईरान की SCO (2023) और BRICS (2024) की सदस्यता सहभागिता के लिए नए मंच तैयार करती है।

प्रमुख चुनौतियाँ:

- अमेरिकी प्रतिबंध, इज़राइल–ईरान तनाव, होर्मुज़ जलडमरूमध्य के आसपास अस्थिरता, चीन–ईरान रणनीतिक सहयोग, बैंकिंग प्रतिबंध और धीमी संपर्क परियोजनाएँ भारत की सहभागिता को जटिल बनाती हैं।

निष्कर्ष:

भारत–ईरान संबंध ऊर्जा, संपर्क और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। प्रतिस्पर्धी भू-राजनीतिक दबावों के बीच भारत को अपने रणनीतिक हितों की रक्षा करते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए।

भारत-फ़िलीपींस रणनीतिक साझेदारी

संदर्भ:

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत–फिलीपींस रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, अंतरिक्ष, रेलवे अवसंरचना, फिनटेक, शिक्षा, पर्यटन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नवाचार और जन-से-जन संबंधों में सहयोग को गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। फिलीपींस ने भारत के नेतृत्व वाले आपदा-रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (CDRI) में शामिल होने का भी निर्णय लिया।

पृष्ठभूमि:

- भारत–फिलीपींस संबंधों में हाल के वर्षों में प्रगाढ़ता आई है। एक प्रमुख उपलब्धि के रूप में 2022 में भारत द्वारा फिलीपींस की नौसेना को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की आपूर्ति के लिए हुआ समझौता था।
- इसने भारत के एक रक्षा निर्यातक के रूप में उभरने में एक महत्वपूर्ण कदम को चिह्नित किया और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ उसके रणनीतिक जुड़ाव का विस्तार किया। दोनों देशों ने सैन्य प्रशिक्षण, रक्षा स्टाफ वार्ता और समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए 2025–29 का रोडमैप भी अपनाया।

सहयोग के प्रमुख क्षेत्र:

- **रक्षा और समुद्री सुरक्षा:** रक्षा सहयोग द्विपक्षीय संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। दोनों देशों में नियमित रूप से सेना, नौसेना और वायु

सेना के स्टाफ स्तर की वार्ता होती हैं। ब्रह्मोस समझौते ने भारत के रक्षा निर्यात और फिलीपींस की समुद्री क्षमताओं को मजबूत किया है। दोनों देश दक्षिण चीन सागर में सुरक्षा संबंधी घटनाक्रमों को लेकर भी चिंतित हैं।

- **हिंद-प्रशांत और नियम-आधारित व्यवस्था:** भारत और फिलीपींस स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत का समर्थन करते हैं। भारत अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान, नौवहन की स्वतंत्रता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करता है। दक्षिण चीन सागर विवादों के संदर्भ में भारत का UNCLOS के प्रति समर्थन महत्वपूर्ण है।

- **व्यापार और निवेश:** द्विपक्षीय व्यापार 3 अरब डॉलर को पार कर चुका है, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सेवाओं और कृषि में सहयोग शामिल है। अधिक आर्थिक जुड़ाव भारतीय कंपनियों के लिए बाजारों का विस्तार कर सकता है और आपूर्ति-श्रृंखला की लचीलापन को मजबूत कर सकता है।
- **अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी और नवाचार:** दोनों पक्ष अंतरिक्ष, फिनटेक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग की संभावनाओं का पता लगा रहे हैं। उपग्रह अनुप्रयोगों, डिजिटल प्रौद्योगिकियों और आपदा प्रबंधन में भारत की विशेषज्ञता गहरी तकनीकी साझेदारी के अवसर प्रदान करती है।
- **आपदा लचीलापन:** फिलीपींस का CDRI में शामिल होने का निर्णय महत्वपूर्ण है। एक द्वीपसमूह देश होने के कारण, यह तूफानों, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है, फिलीपींस जलवायु-लचीली अवसंरचना पर सहयोग से लाभ उठा सकता है।

भारत के लिए महत्व:

- यह साझेदारी भारत की एक्ट ईस्ट नीति को मजबूत करती है, हिंद-प्रशांत में उसकी रणनीतिक उपस्थिति का विस्तार करती है, रक्षा निर्यात का समर्थन करती है, आसियान (ASEAN) के साथ जुड़ाव को गहरा करती है और व्यापार, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और आपदा प्रबंधन में अवसर पैदा करती है।

निष्कर्ष:

भारत–फिलीपींस संबंध पारंपरिक राजनयिक संबंधों से आगे बढ़कर एक बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी में विकसित हो रहे हैं। रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और कनेक्टिविटी में निरंतर सहयोग फिलीपींस को भारत की एक्ट ईस्ट और हिंद-प्रशांत रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना सकता है।

अमेरिका ने अंतरिक्ष हथियार तैनात किए

संदर्भ:

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि उसने "कक्षा में अंतरिक्ष नियंत्रण हथियार" (on-orbit space control weapons) तैनात किए हैं, जो शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों के विरुद्ध उसकी सेनाओं की रक्षा करने में सक्षम हैं। इस घोषणा ने बाह्य अंतरिक्ष के बढ़ते हथियारीकरण को लेकर चिंताओं को फिर से बढ़ा दिया है।

अंतरिक्ष के सैन्यीकरण बनाम हथियारीकरण के बारे में:

- अंतरिक्ष का सैन्यीकरण (Militarisation of space) अंतरिक्ष में उपग्रहों और अन्य अंतरिक्ष परिसंपत्तियों के सैन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग को संदर्भित करता है, जैसे संचार, नेविगेशन, निगरानी और टोही।
- इसके विपरीत, हथियारीकरण (Weaponisation) में ऐसे सिस्टमों की तैनाती या उपयोग शामिल है, जिन्हें अंतरिक्ष या जमीन-आधारित लक्ष्यों पर हमला करने, उन्हें बाधित करने या नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया हो।
- इनमें शामिल हो सकते हैं:
  - एंटी-सैटेलाइट (ASAT) हथियार
  - अंतरिक्ष-से-अंतरिक्ष हथियार

» अंतरिक्ष-से-जमीन हथियार
» साइबर हमले और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग
» निर्देशित-ऊर्जा प्रणालियाँ

- अमेरिका, रूस, चीन और भारत ने ASAT क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।

क्या हथियारीकरण कानूनी है?

- कानूनी स्थिति पूरी तरह प्रतिबंधित होने की अपेक्षा अस्पष्ट है। मुख्य अंतरराष्ट्रीय साधन बाह्य अंतरिक्ष संधि (Outer Space Treaty, 1967) है। यह कक्षा में परमाणु हथियारों और अन्य सामूहिक विनाश के हथियारों (Weapons of Mass Destruction) को रखने या बाह्य अंतरिक्ष में उन्हें तैनात करने पर रोक लगाती है। यह खगोलीय पिंडों पर सैन्य गतिविधियों को भी प्रतिबंधित करती है।
- हालाँकि, यह संधि पारंपरिक हथियारों, कई काउंटर-स्पेस क्षमताओं या सभी पृथ्वी-से-अंतरिक्ष हथियारों पर व्यापक रूप से प्रतिबंध नहीं लगाती। इसलिए, मौजूदा अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत हर अंतरिक्ष हथियार स्वतः अवैध नहीं है।

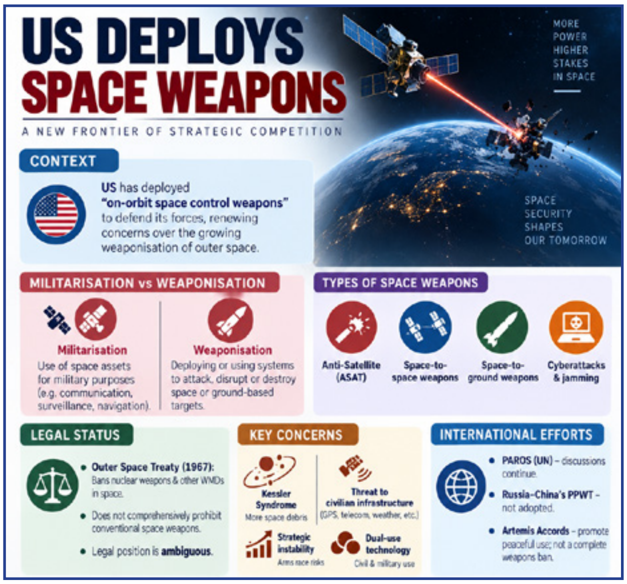

अंतरराष्ट्रीय प्रयास:

- संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण सम्मेलन (UN Conference on Disarmament) में बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ की रोकथाम (Prevention of an Arms Race in Outer Space - PAROS) पर चर्चाओं का उद्देश्य अधिक मजबूत विनियमन करना रहा है, लेकिन अभी तक कोई व्यापक रूप से बाध्यकारी संधि नहीं बन पाई है।
- रूस और चीन ने बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती की रोकथाम (Prevention of the Placement of Weapons in Outer Space - PPWT) का प्रस्ताव भी रखा। हालाँकि, यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि नहीं बन सका और इसने पृथ्वी-से-अंतरिक्ष हथियारों को व्यापक रूप से संबोधित नहीं किया।
- आर्टेमिस समझौते (Artemis Accords), जिन्हें NASA और अमेरिका का समर्थन प्राप्त है, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार अंतरिक्ष अन्वेषण को बढ़ावा देते हैं। भारत भी इसका एक हस्ताक्षरकर्ता है, लेकिन ये समझौते व्यापक हथियार प्रतिबंध का गठन नहीं करते।

प्रमुख चिंताएँ:

- **केसलर सिंड्रोम (Kessler Syndrome):** ASAT हमले बड़ी मात्रा में कक्षीय मलबा उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे संभावित रूप से श्रृंखलाबद्ध टकराव शुरू हो सकते हैं और अंतरिक्ष का उपयोग करना लगातार अधिक कठिन हो सकता है।
- **नागरिक बुनियादी ढाँचे के लिए खतरा:** उपग्रह GPS, दूरसंचार, मौसम पूर्वानुमान, इंटरनेट सेवाओं और आपदा प्रबंधन में सहायता करते हैं। इसलिए, हमले नागरिक जीवन और वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं।
- **रणनीतिक अस्थिरता:** काउंटर-स्पेस क्षमताओं का विकास प्रतिद्वंद्वी देशों को समान प्रणालियाँ विकसित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे हथियारों की दौड़ और तनाव बढ़ने के जोखिम पैदा हो सकते हैं।
- **दोहरे उपयोग वाली तकनीक (Dual-Use Technology):** समान उपग्रह और तकनीकें नागरिक तथा सैन्य दोनों उद्देश्यों की पूर्ति कर सकती हैं, जिससे शांतिपूर्ण और सैन्य गतिविधियों के बीच अंतर करना कठिन हो जाता है।

आगे की राह:

उभरते हुए अंतरिक्ष-सुरक्षा वातावरण के लिए अद्यतन अंतरराष्ट्रीय नियमों, अधिक पारदर्शिता, विश्वास-निर्माण उपायों, जिम्मेदार व्यवहार, मलबा कम करने के उपायों और मजबूत बहुपक्षीय तंत्रों की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

मौजूदा कानूनी ढाँचा अंतरिक्ष में सामूहिक विनाश के हथियारों (WMDs) को प्रतिबंधित करता है, लेकिन पारंपरिक अंतरिक्ष हथियारों पर व्यापक रूप से प्रतिबंध नहीं लगाता। इसलिए, अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने चुनौती इन कानूनी अंतरालों को पाटने की है, साथ ही यह सुनिश्चित

करना है कि बाह्य अंतरिक्ष शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए सुरक्षित, टिकाऊ और सुलभ बना रहे।

भारत ने पाकिस्तान–चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज किया

संदर्भ:

हाल ही में भारत ने इस्लामाबाद में हुई पाकिस्तान–चीन सीमा संयुक्त आयोग की पहली बैठक पर आपत्ति जताई। भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत द्वारा दावा किए गए क्षेत्रों से संबंधित किसी भी व्यवस्था को तय करने का अधिकार भारत की सहमति के बिना पाकिस्तान और चीन के बीच किसी तंत्र को नहीं दिया जा सकता। नई दिल्ली ने दोहराया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- भारत–पाकिस्तान–चीन के बीच क्षेत्रीय विवादों की पृष्ठभूमि 1947 के विभाजन, ब्रिटिश काल की सीमा व्यवस्थाओं और स्वतंत्रता के बाद विकसित क्षेत्रीय दावों में निहित है। स्वतंत्रता के बाद जम्मू-कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच प्रमुख विवाद का केंद्र बना।
- 1963 में पाकिस्तान और चीन ने एक सीमा समझौता किया, जिसमें ट्रांस-काराकोरम ट्रैक्ट और शक्सगाम घाटी से संबंधित प्रावधान शामिल थे। भारत ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया और उसका तर्क रहा है कि पाकिस्तान ऐसे क्षेत्र से संबंधित समझौता नहीं कर सकता, जिस पर भारत अपना संप्रभु दावा करता है।
- दूसरी ओर, पाकिस्तान इस क्षेत्र पर अपने प्रशासन और दावों के आधार पर अलग दृष्टिकोण रखता है, जबकि चीन ने पाकिस्तान के साथ हुए समझौते को अपने सीमा संबंधों के संदर्भ में मान्यता दी है। इसलिए यह विवाद केवल दो देशों के बीच सीमा निर्धारण का प्रश्न नहीं, बल्कि तीन देशों के परस्पर दावों और सुरक्षा हितों से जुड़ा विषय है।

भारत का पक्ष:

- भारत की आधिकारिक स्थिति के अनुसार:
  - » 1963 का चीन–पाकिस्तान सीमा समझौता भारत को स्वीकार्य नहीं है।
  - » भारत जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पूरे क्षेत्र पर अपनी संप्रभुता का दावा करता है।
  - » भारत का मत है कि किसी तीसरे देश द्वारा भारत के दावे वाले क्षेत्र के संबंध में किया गया समझौता भारत के अधिकारों या दावों को प्रभावित नहीं कर सकता।
  - » भारत चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) पर भी आपत्ति जताता है, क्योंकि इसका एक हिस्सा ऐसे क्षेत्रों से होकर गुजरता है, जिन पर भारत अपना दावा करता है।

रणनीतिक महत्व:

- **चीन–पाकिस्तान सहयोग:** चीन और पाकिस्तान के बीच रक्षा, व्यापार, बुनियादी ढाँचे और कनेक्टिविटी के क्षेत्रों में व्यापक सहयोग है। सीमा संबंधी सहयोग का संस्थागत रूप से विस्तार इस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत कर सकता है। भारत के लिए इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ भारत के अलग-अलग सीमा विवाद हैं।
- **दो-मोर्चे की सुरक्षा चुनौती:** भारत को पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा (LoC) और चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर अलग-अलग सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दोनों मोर्चों पर तनाव की स्थिति भारत के लिए सैन्य और कूटनीतिक संसाधनों के प्रबंधन को जटिल बना सकती है।
- **CPEC और भू-राजनीति:** चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत इसकी कुछ परियोजनाओं पर इसलिए आपत्ति जताता है क्योंकि उनका मार्ग उन क्षेत्रों से होकर गुजरता है, जिन पर भारत अपना दावा करता है।

भारत के सामने प्रमुख चुनौतियाँ:

- लंबे समय से चले आ रहे और अनसुलझे क्षेत्रीय विवाद
- सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य एवं बुनियादी ढाँचे का विकास

- चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ता रणनीतिक सहयोग
- सीमा पर तनाव और गलत आकलन की संभावना
- कठिन हिमालयी भू-भाग और उससे जुड़ी सीमा-प्रबंधन
- सुरक्षा हितों के साथ आर्थिक और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के हितों में संतुलन

आगे की राह:

- भारत के लिए एक संतुलित रणनीति में कूटनीतिक संवाद और सुरक्षा तैयारियों दोनों को महत्व देना आवश्यक होगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे, निगरानी और लॉजिस्टिक क्षमताओं को मजबूत करना आवश्यक है ताकि सीमा प्रबंधन प्रभावी बना रहे।
- भारत को अपनी वैकल्पिक कनेक्टिविटी पहलों को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसी परियोजनाएँ संप्रभुता, पारदर्शिता, आर्थिक व्यवहार्यता और संबंधित देशों के साथ परामर्श के सिद्धांतों पर आधारित हो सकती हैं।

निष्कर्ष:

पाकिस्तान–चीन सीमा संयुक्त आयोग भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच मौजूद जटिल क्षेत्रीय और रणनीतिक संबंधों को सामने लाता है। भारत की आपत्ति मुख्यतः इस सिद्धांत पर आधारित है कि भारत के दावे वाले क्षेत्रों से संबंधित कोई भी व्यवस्था उसकी सहमति के बिना उसके अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकती। भारत के लिए चुनौती यह है कि वह अपनी संप्रभुता और सुरक्षा हितों की रक्षा करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता और कूटनीतिक संवाद के लिए पर्याप्त स्थान बनाए रखे। यही दृष्टिकोण सीमा विवादों को नियंत्रित करने और व्यापक क्षेत्रीय शांति के लिए अधिक टिकाऊ आधार प्रदान कर सकता है।

यूनाइटेड किंगडम में संघीय एकता की बढ़ती चुनौती

संदर्भ:

हाल ही में 14 सितंबर 2026 को वेल्स की राजधानी कार्डिफ में स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड के नेताओं ने एक संयुक्त समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding) पर हस्ताक्षर किया। इसमें इन देशों के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार और भविष्य में संवैधानिक परिवर्तन के लिए जनमत संग्रह की मांग को समर्थन दिया गया।

- बैठक में स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री जॉन स्विनी, वेल्स के प्रथम मंत्री रून एप इओरवेर्थ और उत्तरी आयरलैंड की प्रथम मंत्री मिशेल ओ'नील के साथ आयरलैंड की विपक्षी नेता मैरी लू मैकडॉनल्ड भी शामिल थीं। हालांकि, यह बैठक मुख्यतः संबंधित नेताओं की पार्टी-नेता की भूमिका में हुई थी, न कि तीनों सरकारों के बीच किसी औपचारिक अंतर-सरकारी समझौते के रूप में।

यूनाइटेड किंगडम की संवैधानिक संरचना:

- यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड शामिल हैं। इसकी शासन-व्यवस्था भारत जैसे संघीय ढाँचे से अलग है। ब्रिटेन में हस्तांतरण (Devolution) के माध्यम से स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड को अलग-अलग स्तर पर विधायी एवं प्रशासनिक शक्तियाँ दी गई हैं, जबकि रक्षा और विदेश नीति जैसे अनेक महत्वपूर्ण विषय वेस्टमिंस्टर की संसद के पास रहते हैं।
- ब्रिटिश संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता संसदीय संप्रभुता (Parliamentary Sovereignty) है। अर्थात ब्रिटेन की संसद को सर्वोच्च विधायी प्राधिकार प्राप्त है। इसी कारण हस्तांतरण (Devolution) के बावजूद अंतिम संवैधानिक अधिकार वेस्टमिंस्टर से पूरी तरह अलग नहीं हुआ है।

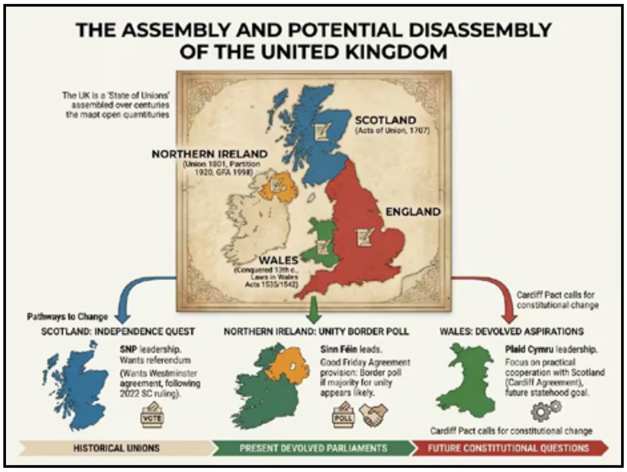

स्वतंत्रता की मांग और स्कॉटलैंड:

- स्कॉटलैंड में स्वतंत्रता की मांग लंबे समय से राजनीतिक विमर्श का हिस्सा रही है। 18 सितंबर 2014 को स्वतंत्रता पर जनमत संग्रह हुआ, जिसमें 55.3% मतदाताओं ने स्वतंत्रता के विरुद्ध और 44.7% ने पक्ष में मतदान किया।
- इसके बाद दूसरे जनमत संग्रह की मांग जारी रही। 2022 में ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि स्कॉटिश संसद अपने स्तर पर ऐसा जनमत संग्रह कराने के लिए कानून नहीं बना सकती,

क्योंकि यह यूनाइटेड किंगडम और उसकी संसद से जुड़े आरक्षित विषयों से संबंधित है।

उत्तरी आयरलैंड और वेल्स का प्रश्न:

- उत्तरी आयरलैंड का मामला स्कॉटलैंड से अलग है। गुड फ्राइडे समझौता (Good Friday Agreement) 1998 ने उत्तरी आयरलैंड की संवैधानिक स्थिति के लिए विशेष व्यवस्था स्थापित की है और आयरलैंड के साथ एकीकरण के प्रश्न को जनमत की प्रक्रिया से जोड़ता है।
- वेल्स में भी राष्ट्रीय पहचान और अधिक स्वायत्तता की मांग बढ़ रही है। 2026 में रून एप इओरवेर्थ के प्रथम मंत्री बनने के बाद वेल्स की राजनीति में संवैधानिक प्रश्न को नया महत्व मिला है।

निष्कर्ष:

कार्डिफ समझौता ब्रिटेन में हस्तांतरण बनाम पूर्ण आत्मनिर्णय की बहस को और महत्वपूर्ण बनाता है। इसके साथ ही यूरोप के साथ संबंध, ब्रेक्सिट के प्रभाव, क्षेत्रीय आर्थिक असमानताएँ और राष्ट्रीय पहचान जैसे मुद्दे भी जुड़े हुए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने जुलाई 2026 में स्पष्ट किया था कि उनकी प्राथमिकता आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों पर है और तत्काल स्वतंत्रता जनमत संग्रह उनके एजेंडे में नहीं है। इस प्रकार, कार्डिफ समझौता यह दिखाता है कि ब्रिटेन की एकता का प्रश्न केवल स्वतंत्रता बनाम संघ तक सीमित नहीं है, बल्कि बहु-स्तरीय शासन, क्षेत्रीय स्वायत्तता, आत्मनिर्णय और संसदीय संप्रभुता के बीच संतुलन से भी जुड़ा हुआ है।

अमेरिकी प्रतिबंध कानून: भारत-रूस ऊर्जा संबंधों पर प्रभाव

संदर्भ:

18 सितंबर 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया। यह कानून रूस पर प्रतिबंधों और शुल्क संबंधी प्रावधानों को मजबूत करता है तथा रूस की ऊर्जा खरीद जारी रखने वाले कुछ देशों पर 100% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का अधिकार अमेरिकी राष्ट्रपति को देता है। भारत और चीन इस प्रावधान से प्रभावित होने वाले प्रमुख देशों में हैं।

कानून की प्रमुख विशेषताएँ:

- इस कानून का मुख्य उद्देश्य रूस की ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र से होने वाली आय को प्रभावित करना तथा यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना है। इसके तहत रूस के अधिकारियों, बैंकों, ऊर्जा हितों तथा प्रतिबंधों से बचने में मदद करने वाले नेटवर्कों पर कार्रवाई का प्रावधान है। साथ ही, रूस और ईरान से जुड़े मौजूदा प्रतिबंधों को विस्तारित किया गया है।
- महत्वपूर्ण बात यह है कि 100% टैरिफ स्वतः भारत पर लागू नहीं हुआ है। कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को कुछ परिस्थितियों में ऐसे देशों के सामान पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का अधिकार देता है जो बड़े पैमाने पर रूसी तेल या प्राकृतिक गैस खरीदते हैं। अंतिम लक्ष्य और टैरिफ दर अमेरिकी प्रशासन के निर्णय पर निर्भर होंगे।

आर्थिक प्रतिबंध और द्वितीयक प्रतिबंध:

- आर्थिक प्रतिबंध (Economic Sanctions) किसी देश, संस्था या व्यक्ति पर आर्थिक दबाव डालने के लिए व्यापार, वित्त, निवेश या संपत्ति से संबंधित गतिविधियों को सीमित करने का माध्यम हैं।
  - **प्राथमिक प्रतिबंध:** प्रतिबंध लगाने वाला देश अपनी कंपनियों और नागरिकों को लक्षित देश के साथ कुछ लेन-देन करने से रोकता है।
  - **द्वितीयक प्रतिबंध:** किसी तीसरे देश की कंपनियों या

संस्थाओं पर भी कार्रवाई की जा सकती है यदि वे प्रतिबंधित देश के साथ कुछ निर्धारित आर्थिक गतिविधियों में शामिल होती हैं।

- इस प्रकार, द्वितीयक प्रतिबंध किसी देश की सीमाओं से बाहर भी आर्थिक प्रभाव पैदा कर सकते हैं।

भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा का प्रश्न:

- भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का बहुत बड़ा हिस्सा आयात करता है। 2025-26 में भारत की कच्चे तेल की आयात-निर्भरता 88.7% तक पहुँच गई थी।
- रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों द्वारा रूसी तेल पर प्रतिबंधों और मूल्य-सीमा व्यवस्था के बीच भारत ने रूसी कच्चे तेल की खरीद बढ़ाई। अगस्त 2026 में भारत ने लगभग 2.08 मिलियन बैरल प्रतिदिन रूसी तेल आयात किया, जो उसके कुल कच्चे तेल आयात का लगभग 45% था। हालांकि जुलाई में यह हिस्सा लगभग 55.9% था।
- इसका कारण केवल राजनीतिक संबंध नहीं, बल्कि मूल्य, उपलब्धता, रिफाइनिंग क्षमता और आपूर्ति की विश्वसनीयता भी हैं। इसलिए अचानक रूसी तेल को पूरी तरह बदलना भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

यूरेनियम और अमेरिकी निर्भरता:

- यह मामला यूरेनियम के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक यूरेनियम में लगभग 0.7% U-235 होता है। हल्के जल वाले रिएक्टरों में ईंधन के रूप में उपयोग के लिए इसे अधिक U-235 सांद्रता तक संवर्धित करना पड़ता है।
- अमेरिका लंबे समय से रूसी संवर्धित यूरेनियम पर निर्भर रहा है। अमेरिकी कानूनों में रूसी कम-संवर्धित यूरेनियम (LEU) के आयात को सीमित करने के प्रयास हुए हैं, लेकिन ऊर्जा-सुरक्षा और घरेलू संवर्धन क्षमता की सीमाओं के कारण संक्रमण एक जटिल प्रक्रिया रहा है। USITC ने भी अमेरिकी बाजार में रूसी संवर्धित यूरेनियम की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया है।
- यह उदाहरण दिखाता है कि आर्थिक परस्परनिर्भरता का शस्त्रीकरण (Weaponisation of Economic Interdependence) केवल तेल और गैस तक सीमित नहीं है। व्यापार, वित्त, तकनीक, महत्वपूर्ण खनिज और परमाणु ईंधन भी भू-राजनीतिक दबाव के साधन बन सकते हैं।

भारत-रूस संबंधों पर प्रभाव:

- नए अमेरिकी कानून से भारत के सामने तीन प्रमुख चुनौतियाँ उभरती हैं:
  - **ऊर्जा लागत:** रूसी तेल की उपलब्धता घटने पर भारत को अपेक्षाकृत महंगे स्रोतों से आयात बढ़ाना पड़ सकता है।
  - **व्यापारिक दबाव:** यदि भारत पर उच्च अमेरिकी टैरिफ लगाया जाता है तो भारत-अमेरिका व्यापार पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।
  - **रणनीतिक संतुलन:** भारत को अमेरिका के साथ बढ़ती रणनीतिक साझेदारी और रूस के साथ लंबे समय से चले आ रहे रक्षा एवं ऊर्जा संबंधों के बीच संतुलन बनाए रखना होगा।
- भारत के लिए इसका उत्तर केवल किसी एक स्रोत से तेल खरीदना नहीं, बल्कि आयात स्रोतों का विविधीकरण, घरेलू उत्पादन, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता को मजबूत करना है।

निष्कर्ष:

रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों का नया चरण वैश्विक अर्थव्यवस्था में भू-अर्थशास्त्र (Geoeconomics) की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। भारत के लिए चुनौती रूस से ऊर्जा संबंध बनाए रखने या उन्हें समाप्त करने के बीच सरल चुनाव की नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक हित, रणनीतिक स्वायत्तता और प्रमुख शक्तियों के साथ संबंधों के संतुलन की है। वर्तमान परिस्थितियाँ भारत को दीर्घकाल में अधिक विविधीकृत और लचीली ऊर्जा व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

बहुपक्षवाद के लिए साझेदार (P4M) पहल

संदर्भ:

हाल ही में, 21 सितंबर, 2026 को न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की बैठक से हटकर P4M शिखर सम्मेलन में बहुपक्षवाद के लिए साझेदार (Partners for Multilateralism – P4M) पहल को आधिकारिक रूप से शुरू किया गया। यह मध्य शक्तियों (Middle Powers) और गैर-महाशक्ति देशों का एक गठबंधन है, जिसका उद्देश्य बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत और सुधारना है।

P4M क्या है?

- P4M को एक लचीले और गैर-नौकरशाही कूटनीतिक गठबंधन के

रूप में देखा गया है, जिसका उद्देश्य कठोर भू-राजनीतिक गुटों से बाहर रहकर देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है।

- इसकी केंद्रीय विचारधारा निम्नलिखित को बढ़ावा देना है:
  - » विखंडन के बजाय सहयोग
  - » शक्ति की राजनीति के बजाय अंतरराष्ट्रीय कानून
  - » एकतरफावाद के बजाय बहुपक्षवाद

प्रमुख उद्देश्य:

- **अंतरराष्ट्रीय कानून को मजबूत करना:** इस पहल का उद्देश्य बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, ध्रुवीकरण और वैश्विक विखंडन के बीच वैश्विक मामलों में अंतरराष्ट्रीय कानून और नियम-आधारित सहयोग की भूमिका को मजबूत करना है।
- **बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार:** P4M का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को समाप्त करना नहीं है। इसके बजाय, यह संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं में सुधार करना चाहता है, ताकि वे:
  - » अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण हों
  - » अधिक वैध हों
  - » अधिक प्रभावी हों
  - » वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप हों
- **वैश्विक चुनौतियों का समाधान:** यह गठबंधन उभरती हुई सीमा-पार चुनौतियों से निपटने के लिए व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है, विशेष रूप से:
  - » कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)
  - » जलवायु परिवर्तन
  - » स्वास्थ्य सुरक्षा
  - » डिजिटल परिवर्तन
- **संस्थापक और भाग लेने वाले नेता:** इस पहल को मध्य शक्तियों की आवाज को मजबूत करने वाले एक मंच के रूप में बढ़ावा दिया गया है। इसके प्रमुख नेतृत्व में शामिल हैं:
  - » एंटोनियो कोस्टा – यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष
  - » लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा – ब्राजील के राष्ट्रपति
  - » विलियम रूटो – केन्या के राष्ट्रपति
  - » मार्क कार्नी – कनाडा के प्रधानमंत्री
- इस पहल से जुड़े अन्य नेताओं में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, जिनका प्रतिनिधित्व शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने किया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ और बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया मोटली भी इससे जुड़ी हैं।

रणनीतिक महत्त्व:

- **मध्य शक्तियों की आवाज:** P4M मध्य शक्तियों की उस बढ़ती इच्छा को दर्शाता है, जिसके तहत वे वैश्विक निर्णय-निर्माण में अधिक प्रभाव चाहती हैं और स्वयं को बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं रखना चाहतीं।
- **वैश्विक शासन में सुधार:** यह पहल इस चिंता को रेखांकित करती है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाई गई संस्थाएँ आज की आर्थिक, जनसांख्यिकीय और भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को पूरी तरह प्रतिबिंबित नहीं करती हैं।
- **वैश्विक दक्षिण और विकासशील देश:** अधिक प्रतिनिधित्व और संस्थागत सुधार से वैश्विक शासन में विकासशील देशों की भागीदारी को मजबूत किया जा सकता है।
- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए महत्त्व:** भारत के लिए यह पहल रणनीतिक स्वायत्तता, बहुपक्षवाद, अंतरराष्ट्रीय कानून और वैश्विक संस्थाओं में सुधार पर उसके व्यापक जोर के अनुरूप है।

चुनौतियाँ:

- भाग लेने वाले देशों के बीच राष्ट्रीय हितों में अंतर।
- साझा सिद्धांतों को समन्वित कार्रवाई में बदलने में कठिनाई।
- मौजूदा भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा।
- मौजूदा बहुपक्षीय मंचों के साथ दोहराव से बचने की आवश्यकता।

निष्कर्ष:

P4M पहल संस्थाओं को समाप्त करने के बजाय उनमें सुधार के माध्यम से नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करने का मध्य शक्तियों का एक प्रयास है। इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि विविध हितों वाले देश साझा सिद्धांतों को दीर्घकालिक सामूहिक कार्रवाई में किस हद तक बदल पाते हैं।

अमेरिका-डेनमार्क-ग्रीनलैंड रक्षा समझौता

संदर्भ:

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान एक नए रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ग्रीनलैंड में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति का विस्तार करता है, साथ ही डेनमार्क की संप्रभुता और ग्रीनलैंड के आत्मनिर्णय के अधिकार की पुनः पुष्टि करता है। यह समझौता 1951 के अमेरिका–डेनमार्क रक्षा समझौते को अद्यतन करता है।

समझौते के प्रमुख प्रावधान:

- **दो नए रक्षा क्षेत्र:** समझौते के तहत अमेरिका को ग्रीनलैंड में दो स्थानों पर नए रक्षा क्षेत्र स्थापित करने की अनुमति दी गई है:
  - » **नरसार्सुआक (Narsarsuaq):** दक्षिणी ग्रीनलैंड में स्थित यह स्थान द्वितीय विश्व युद्ध के समय का एक पूर्व सैन्य अड्डा और हवाई अड्डा है।
  - » **मेस्टर्सविग (Mestersvig):** पूर्वी ग्रीनलैंड में स्थित एक दूरस्थ क्षेत्र, जो वर्तमान में डेनमार्क के सैन्य अभियानों से जुड़ा हुआ है।
- इन रक्षा क्षेत्रों से संबंधित सटीक तौर-तरीकों और तकनीकी व्यवस्थाओं के लिए संबंधित पक्षों के बीच समझौते की आवश्यकता होगी।
- **पिटुफिक स्पेस बेस का विस्तार:** अमेरिका पहले से ही उत्तर-पश्चिमी ग्रीनलैंड में पिटुफिक स्पेस बेस (Pituffik Space Base) का संचालन करता है। नए समझौते के तहत वाशिंगटन को वहाँ अपनी गतिविधियों को आधुनिक बनाने और विस्तार करने की अनुमति मिलेगी।
- **संप्रभुता का कोई हस्तांतरण नहीं:** महत्वपूर्ण रूप से, इस समझौते के तहत ग्रीनलैंड का कोई क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका को हस्तांतरित नहीं किया गया है। यह समझौता डेनमार्क की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की पुनः पुष्टि करता है तथा ग्रीनलैंड के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता देता है। इसलिए यह समझौता क्षेत्रीय अधिग्रहण के बजाय रक्षा एवं सैन्य सहयोग के विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है।
- **गैर-नाटो सैन्य उपस्थिति पर प्रतिबंध:** यह समझौता नाटो से बाहर के देशों को ग्रीनलैंड में मानवयुक्त या मानव रहित सैन्य प्रतिष्ठान स्थापित करने अथवा स्थायी सैन्य उपस्थिति बनाए रखने से रोकता है। इससे ग्रीनलैंड का व्यापक नाटो सुरक्षा ढाँचे के साथ एकीकरण मजबूत होता है।

ग्रीनलैंड: भौगोलिक स्थिति एवं प्रमुख तथ्य

- ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा गैर-महाद्वीपीय द्वीप है, जो आर्कटिक और अटलांटिक महासागरों के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 21.6 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें लगभग 80% भाग ग्रीनलैंड आइस शीट से ढका हुआ है। यह अंटार्कटिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी हिमचादर है।
- बर्फ से मुक्त तटीय क्षेत्र में ऊबड़-खाबड़ पर्वत, गहरी फियोर्ड और चट्टानी भू-भाग पाए जाते हैं। गुन्नब्योर्न फ्येल्ड (3,694 मीटर) ग्रीनलैंड की सबसे ऊँची चोटी है।
- ग्रीनलैंड की जलवायु ध्रुवीय/उप-आर्कटिक है, जहाँ मध्यरात्रि का सूर्य (Midnight Sun) और ध्रुवीय रात्रि (Polar Night) जैसी घटनाएँ देखी जाती हैं।
  - » **राजधानी:** नूक (Nuuk)
  - » **जनसंख्या:** लगभग 56,000–57,000
  - » **राजनीतिक स्थिति:** डेनमार्क के साम्राज्य (Kingdom of

Denmark) के अंतर्गत स्वशासित क्षेत्र; डेनमार्क के पास रक्षा और विदेश नीति सहित कुछ प्रमुख जिम्मेदारियाँ हैं।

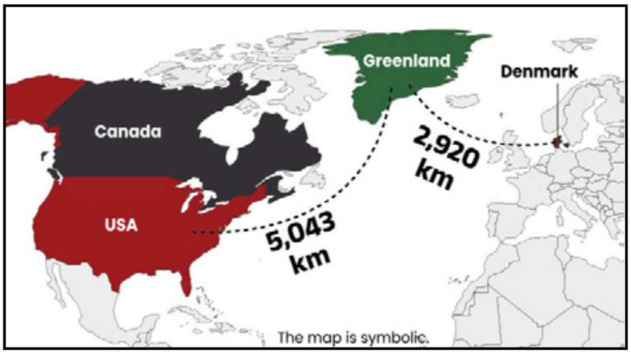

ग्रीनलैंड रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों है?

- **भू-रणनीतिक स्थिति:** ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच स्थित है, जिससे यह आर्कटिक निगरानी, मिसाइल चेतावनी, वायु रक्षा और उत्तरी अटलांटिक के समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है।
- **आर्कटिक में प्रतिस्पर्धा:** समुद्री बर्फ के पिघलने से आर्कटिक समुद्री मार्गों और संसाधनों तक पहुँच बढ़ रही है। इससे अमेरिका, रूस, चीन और नाटो के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है।
- **प्राकृतिक संसाधन:** ग्रीनलैंड में दुर्लभ मृदा तत्वों (Rare Earth Elements) और अन्य खनिजों की महत्वपूर्ण संभावनाएँ हैं। इससे इसका आर्थिक और भू-राजनीतिक महत्व बढ़ गया है।
- **जलवायु परिवर्तन:** आर्कटिक का तेजी से गर्म होना समुद्री परिवहन, संसाधनों तक पहुँच और सुरक्षा संबंधी रणनीतियों को बदल रहा है। इसके साथ ही यह गंभीर पर्यावरणीय चिंताओं को भी जन्म दे रहा है।

भारत के लिए निहितार्थ:

- यह घटनाक्रम भारत की आर्कटिक नीति के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। भारत की आर्कटिक नीति जलवायु परिवर्तन, वैज्ञानिक अनुसंधान, संसाधनों के सतत उपयोग और आर्कटिक शासन में अधिक भागीदारी पर केंद्रित है।
- आर्कटिक क्षेत्र का बढ़ता सैन्यीकरण आर्कटिक में सुरक्षा और शांतिपूर्ण वैज्ञानिक सहयोग के बीच संतुलन को जटिल बना सकता है।

निष्कर्ष:

अमेरिका–डेनमार्क–ग्रीनलैंड रक्षा समझौता आर्कटिक के बढ़ते रणनीतिक महत्व को दर्शाता है। आर्कटिक अब केवल जलवायु और पर्यावरण का क्षेत्र नहीं रह गया है, बल्कि यह सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों, जलवायु परिवर्तन और महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा का भी महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है। ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति इसे उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र की उभरती रणनीतिक व्यवस्था में केंद्रीय भूमिका प्रदान करती है।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर में 'शत्रु राष्ट्र' प्रावधान

संदर्भ:

हाल ही में, जापान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र चार्टर से "शत्रु राष्ट्र" (Enemy States) से संबंधित प्रावधानों को हटाने की अपनी मांग को फिर से उठाया है।

'शत्रु राष्ट्र' क्या है?

- यह शब्द द्वितीय विश्व युद्ध के दौर से जुड़ा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। उस समय मित्र राष्ट्रों का उद्देश्य पूर्व धुरी राष्ट्रों (Axis Powers), विशेष रूप से जर्मनी, इटली और जापान में सैन्यवाद के पुनरुत्थान को रोकना था।
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 53, 77 और 107 में इस शब्द का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 53 के संदर्भ में "शत्रु राष्ट्र" से आशय ऐसे राष्ट्र से है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चार्टर के किसी हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र का शत्रु था।

अनुच्छेद 53, 77 और 107 में क्या प्रावधान हैं?

  » **अनुच्छेद 53**: इसमें "शत्रु राष्ट्र" के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई (Enforcement Action) से संबंधित एक अपवाद का प्रावधान है और इस शब्द की परिभाषा को द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ से जोड़ा गया है।
  » **अनुच्छेद 77:** यह उन क्षेत्रों से संबंधित है, जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामस्वरूप शत्रु राष्ट्रों से अलग किया जा सकता था और जिन्हें संयुक्त राष्ट्र की न्यासिता प्रणाली (Trusteeship System) के अंतर्गत रखा जा सकता था।
  » **अनुच्छेद 107:** यह द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामस्वरूप उन देशों के विरुद्ध की गई या अधिकृत कार्रवाइयों की वैधता को बनाए रखता है, जो चार्टर के हस्ताक्षरकर्ता देशों के शत्रु थे।

- इस प्रकार, ये प्रावधान मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर बनाए गए थे।

जापान इन प्रावधानों को हटाने की मांग क्यों कर रहा है?

- जापान का तर्क है कि ये प्रावधान अब अप्रासंगिक (Obsolete) हो चुके हैं, क्योंकि जिन देशों पर मूल रूप से ये प्रावधान लागू होते थे, वे अब संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं और संगठन की गतिविधियों में भाग लेते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वयं 1995 में माना था कि 'शत्रु राष्ट्र' से संबंधित प्रावधान अप्रासंगिक हो चुके हैं और चार्टर में संशोधन की प्रक्रिया के माध्यम से इन्हें हटाने का इरादा व्यक्त किया था।
- इसके बाद 2005 के विश्व शिखर सम्मेलन परिणाम दस्तावेज (World Summit Outcome) में भी अनुच्छेद 53, 77 और 107 से "Enemy States" के संदर्भों को हटाने का निर्णय दोहराया गया। हालांकि, प्रस्तावित संशोधन अभी तक लागू नहीं हुए हैं।

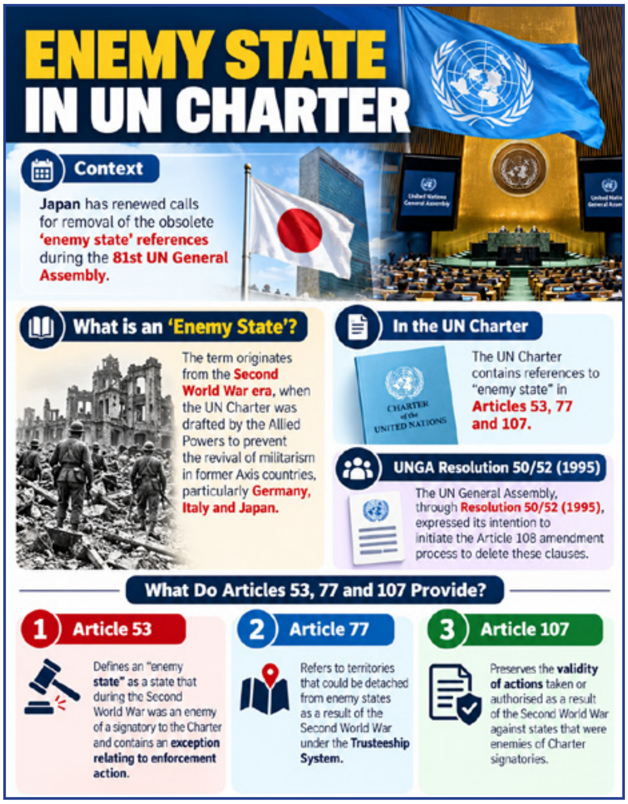

इन्हें अब तक क्यों नहीं हटाया गया?

- संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन के लिए अनुच्छेद 108 के तहत एक कठिन प्रक्रिया अपनानी पड़ती है।
- संशोधन के लिए:
  - महासभा में दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना आवश्यक है।
  - इसके बाद संयुक्त राष्ट्र के दो-तिहाई सदस्य देशों द्वारा इसका अनुसमर्थन (Ratification) किया जाना आवश्यक है।
  - इसमें सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्यों की स्वीकृति भी आवश्यक है।
  - सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी "अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस" सदस्य हैं। इसलिए चार्टर में संशोधन की प्रक्रिया में इन देशों की निर्णायक भूमिका है।
  - चीन और रूस ने जापान से संबंधित अपनी कूटनीतिक बयानबाजी में इन प्रावधानों का उल्लेख जारी रखा है, जबकि जापान का मानना है कि इनका बने रहना वर्तमान अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के अनुरूप नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार से संबंध:

- जापान की यह मांग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में व्यापक सुधार की उसकी मांग का भी हिस्सा है।
- जापान का तर्क है कि वर्तमान सुरक्षा परिषद की संरचना 1945 की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को दर्शाती है, जबकि आज की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था काफी बदल चुकी है।
- जापान ने सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सदस्यता का विस्तार करने का समर्थन किया है, ताकि परिषद को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण और वैध बनाया जा सके।

भारत के लिए प्रासंगिकता:

- यह मुद्दा भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत लगातार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग करता रहा है।
- भारत की स्थायी सदस्यता की मांग निम्नलिखित कारकों से जुड़ी है:
  - भारत की बड़ी जनसंख्या और अर्थव्यवस्था।
  - संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में महत्वपूर्ण योगदान।
  - वैश्विक मामलों में भारत की बढ़ती भूमिका।
  - विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व।
  - वैश्विक संस्थाओं को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण और समावेशी बनाने की आवश्यकता।
- इस प्रकार, चार्टर के अप्रासंगिक प्रावधानों को हटाने की बहस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी वैश्विक संस्थाओं में व्यापक सुधार के प्रश्न से जुड़ जाती है।

निष्कर्ष:

"शत्रु राष्ट्र" से संबंधित प्रावधानों का अभी तक बने रहना संयुक्त राष्ट्र

की 1945 के बाद की संस्थागत व्यवस्था और वर्तमान भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के बीच मौजूद अंतर को दर्शाता है। इन प्रावधानों को हटाने के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार यह प्रश्न भी उठाता है कि बदलती अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप वैश्विक संस्थाएं स्वयं को कितनी प्रभावी ढंग से ढाल सकती हैं।

ट्रंप–शी शिखर सम्मेलन: अमेरिका–चीन रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का नया चरण

संदर्भ:

हाल ही में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 23–25 सितंबर 2026 तक वाशिंगटन में तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यह एक दशक से अधिक समय में शी जिनपिंग की पहली वाशिंगटन यात्रा और वर्ष 2026 में ट्रंप–शी की दूसरी बैठक थी। यह शिखर सम्मेलन व्यापार, ताइवान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), महत्वपूर्ण खनिजों और ईरान संघर्ष को लेकर बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि में आयोजित हुआ।

शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम:

- **व्यापार युद्धविराम की अवधि बढ़ाई गई**
  - » दोनों देशों ने मौजूदा आर्थिक/व्यापार समझौते को दो महीने के लिए बढ़ाकर 10 जनवरी 2027 तक जारी रखने पर सहमति जताई।
  - » व्यापक समझौते में टैरिफ में कमी तथा कृषि उत्पादों, महत्वपूर्ण खनिजों और फेंटेनाइल से संबंधित पूर्ववर्ती रसायनों के संबंध में प्रतिबद्धताएँ शामिल हैं।
- **महत्वपूर्ण खनिज और दुर्लभ मृदा तत्व**
  - » दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति एक प्रमुख रणनीतिक मुद्दा बनी हुई है, क्योंकि इनके वैश्विक प्रसंस्करण में चीन की प्रमुख भूमिका है।
  - » शिखर सम्मेलन में अमेरिका की दुर्लभ मृदा तत्वों और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुँच से जुड़ी चिंताओं का पूरी तरह समाधान नहीं हो सका।
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)**
  - » अमेरिका और चीन ने उन्नत AI तथा "सुपर इंटेलिजेंस" पर द्विपक्षीय संवाद स्थापित करने पर सहमति जताई।
  - » दोनों देशों ने AI से संबंधित घटनाओं के लिए एक संचार माध्यम बनाने पर भी सहमति व्यक्त की, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि तकनीकी प्रतिस्पर्धा के कारण अनजाने में तनाव या संघर्ष न बढ़े।
- **ताइवान का मुद्दा**
  - » ताइवान का मुद्दा दोनों देशों के बीच सबसे संवेदनशील और अनसुलझे मुद्दों में बना रहा।
  - » बीजिंग ने ताइवान की स्वतंत्रता के विरोध को दोहराया और वाशिंगटन से ताइवान के मुद्दे को सावधानीपूर्वक संभालने का आग्रह किया।
  - » अमेरिका ताइवान के संबंध में अपनी लंबे समय से चली आ रही नीति को जारी रखता है और अमेरिकी कानून के तहत उसकी सुरक्षा से जुड़ी प्रतिबद्धताएँ भी हैं।
- **ईरान और वैश्विक संघर्ष**
  - » दोनों नेताओं ने ईरान, रूस और उत्तर कोरिया से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।
  - » ईरान संघर्ष को लेकर अमेरिका और चीन के बीच महत्वपूर्ण मतभेद बने रहे। इससे स्पष्ट होता है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा केवल द्विपक्षीय व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक भू-राजनीति तक फैली हुई है।

भारत के लिए शिखर सम्मेलन क्यों महत्वपूर्ण है?

- **भारत की व्यापारिक प्रतिस्पर्धा:** अमेरिका–चीन व्यापार तनाव में अस्थायी कमी से वैश्विक व्यापार प्रवाह प्रभावित हो सकता है। यदि चीनी वस्तुओं को अमेरिकी बाजार में फिर से अपेक्षाकृत आसान

पहुँच मिलती है, तो अमेरिका–चीन व्यापार तनाव के दौरान भारतीय निर्यातकों को मिले कुछ अवसर कम हो सकते हैं।

- **रूसी तेल का मुद्दा:** शिखर सम्मेलन का समय भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि रूसी ऊर्जा की खरीद को लेकर वाशिंगटन का चीन और भारत के प्रति दृष्टिकोण अलग-अलग रणनीतिक प्रभाव डाल सकता है। अमेरिका–चीन व्यापार समझौते के विस्तार से रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर भारत पर संभावित दबाव बना रह सकता है।
- **महत्वपूर्ण खनिज:** भारत का ऊर्जा संक्रमण और उच्च-तकनीकी विनिर्माण महत्वपूर्ण खनिजों और उनके विश्वसनीय प्रसंस्करण पर निर्भर करता है। इसलिए दुर्लभ मृदा तत्वों को लेकर अमेरिका–चीन की प्रतिस्पर्धा का भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ सकता है।
- **हिंद-प्रशांत सुरक्षा:** अमेरिका–चीन प्रतिद्वंद्विता सीधे तौर पर हिंद-प्रशांत क्षेत्र के रणनीतिक वातावरण को प्रभावित करती है। ताइवान, दक्षिण चीन सागर, आपूर्ति श्रृंखलाओं और सैन्य संचार तंत्र से जुड़े घटनाक्रम भारत की अपनी हिंद-प्रशांत रणनीति के लिए महत्वपूर्ण हैं।

व्यापक महत्व:

- ट्रंप–शी शिखर सम्मेलन से संकेत मिलता है कि अमेरिका–चीन संबंध प्रत्यक्ष व्यापार युद्ध के ढाँचे से आगे बढ़कर प्रबंधित रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के चरण में प्रवेश कर रहे हैं। दोनों शक्तियों के सामने आर्थिक प्रतिस्पर्धा को सैन्य टकराव में बदलने से रोकने के कारण मौजूद हैं, लेकिन कई बुनियादी मतभेद अभी भी बने हुए हैं:
  - प्रौद्योगिकी और सेमीकंडक्टर नियंत्रण
  - ताइवान
  - महत्वपूर्ण खनिज
  - व्यापार और टैरिफ
  - AI का नियमन और शासन
  - वैश्विक संघर्ष और भू-राजनीति
- इसलिए यह शिखर सम्मेलन अमेरिका–चीन प्रतिद्वंद्विता के समाधान की अपेक्षा संघर्ष प्रबंधन को दर्शाता है।

निष्कर्ष:

ट्रंप–शी शिखर सम्मेलन एक ऐसे बहुध्रुवीय लेकिन अत्यधिक प्रतिस्पर्धी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के उभरने को दर्शाता है, जिसमें प्रमुख शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा बनी हुई है। भारत के लिए चुनौती यह है कि वह इस भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को आपूर्ति श्रृंखला में विविधता, सेमीकंडक्टर विकास, महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारियों के अवसरों में बदले, साथ ही किसी एक प्रमुख शक्ति पर अत्यधिक निर्भरता से बचे।

भारत ने साइबर अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए

संदर्भ:

हाल ही में, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 25 सितंबर 2026 को न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 81वें सत्र से इतर संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए। इस कन्वेंशन का उद्देश्य साइबर अपराध से निपटने में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आदान-प्रदान को आसान बनाना है।

साइबर अपराध क्या है?

- साइबर अपराध से आशय कंप्यूटर, डिजिटल नेटवर्क या सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग करके किए जाने वाले आपराधिक कार्यों से है। इनमें तकनीक स्वयं अपराध का लक्ष्य हो सकती है या अपराध करने के लिए एक साधन के रूप में उपयोग की जा सकती है।
- **उदाहरण:**
  - हैकिंग और अनधिकृत पहुँच
  - रैनसमवेयर और मैलवेयर हमले
  - ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी
  - पहचान की चोरी
  - साइबर स्टॉकिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न
  - डेटा की चोरी
  - ऑनलाइन बाल यौन शोषण
  - बिना सहमति के निजी/अंतरंग तस्वीरों को साझा करना
- साइबर अपराध अक्सर सीमा-पार (Transnational) प्रकृति के होते हैं। अपराधी, पीड़ित, सर्वर और वित्तीय लेन-देन अलग-अलग देशों में स्थित हो सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध कन्वेंशन के बारे में:

- संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध कन्वेंशन साइबर अपराध से निपटने के लिए समर्पित पहला व्यापक वैश्विक समझौता है। इसे 24 दिसंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया और अक्टूबर

2025 में वियतनाम के हनोई में हस्ताक्षर के लिए खोला गया।

- इसका मुख्य उद्देश्य साइबर अपराधों की रोकथाम, जाँच और अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए एक समान अंतरराष्ट्रीय ढाँचा तैयार करना है।

प्रमुख प्रावधान:

- **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** साइबर अपराधों की जाँच और अभियोजन में देशों के बीच सहयोग को सक्षम बनाता है।
- **इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य:** सीमा-पार इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के संग्रह, संरक्षण और साझा करने को आसान बनाता है।
- **24/7 नेटवर्क:** तत्काल सहायता के लिए चौबीसों घंटे सहयोग की व्यवस्था स्थापित करता है।
- **साइबर अपराध की रोकथाम:** तकनीक के माध्यम से होने वाले अपराधों को रोकने के लिए राष्ट्रीय उपायों को मजबूत करता है।
- **क्षमता निर्माण:** विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण को बढ़ावा देता है।
- **बच्चों की सुरक्षा:** ऑनलाइन बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और बच्चों को ऑनलाइन बहलाने-फुसलाने (Grooming) जैसी गतिविधियों से निपटता है।
- **ऑनलाइन अपराध:** ऑनलाइन धोखाधड़ी और बिना सहमति के अंतरंग तस्वीरों के प्रसार जैसे अपराधों को शामिल करता है।

भारत के लिए महत्व:

- **सीमा-पार साइबर अपराध से निपटना:** साइबर अपराधी अक्सर अलग-अलग देशों में रहकर अपराध करते हैं। कोई अपराधी विदेश में रहकर भारत में किसी व्यक्ति को निशाना बना सकता है और किसी तीसरे देश के सर्वर का उपयोग कर सकता है। इसलिए ऐसे अपराधों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है।
- **इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों तक पहुँच:** IP रिकॉर्ड, ई-मेल, क्लाउड डेटा और वित्तीय लेन-देन जैसे डिजिटल साक्ष्य भारत के बाहर संग्रहीत हो सकते हैं। यह कन्वेंशन ऐसे साक्ष्यों तक कानूनी तरीके से पहुँच बनाने में सहायता कर सकता है।
- **वित्तीय धोखाधड़ी से निपटना:** सीमा-पार साइबर धोखाधड़ी में जटिल नेटवर्क और अवैध धन का तेजी से स्थानांतरण शामिल हो सकता है। अधिक अंतरराष्ट्रीय सहयोग से अवैध धन के स्रोत का पता लगाने और उसे वापस प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है।
- **भारत की साइबर सुरक्षा को मजबूत करना:** यह कन्वेंशन भारत की घरेलू पहलों, जैसे इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल को मजबूत करने में सहायक हो सकता है।

चुनौतियाँ:

- **निजता और मानवाधिकार:** सीमा-पार डेटा तक पहुँच के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं।
- **संप्रभुता:** विभिन्न देशों को अपने अधिकार क्षेत्र और डेटा तक पहुँच को लेकर चिंताएँ हो सकती हैं।
- **कानूनों में अंतर:** अलग-अलग देशों में साइबर अपराध की परिभाषाएँ और साक्ष्यों से संबंधित मानक अलग-अलग हैं।
- **तेजी से बदलती तकनीक:** AI, डीपफेक, रैनसमवेयर और क्रिप्टोकरेंसी आधारित अपराध लगातार नए रूप ले रहे हैं।

निष्कर्ष:

भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करना सीमा-पार साइबर अपराध से निपटने के लिए बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रभावी कानून प्रवर्तन, निजता, उचित कानूनी प्रक्रिया, साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय संप्रभुता के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा।

4 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

हिमालय का बदलता स्वरूप: ग्लेशियर क्षरण से कैस्केडिंग आपदाओं तक

संदर्भ:

हाल के वर्षों में हिमालयी क्षेत्र में बाढ़, भूस्खलन, ग्लेशियल झीलों के फटने, हिमस्खलन और ग्लेशियरों के टूटने जैसी बढ़ती घटनाओं ने इस प्रश्न को महत्वपूर्ण चिंतन का विषय बना दिया है कि क्या हिमालय किसी व्यापक 'टिपिंग पॉइंट' की ओर बढ़ रहा है। सितंबर 2026 में 'इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट' (ICIMOD) द्वारा जारी 'प्रॉस्परस एंड रेज़िलिएंट हिमालयाज़' रिपोर्ट ने संकेत दिया है कि हिंदूकुश-हिमालय (HKH) क्षेत्र में ग्लेशियरों का द्रव्यमान तेजी से घट रहा है और इसके परिणामस्वरूप जल-सुरक्षा तथा आपदा जोखिम दोनों बढ़ रहे हैं।

अगस्त 2026 में नेपाल में हुई विनाशकारी बाढ़ और मलबे का प्रवाह (debris flow) की घटना ने इस संकट को और स्पष्ट किया। इसमें ग्लेशियर एवं बर्फ-पत्थर के मलबे के ढहने, अस्थिर पर्वतीय ढलानों और अचानक नदी के प्रवाह बढ़ने जैसी परस्पर जुड़ी प्रक्रियाओं ने भूमिका निभाई। यह हिमालय में विकसित हो रहे 'कैस्केडिंग क्रायोस्फेरिक खतरे' (cascading cryospheric hazards) की गंभीर चेतावनी है।

हिमालय क्यों महत्वपूर्ण है?

- हिमालय केवल एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, बल्कि एशिया की जल एवं पारिस्थितिक सुरक्षा का आधार है। हिंदूकुश-हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन सहित कई देशों की करोड़ों आबादी को प्रभावित करती हैं।
- ग्लेशियर इन नदियों के लिए प्राकृतिक जलाशय की तरह कार्य करते हैं। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल का संचय होता है और गर्मियों में पिघलकर यह नदी प्रवाह को बनाए रखने में सहायता करता है। इसलिए ग्लेशियरों में परिवर्तन का प्रभाव केवल पर्वतीय क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अनुप्रवाह (downstream) कृषि, पेयजल, जलविद्युत और पारिस्थितिकी तक पहुँचता है।

जलवायु परिवर्तन और हिमालयी ग्लेशियर:

- वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण हिमालयी क्षेत्र तेजी से गर्म हो रहा है। बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियरों का द्रव्यमान संतुलन घट रहा

है, अर्थात ग्लेशियर जितना बर्फ खो रहे हैं, उतनी मात्रा में नई बर्फ जमा नहीं हो रही है।

- परिणामस्वरूप ग्लेशियरों के पीछे हटने के साथ-साथ उनके सामने और आसपास नई ग्लेशियल झीलें बन सकती हैं। इन झीलों को रोकने वाली बर्फ, मलबे या मोरेन की दीवारें हमेशा स्थिर नहीं होतीं। भूकंप, भारी वर्षा, हिमस्खलन या चट्टानों के गिरने से ये अचानक टूट सकती हैं और हिमनद झील के फटने से बाढ़ (Glacial Lake Outburst Flood -GLOF) उत्पन्न हो सकता है।

'टिपिंग पॉइंट' का अर्थ:

- हिमालय के संदर्भ में 'टिपिंग पॉइंट' का अर्थ अचानक पूरे हिमालय के ढह जाने से नहीं है। यह ऐसी अवस्था है जहाँ पर्यावरणीय परिवर्तन इतने व्यापक हो जाएँ कि पारंपरिक पारिस्थितिक एवं जल-प्रणालियों का व्यवहार बदलने लगे।
- ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से शुरुआती चरण में नदी का जल स्तर बढ़ सकता है। लेकिन जब ग्लेशियर का आकार और बर्फ भंडार (ice reserve) लगातार कम होता जाता है, तो एक समय ऐसा आता है जब अतिरिक्त पिघला हुआ पानी (meltwater) घटने लगता है। इसके बाद नदी का दीर्घकालीन प्रवाह भी कम हो सकता है। अर्थात् हिमालयी क्षेत्र को दो विपरीत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है:
  - » अल्पावधि में: अधिक पानी और अचानक बाढ़।
  - » दीर्घावधि में: कम बर्फ, कम पिघला हुआ पानी और जल-संकट।
  - » यही हिमालयी जल-सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती है।

नेपाल त्रासदी से क्या सीख मिलती है?

- नेपाल की 2026 की त्रासदी इस बात को रेखांकित करती है कि पर्वतीय आपदाओं को अब अलग-अलग घटनाओं के रूप में नहीं देखा जा सकता। हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियरों के पीछे हटने से पर्वतीय ढलानों की स्थिरता प्रभावित हो सकती है, जिससे बर्फ और चट्टानों के हिमस्खलन की घटनाएँ बढ़ सकती हैं। इसके बाद नदियों का मार्ग अवरुद्ध होकर मलबे का संचय हो सकता है और अचानक जल-मुक्ति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- इससे तेज बाढ़ और निचले क्षेत्रों में व्यापक विनाश का खतरा बढ़ जाता है। इस प्रकार ग्लेशियरों का पीछे हटना, ढलानों की अस्थिरता, बर्फ-चट्टान का हिमस्खलन, नदी अवरोध, मलबे का संचय, अचानक जल-मुक्ति और फ्लैश फ्लड एक-दूसरे से जुड़ी प्रक्रियाएँ हैं। ऐसी परस्पर जुड़ी और क्रमिक आपदाओं को "कैस्केडिंग डिजास्टर" (Cascading Disaster) कहा जाता है।
- जलवायु परिवर्तन इस पूरी श्रृंखला में जोखिम को बढ़ा सकता है, क्योंकि तापमान वृद्धि से ग्लेशियर कमजोर हो सकती है, पर्माफ्रॉस्ट (permafrost) पिघल सकता है और पर्वतीय ढलानों की स्थिरता प्रभावित हो सकती है। भविष्य की हिमालयी आपदाओं को केवल 'बाढ़' या 'भूस्खलन' की श्रेणी में रखना पर्याप्त नहीं होगा। पूरे पर्वतीय आपदा जोखिम तंत्र (hazard system) को एक साथ समझने की आवश्यकता है।

पर्माफ्रॉस्ट:

- हिमालयी संकट में पर्माफ्रॉस्ट (permafrost) का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। पर्माफ्रॉस्ट ऐसी भूमि है जो कम-से-कम लगातार दो वर्षों तक जमी रहती है। ऊँचे पर्वतीय क्षेत्रों में यह चट्टानों और मिट्टी को स्थिर रखने में भूमिका निभाती है। तापमान बढ़ने पर पर्माफ्रॉस्ट पिघल सकता है।
- इससे चट्टानों और ढलानों की स्थिरता कम हो सकती है तथा चट्टान गिरने की घटना, भूस्खलन और हिमस्खलन का खतरा बढ़ सकता है। अतः हिमालय में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव केवल 'बर्फ पिघलने' तक सीमित नहीं है। यह बर्फ–चट्टान–मिट्टी–पानी प्रणाली को प्रभावित कर रहा है।

भारत के लिए चुनौती:

- भारत में हिमालय से निकलने वाली नदियाँ देश की जल, कृषि और

ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी हैं:

- **जल सुरक्षा:** गंगा, यमुना, सतलुज, अलकनंदा, भागीरथी और अन्य हिमालयी नदी प्रणालियाँ भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं। ग्लेशियरों में दीर्घकालीन परिवर्तन से नदी प्रवाह के मौसमी स्वरूप में बदलाव आ सकता है।
- **जलविद्युत:** हिमालय भारत की जलविद्युत क्षमता का प्रमुख क्षेत्र है। लेकिन बढ़ती अचानक बाढ़, भूस्खलन और जीएलओएफ (GLOF) जैसी घटनाएँ बांधों, सुरंगों और अन्य अवसंरचनाओं के लिए जोखिम बढ़ाती हैं।
- **कृषि:** गंगा-ब्रह्मपुत्र जैसी नदी प्रणालियों का प्रवाह भारतीय कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। जल उपलब्धता में दीर्घकालीन बदलाव सिंचाई और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है।
- **सीमावर्ती क्षेत्र:** हिमालयी क्षेत्र भारत की रणनीतिक सीमाओं से भी जुड़ा है। आपदा के कारण सड़क, पुल, संचार नेटवर्क और सैन्य अवसंरचना प्रभावित हो सकती है।
- **शहरीकरण और पर्यटन:** उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में तेजी से हो रहा पर्यटन एवं अवसंरचना विकास पर्वतीय पारिस्थितिकी पर अतिरिक्त दबाव डालता है।

आगे की राह:

- **बेहतर निगरानी:**
  - सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग, ड्रोन, स्वचालित मौसम केंद्र और भू-आधारित सेंसरों का व्यापक उपयोग किया जाए।
  - संवेदनशील क्षेत्रों में वास्तविक समय (Real-time) निगरानी तंत्र विकसित किया जाए।
  - GLOF, फ्लैश फ्लड, भूस्खलन और हिमस्खलन के लिए प्रभावी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित की जाए।
- **जोखिम आधारित अवसंरचना विकास:**
  - हिमालय में सड़क, बांध, सुरंग और शहरी विकास की योजना बनाते समय केवल इंजीनियरिंग व्यवहार्यता पर निर्भर न रहा जाए।
  - परियोजनाओं में संचयी पर्यावरणीय जोखिम का आकलन अनिवार्य किया जाए।
  - संवेदनशील क्षेत्रों में जलवायु-लचीली अवसंरचना को प्राथमिकता दी जाए।
- **वैज्ञानिक आधार पर भूमि-उपयोग नियोजन:**
  - भूस्खलन और बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण को सीमित किया जाए।
  - पर्वतीय क्षेत्रों में वहन क्षमता (Carrying Capacity) के आधार पर पर्यटन का नियमन किया जाए।
  - संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्रों में विकास गतिविधियों के लिए स्पष्ट क्षेत्र-विशिष्ट मानदंड बनाए जाएँ।
- **क्षेत्रीय सहयोग:**
  - भारत, नेपाल, भूटान और चीन सहित हिमालयी देशों के बीच जलविज्ञान संबंधी आँकड़ों, ग्लेशियर निगरानी और आपदा पूर्व चेतावनी से संबंधित सहयोग को मजबूत किया जाए।
  - साझा आपदा जोखिमों के लिए क्षेत्रीय डेटा-साझाकरण तंत्र विकसित किया जाए।
- **स्थानीय समुदायों की भागीदारी:**
  - पर्वतीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय अनुभव को आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के साथ जोड़ा जाए।
  - समुदायों को प्रारंभिक चेतावनी, सुरक्षित निकासी और आपदा प्रबंधन के प्रशिक्षण दिए जाएँ।

निष्कर्ष:

हिमालय में ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना केवल पर्यावरणीय संकट नहीं, बल्कि जल, खाद्य, ऊर्जा और आपदा सुरक्षा से जुड़ी व्यापक चुनौती है। नेपाल की 2026 की त्रासदी ने स्पष्ट किया है कि ग्लेशियर पिघलने, ढलानों की अस्थिरता, हिमस्खलन और अचानक बाढ़ जैसी घटनाएँ एक-दूसरे से जुड़कर कैस्केडिंग आपदाओं का रूप ले सकती हैं। ऐसे में हिमालय के विकास मॉडल को पारिस्थितिक संवेदनशीलता और जलवायु जोखिमों को ध्यान में रखकर पुनर्परिभाषित करना आवश्यक है। वैज्ञानिक निगरानी, प्रारंभिक चेतावनी, जोखिम-आधारित नियोजन और क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से ही हिमालय और उससे जुड़े करोड़ों लोगों की दीर्घकालीन सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

बढ़ते जलवायु संकट के बीच प्रवाल भित्तियाँ

संदर्भ:

हाल ही में, वैश्विक प्रवाल भित्ति निगरानी नेटवर्क (GCRMN) ने विश्व की प्रवाल भित्तियों की स्थिति पर अपनी सातवीं रिपोर्ट जारी की है।

प्रवाल भित्तियाँ क्या हैं?

- प्रवाल भित्तियाँ मुख्यतः प्रवाल पॉलीप नामक सूक्ष्म समुद्री जीवों की कॉलोनियों द्वारा निर्मित समुद्री पारिस्थितिक तंत्र हैं। भित्ति-निर्माण करने वाले प्रवाल सूक्ष्म शैवाल, जिन्हें ज़ूज़ैंथेली कहा जाता है, के साथ सहजीवी संबंध में रहते हैं। ये शैवाल प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से प्रवालों को आवश्यक ऊर्जा का एक बड़ा भाग प्रदान करते हैं।
- प्रवाल भित्तियाँ मुख्यतः उथले, गर्म और स्वच्छ उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय समुद्री जल में पाई जाती हैं। इनमें अत्यधिक जैव-विविधता होने के कारण इन्हें प्रायः "समुद्र के वर्षावन" कहा जाता है।

प्रवाल भित्तियों का महत्व:

- समुद्र तल के अत्यंत छोटे हिस्से में होने के बावजूद ये लगभग एक-चौथाई समुद्री प्रजातियों को आश्रय प्रदान करती हैं।
- मछलियों के प्रजनन एवं पालन-पोषण के क्षेत्र के रूप में कार्य करती हैं। मत्स्य पालन तथा तटीय समुदायों की आजीविका को सहारा देती हैं।
- लहरों, तूफानों और तटीय कटाव से समुद्र तटों की रक्षा करती हैं।
- पर्यटन तथा स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में योगदान देती हैं।
- औषधि निर्माण तथा जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संभावनाएँ प्रदान करती हैं।
- लाखों तटीय समुदायों की खाद्य एवं आजीविका सुरक्षा में योगदान देती हैं।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

- रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक कठोर प्रवाल आवरण में लगभग 9.5% की कमी आई है, जब इसकी तुलना 1980–2009 की संदर्भ अवधि से की जाती है। वर्तमान में बड़े व्यवधान हर 4–6 वर्ष में हो रहे हैं, जबकि पहले ऐसे व्यवधान लगभग एक दशक में एक बार होते थे। इसके कारण प्रवाल भित्तियों को पुनः स्वस्थ होने के लिए कम समय मिल रहा है और दीर्घकालिक क्षरण का जोखिम बढ़ रहा है।
- समुद्री ऊष्मा-तरंगें प्रवालों के पतन का सबसे प्रमुख कारण हैं। 1985 से 2025 के बीच प्रवाल भित्तियों के ऊपर समुद्र की सतह के तापमान में लगभग 0.81°C की वृद्धि हुई है। अत्यधिक तापीय दबाव के कारण प्रवाल अपने सहजीवी शैवाल (ज़ूज़ैंथेली) को बाहर निकाल देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रवाल विरंजन होता है।

- चौथी वैश्विक व्यापक प्रवाल विरंजन घटना वर्ष 2023 में शुरू हुई, वर्ष 2024 में तापीय दबाव अपने चरम पर पहुँचा और इसके 2025 तक जारी रहने की संभावना रही। इससे पहले प्रमुख वैश्विक प्रवाल विरंजन घटनाएँ 1998–99, 2010–11, 2016–17 और 2023–24 में हुई थीं।
- वर्ष 2024 में 87% प्रवाल भित्तियों ने अभूतपूर्व तापीय दबाव का सामना किया, जबकि 40% से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऐसे तापीय दबाव से प्रभावित हुईं, जो प्रवाल मृत्यु के जोखिम से जुड़ा था।
- कैरेबियन क्षेत्र विशेष रूप से प्रभावित हुआ। वहाँ औसत कठोर प्रवाल आवरण वर्ष 2024 में घटकर केवल 7.1% रह गया। वहीं,

ROPME समुद्री क्षेत्र में 2020 से 2024 के बीच लगभग 50% की कमी दर्ज की गई और प्रवाल आवरण लगभग 15% रह गया।

- ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र में भी मध्यम स्तर की गिरावट दर्ज की गई।

भारत के लिए प्रभाव:

- भारत में प्रमुख प्रवाल भित्ति पारिस्थितिक तंत्र मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में पाए जाते हैं। ये मत्स्य पालन, पर्यटन, जैव-विविधता तथा तटीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
- भारतीय प्रवाल भित्तियाँ जलवायु परिवर्तन से संबंधित खतरों के साथ-साथ स्थानीय दबावों का भी सामना कर रही हैं। इनमें प्रदूषण, तलछट का जमाव, अत्यधिक मछली पकड़ना तथा तटीय विकास प्रमुख हैं।

आगे की राह:

- ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में तीव्र कमी करना।
- समुद्री संरक्षित क्षेत्रों को सुदृढ़ बनाना।
- तटीय प्रदूषण तथा विनाशकारी मछली पकड़ने की गतिविधियों पर नियंत्रण करना।
- प्रवाल पुनर्स्थापन तथा संरक्षण को बढ़ावा देना।
- दीर्घकालिक वैज्ञानिक निगरानी को मजबूत करना।
- जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक सहनशील प्रवाल भित्तियों का संरक्षण करना।

निष्कर्ष:

प्रवाल भित्तियों का संकट वैश्विक जलवायु परिवर्तन तथा स्थानीय पारिस्थितिक दबावों के संयुक्त प्रभाव को दर्शाता है। प्रवाल भित्तियों का अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए एक साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना, सतत तटीय प्रबंधन अपनाना तथा पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्स्थापन आवश्यक है।

यूएनईपी रिपोर्ट: 1.5°C तापवृद्धि और जलवायु कार्रवाई

संदर्भ:

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने अपनी रिपोर्ट 'लिमिटिंग ओवरशूट – नेविगेटिंग एक्ससीडेंस ऑफ़ 1.5°C एंड पाथवेज़ टुवर्ड्स रिटर्न' जारी की है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5°C की सीमा से अस्थायी रूप से ऊपर जाने से रोक पाना अब व्यापक रूप से लगभग असंभव माना जा रहा है। मौजूदा जलवायु योजनाओं और शून्य-शुद्ध उत्सर्जन की प्रतिज्ञाओं के पूर्ण कार्यान्वयन वाले आशावादी परिदृश्य में भी, वैश्विक तापमान लगभग 1.8°C तक पहुँचकर अपने उच्चतम स्तर पर जा सकता है।

1.5°C वैश्विक तापवृद्धि की सीमा क्या है?

- 1.5°C वैश्विक तापवृद्धि की सीमा 2015 के पेरिस समझौते के अंतर्गत एक प्रमुख जलवायु लक्ष्य है, जिसका उद्देश्य औद्योगिक-पूर्व स्तरों से ऊपर वैश्विक औसत तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि को 1.5°C तक सीमित करना है।
- वैज्ञानिक आकलन के लिए, 1850–1900 के औसत को सामान्यतः औद्योगिक-पूर्व आधार-रेखा के रूप में उपयोग किया जाता है। यह सीमा दीर्घकालिक तापवृद्धि के स्तर को दर्शाती है।

1.5°C लक्ष्य का महत्व:

- पेरिस समझौता (2015) वैश्विक तापवृद्धि को 2°C से काफी नीचे रखने और इसे 1.5°C तक सीमित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखता है।
- निचली सीमा महत्वपूर्ण है क्योंकि तापवृद्धि के प्रत्येक अतिरिक्त अंश के साथ जलवायु जोखिम बढ़ते हैं। 2°C की तुलना में, 1.5°C अत्यधिक गर्मी, सूखा, जल-संकट, समुद्र-स्तर में वृद्धि और पारिस्थितिक तंत्र को होने वाली क्षति से संबंधित जोखिमों को कम करता है। हालाँकि, 1.5°C पूरी तरह से कोई "सुरक्षित" सीमा नहीं है; यह जलवायु जोखिमों को न्यूनतम करने का एक लक्ष्य है।

जलवायु अतिक्रमण क्या है?

- अतिक्रमण से तात्पर्य किसी तापमान सीमा को अस्थायी रूप से पार करने से है, जिसके बाद संभावित रूप से तापमान को बाद में नीचे लाया जा सकता है। महत्वपूर्ण रूप से, एक वर्ष के लिए 1.5°C को

पार करना स्वतः यह नहीं दर्शाता कि पेरिस समझौता विफल हो गया है, क्योंकि इसका तापमान लक्ष्य दीर्घकालिक तापवृद्धि की प्रवृत्तियों से संबंधित है।

अतिक्रमण के प्रभाव:

- एक अधिक और लंबे समय तक रहने वाला अतिक्रमण निम्नलिखित को और तीव्र कर सकता है:
    - अत्यधिक गर्मी और जंगलों में आग
    - हिमनदों और हिमचादरों का नुकसान
    - समुद्र-स्तर में वृद्धि
    - प्रवाल-भित्तियों का क्षरण
    - अमेज़न वर्षावन का बड़े पैमाने पर नष्ट होना
    - स्थायी रूप से जमी हुई भूमि का पिघलना
    - एएमओसी जैसी प्रमुख महासागरीय प्रणालियों के लिए जोखिम
- कुछ प्रभाव अपरिवर्तनीय हो सकते हैं, भले ही वैश्विक तापमान बाद में कम हो जाए।

आवश्यक जलवायु कार्रवाई:

- पहला, देशों को शमन के माध्यम से उत्सर्जन में तेजी से कमी लाने और विशेष रूप से मीथेन में कमी करने के प्रयासों में तेजी लानी चाहिए, जो निकट अवधि में जलवायु संबंधी लाभ प्रदान कर सकता है।
- दूसरा, जलवायु-सहिष्णु कृषि, आधारभूत संरचना, जल प्रबंधन और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के माध्यम से अनुकूलन को मजबूत किया जाना चाहिए।
- तीसरा, अतिक्रमण के बाद तापमान में गिरावट प्राप्त करने के लिए CO_2 का शुद्ध-ऋणात्मक उत्सर्जन आवश्यक होगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड हटाने वाली प्रौद्योगिकियाँ और पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्बहाली तेजी से महत्वपूर्ण हो जाएँगी। हालाँकि, कार्बन हटाना तत्काल उत्सर्जन में कमी का स्थान नहीं ले सकता।

जलवायु न्याय और भारत:

- अतिक्रमण विकासशील देशों को असमान रूप से अधिक प्रभावित करेगा, जिन्होंने ऐतिहासिक उत्सर्जन में अपेक्षाकृत कम योगदान दिया है, लेकिन अधिक संवेदनशीलता का सामना करते हैं। इसलिए, जलवायु वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और CBDR-RC का सिद्धांत महत्वपूर्ण बने हुए हैं।
- भारत के लिए प्राथमिकताओं में नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार, ऊर्जा दक्षता, जलवायु-सहिष्णु कृषि, गर्मी से निपटने की कार्ययोजनाएँ, जल सुरक्षा और तटीय लचीलापन शामिल हैं।

निष्कर्ष:

1.5 डिग्री सेल्सियस की संभावित अतिरिक्त वृद्धि की तीव्रता और अवधि को कम करने पर केंद्रित होना चाहिए, जिसके लिए त्वरित शमन, मजबूत अनुकूलन, जलवायु वित्तपोषण और अंततः जिम्मेदार कार्बन निष्कासन की आवश्यकता होगी। तापमान वृद्धि के प्रत्येक अंश को कम करने से भविष्य में जलवायु क्षति को कम किया जा सकता है।

शहरों में सर्दियों के दौरान कचरा जलाने से होने वाला प्रदूषण

संदर्भ:

हाल ही में वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (WRI) इंडिया द्वारा प्रकाशित एक कार्यपत्र (Working Paper) में पाया गया है कि सर्दियों में कचरा जलाने की घटनाओं, जलाए जाने वाले कचरे की मात्रा और उससे होने वाले उत्सर्जन की दर गर्मियों की तुलना में तीन गुना तक अधिक हो सकती है। यह अध्ययन 2019 से 2026 के बीच भारत के 11 प्रदूषित शहरों में किए गए मैदानी सर्वेक्षणों पर आधारित है।

मुख्य निष्कर्ष:

- टियर-2 शहरों में सबसे अधिक मात्रा में कचरा जलाया गया। इन शहरों में कचरा जलाने की मात्रा गर्मियों में लगभग 21 टन प्रतिदिन से बढ़कर सर्दियों में 41 टन प्रतिदिन हो गई।
- टियर-3 शहरों में कचरा जलाने की घटनाओं की दर सबसे अधिक रही। सर्दियों के दौरान यहाँ लगभग 49.6 घटनाएँ प्रति वर्ग किलोमीटर प्रतिदिन दर्ज की गईं।
- आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में कचरा जलाने की घटनाएँ काफी अधिक देखी गईं। टियर-2 शहरों के गरीब क्षेत्रों में लगभग 84 घटनाएँ प्रति वर्ग किलोमीटर प्रतिदिन दर्ज की गईं। कागज और प्लास्टिक जलाए जाने वाली प्रमुख सामग्रियों में शामिल थे।
- खुले में कचरा जलाने से अध्ययन किए गए शहरों में कुल शहरी PM2.5 और PM10 उत्सर्जन का 1% से भी कम हिस्सा उत्पन्न हुआ। हालांकि, इसका प्रभाव स्थानीय स्तर पर काफी गंभीर हो सकता है, क्योंकि कचरा अक्सर घरों, सड़कों और कचरा डंपिंग स्थलों के पास जलाया जाता है।

सर्दियों में कचरा जलाने की घटनाएँ क्यों बढ़ जाती हैं?

- सर्दियों में हवाएँ कमजोर होती हैं, वातावरण अधिक स्थिर रहता है और तापमान प्रतिलोमन (Temperature Inversion) की स्थिति बनती है। इन परिस्थितियों में प्रदूषकों का वातावरण में फैलाव सीमित हो जाता है और वे जमीन के पास जमा होने लगते हैं।
- कचरा जलाने की घटनाएँ इसलिए भी बढ़ती हैं क्योंकि कुछ कमजोर और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोग गर्मी पाने के लिए कचरे का उपयोग करते हैं। इसके अलावा, मौसमी कचरा निपटान की आदतें और अपर्याप्त नगरपालिका कचरा-संग्रह व्यवस्था भी खुले में कचरा जलाने को बढ़ावा देती हैं।

वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर प्रभाव:

- खुले में कचरा जलाने से PM2.5, PM10, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और अन्य विषैले प्रदूषक निकलते हैं। प्लास्टिक और मिश्रित कचरे को जलाना विशेष रूप से खतरनाक हो सकता है।
- वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधी बीमारियाँ, अस्थमा का बढ़ना, हृदय एवं रक्तवाहिका संबंधी रोग, स्ट्रोक और फेफड़ों का कैंसर जैसी स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं।
- हालाँकि खुले में कचरा जलाने का कुल शहरी उत्सर्जन में हिस्सा छोटा हो सकता है, लेकिन मानव बस्तियों के नजदीक होने के कारण इससे लोगों को कम समय में प्रदूषण की बहुत अधिक मात्रा का सामना करना पड़ सकता है।

सामाजिक-आर्थिक पहलू:

- अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि प्रदूषण पर्यावरणीय असमानता (Environmental Inequality) का भी मुद्दा है।
- गरीब समुदायों को अक्सर अपर्याप्त कचरा-संग्रह सेवाओं का सामना करना पड़ता है और वे कचरा डंपिंग स्थलों तथा कचरा जलाने वाले स्थानों के अधिक करीब रहते हैं। इसलिए केवल कानूनी कार्रवाई और निगरानी बढ़ाने से इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता।

सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम:

- वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में कई उपाय शुरू किए हैं। इनमें "कचरा-संवेदनशील" (Waste-Sensitive) स्थलों की पहचान, निरीक्षण व्यवस्था को मजबूत करना, कचरा प्रबंधन कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना और जागरूकता अभियान चलाना शामिल है।
- केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भी कचरा प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने और कर्मचारियों को गर्मी पाने के लिए कचरा जलाने के विकल्प के रूप में हीटिंग सुविधाएँ उपलब्ध कराने पर जोर दिया है।

आगे की राह:

- घर-घर कचरा संग्रहण और स्रोत पर कचरे का पृथक्करण मजबूत किया जाए।
- वैज्ञानिक और विकेंद्रीकृत कचरा प्रसंस्करण का विस्तार किया जाए।
- बार-बार कचरा जलाए जाने वाले हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान और निगरानी की जाए।
- कमजोर और जरूरतमंद श्रमिकों के लिए सुरक्षित हीटिंग के विकल्प उपलब्ध कराए जाएँ।
- कड़े नियमों और कार्रवाई के साथ नगरपालिका सेवाओं में सुधार किया जाए।
- बेहतर निगरानी के लिए GIS और सैटेलाइट मॉनिटरिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाए।

निष्कर्ष:

WRI का अध्ययन दर्शाता है कि सर्दियों में खुले में कचरा जलाना भले ही स्थानीय स्तर की समस्या हो, लेकिन यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता है। इस समस्या से निपटने के लिए केवल मौसमी कार्रवाई

या सर्दियों के दौरान अभियान चलाना पर्याप्त नहीं है। इसके बजाय पूरे वर्ष वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन, मजबूत शहरी स्थानीय निकाय, सामाजिक सुरक्षा और टिकाऊ शहरी नियोजन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026: लखनऊ पहले स्थान पर

संदर्भ:

हाल ही में, स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर 7 सितंबर 2026 को 5वें स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2026 प्रदान किए गए। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में लखनऊ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसके बाद इंदौर और जबलपुर रहे।

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण क्या है?

- यह शहरों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के प्रयासों का वार्षिक मूल्यांकन है, जिसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने 2022-23 में शुरू किया।
- इसे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के अंतर्गत लागू किया जाता है।
- शहरों का मूल्यांकन शहर-विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाओं (CAPs) के क्रियान्वयन तथा वायु प्रदूषण कम करने के उपायों के आधार पर किया जाता है।
- 2026 में शहरों का मूल्यांकन तीन जनसंख्या श्रेणियों में किया गया:
  - » 10 लाख से अधिक
  - » 3–10 लाख
  - » 3 लाख से कम
- मूल्यांकन में शहर का स्व-मूल्यांकन, राज्य स्तरीय निगरानी, CPCB मूल्यांकन तथा स्वतंत्र क्षेत्रीय सत्यापन शामिल हैं।

2026 के प्रमुख परिणाम:

श्रेणी	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
10 लाख से अधिक	लखनऊ	इंदौर	जबलपुर
3–10 लाख	राउरकेला	फिरोजाबाद एवं गुंटूर	अमरावती
3 लाख से कम	कलिंगनगर	अंगुल	तालचेर

- लखनऊ ने विद्युत चालित कचरा संग्रहण वाहनों, यंत्रीकृत सड़क सफाई, पुराने कचरे के प्रबंधन, बेहतर कचरा संग्रहण, कचरा जलाने पर रोक तथा हरित क्षेत्रों के विस्तार के माध्यम से अपनी रैंकिंग में सुधार किया।
- हालाँकि, लखनऊ में वार्षिक PM10 सांद्रता अभी भी राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (NAAQS) के 60 $\mu g/m^3$ से अधिक है। फिर भी यह 2017-18 के 250 $\mu g/m^3$ से घटकर 137 $\mu g/m^3$ हो गई है।

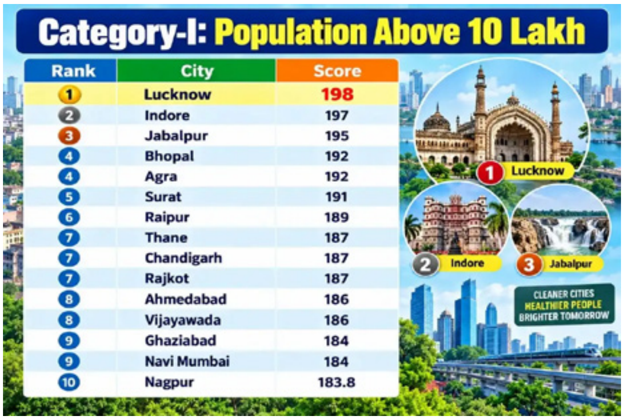

प्रमुख मूल्यांकन मानदंड:

- सर्वेक्षण में निम्नलिखित का मूल्यांकन किया जाता है:
  - » सड़क एवं मिट्टी की धूल का प्रबंधन
  - » वाहनों एवं उद्योगों से होने वाला उत्सर्जन
  - » निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट
  - » नगर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
  - » खुले में कचरा जलाना
  - » शहरी हरित क्षेत्र
  - » स्वच्छ वायु कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन
- महत्वपूर्ण रूप से, PM10 में कमी का भार केवल 2.5% है। इससे स्पष्ट है कि सर्वेक्षण मुख्य रूप से केवल मापी गई वायु प्रदूषण मात्रा के आधार पर शहरों की रैंकिंग करने के बजाय प्रदूषण नियंत्रण उपायों की गुणवत्ता और उनके क्रियान्वयन का मूल्यांकन करता है।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम से संबंध:

- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) जनवरी 2019 में शुरू किया गया था। इसमें 130 शहर शामिल हैं और इसका उद्देश्य 2025-26 तक PM10 स्तरों में 40% तक कमी लाना या राष्ट्रीय मानक प्राप्त करना है।
- वित्त वर्ष 2025-26 में 130 में से 108 NCAP शहरों में 2017-18 की तुलना में वार्षिक PM10 स्तरों में कमी दर्ज की गई, जबकि 14 शहरों

ने राष्ट्रीय मानक प्राप्त किया।

महत्व:

- शहरों के बीच प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देता है।
- वैज्ञानिक एवं मापनीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन को प्रोत्साहित करता है।
- शहर-विशिष्ट स्वच्छ वायु योजनाओं के क्रियान्वयन को मजबूत करता है।
- वायु प्रदूषण नियंत्रण को कचरा प्रबंधन, परिवहन और शहरी नियोजन से जोड़ता है।
- नागरिक भागीदारी एवं वार्ड-स्तरीय कार्रवाई को प्रोत्साहित करता है।

चुनौतियाँ:

- प्रमुख शहरों में PM10 का लगातार मानक से अधिक रहना।
- वाहन उत्सर्जन और सड़क की धूल का महत्वपूर्ण स्रोत बने रहना।
- शहरी स्थानीय निकायों की संस्थागत एवं तकनीकी क्षमता में असमानता।
- विशेषकर सर्दियों में मौसमी प्रदूषण में वृद्धि।
- प्रदूषण के स्रोतों एवं परिणामों की बेहतर निगरानी की आवश्यकता।

निष्कर्ष:

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण केवल प्रदूषण मापने के बजाय शासन और क्रियान्वयन क्षमता के मूल्यांकन की दिशा में बदलाव को दर्शाता है। लखनऊ का प्रदर्शन बताता है कि कचरा प्रबंधन, परिवहन, धूल नियंत्रण और शहरी नियोजन में निरंतर प्रयास से सुधार संभव है, लेकिन राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक हैं।

चित्तीदार लकड़बग्घों में सामाजिक विरासत

संदर्भ:

हाल ही में साइंस एडवांसेज में प्रकाशित एक अध्ययन में चित्तीदार लकड़बग्घों (Spotted Hyenas) के सामाजिक व्यवहार और प्रजनन असमानता से जुड़े महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आए हैं। अध्ययन के अनुसार, इन जीवों में सामाजिक पद, संसाधनों तक पहुँच और प्रजनन संबंधी अवसर पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित हो सकते हैं। इससे विकासवादी जीवविज्ञान में प्रचलित लैंगिक भूमिकाओं और प्रजनन प्रतिस्पर्धा से संबंधित पारंपरिक धारणाओं पर पुनर्विचार की आवश्यकता सामने आती है।

अध्ययन का क्षेत्र एवं पद्धति:

- यह अध्ययन तंजानिया के नगोरोन्गोरो क्रेटर (Ngorongoro Crater) में रहने वाले चित्तीदार लकड़बग्घों के आठ स्थायी समूहों (क्लैन) पर आधारित है। शोधकर्ताओं ने 29 वर्षों के आँकड़ों, आठ पीढ़ियों और 2,743 जंगली लकड़बग्घों का अध्ययन किया।
- शोध में सामाजिक संबंधों, वंशावली और प्रजनन सफलता का विश्लेषण किया गया। इसके अतिरिक्त, मल के आसपास पाए जाने वाले श्लेष्मीय ऊतक से डीएनए प्राप्त कर पितृत्व की पहचान की गई। इस आनुवंशिक जानकारी की सहायता से शोधकर्ताओं ने विभिन्न वंशों के प्रजनन योगदान का आकलन किया।

प्रमुख निष्कर्ष:

- चित्तीदार लकड़बग्घों में मादाएँ सामाजिक पदानुक्रम में नर से ऊपर होती हैं। उनका प्रभुत्व केवल शारीरिक शक्ति या आकार पर आधारित नहीं है, बल्कि मजबूत सामाजिक गठबंधनों और सहयोगी नेटवर्क पर निर्भर करता है। इसके विपरीत, नर लकड़बग्घे अक्सर उच्च पद वाली मादाओं के निकट रहकर सामाजिक संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं।
- अध्ययन में पाया गया कि मादाओं के बीच भोजन, सामाजिक स्थिति और प्रजनन अवसरों के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा होती है। कुछ मामलों में मादाएँ दूसरी मादाओं के शावकों को भी मार सकती हैं। यह स्थिति इस धारणा को चुनौती देती है कि प्रजनन संबंधी प्रतिस्पर्धा सामान्यतः नर जीवों में अधिक होती है।
- शोध के अनुसार, उच्च पद वाली अल्फा मादा की मादा संतान, विशेषकर सबसे छोटी मादा शावक, अपनी माँ की सामाजिक स्थिति से लाभ प्राप्त कर सकती है। उसे भोजन, पोषण, सामाजिक सहयोगियों और प्रजनन के अवसरों तक बेहतर पहुँच मिलती है। परिणामस्वरूप, उसके जीवित रहने और भविष्य में प्रजनन करने की

संभावना बढ़ सकती है।

सामाजिक विरासत और प्रजनन असमानता:

- शोधकर्ताओं ने 'लेमाला' नामक एक क्लैन की लगभग 30 वर्षों की वंशावली का विश्लेषण किया। इसमें पाया गया कि वर्तमान में जीवित लगभग सभी सदस्य एक ही संस्थापक मादा वंश से जुड़े थे। इससे संकेत मिलता है कि सामाजिक पद और संसाधनों तक बेहतर पहुँच कुछ मादा वंशों को लगातार लाभ पहुँचा सकती है।
- इस प्रक्रिया को सामाजिक विरासत (Social Inheritance) कहा जा सकता है। यह आनुवंशिक विरासत से अलग है, क्योंकि इसमें जीन के बजाय सामाजिक स्थिति, पारिवारिक संबंध, गठबंधन और संसाधनों तक पहुँच के लाभ संतानों तक पहुँचते हैं। कई पीढ़ियों में इन लाभों के संचय से कुछ वंशों की प्रजनन सफलता अन्य वंशों की तुलना में अधिक हो सकती है।

पारंपरिक विकासवादी सिद्धांतों पर प्रभाव:

- डार्विन-बेटमैन (Darwin–Bateman) सिद्धांत के अनुसार, अनेक प्रजातियों में नर प्रजनन के लिए अधिक प्रतिस्पर्धा करते हैं, जबकि मादाएँ गर्भधारण और स्तनपान में अधिक जैविक निवेश के कारण साथी चयन में अधिक भूमिका निभाती हैं। किंतु चित्तीदार लकड़बग्घों में मादा-मादा प्रतिस्पर्धा और सामाजिक प्रभुत्व इस सामान्यीकृत धारणा का एक महत्वपूर्ण अपवाद प्रस्तुत करते हैं।
- यह अध्ययन दर्शाता है कि लैंगिक भूमिकाएँ केवल जैविक संरचना से निर्धारित नहीं होतीं, बल्कि सामाजिक संगठन, संसाधनों का वितरण और पारिवारिक संबंध भी उन्हें प्रभावित कर सकते हैं।

शोध का महत्त्व:

- यह अध्ययन दीर्घकालिक वन्यजीव अनुसंधान, सामाजिक विकास और जैव-विविधता के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। शोधकर्ता अब यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या अन्य पशु प्रजातियों में भी सामाजिक रूप से विरासत में मिलने वाली प्रजनन असमानता पाई जाती है। साथ ही, यह भी अध्ययन किया जा रहा है कि उच्च और निम्न सामाजिक पद वाली मादाएँ नर एवं मादा शावकों में अलग-अलग निवेश करती हैं या नहीं।

निष्कर्ष:

चित्तीदार लकड़बग्घों पर किया गया यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि प्राकृतिक जगत में प्रजनन सफलता केवल आनुवंशिक गुणों या शारीरिक शक्ति पर निर्भर नहीं करती। सामाजिक पद, गठबंधन और संसाधनों तक पहुँच भी पीढ़ियों तक प्रभाव डाल सकते हैं। इस प्रकार, सामाजिक विरासत विकासवादी प्रक्रियाओं, लैंगिक भूमिकाओं और पशु समाजों में असमानता को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरती है।

बोलीविया में 100 साल बाद बिल्ली की नई प्रजाति 'लेपर्डस टिलकेयो' की खोज

संदर्भ:

हाल ही में, वैज्ञानिकों ने बोलीविया के युंगास क्लाउड फॉरेस्ट में एक नई जंगली बिल्ली प्रजाति, लियोपार्डस टिल्कायो (Leopardus tilcayo) की औपचारिक रूप से पहचान की है। यह एक सदी से अधिक समय में औपचारिक रूप से वर्णित की गई पहली जीवित बिल्ली प्रजाति है। इसके निष्कर्ष करंट बायोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित हुए।

टिल्कायो के बारे में:

- टिल्कायो, लियोपार्डस (Leopardus) वंश से संबंधित टाइगर-कैट समूह का एक छोटा सदस्य है। यह लगभग 46 सेंटीमीटर लंबी और 1.4 से 2 किलोग्राम वजन वाली बताई गई है, जिससे यह औसत घरेलू बिल्ली से भी छोटी है।
- इसका रंग हल्का भूरा है और शरीर पर अनियमित गहरे रंग के रोसेट जैसे निशान हैं, जिससे इसका रूप छोटे तेंदुए जैसा दिखाई देता है। प्रारंभिक अवलोकनों से पता चलता है कि यह मुख्य रूप से रात्रिचर (Nocturnal) है और छोटे कृंतकों को खाती है।
- इस जानवर को स्थानीय रूप से टिल्कायो (Tilcayo) के नाम से

जाना जाता था, जो जैव विविधता की पहचान और दस्तावेजीकरण में स्थानीय समुदायों की भूमिका को दर्शाता है।

कैसे हुई प्रजाति की पुष्टि:

- इस प्रजाति की पहचान केवल बाहरी बनावट के आधार पर नहीं, बल्कि आनुवंशिक विश्लेषण (Genetic Analysis) के जरिए की गई। शोधकर्ताओं ने इसके DNA का अध्ययन कर यह पुष्टि की कि यह अन्य टाइगर कैट्स से अलग वंश है।
- शोधकर्ताओं के अनुसार, इसका विकासक्रम लगभग 14 लाख वर्ष पहले अन्य संबंधित टाइगर कैट्स से अलग हो गया था।

यह घरेलू बिल्ली से कैसे अलग है?

विशेषता	टिल्कायो	घरेलू बिल्ली
वैज्ञानिक नाम	लियोपार्डस टिल्कायो (Leopardus tilcayo)	फेलिस कैट्स (Felis catus)
स्थिति	जंगली प्रजाति	पालतू प्रजाति
आवास	युंगास क्लाउड फॉरेस्ट	मानव-संबंधित आवास
आकार	~46 सेमी; ~1.4–2 किग्रा	सामान्यतः बड़ी
रूप-रंग	हल्के-भूरे फर पर गहरे रोसेट	अत्यधिक विविध
व्यवहार	जंगली, संभवतः रात्रिचर	पालतू

महत्व:

- **जैव विविधता**: यह खोज क्रिप्टिक प्रजातियों (Cryptic Species) के अस्तित्व को उजागर करती है जो प्रजातियाँ देखने में समान हो सकती हैं, लेकिन आनुवंशिक रूप से अलग होती हैं।
- **आनुवंशिक वर्गीकरण की भूमिका:** आधुनिक जीनोमिक तकनीकें ऐसे विकासवादी संबंधों को उजागर कर सकती हैं, जिन्हें पारंपरिक आकारिकी-आधारित वर्गीकरण अनदेखा कर सकता है।
- **संरक्षण:** युंगास क्षेत्र पर वनों की कटाई, कृषि और खनन का दबाव है। चूंकि टिल्कायो की आबादी और उसकी पारिस्थितिक आवश्यकताओं को अभी अच्छी तरह से समझा नहीं गया है, इसलिए इसकी संरक्षण स्थिति का आकलन करने के लिए आगे के सर्वेक्षण आवश्यक हैं।
- **स्वदेशी और स्थानीय ज्ञान:** जानवर का स्थानीय नाम और समुदाय स्तर पर इसकी पहचान यह दर्शाती है कि पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान (Traditional Ecological Knowledge) आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान का पूरक बन सकता है।

निष्कर्ष:

लियोपार्डस टिल्कायो (Leopardus tilcayo) की खोज दर्शाती है कि दुनिया की जैव विविधता का दस्तावेजीकरण अभी भी अपूर्ण है। यह प्रजातियों के खतरे में पड़ने या विलुप्त होने से पहले उनके संरक्षण के लिए आधुनिक जीनोमिक विज्ञान, क्षेत्रीय अनुसंधान और स्थानीय पारिस्थितिक ज्ञान को मजबूत आवास संरक्षण के साथ जोड़ने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

प्रोजेक्ट चीता: भारत में चीता पुनर्वास के चार वर्ष

संदर्भ:

प्रोजेक्ट चीता के चार वर्ष पूरे होने के एक दिन बाद, भारत में जन्मी मादा चीता KGP12 ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जंगल में चार शावकों को जन्म दिया। KGP12, दक्षिण अफ्रीका से लाई गई चीता 'गामिनी' की बेटी है। यह जन्म एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि यह भारत में जन्मी चीतों की अगली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है और भारत की परिस्थितियों में चीतों के प्राकृतिक प्रजनन एवं अनुकूलन का संकेत देता है।

प्रोजेक्ट चीता के बारे में:

- प्रोजेक्ट चीता भारत का राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य 1952 में भारत से विलुप्त हो चुके चीते को पुनः भारत में बसाना है। इसे औपचारिक रूप से 17 सितंबर 2022 को शुरू किया गया था, जब नामीबिया से आठ चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया।
- इसके बाद 2023 में दक्षिण अफ्रीका और 2026 में बोत्सवाना से भी चीतों को भारत लाया गया।
- सरकार के अनुसार, यह विश्व की पहली ऐसी अंतरमहाद्वीपीय पुनर्वास परियोजना है, जिसमें बड़ी संख्या में किसी बड़े जंगली मांसाहारी जीव का एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में स्थानांतरण किया गया है।

प्रोजेक्ट चीता के उद्देश्य:

- भारत में एक व्यवहार्य और आत्मनिर्भर चीता आबादी स्थापित करना। क्षरित घासभूमि और खुले वन पारिस्थितिकी तंत्रों को पुनर्स्थापित करना।

- दीर्घकाल में लगभग 60–70 चीतों की आबादी विकसित करना।
- चीते को फ्लैगशिप और अम्ब्रेला प्रजाति के रूप में उपयोग करके जैव-विविधता संरक्षण को बढ़ावा देना।
- उपयुक्त आवासों के बीच पारिस्थितिक संपर्क (Ecological Connectivity) विकसित करना।

कूनो राष्ट्रीय उद्यान को क्यों चुना गया?

- उपयुक्त घासभूमि और खुले वन का आवास।
- पर्याप्त शिकार-आधार (Prey Base)।
- अपेक्षाकृत कम मानवीय हस्तक्षेप।
- आसपास के क्षेत्रों में विस्तार की संभावनाएँ।
- अब संरक्षण के परिदृश्य का विस्तार कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के एकीकृत प्रबंधन के माध्यम से किया जा रहा है।
- सरकार ने मध्य प्रदेश के नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य और गुजरात की बन्नी घासभूमि को भी भविष्य में चीतों को छोड़ने के संभावित स्थलों के रूप में चिन्हित किया है।

चुनौतियाँ:

- पर्याप्त शिकार प्रजातियों की आबादी बनाए रखना।
- रोगों और आनुवंशिक विविधता का प्रबंधन।
- मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकना।
- पर्याप्त आवास और पारिस्थितिक गलियारों को सुनिश्चित करना।
- शावकों की जीवित रहने की दर में सुधार करना।
- केवल एक स्थान पर निर्भर रहने के बजाय कई व्यवहार्य चीता आबादियाँ स्थापित करना।
- स्थानांतरण और नई परिस्थितियों के अनुकूलन से जुड़े मृत्यु के जोखिमों का प्रबंधन करना।

संस्थागत ढाँचा:

- प्रोजेक्ट चीता का क्रियान्वयन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के अंतर्गत किया जा रहा है और इसका नेतृत्व राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा किया जा रहा है।
- भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) तथा राज्य वन विभाग भी इस परियोजना में वैज्ञानिक और क्षेत्रीय प्रबंधन संबंधी विशेषज्ञता प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष:

भारत में जन्मी KGP12 द्वारा चार शावकों को जन्म देना इस बात का संकेत है कि प्रोजेक्ट चीता अब केवल चीतों के स्थानांतरण के प्रारंभिक चरण से आगे बढ़कर भारत में प्राकृतिक प्रजनन और आबादी स्थापित करने के चरण में प्रवेश कर रहा है। हालाँकि, इसकी दीर्घकालिक सफलता उपयुक्त आवास, पर्याप्त शिकार-आधार, आनुवंशिक विविधता, शावकों की जीवित रहने की दर और स्थानीय समुदायों के साथ सह-अस्तित्व पर निर्भर करेगी।

जलवायु परिवर्तन और मानवजनित शोर से हिमालयी मोनाल पर खतरा

संदर्भ:

हाल ही में, उत्तराखंड के राज्य पक्षी हिमालयी मोनाल ने वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया है। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय (HBGU) के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए दो पाँच-वर्षीय अध्ययनों में मानवजनित शोर और जलवायु परिवर्तन के कारण इसके व्यवहार तथा उपयुक्त आवास पर पड़ने वाले उभरते प्रभावों को रेखांकित किया गया है।

हिमालयी मोनाल के बारे में:

- हिमालयी मोनाल (Lophophorus impejanus) एक आकर्षक हिमालयी तीतर और भूमि पर रहने वाला पक्षी है, जो हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। इसका वितरण जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम सहित विभिन्न हिमालयी क्षेत्रों में है।
- यह सामान्यतः उप-अल्पाइन एवं अल्पाइन क्षेत्रों, ओक मिश्रित वनों, शंकुधारी वनों, रोडोडेंड्रॉन झाड़ियों तथा पर्वतीय घासभूमियों में पाया जाता है। शोध के अनुसार यह लगभग 2,400–4,500 मीटर की ऊँचाई तक पाया जा सकता है और मौसम के अनुसार ऊँचाई बदलता है।
  - » **राज्य पक्षी:** उत्तराखंड
  - » **IUCN स्थिति:** लीस्ट कंसर्न (Least Concern)
  - » **आवास:** हिमालयी वन, अल्पाइन घास के मैदान और उच्च ऊँचाई वाले पारिस्थितिकी तंत्र
  - » **वितरण:** हिमालयी क्षेत्र

मानवजनित शोर का प्रभाव:

- शोधकर्ताओं ने केदारनाथ कस्तूरी मृग अभयारण्य के दो क्षेत्रों में मोनाल की आबादी की तुलना की:
  - » **मदमहेश्वर घाटी:** अपेक्षाकृत शांत और कम मानवीय हस्तक्षेप वाला क्षेत्र, जहाँ सड़कें नहीं हैं।
  - » **चोपता घाटी:** यहाँ पर्यटन, तीर्थयात्रा, यातायात और मानवीय गतिविधियाँ अधिक हैं।
- निष्क्रिय ध्वनिक निगरानी (Passive Acoustic Monitoring) के माध्यम से शोधकर्ताओं ने अलग-अलग मौसमों में मोनाल की सैकड़ों आवाज़ों को रिकॉर्ड किया। पाया गया कि अधिक शोर वाले चोपता घाटी में मोनाल अपेक्षाकृत शांत क्षेत्रों में रहने वाले पक्षियों की तुलना में अधिक आवृत्ति (Higher Frequency) और अधिक तीव्रता (Higher Amplitude) वाली आवाज़ों का उपयोग कर रहे थे।
- यह दर्शाता है कि मोनाल शोर वाले वातावरण के अनुसार अपनी ध्वनि में अनुकूलन या परिवर्तन करने की क्षमता रखता है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

- मोनाल की आवाज़ें संचार, सामाजिक व्यवहार और प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। नर मोनाल की प्रजनन संबंधी आवाज़ें मादाओं को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बढ़ता हुआ मानवजनित शोर संभावित रूप से ध्वनि अवरोध (Acoustic Masking) पैदा कर सकता है, जिससे पक्षियों के बीच संचार अधिक कठिन हो सकता है।
- हालाँकि, शोधकर्ताओं ने अभी तक यह स्थापित नहीं किया है कि आवाज़ों में होने वाले इन परिवर्तनों के कारण प्रजनन सफलता में प्रत्यक्ष कमी आ रही है।

निष्कर्ष:

हिमालयी मोनाल का उदाहरण यह दर्शाता है कि संरक्षण केवल किसी प्रजाति की संख्या में गिरावट को रोकने तक सीमित नहीं होना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन के कारण आवास में बदलाव और आवास विखंडन किसी प्रजाति के संकटग्रस्त होने से पहले ही उसके व्यवहार तथा पारिस्थितिक संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए, हिमालयी जैव विविधता के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए पर्यटन गतिविधियों का उचित प्रबंधन करने के साथ-साथ प्राकृतिक आवासों और उनके बीच संपर्क (Habitat Connectivity) को बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा।

कस्तूरीरंगन रिपोर्ट और पश्चिमी घाट

संदर्भ:

हाल ही में, कर्नाटक ने पश्चिमी घाट पर कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों के प्रस्तावित कार्यान्वयन को लेकर चिंता व्यक्त की है। राज्य का तर्क है कि प्रस्तावित पारिस्थितिक प्रतिबंध कई जिलों में किसानों और स्थानीय निवासियों की आजीविका को प्रभावित कर सकते हैं।

पृष्ठभूमि:

- माधव गाडगिल की अध्यक्षता वाले पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (WGEEP) की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कार्य समूह (HLWG) का गठन किया गया था।
- पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में फैले हुए हैं। इन्हें एक प्रमुख जैव-विविधता हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त है तथा यह कई महत्वपूर्ण नदियों का प्रमुख जल-स्रोत क्षेत्र भी है।

प्रमुख सिफारिशें:

- **37% क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) घोषित करना:** कस्तूरीरंगन समिति ने पश्चिमी घाट के लगभग

37% क्षेत्रफल, यानी करीब 60,000 वर्ग किमी, को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (Ecologically Sensitive Area–ESA) घोषित करने की सिफारिश की।

- **प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य:** समिति ने इस क्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया:
  - » **प्राकृतिक परिदृश्य (Natural Landscape):** इसमें वन और उच्च पारिस्थितिक महत्त्व वाले क्षेत्र शामिल हैं, जहां अधिक मजबूत संरक्षण की आवश्यकता है।
  - » **सांस्कृतिक परिदृश्य (Cultural Landscape):** इसमें बस्तियां, कृषि क्षेत्र और बागान शामिल हैं, जहां स्थानीय लोगों की आजीविका से जुड़े पहलुओं को महत्त्व दिया गया है।
- **गतिविधियों का विनियमन:** रिपोर्ट में ऐसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया गया, जिनका पर्यावरण पर अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जैसे:
  - » खनन और उत्खनन
  - » रेत खनन
  - » अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग
  - » नई ताप विद्युत परियोजनाएं
- कुछ विकास गतिविधियों, जिनमें जलविद्युत परियोजनाएं भी शामिल हैं, को पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और पर्यावरणीय आकलन के अधीन रखने का प्रस्ताव किया गया।

कर्नाटक इसका विरोध क्यों कर रहा है?

- राज्य सरकार और स्थानीय समुदायों के कुछ वर्गों ने निम्नलिखित चिंताएं व्यक्त की हैं:
  - » प्रस्तावित ESA सीमाओं के अंतर्गत कृषि और बागान भूमि के शामिल होने की संभावना।
  - » आर्थिक गतिविधियों पर संभावित प्रतिबंध।
  - » किसानों और स्थानीय लोगों की आजीविका पर प्रभाव।
  - » उपग्रह आधारित मानचित्रण और सीमा निर्धारण की सटीकता पर सवाल।
  - » भविष्य में भूमि उपयोग को लेकर स्थानीय निवासियों में भय और अनिश्चितता।
  - » इसी कारण राज्य सरकार ने प्रस्तावित सीमाओं पर अधिक व्यापक परामर्श और पुनर्विचार की मांग की है।

गाडगिल बनाम कस्तूरीरंगन:

पहलू	गाडगिल समिति	कस्तूरीरंगन समिति
दृष्टिकोण	व्यापक पारिस्थितिक संरक्षण	लक्षित संरक्षण
ESA का कवरेज	लगभग 64%	लगभग 37%
पद्धति	पारिस्थितिक आकलन	भू-स्थानिक (Geospatial) + पारिस्थितिक आकलन
मानव बस्तियां	अधिक व्यापक नियामक कवरेज	सांस्कृतिक परिदृश्य का अधिक स्पष्ट विभेदीकरण
मुख्य फोकस	संरक्षण-केंद्रित	संरक्षण और विकास के बीच संतुलन

महत्व:

- यह विवाद पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन की चुनौती को उजागर करता है। पश्चिमी घाट जैव-विविधता, जल सुरक्षा, जलवायु विनियमन और विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करते हैं। वहीं, स्थानीय समुदाय कृषि, बागान और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए इन क्षेत्रों पर निर्भर हैं।

निष्कर्ष:

पश्चिमी घाट को मजबूत पारिस्थितिक संरक्षण की आवश्यकता है, लेकिन संरक्षण संबंधी उपायों में स्थानीय समुदायों की वास्तविक आजीविका

संबंधी चिंताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। उद्देश्य "सतत विकास के साथ संरक्षण" (Conservation with Sustainable Development) होना चाहिए, न कि पर्यावरण और विकास को एक-दूसरे के विरोधी के रूप में देखना।

प्रोजेक्ट राइनो: एक सींग वाले गैंडे का संरक्षण

संदर्भ:

22 सितंबर 2026, विश्व गैंडा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट राइनो शुरू करने की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य एक सींग वाले गैंडे (Rhinoceros unicornis) के संरक्षण के लिए समर्पित वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना है। इसके तहत भारत के गैंडा-बहुल राज्यों में प्रजाति संरक्षण, आवास प्रबंधन, आनुवंशिक सुधार, वैज्ञानिक अनुसंधान और गैंडा आबादी की निगरानी को मजबूत किया जाएगा।

प्रोजेक्ट के प्रमुख उद्देश्य:

- प्रोजेक्ट राइनो का मुख्य फोकस निम्नलिखित क्षेत्रों पर होगा:
  - **प्रजाति संरक्षण:** गैंडे के शिकार और वन्यजीव अपराधों की रोकथाम के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना।
  - **आवास प्रबंधन:** घासभूमियों, आर्द्रभूमियों और गैंडे के अन्य प्राकृतिक आवासों में सुधार करना।
  - **आनुवंशिक सुधार:** आनुवंशिक अध्ययन को बढ़ावा देना और गैंडे की स्वस्थ आबादी को बनाए रखना।
  - **आबादी संबंधी अनुसंधान:** वैज्ञानिक निगरानी, आबादी का आकलन और पारिस्थितिक अध्ययन करना।
  - **पुनर्वास/पुनर्स्थापन:** गैंडों को उपयुक्त संरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित करके उनके प्राकृतिक क्षेत्र का विस्तार करना।

प्रमुख राज्य:

- यह परियोजना निम्नलिखित राज्यों में गैंडा संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों को समर्थन देगी:
  - असम
  - पश्चिम बंगाल
  - बिहार
  - उत्तर प्रदेश

- यह प्रयास कुछ चुनिंदा संरक्षित क्षेत्रों में गैंडों की अत्यधिक एकाग्रता को कम करने और उनके लिए नए सुरक्षित आवास विकसित करने में मदद कर सकता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- **वैज्ञानिक नाम:** Rhinoceros unicornis
- **सामान्य नाम:** एक सींग वाला गैंडा / भारतीय गैंडा
- **IUCN स्थिति:** Vulnerable (असुरक्षित)
- **सींग:** यह केराटिन (Keratin) से बना होता है, वही प्रोटीन जो मानव बाल और नाखूनों में पाया जाता है।
- **भारत में प्रमुख आवास:** असम में काजीरंगा, मानस, ओरांग और पोबितोरा; पश्चिम बंगाल में जलदापाड़ा और गोरुमारा; उत्तर प्रदेश में दुधवा।
- **भारत में संरक्षण:** वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I (Schedule I) के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है।

भारत में गैंडा संरक्षण की सफलता:

- भारत में दुनिया के अधिकांश एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। इसलिए इस प्रजाति के वैश्विक संरक्षण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है।
- असम इस प्रजाति का प्रमुख गढ़ है, जहाँ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में

गैंडों की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है।

- मजबूत शिकार-रोधी उपायों (Anti-poaching Measures) ने असम में गैंडा संरक्षण को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- उत्तर प्रदेश के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान/टाइगर रिजर्व में गैंडों के सफल पुनर्स्थापन और आबादी में वृद्धि देखी गई है।
- पश्चिम बंगाल और बिहार के संरक्षित क्षेत्र भी गैंडा संरक्षण के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

प्रमुख चुनौतियाँ:

संरक्षण के क्षेत्र में प्रगति के बावजूद कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं:

- शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार, विशेष रूप से गैंडे के सींग की मांग।
- कृषि, बुनियादी ढाँचे और मानव बस्तियों के विस्तार के कारण आवास का नुकसान और विखंडन।
- बाढ़ और अन्य पारिस्थितिक घटनाओं के कारण घासभूमि के आवासों पर प्रभाव।
- गैंडे की आबादी के विस्तार के लिए उपयुक्त आवासों की सीमित उपलब्धता।
- अलग-अलग आबादी में आनुवंशिक विविधता को बनाए रखना।
- आबादी के विस्तार और पुनर्स्थापन के दौरान मानव-वन्यजीव संघर्ष।

प्रोजेक्ट राइनो का महत्व:

- भारत के एक सींग वाले गैंडे के लिए एक समर्पित संरक्षण ढाँचा उपलब्ध कराता है।
- केवल आबादी की सुरक्षा से आगे बढ़कर लैंडस्केप स्तर पर संरक्षण को बढ़ावा देता है।
- वैज्ञानिक और तकनीक आधारित वन्यजीव प्रबंधन को मजबूत करता है।
- उपयुक्त ऐतिहासिक आवासों में गैंडों के पुनर्स्थापन और उनके क्षेत्र के विस्तार में मदद कर सकता है।
- जैव विविधता संरक्षण और वन्यजीव सुरक्षा के प्रति भारत की व्यापक प्रतिबद्धताओं को मजबूत करता है।

निष्कर्ष:

प्रोजेक्ट राइनो का उद्देश्य वित्तीय सहायता, आवास पुनर्स्थापन, वैज्ञानिक अनुसंधान, आनुवंशिक प्रबंधन और शिकार-रोधी उपायों के माध्यम से एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण में भारत की उपलब्धियों को और मजबूत करना है। पारंपरिक गैंडा-बहुल क्षेत्रों से आगे बढ़कर नए सुरक्षित आवास विकसित करना इस प्रजाति के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण होगा।

साइक्लोन अर्नब या डीप डिप्रेशन? बंगाल की खाड़ी का मौसम तंत्र

संदर्भ:

हाल ही में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनी एक मौसम प्रणाली के आंध्र प्रदेश के तट पर भू-भाग से टकराने (Landfall) के बाद उत्तर भारत तथा ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा हुई। कुछ मीडिया रिपोर्टों और सोशल मीडिया पोस्ट में इस मौसम प्रणाली को "चक्रवात अर्नब" कहा गया। हालांकि, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इसे चक्रवाती तूफान (Cyclonic Storm) नहीं, बल्कि गहरा अवदाब (Deep Depression) वर्गीकृत किया।

गहरा अवदाब (Deep Depression) क्या है?

- अवदाब (Depression) एक निम्न वायुदाब प्रणाली है, जिसमें संगठित बादल, गरज-चमक और चक्रवाती परिसंचरण पाया जाता है।
- IMD के वर्गीकरण के अनुसार:
  - » **अवदाब (Depression):** अधिकतम निरंतर सतही हवा की गति 31–50 किमी/घंटा।
  - » **गहरा अवदाब (Deep Depression):** अधिकतम निरंतर हवा की गति 51–61 किमी/घंटा।
  - » **चक्रवाती तूफान (Cyclonic Storm):** अधिकतम निरंतर हवा की गति 62–88 किमी/घंटा।
- इस प्रकार, कोई मौसम प्रणाली निर्धारित हवा की गति की सीमा को पार करने के बाद ही आधिकारिक रूप से चक्रवाती तूफान के रूप में वर्गीकृत होती है।

इसे 'अर्नब' क्यों कहा गया?

- अर्नब (Arnab) उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र के चक्रवातों के लिए निर्धारित नामों की क्षेत्रीय सूची में अगला नाम है। यह नाम बांग्लादेश द्वारा दिया गया है और बंगाली भाषा में इसका अर्थ "महासागर" है।
- हालांकि, किसी मौसम प्रणाली को चक्रवात का नाम तभी दिया जाता है, जब वह चक्रवाती तूफान की तीव्रता प्राप्त कर लेती है।

चूंकि यह प्रणाली गहरे अवदाब की स्थिति में ही रही, इसलिए उस समय इसे “चक्रवात अर्नब” कहना तकनीकी रूप से सही नहीं था।

- उत्तर हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम पहले से ही WMO/ESCAP Panel on Tropical Cyclones के तहत तय किए जाते हैं। इस पैनल में भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ओमान सहित 13 देश शामिल हैं।
- प्रत्येक देश पहले से निर्धारित सूची में कुछ नामों का योगदान देता है। जब निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले चक्रवाती तूफान विकसित होते हैं, तो इन नामों का क्रमवार उपयोग किया जाता है।

चक्रवात बनाम गहरा अवदाब:

मापदंड	गहरा अवदाब	चक्रवाती तूफान
हवा की गति	51–61 किमी/घंटा	62–88 किमी/घंटा
वर्गीकरण	अवदाब की अवस्था	नामित उष्णकटिबंधीय चक्रवात
नामकरण	सामान्यतः चक्रवात का नाम नहीं दिया जाता	आधिकारिक रूप से नाम दिया जाता है
प्रमुख खतरे	भारी वर्षा, बाढ़ और तेज हवाएँ	अधिक तेज हवाएँ, भारी वर्षा और तूफानी ज्वार (Storm Surge)

यह अंतर क्यों महत्वपूर्ण है?

- सही वर्गीकरण आपदा प्रबंधन, जन-संचार और पूर्व चेतावनी प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण है। गहरे अवदाब को चक्रवात के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत करने से मौसम प्रणाली की वास्तविक तीव्रता को लेकर भ्रम पैदा हो सकता है।
- हालांकि, गहरा अवदाब भी भारी वर्षा, बाढ़ और फसलों को नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए चक्रवात के निर्धारित मानदंड पूरे न होने के बावजूद सतर्कता और आपदा तैयारी आवश्यक है।

निष्कर्ष:

यह घटना वैज्ञानिक मौसम संबंधी शब्दावली को समझने के महत्व को दर्शाती है। किसी मौसम प्रणाली को चक्रवात या गहरा अवदाब कहा जाए, उसका वास्तविक प्रभाव वर्षा की तीव्रता, हवा की गति, भू-भाग से टकराने के स्थान और स्थानीय संवेदनशीलता जैसे कारकों पर निर्भर करता है। सटीक मौसम पूर्वानुमान और समय पर आपदा तैयारी जान-माल के नुकसान को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारत में जलाशयों का जल भंडारण: जल सुरक्षा के लिए चेतावनी

संदर्भ:

हाल ही में केंद्रीय जल आयोग (CWC) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 178 प्रमुख जलाशयों में जल भंडारण उनकी कुल उपयोगी भंडारण क्षमता का लगभग 70% है। यह पिछले 10 वर्षों के औसत 76.62% से कम है और वर्ष 2025 की इसी अवधि में दर्ज 79% की तुलना में भी कम है। यह स्थिति महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में सूखा घोषित किए जाने के बीच और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

क्षेत्रवार जल भंडारण की स्थिति:

- दक्षिण भारत में जल भंडारण का दबाव सबसे अधिक है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के जलाशयों में उनकी कुल क्षमता का केवल 50% (27.926 BCM) जल भंडारित है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 87.25% था। 28 सितंबर तक इस क्षेत्र में सामान्य से 23% कम वर्षा दर्ज की गई है।
- उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के जलाशयों में लगभग 62% (12.431 BCM) जल भंडारण है, जो पिछले वर्ष के 92.3% की तुलना में काफी कम है।
- पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के 31 जलाशयों में लगभग 73% (16.157 BCM) जल भंडारण है। इस क्षेत्र में मौसमी वर्षा में लगभग 25% की कमी रही है। हालांकि, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रही है।
- गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के जलाशयों में लगभग 84.61% जल भंडारण है, जबकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जलाशयों में लगभग 85.55% भंडारण है। दोनों क्षेत्रों में जल भंडारण का स्तर वर्ष 2025 की इसी अवधि की तुलना में कम है।

मानसून में कमी और अल नीनो:

- 28 सितंबर तक भारत में सामान्य से लगभग 12% कम वर्षा हुई है। जून में वर्षा में 35.4% की बड़ी कमी दर्ज की गई, जबकि अगस्त में 16.3% की कमी रही। 1 से 28 सितंबर के बीच वर्षा में लगभग 5% की कमी दर्ज की गई।
- अल नीनो (El Niño) एक ऐसी आवधिक जलवायु घटना है, जिसमें उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि होती है। इसके मजबूत होने को अनियमित वर्षा और लंबे

समय तक रहने वाले शुष्क दौर से जोड़ा गया है। हालांकि, भारत का मानसून कई समुद्री और वायुमंडलीय कारकों से प्रभावित होता है। इसलिए केवल अल नीनो को क्षेत्रीय वर्षा में होने वाली विविधता का एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता।

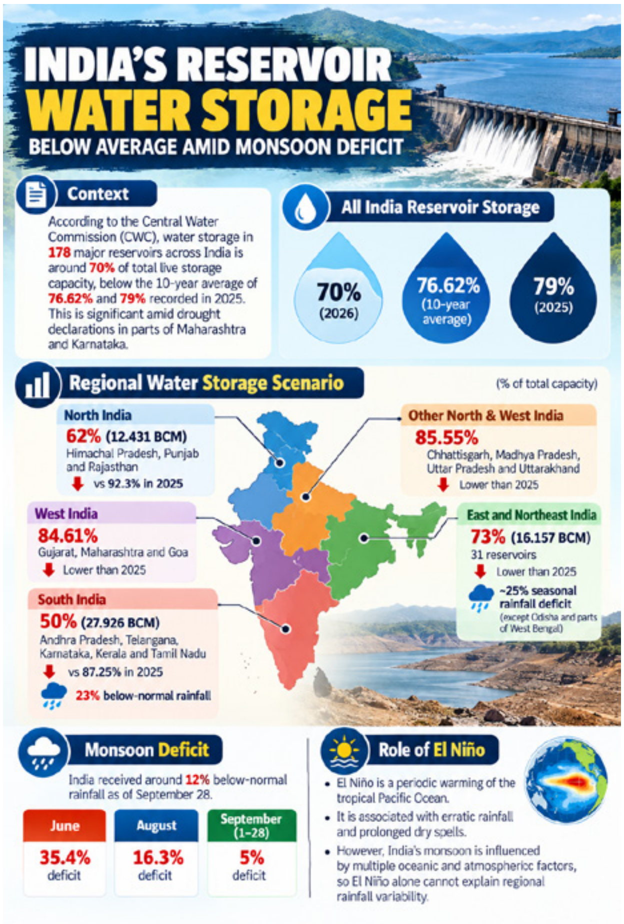

जलाशयों में जल भंडारण क्यों महत्वपूर्ण है?

- दक्षिण-पश्चिम मानसून भारत की वार्षिक वर्षा में 70% से अधिक योगदान देता है और उन जलाशयों को भरता है जो निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं:
  - पेयजल की आपूर्ति
  - सिंचाई और कृषि
  - जलविद्युत उत्पादन
  - औद्योगिक आवश्यकताएँ
  - भूजल पुनर्भरण
- इसलिए मानसून के अंत में जलाशयों में जल स्तर कम होने से शुष्क मौसम के दौरान कृषि, पेयजल और ऊर्जा संसाधनों पर दबाव बढ़ सकता है।

प्रमुख चिंताएँ:

- वर्तमान स्थिति भारत की जलवैज्ञानिक सूखा (Hydrological Drought) के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती है। इसके साथ ही वर्षा का असमान वितरण, भूजल का अत्यधिक दोहन, सिंचाई में अक्षमता और अधिक पानी वाली फसलों का बढ़ता प्रचलन भी प्रमुख चिंताएँ हैं।
- सतही जल की उपलब्धता कम होने से भूजल पर निर्भरता और उसका दोहन बढ़ सकता है। इससे अंतर्राज्यीय जल विवादों की स्थिति भी और गंभीर हो सकती है।

आगे की राह:

- भारत को एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (Integrated Water Resource Management) को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके लिए नदी-घाटी आधारित योजना, वर्षा जल संचयन, जलग्रहण क्षेत्र का विकास और भूजल पुनर्भरण जैसे उपाय महत्वपूर्ण हैं।
- इसके अलावा, सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण, सूखा-रोधी फसलों और जलवायु-अनुकूल कृषि को बढ़ावा देकर पानी की मांग को कम किया जा सकता है। जलाशयों की वास्तविक समय में निगरानी तथा केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय भी आवश्यक है।

निष्कर्ष:

वर्ष 2026 में जलाशयों की स्थिति यह दर्शाती है कि भारत की जल चुनौती केवल कितनी वर्षा हुई, इस पर निर्भर नहीं करती, बल्कि वर्षा कब हुई, कहाँ हुई और उपलब्ध जल का कितनी कुशलता से प्रबंधन किया गया, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दीर्घकालिक जल, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जलवायु-अनुकूल, एकीकृत और टिकाऊ जल प्रबंधन प्रणाली विकसित करना आवश्यक है।

5 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

भारत में डेटा सेंटर: डिजिटल युग की वैज्ञानिक एवं तकनीकी रीढ़

संदर्भ:

भारत में डिजिटल तकनीकों के तेजी से विस्तार के साथ डेटा सेंटर (Data Centres) आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण वैज्ञानिक एवं तकनीकी आधारभूत संरचना बनकर उभर रहे हैं। हाल ही में स्वतंत्र शोध संगठन पॉलिसी कंसेंसस सेंटर (Policy Consensus Centre-PCC) ने बताया कि भारत में डेटा सेंटर की परिचालन क्षमता वर्ष 2020 में लगभग 375 मेगावाट से बढ़कर 2025 में 1,575 मेगावाट से अधिक हो गई। PCC के अनुसार, वर्ष 2030 तक यह क्षमता 4.5–9 गीगावाट तक पहुँच सकती है।

भारत सरकार के अनुसार, अगस्त 2026 तक देश की स्थापित डेटा सेंटर क्षमता लगभग 1.57 गीगावाट हो चुकी थी। यह विस्तार मुख्यतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्लाउड कंप्यूटिंग, 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा स्थानीयकरण जैसी तकनीकों के बढ़ते उपयोग से प्रेरित है। इसलिए डेटा सेंटर को केवल डेटा संग्रहण और प्रसंस्करण की सुविधा के रूप में नहीं, बल्कि एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा और डिजिटल सेवाओं को सक्षम बनाने वाले आधुनिक तकनीकी बुनियादी ढाँचे के केंद्र के रूप में समझना अधिक उपयुक्त होगा।

डेटा सेंटर: डिजिटल अर्थव्यवस्था की भौतिक रीढ़

- डेटा सेंटर एक विशेष रूप से डिजाइन की गई सुविधा हैं जहाँ सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग उपकरण, जीपीयू, पावर सिस्टम, कूलिंग और साइबर सुरक्षा प्रणालियाँ डिजिटल डेटा को संग्रहित और संसाधित करती हैं।
- किसी डिजिटल भुगतान, ई-गवर्नेंस सेवा और एआई आधारित प्रश्न के पीछे डेटा सेंटर में मौजूद कंप्यूटिंग संसाधन काम करते हैं। सामान्यतः डिजिटल अनुरोध की प्रक्रिया में या एआई जैसे उन्नत अनुप्रयोगों में बड़ी मात्रा में डेटा और उच्च क्षमता वाली कंप्यूटिंग की आवश्यकता होती है। इसलिए डेटा सेंटर आधुनिक डिजिटल सेवाओं के लिए केवल भंडारण केंद्र नहीं, बल्कि कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हैं।

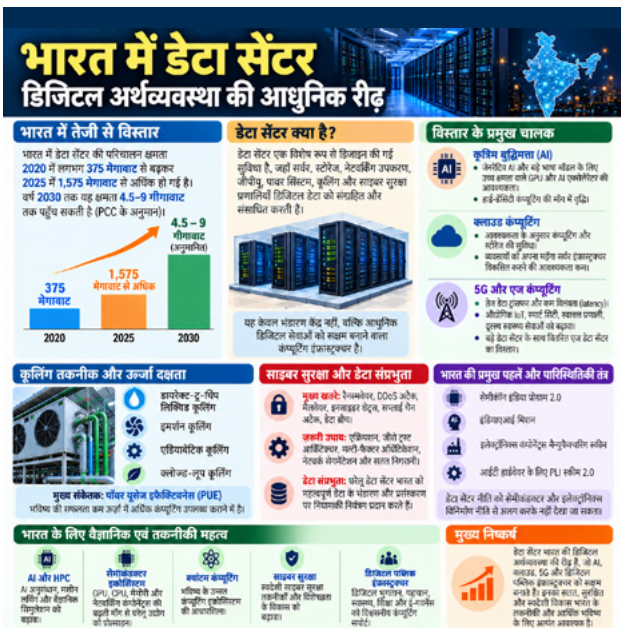

एआई, क्लाउड और 5जी: डेटा सेंटर विस्तार के प्रमुख चालक

- भारत में डेटा सेंटर की माँग को समझने के लिए तीन तकनीकी बदलाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं: एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और 5जी।
  - **कृत्रिम बुद्धिमत्ता:** जेनरेटिव एआई और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के ट्रेनिंग एवं ऑपरेशन के लिए सामान्य कंप्यूटिंग की तुलना में कहीं अधिक जीपीयू और एआई एक्सेलेरेटर्स की आवश्यकता होती है। इससे हाई-डेंसिटी कंप्यूटिंग की माँग बढ़ रही है।
  - **क्लाउड कंप्यूटिंग:** क्लाउड कंप्यूटिंग ने कंप्यूटिंग और स्टोरेज को आवश्यकता के अनुसार उपयोग करने की सुविधा प्रदान की है। इससे व्यवसायों को अपना महँगा सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की आवश्यकता कम हुई है और डेटा सेंटर की माँग बढ़ी है।
  - **5G और एज कंप्यूटिंग (Edge Computing):** 5G और एज कंप्यूटिंग से तेज डेटा ट्रांसफर और कम latency संभव होती है। इससे इंडस्ट्रियल IoT, स्मार्ट सिटी, ऑटोनॉमस सिस्टम और रिमोट हेल्थकेयर जैसे अनुप्रयोगों को बढ़ावा मिलता है।
- इनमें कई सेवाओं के लिए डेटा को दूर स्थित डेटा सेंटर तक भेजने के बजाय उपयोगकर्ता के निकट संसाधित करना अधिक प्रभावी होता है। यही एज कंप्यूटिंग की अवधारणा है। इसलिए भविष्य में भारत में बड़े केंद्रीकृत डेटा सेंटर के साथ डिस्ट्रिब्यूटेड एज डेटा सेंटर का भी विस्तार हो सकता है।

भारत में डेटा सेंटर का तेजी से विस्तार:

- भारत में डेटा सेंटर का विकास डिजिटल परिवर्तन के साथ तेजी से हुआ है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) नई दिल्ली, पुणे, हैदराबाद और भुवनेश्वर में राष्ट्रीय डेटा सेंटर संचालित करता है। इसके साथ ही निजी क्षेत्र में भी बड़े हाइपरस्केल और क्लाउड डेटा सेंटर विकसित हो रहे हैं। भारत में डेटा सेंटर की माँग का सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी कारक एआई है।
- एआई आधारित डेटा सेंटर के लिए उच्च क्षमता वाले जीपीयू,सीपीयू, मेमोरी, नेटवर्किंग उपकरण और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की आवश्यकता होती है। इसलिए डेटा सेंटर नीति को सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति से अलग करके नहीं देखा जा सकता।
- इसी दिशा में सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम 2.0, इंडियाएआई मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम और आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई स्कीम 2.0 जैसी पहलें भारत के डिजिटल-औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण हैं। इस दृष्टिकोण से भारत को केवल डिजिटल सेवाओं का उपभोक्ता नहीं, बल्कि विविध और AI प्रौद्योगिकी का निर्माता बनने में मदद कर सकता है।

डेटा सेंटर में कूलिंग टेक्नोलॉजी और एनर्जी एफिशिएंसी:

- एआई और हाई परफॉरमेंस कंप्यूटिंग के कारण सर्वर की कंप्यूटिंग क्षमता तथा ऊर्जा घनत्व बढ़ रहा है। इसके साथ सर्वरों से उत्पन्न ऊष्मा भी बढ़ती है। इसलिए ऊष्मा प्रबंधन डेटा सेंटर की महत्वपूर्ण तकनीकी चुनौती बन गया है।
- पारंपरिक एयर कुलिंग के साथ नई तकनीकों का उपयोग बढ़ रहा है, जैसे: डायरेक्ट-टू-चिप लिक्विड कूलिंग, इमर्शन कूलिंग, एडियाबेटिक कूलिंग, क्लोज्ड-लूप कूलिंग जिनका उद्देश्य कम ऊर्जा और पानी के उपयोग में बेहतर हीट मैनेजमेंट करना है।
- इसके साथ डेटा सेंटर में स्मार्ट पावर मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज और AI-बेस्ड कूलिंग ऑप्टिमाइजेशन को बढ़ावा देना आवश्यक है। यहाँ पॉवर यूसेज इफेक्टिवनेस (PUE) एक महत्वपूर्ण संकेतक है, जो डेटा सेंटर की ऊर्जा दक्षता को समझने में सहायता करता है।
- इस प्रकार भविष्य के डेटा सेंटर की तकनीकी सफलता केवल अधिक कंप्यूटिंग कैपेसिटी में नहीं, बल्कि कम ऊर्जा में अधिक कंप्यूटिंग उपलब्ध कराने में होगी।

साइबर सुरक्षा और डेटा संप्रभुता:

- डेटा सेंटर में बड़ी मात्रा में वित्तीय, स्वास्थ्य, सरकारी और व्यावसायिक डेटा संग्रहीत होता है। इसलिए ये राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण अवसंरचना हैं। प्रमुख खतरे रैनसमवेयर, DDoS अटैक, मैलवेयर, इनसाइडर थ्रेट्स, सप्लाई चेन अटैक, डेटा ब्रीच हैं। इनसे निपटने के लिए एन्क्रिप्शन, ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, नेटवर्क सेगमेंटेशन और कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग जैसी तकनीकों की आवश्यकता है।
- साथ ही, घरेलू डेटा सेंटर भारत की डाटा संप्रभुता (Data Sovereignty) को मजबूत कर सकते हैं। इससे महत्वपूर्ण डेटा के

भंडारण और प्रसंस्करण पर भारत का नियामकीय नियंत्रण बढ़ता है। हालाँकि, डेटा स्थानीयकरण अपने आप में पर्याप्त नहीं है। इसके साथ डेटा संरक्षण, साइबर सुरक्षा और जिम्मेदार डेटा प्रशासन भी आवश्यक हैं।

भारत के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी महत्व:

डेटा सेंटर का विकास भारत की कई उभरती प्रौद्योगिकियों को गति दे सकता है।

- **एआई और हाई परफॉरमेंस कंप्यूटिंग:** देश में पर्याप्त कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर AI अनुसंधान, मशीन लर्निंग और वैज्ञानिक सिमुलेशन को बढ़ावा दे सकता है।
- **सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम:** डेटा सेंटर के लिए जीपीयू, सीपीयू, मेमोरी और नेटवर्किंग कंपोनेंट्स की बढ़ती माँग घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर उद्योग को प्रोत्साहित कर सकती है।
- **क्वांटम कंप्यूटिंग:** भविष्य में क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए विशेष कंप्यूटिंग और कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी। इसलिए वर्तमान डेटा सेंटर क्षमता भविष्य के उन्नत कंप्यूटिंग इकोसिस्टम की आधारशिला बन सकती है।
- **साइबर सिक्यूरिटी:** महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना की सुरक्षा भारत में स्वदेशी साइबर सुरक्षा तकनीकों और विशेषज्ञता के विकास को प्रोत्साहित करेगी।
- **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर:** डेटा सेंटर भारत के डिजिटल भुगतान, पहचान, स्वास्थ्य, शिक्षा और ई-गवर्नेंस जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्वसनीय कंप्यूटिंग सपोर्ट प्रदान करते हैं।

प्रमुख चुनौतियाँ:

- भारत के सामने डेटा सेंटर क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी चुनौतियाँ हैं:
  - उच्च क्षमता वाले जीपीयू, एडवांस्ड प्रोसेसर और दूसरे क्रिटिकल पार्ट्स के लिए आयात निर्भरता।
  - एआई आधारित उच्च-घनत्व कंप्यूटिंग के कारण बढ़ती ऊर्जा और कूलिंग आवश्यकता।
  - संवेदनशील डिजिटल बुनियादी ढाँचे पर बढ़ते साइबर हमले।
  - तेजी से बदलती तकनीक के कारण उत्पन्न ई कचरा।

आगे की राह:

- भारत को डेटा सेंटर के विकास के लिए एकीकृत और प्रौद्योगिकी-आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसके अंतर्गत:
  - डेटा सेंटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण से जोड़ा जाए।
  - जीपीयू, सर्वर और नेटवर्क उपकरणों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा दिया जाए।
  - तरल शीतलन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ऊर्जा दक्षता जैसी तकनीकों को अपनाया जाए।
  - नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण का विस्तार किया जाए।
  - साइबर सुरक्षा और आपदा पुनर्बहाली के मजबूत मानक विकसित किए जाएँ।
  - एज कंप्यूटिंग और उन्नत डिजिटल बुनियादी ढाँचे का विस्तार किया जाए।
  - कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा के लिए कुशल तकनीकी मानव संसाधन तैयार किया जाए।

निष्कर्ष:

डेटा सेंटर केवल डिजिटल डेटा के भंडारण की सुविधाएँ नहीं हैं, बल्कि एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, 5जी, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ने वाली वैज्ञानिक एवं तकनीकी रीढ़ हैं। भारत में इनका विस्तार देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ-साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता और रणनीतिक क्षमता को भी मजबूत कर सकता है। हालाँकि, भविष्य की सफलता केवल डेटा सेंटर की स्थापित क्षमता बढ़ाने में नहीं, बल्कि अधिक कंप्यूटिंग शक्ति को कम ऊर्जा, कम जल और अधिक सुरक्षा के साथ उपलब्ध कराने में होगी। विकसित भारत @2047 के लिए डेटा सेंटर केवल डिजिटल अवसंरचना नहीं, बल्कि भारत की अगली पीढ़ी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षमता का आधार बन सकते हैं।

संक्षिप्त मुद्दे

इसरो ने EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया

संदर्भ:

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 4 सितंबर 2026 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV-F17 प्रक्षेपण यान द्वारा उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया।

मिशन के बारे में:

- EOS-05 (पृथ्वी अवलोकन उपग्रह-05) इसरो द्वारा विकसित एक उन्नत चित्रांकन उपग्रह है। इसे पृथ्वी के बड़े क्षेत्रों का बार-बार और व्यापक अवलोकन करने के लिए विकसित किया गया है। EOS-05 भारत का पहला चित्रांकन उपग्रह है, जिसे भू-समकालिक कक्षा से संचालित करने के लिए बनाया गया है।
- भू-समकालिक क्षेत्र से इसका संचालन किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र का बार-बार अवलोकन करने में सहायता करेगा।
- यह मिशन भारत की दूरसंवेदी, उपग्रह चित्रांकन तथा अंतरिक्ष-आधारित पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है। साथ ही, यह विकास, आपदा प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की बढ़ती भूमिका को भी दर्शाता है।

मिशन के उपयोग:

- EOS-05 के अनेक महत्वपूर्ण उपयोग हैं:
  - **आपदा प्रबंधन:** बाढ़, चक्रवात, वनाग्नि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी करना।
  - **कृषि:** फसलों, वनस्पतियों तथा कृषि संबंधी परिस्थितियों की निगरानी करना।
  - **पर्यावरण निगरानी:** वनों, भूमि तथा प्राकृतिक संसाधनों में होने वाले परिवर्तनों पर नज़र रखना।
  - **बुनियादी ढाँचा:** नगर नियोजन तथा बड़ी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की निगरानी में सहायता करना।
  - **रणनीतिक उपयोग:** निगरानी तथा राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के लिए बार-बार पृथ्वी के चित्र उपलब्ध कराना।
- इस प्रकार, EOS-05 बड़े क्षेत्रों की पृथ्वी की बार-बार तस्वीरें उपलब्ध करा सकता है और भारत के वर्तमान पृथ्वी-अवलोकन उपग्रह तंत्र की क्षमताओं को और बढ़ा सकता है।

GSLV के बारे में:

- GSLV (भू-समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान) इसरो द्वारा विकसित तीन चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। इसका उपयोग भारी उपग्रहों को भू-स्थिर अंतरण कक्षा (GTO) में स्थापित करने के लिए किया जाता है।
- इसकी प्रमुख विशेषता क्रायोजेनिक प्रणोदन का उपयोग है। यह अधिक दक्षता प्रदान करता है और भारी संचार, मौसम विज्ञान तथा नौवहन उपग्रहों के प्रक्षेपण को संभव बनाता है।
- GSLV का विकास एमके-I और एमके-II संस्करणों में हुआ है। इनमें एमके-II इसका वर्तमान परिचालन संस्करण है, जिसमें भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित क्रायोजेनिक चरण का उपयोग किया जाता है।
- GSLV की प्रक्षेपण क्षमता लगभग भू-स्थिर अंतरण कक्षा में 2,250 किलोग्राम, निम्न पृथ्वी कक्षा में 6,000 किलोग्राम है।
- इससे अधिक शक्तिशाली LVM3 (जिसे पहले GSLV एमके-III कहा

जाता था) लगभग भू-स्थिर अंतरण कक्षा में 4,000 किलोग्राम, निम्न पृथ्वी कक्षा में 8,000 किलोग्राम तक का भार ले जा सकता है।

- LVM3 का उपयोग चंद्रयान-3 जैसे महत्वपूर्ण अभियानों में किया गया है और इसे गगनयान अभियान के लिए भी निर्धारित प्रक्षेपण यान बनाया गया है।

GSLV और LVM3 में अंतर:

विशेषता	GSLV एमके-II	LVM3
भूमिका	मध्यम-भारी भार वहन करने वाला प्रक्षेपण यान	भारी भार वहन करने वाला प्रक्षेपण यान
ऊपरी चरण	CE-7.5 क्रायोजेनिक चरण	C25 क्रायोजेनिक चरण
मुख्य चरण	द्रव विकस-आधारित चरण	L110 द्रव मुख्य चरण
भू-स्थिर अंतरण कक्षा में क्षमता	लगभग 2.25 टन	लगभग 4 टन
प्रमुख उपयोग	संचार, मौसम विज्ञान एवं नौवहन उपग्रह	भारी उपग्रह एवं मानव अंतरिक्ष उड़ान अभियान
गगनयान	प्राथमिक प्रक्षेपण यान नहीं	प्राथमिक प्रक्षेपण यान

GSLV और PSLV में अंतर:

विशेषता	PSLV	GSLV
चरणों की संख्या	4	3
प्रणोदन	बारी-बारी से ठोस एवं द्रव चरण	ठोस + द्रव + क्रायोजेनिक
मुख्य भूमिका	ध्रुवीय तथा सूर्य-समकालिक कक्षाओं एवं पृथ्वी-अवलोकन अभियानों के लिए	भू-समकालिक अभियानों के लिए
प्रमुख विशेषता	बहुमुखी क्षमता एवं विश्वसनीयता	उच्च कक्षाओं में अधिक भार पहुँचाने की क्षमता
सामान्य उपयोग	दूरसंवेदी उपग्रह	संचार एवं मौसम विज्ञान उपग्रह

निष्कर्ष:

EOS-05 का सफल प्रक्षेपण कृषि, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण निगरानी और राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत की क्षमताओं को मजबूत करता है। वहीं, GSLV-F17 स्वदेशी क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी और उन्नत प्रक्षेपण प्रणालियों में भारत की बढ़ती विशेषज्ञता को दर्शाता है।

भूटान ने रेबीज़ को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त किया

संदर्भ:

हाल ही में, भूटान विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र का पहला देश बन गया है, जिसने कुत्तों से फैलने वाले मानव रेबीज़ को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है। WHO ने सितंबर 2026 में भूटान की इस उपलब्धि को मान्यता दी। भूटान में रेबीज़ से संबंधित अंतिम मानव मृत्यु जून 2023 में दर्ज की गई थी।

रेबीज़ क्या है?

- रेबीज़ एक विषाणुजनित जूनोटिक रोग है, जो रेबीज़ वायरस के कारण होता है। यह एक न्यूरोट्रोपिक आरएनए वायरस है, जो लिसावायरस (Lyssavirus) वंश से संबंधित है। इसका मुख्य रूप से संक्रमण संक्रमित पशुओं की लार के माध्यम से होता है, विशेषकर काटने और खरोंचने से।
- एक बार जब रेबीज़ के नैदानिक लक्षण दिखाई देने लगते हैं, तो यह रोग लगभग हमेशा घातक होता है। हालांकि, समय पर टीकाकरण और एक्सपोज़र के बाद उपचार के माध्यम से इसे पूरी तरह रोका जा सकता है।

WHO द्वारा मान्यता:

- WHO के अनुसार, किसी देश में कुत्तों से फैलने वाले रेबीज़ को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त माना जाता है, जब:
- लगातार कम-से-कम दो वर्षों तक कुत्तों से फैलने वाले रेबीज़ से कोई मानव मृत्यु न हो; और देश में रेबीज़ के पुनः उभरने और संचरण को रोकने की पर्याप्त क्षमता मौजूद हो।
- इस प्रकार, यहाँ उन्मूलन (elimination) का अर्थ प्रकृति से रेबीज़

वायरस को पूरी तरह समाप्त करना नहीं है, बल्कि कुत्तों से फैलने वाले रेबीज़ के कारण होने वाली मानव मृत्यु को समाप्त करना है।

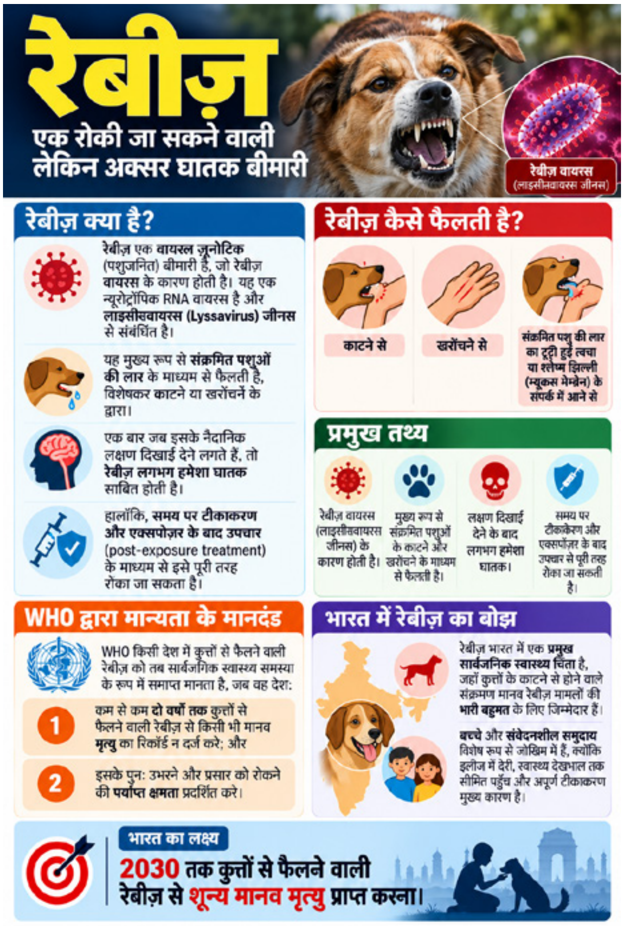

भूटान की रणनीति:

- भूटान ने एक व्यापक वन हेल्थ (One Health) दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बीच परस्पर संबंध को स्वीकार किया गया।
- इसकी रणनीति में शामिल थे:
  - कुत्तों का बड़े पैमाने पर टीकाकरण
  - वैज्ञानिक तरीके से कुत्तों की आबादी का प्रबंधन
  - निरंतर रोग निगरानी
  - संदिग्ध मामलों की त्वरित जाँच
  - पोस्ट-एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस (PEP) तक आसान पहुँच
  - समुदाय में जागरूकता और भागीदारी
  - स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा अधिकारियों के बीच समन्वय
  - स्थानीय सरकारों और स्वयंसेवकों की भागीदारी
- इस दृष्टिकोण ने मानव स्वास्थ्य सेवाओं को पशु चिकित्सा सेवाओं और समुदाय-स्तरीय हस्तक्षेपों के साथ एकीकृत करने में मदद की।

भारत में रेबीज़ का बोझ:

- भारत में रेबीज़ अभी भी एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता है। मानव रेबीज़ संक्रमणों में कुत्तों के काटने की भूमिका सबसे अधिक है। बच्चे और संवेदनशील समुदाय विशेष रूप से जोखिम में हैं, क्योंकि उपचार में देरी, स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच और टीकाकरण की अपूर्णता जैसी समस्याएँ मौजूद हैं।
- भारत का लक्ष्य 2030 तक कुत्तों से फैलने वाले रेबीज़ के कारण होने वाली मानव मृत्यु को शून्य करना है।

भारत के लिए महत्व:

- भूटान की सफलता भारत के लिए कई महत्वपूर्ण सबक प्रदान करती है।
  - पहला, रेबीज़ नियंत्रण में कुत्तों के बड़े पैमाने पर टीकाकरण के माध्यम से स्रोत पर रोकथाम पर ध्यान देना आवश्यक है।
  - दूसरा, स्थानीय निकायों द्वारा संचालित Animal Birth Control (ABC) कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन की आवश्यकता है।
  - तीसरा, विशेष रूप से ग्रामीण और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में रेबीज़ वैक्सीन और इम्युनोग्लोबुलिन की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- भारत को स्वास्थ्य विभागों, पशु चिकित्सा अधिकारियों, नगर निकायों और प्रयोगशालाओं के बीच समन्वित निगरानी व्यवस्था को भी मजबूत करने की आवश्यकता है।

वन हेल्थ दृष्टिकोण:

- रेबीज यह दर्शाता है कि मानव स्वास्थ्य को पशु स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य से अलग करके नहीं देखा जा सकता। रेबीज का प्रभावी उन्मूलन अलग-अलग विभागों द्वारा अलग-अलग प्रयास करने के बजाय अंतर-क्षेत्रीय समन्वय (Inter-sectoral Coordination) की मांग करता है।

आगे की राह:

भारत को व्यापक स्तर पर कुत्तों का टीकाकरण, वैज्ञानिक तरीके से कुत्तों की आबादी का प्रबंधन, सभी के लिए PEP (Post-Exposure Prophylaxis) की सार्वभौमिक उपलब्धता, एकीकृत निगरानी प्रणाली और सामुदायिक भागीदारी पर आधारित एक सतत रणनीति अपनानी

चाहिए। पड़ोसी देशों के साथ सीमा-पार सहयोग (Cross-border Cooperation) भी महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष:

भूटान की उपलब्धि यह दर्शाती है कि जब सरकार, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, पशु चिकित्सक और समुदाय मिलकर कार्य करते हैं, तो रेबीज का उन्मूलन संभव और टिकाऊ दोनों है। भारत द्वारा भूटान के वन हेल्थ मॉडल को अपनाने से वर्ष 2030 तक कुत्तों से फैलने वाले मानव रेबीज से होने वाली मौतों को शून्य करने के लक्ष्य की दिशा में प्रयासों को काफी मजबूती मिल सकती है।

भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के लिए अमेरिकी नेतृत्व वाली वैश्विक पहल में शामिल

संदर्भ:

हाल ही में, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ अगली पीढ़ी के 6G दूरसंचार नेटवर्क के विकास और तैनाती का मार्गदर्शन करने के लिए एक वैश्विक पहल में शामिल हुआ है। यह घोषणा अमेरिका में आयोजित G20 इनोवेशन मिनिस्ट्रियल के दौरान अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक और भारत के वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के बीच द्विपक्षीय बैठक के बाद की गई।

6G क्या है?

- 6G (छठी पीढ़ी) 5G का प्रस्तावित उत्तराधिकारी है और वर्तमान में अनुसंधान तथा मानकीकरण के चरण में है। इसके वाणिज्यिक रूप से लगभग 2030 के बाद शुरू होने की संभावना है।
- पिछली पीढ़ियों के विपरीत, 6G का उद्देश्य केवल तेज कनेक्टिविटी प्रदान करना नहीं है, बल्कि बुद्धिमत्ता युक्त AI-सक्षम संचार नेटवर्क का निर्माण करना है।

4G बनाम 5G बनाम 6G की तुलना:

विशेषता	4G	5G	6G
पीढ़ी	चौथी	पाँचवीं	छठी
मुख्य फोकस	मोबाइल ब्रॉडबैंड	कनेक्टेड डिवाइस और उद्योग	इंटेलिजेंस कनेक्टिविटी
गति	लगभग 1 Gbps तक	लगभग 10–20 Gbps तक	संभावित रूप से Tbps तक
लेटेंसी	लगभग 30–50 ms	लगभग 1 ms	मिलीसेकंड से कम/ माइक्रोसेकंड लक्ष्य
एआई एकीकरण	सीमित	बढ़ता हुआ	AI-नेटिव होने की अपेक्षा
स्पेक्ट्रम	निम्न/मध्य बैंड	mmWave शामिल	उच्च आवृत्तियाँ, जिसमें sub-THz शामिल
प्रमुख अनुप्रयोग	स्मार्टफोन, स्ट्रीमिंग	IoT, स्मार्ट शहर, ऑटोमेशन	AR/VR, स्वायत्त प्रणालियाँ, डिजिटल ट्विन्स, उन्नत रोबोटिक्स

6G की प्रमुख विशेषताएँ:

- **अत्यधिक गति:** संभावित डेटा दरें टेराबिट-प्रति-सेकंड (Tbps) की सीमा तक पहुँच सकती हैं।
- **अल्ट्रा-लो लेटेंसी:** नेटवर्क से मिलीसेकंड से कम प्रतिक्रिया समय प्राप्त करने की अपेक्षा है, जो संभावित रूप से माइक्रोसेकंड स्तर तक जा सकता है।
- **उन्नत स्पेक्ट्रम:** अनुसंधान उच्च-आवृत्ति बैंडों की खोज कर रहा है, जिसमें मिलीमीटर-वेव और सब-टेराहर्ट्ज आवृत्तियाँ शामिल हैं।
- **AI-नेटिव नेटवर्क:** AI और मशीन लर्निंग को सीधे नेटवर्क आर्किटेक्चर में एकीकृत किया जा सकता है।
- **गैर-स्थलीय कनेक्टिविटी:** 6G स्थलीय नेटवर्क को उपग्रहों और अन्य गैर-स्थलीय नेटवर्कों के साथ एकीकृत कर सकता है।

संभावित अनुप्रयोग:

- 6G इमर्सिव ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी, स्वायत्त वाहन और ड्रोन, स्मार्ट फैक्ट्रियाँ, डिजिटल ट्विन्स, उन्नत रोबोटिक्स और रिमोट हेल्थकेयर को सक्षम कर सकता है। यह बड़े पैमाने पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) तैनाती और स्मार्ट बुनियादी ढाँचे का भी समर्थन कर सकता है।

भारत के लिए महत्व:

- भारत की भागीदारी वैश्विक 6G मानकों को प्रभावित करने, स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और बौद्धिक संपदा तथा पेटेंट विकसित करने का अवसर प्रदान करती है। यह सेमीकंडक्टर, AI और डेटा सेंटर जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में अमेरिका के साथ सहयोग को मजबूत कर सकती है।
- यह भारत के मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी उपभोक्ता से प्रौद्योगिकी डेवलपर, इनोवेटर और मानक-निर्धारक बनने के परिवर्तन का भी समर्थन करता है।

चुनौतियाँ:

- भारत के सामने उच्च R&D लागत, विशेषीकृत प्रतिभाओं की कमी, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता, साइबर सुरक्षा जोखिम, स्पेक्ट्रम से संबंधित मुद्दे और तीव्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियाँ हैं। सेमीकंडक्टर क्षमताओं और मानक-आवश्यक पेटेंट का विकास भी महत्वपूर्ण होगा।

आगे की राह:

भारत को भारत 6G मिशन को मजबूत करना चाहिए, सार्वजनिक-निजी R&D में वृद्धि करनी चाहिए, विश्वविद्यालय-उद्योग सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, दूरसंचार स्टार्टअप को समर्थन देना चाहिए, स्वदेशी सेमीकंडक्टर और दूरसंचार प्रौद्योगिकियाँ विकसित करनी चाहिए तथा अंतरराष्ट्रीय मानक-निर्धारण में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए।

निष्कर्ष:

वैश्विक 6G पहल में भारत की भागीदारी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह भारत को अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी की तकनीकी, आर्थिक और सुरक्षा संरचना को आकार देने में मदद कर सकती है, साथ ही तकनीकी आत्मनिर्भरता, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को आगे बढ़ा सकती है।

वैज्ञानिकों ने क्वांटम कंप्यूटिंग की प्रमुख चुनौती से निपटने के लिए विकसित किया नया तरीका

संदर्भ:

हाल ही में, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (RRI), बेंगलुरु की क्वांटम इन्फॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग (QuIC) प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने क्वांटम कंप्यूटिंग में उपयोग की जाने वाली क्वांटम अवस्थाओं की स्थिरता में सुधार करने के लिए एक नई तकनीक का प्रदर्शन किया है। अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी के फिजिकल रिव्यू ए में प्रकाशित यह शोध सिंगल-शॉट ऑपरेशन के माध्यम से डीकोहेरेंस को नियंत्रित करने और एंटैंगलमेंट के अचानक समाप्त होने (entanglement sudden death) को रोकने पर केंद्रित है।

क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है?

- पारंपरिक कंप्यूटर बिट्स का उपयोग करते हैं, जिन्हें 0 या 1 के रूप में दर्शाया जाता है। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं, जो सूचना को मौलिक रूप से अलग तरीकों से संसाधित करने के लिए क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं।
  - **सुपरपोज़िशन:** सुपरपोज़िशन एक क्यूबिट को एक ही समय में 0 और 1 के संयोजन के रूप में मौजूद रहने की अनुमति देता है। यह क्वांटम प्रणालियों को ऐसी प्रक्रियाओं में सूचना संसाधित करने में सक्षम बनाता है, जो पारंपरिक कंप्यूटरों के लिए संभव नहीं हैं।
  - **क्वांटम एंटैंगलमेंट:** एंटैंगलमेंट एक ऐसी घटना है जिसमें दो क्वांटम कण आपस में बहुत मजबूत रूप से सहसंबद्ध हो जाते हैं। एक कण की अवस्था दूसरे कण की अवस्था से जुड़ी होती है, जिससे एंटैंगलमेंट क्वांटम सूचना प्रसंस्करण के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन बन जाता है।

क्वांटम डीकोहेरेंस क्या है?

- क्वांटम अवस्थाएँ अत्यंत नाजुक होती हैं और तापीय कंपन, विद्युतचुंबकीय क्षेत्र, विकिरण तथा अन्य पर्यावरणीय अंतःक्रियाओं से प्रभावित हो सकती हैं। इसके परिणामस्वरूप क्वांटम सुसंगति (quantum coherence) के होने वाले नुकसान को डीकोहेरेंस कहा जाता है।
- एक अन्य संबंधित घटना "एंटैंगलमेंट का अचानक समाप्त होना" (entanglement sudden death) है, जिसमें एंटैंगलमेंट अचानक समाप्त हो जाता है। डीकोहेरेंस और एंटैंगलमेंट का नुकसान त्रुटियाँ उत्पन्न कर सकता है तथा क्वांटम गणनाओं की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता है।

RRI का नया दृष्टिकोण:

- परंपरागत रूप से, वैज्ञानिक डीकोहेरेंस में देरी करने के लिए बार-बार सुधारात्मक हस्तक्षेप और क्वांटम त्रुटि-सुधार तकनीकों का

उपयोग करते हैं। हालाँकि, बार-बार की जाने वाली क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों की आवश्यकता होती है और वे स्वयं भी त्रुटियाँ उत्पन्न कर सकती हैं।

- रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (RRI) की टीम ने प्रदर्शित किया कि एकल, सावधानीपूर्वक समयबद्ध क्रिया संभावित रूप से डीकोहेरेंस में देरी कर सकती है और एंटैंगलमेंट के अचानक समाप्त होने को रोक सकती है। इस प्रकार, समय स्वयं एक नया नियंत्रण पैरामीटर बन जाता है।
- शोधकर्ता इस बात पर जोर देते हैं कि यह अवधारणा का प्रमाण (proof of concept) है, न कि डीकोहेरेंस का पूर्ण समाधान या क्वांटम त्रुटि-सुधार का विकल्प। विभिन्न क्वांटम कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्मों पर आगे परीक्षण आवश्यक है।

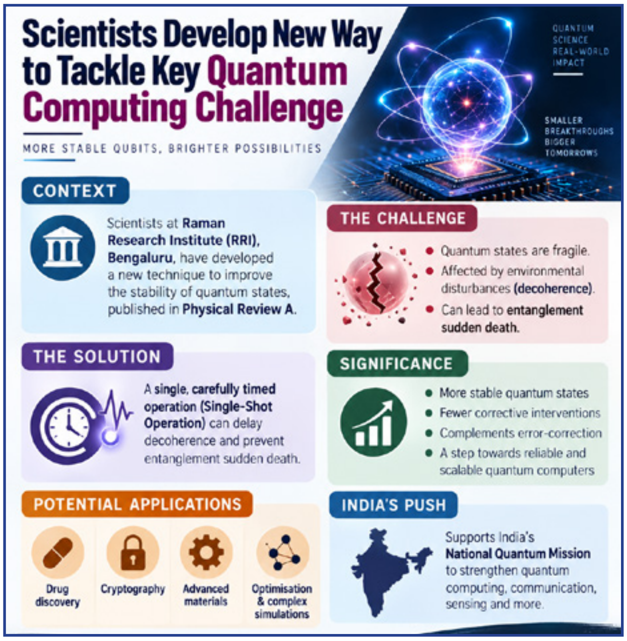

महत्व:

- यह दृष्टिकोण संभावित रूप से:
  - » बार-बार किए जाने वाले सुधारात्मक हस्तक्षेपों को कम कर सकता है।
  - » नाजुक क्वांटम अवस्थाओं पर नियंत्रण में सुधार कर सकता है। क्वांटम त्रुटि-सुधार विधियों का पूरक बन सकता है।
  - » अधिक विश्वसनीय और स्केलेबल क्वांटम प्रोसेसर के विकास में योगदान दे सकता है।

क्वांटम कंप्यूटिंग के अनुप्रयोग:

क्वांटम कंप्यूटिंग के संभावित अनुप्रयोगों में शामिल हैं:

- **क्रिप्टोग्राफी:** Shor's algorithm जैसे क्वांटम एल्गोरिदम मौजूदा एन्क्रिप्शन प्रणालियों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।
- **दवा खोज:** अणुओं और रासायनिक अभिक्रियाओं का अनुकरण।
- **सामग्री विज्ञान:** उन्नत सामग्रियों का विकास।
- **अनुकूलन:** लॉजिस्टिक्स, आपूर्ति श्रृंखला और यातायात प्रबंधन।
- **वैज्ञानिक अनुसंधान:** जटिल भौतिक और रासायनिक प्रणालियों का मॉडलिंग।

भारत और क्वांटम प्रौद्योगिकी:

- यह शोध भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (National Quantum Mission) के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जिसे क्वांटम कंप्यूटिंग, संचार, सेंसिंग, मेट्रोलॉजी, सामग्रियों और उपकरणों में क्षमताओं को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है।

निष्कर्ष:

रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (RRI) का यह शोध नाजुक क्वांटम अवस्थाओं के नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। एकल क्रिया के समय को एक अतिरिक्त नियंत्रण पैरामीटर के रूप में उपयोग करके, यह मौजूदा त्रुटि-सुधार विधियों का पूरक बन सकता है। हालाँकि, व्यावहारिक अनुप्रयोग स्थापित किए जाने से पहले विभिन्न क्वांटम-कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्मों पर व्यापक परीक्षण आवश्यक है।

6 आर्थिक मुद्दे

यूपीआई पर नया एमडीआर ढाँचाः डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की वित्तीय स्थिरता और समावेशन के बीच संतुलन

संदर्भः

हाल ही में राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने पर्सन तो मर्चेंट (P2M) यूपीआई लेन-देन के लिए नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) ढाँचा प्रस्तुत किया है। इसके तहत ₹2,000 से अधिक के पात्र व्यापारी लेन-देन पर 0.4% MDR लागू होगा, जबकि ₹75,000 या उससे अधिक के लेन-देन पर यह अधिकतम ₹300 प्रति लेन-देन तक सीमित रहेगा। यह व्यवस्था 15 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह शुल्क उपभोक्ता से नहीं, बल्कि भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में व्यापारी-पक्ष से संबंधित होगा।

- यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपीआई को अब तक मुख्यतः एक ऐसे डिजिटल भुगतान माध्यम के रूप में देखा जाता रहा है, जहाँ उपभोक्ता और व्यापारी दोनों के लिए लेन-देन लागत अत्यंत कम या शून्य रही है। अतः नया MDR मॉडल केवल शुल्क व्यवस्था में परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और समावेशिता के बीच संतुलन से जुड़ा व्यापक नीतिगत प्रश्न है।

यूपीआई की पृष्ठभूमि और बढ़ता महत्वः

- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (यूपीआई) को एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया और 2016 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य विभिन्न बैंक खातों, भुगतान एप्लिकेशन और वित्तीय संस्थानों के बीच त्वरित एवं इंटरऑपरेबल डिजिटल भुगतान को संभव बनाना था।
- यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान को केवल शहरी मध्यम वर्ग तक सीमित नहीं रखा, बल्कि क्यूआर कोड, मोबाइल फोन और बैंक खाते के माध्यम से छोटे दुकानदारों, स्ट्रीट वेंडर्स और ग्रामीण उपभोक्ताओं तक भी पहुँच बनाई। यह भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना मॉडल की प्रमुख उपलब्धियों में से एक बन गया है।
- एनपीसीआई के अनुसार, अगस्त 2026 में यूपीआई पर लगभग 24,508.96 मिलियन यानी 24.5 अरब लेन-देन हुए, जिनका कुल मूल्य लगभग ₹29.82 लाख करोड़ रहा। यह पैमाना दर्शाता है कि यूपीआई अब केवल भुगतान का साधन नहीं, बल्कि भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था की आधारभूत संरचना बन चुका है।

मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) क्या है?

- MDR वह शुल्क है जो किसी व्यापारी द्वारा डिजिटल भुगतान स्वीकार करने पर भुगतान प्रक्रिया से जुड़े प्रतिभागियों के बीच वितरित किया जाता है। इसमें बैंक, भुगतान सेवा प्रदाता और भुगतान एप्लिकेशन जैसे भागीदार शामिल हो सकते हैं।
- MDR सरकार या एनपीसीआई द्वारा कर के रूप में नहीं लिया जाता, बल्कि यह भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के प्रतिभागियों के बीच वितरित होता है। इसका उद्देश्य भुगतान नेटवर्क के संचालन, सुरक्षा, तकनीकी क्षमता और विस्तार को आर्थिक आधार प्रदान करना है।

नए MDR ढाँचे की प्रमुख विशेषताएँः

- नए प्रावधान के अनुसारः

» ₹2,000 तक के P2M यूपीआई भुगतान पर MDR नहीं लगेगा।

» ₹2,000 से अधिक के पात्र P2M लेन-देन पर 0.4% MDR लागू होगा।

» ₹75,000 और उससे अधिक के पात्र लेन-देन में MDR की अधिकतम सीमा ₹300 प्रति लेन-देन होगी।

» सभी पर्सन टू पर्सन (P2P) यूपीआई लेन-देन पूरी तरह निःशुल्क रहेंगे, चाहे राशि कितनी भी हो।

» पात्र छोटे व्यापारियों को भी सुरक्षा प्रदान की गई है। P2PM श्रेणी के अंतर्गत यूपीआई क्यूआर के माध्यम से प्रति माह ₹1 लाख तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारी, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स और मोहल्ले की छोटी दुकानों, को शून्य MDR का लाभ मिलता रहेगा।

▪ इससे स्पष्ट है कि नया मॉडल ब्लंकेट प्राइसिंग (blanket pricing) नहीं है, बल्कि लेन-देन के मूल्य और व्यापारी की श्रेणी के आधार पर विभेदित व्यवस्था है।

विशेष क्षेत्रों के लिए अलग MDR:

▪ सभी क्षेत्रों पर समान 0.4% MDR लागू नहीं किया गया है। रेलवे, दूरसंचार, बीमा, ईंधन तथा कृषि इनपुट जैसे आवश्यक एवं अपेक्षाकृत कम मार्जिन वाले क्षेत्रों में ₹2,000 से अधिक के लेन-देन पर ₹5 का फ्लैट MDR निर्धारित किया गया है।

▪ इसी प्रकार, म्यूचुअल फंड, प्रतिभूतियों, स्टॉकब्रोकर और डीलर से संबंधित पात्र पूंजी बाजार लेन-देन पर 0.02% MDR, अधिकतम ₹300 की सीमा के साथ लागू होगा।

▪ यह व्यवस्था इस बात को स्वीकार करती है कि अलग-अलग क्षेत्रों की लागत संरचना और लाभ-सीमा अलग होती है। इसलिए एक समान MDR सभी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता।

मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने का कारण:

▪ इस नीति के पीछे सबसे महत्वपूर्ण तर्क है, यूपीआई की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता। यूपीआई पर अरबों लेन-देन को संसाधित करने के लिए लगातार निवेश की आवश्यकता होती है। सर्वर क्षमता, नेटवर्क अपटाइम, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी की रोकथाम, तकनीकी उन्नयन, डेटा सुरक्षा और ग्राहक सहायता जैसी गतिविधियों पर लगातार खर्च होता है।

▪ पहले MDR को शून्य रखने का मॉडल मुख्यतः डिजिटल भुगतान के तीव्र विस्तार और व्यापक स्वीकार्यता को बढ़ावा देने पर केंद्रित था। 2020 से P2M यूपीआई पर MDR को शून्य किया गया था। डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए सरकार ने प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से भुगतान प्रतिभागियों को वित्तीय सहायता भी दी है।

▪ ऐसे में नया ढाँचा इस प्रश्न का समाधान खोजने का प्रयास है कि क्या दुनिया के सबसे बड़े रियल-टाइम डिजिटल भुगतान नेटवर्क को केवल सरकारी प्रोत्साहनों पर निर्भर रहकर लंबे समय तक चलाया जा सकता है? नया MDR मॉडल कुछ उच्च-मूल्य वाले व्यापारी लेन-देन से राजस्व प्राप्त कर इस अंतर को कम करने का प्रयास करता है।

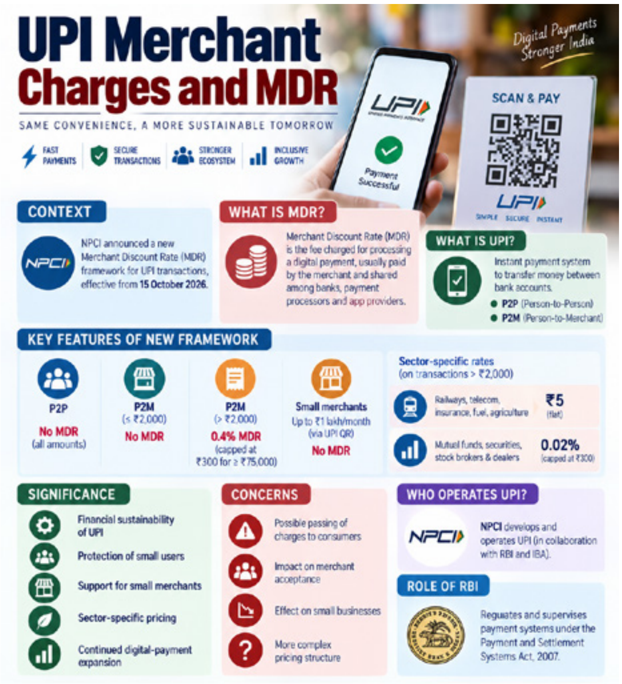

उपभोक्ताओं पर प्रभाव:

▪ उपभोक्ताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि MDR स्वयं उपभोक्ता शुल्क नहीं है।

▪ सरकार के अनुसार:

» P2P यूपीआई भुगतान निःशुल्क रहेंगे।

» ₹2,000 तक के व्यापारी भुगतान निःशुल्क रहेंगे।

» पात्र छोटे व्यापारियों के यूपीआई भुगतान पर भी शून्य MDR जारी रहेगा।

» लगभग 96% P2M लेन-देन नए MDR ढाँचे से अप्रभावित रहने का अनुमान है।

- इस प्रकार आम उपभोक्ता के दैनिक डिजिटल भुगतान व्यवहार में बड़ा बदलाव आने की संभावना सीमित है। यह व्यवस्था मुख्यतः बड़े या उच्च-मूल्य वाले व्यापारी लेन-देन पर केंद्रित है।

व्यापारियों पर प्रभाव:

- इस नीति का प्रत्यक्ष प्रभाव उन व्यापारियों पर पड़ेगा जिनका औसत यूपीआई लेन-देन मूल्य ₹2,000 से अधिक है। बड़े खुदरा विक्रेता, ई-कॉमर्स, आतिथ्य, उच्च-मूल्य सेवाएँ और अन्य संगठित व्यवसाय भुगतान-प्रसंस्करण की लागत में वृद्धि महसूस कर सकते हैं।
- हालाँकि, 0.4% MDR कई पारंपरिक कार्ड भुगतान व्यवस्थाओं की तुलना में प्रतिस्पर्धी बना रह सकता है। साथ ही ₹300 की अधिकतम सीमा बहुत बड़े लेन-देन पर प्रभाव को सीमित करती है।
- फिर भी एक संभावित चिंता यह है कि कुछ व्यापारी लागत को अप्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में शामिल करने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए नियामकीय निगरानी अत्यंत आवश्यक होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि MDR को ग्राहकों पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं डाला जाना चाहिए तथा यूपीआई एप्लिकेशन प्रदाताओं को अतिरिक्त छिपे हुए प्लेटफॉर्म शुल्क लगाने की अनुमति नहीं है।

प्रमुख चुनौतियाँ:

- **छोटे व्यापारियों की पहचान:** P2PM श्रेणी में पात्र छोटे व्यापारियों की सही पहचान और उनके लेन-देन की निगरानी महत्वपूर्ण होगी। गलत वर्गीकरण से छोटे व्यापारियों पर अनावश्यक लागत आ सकती है।
- **लागत का अप्रत्यक्ष हस्तांतरण:** यद्यपि MDR ग्राहक से सीधे नहीं लिया जाना है, फिर भी व्यापारी अन्य तरीकों से इसकी लागत उपभोक्ताओं तक पहुँचा सकते हैं। इसके लिए मजबूत निगरानी आवश्यक है।
- **डिजिटल समावेशन पर प्रभाव:** यूपीआई की सबसे बड़ी ताकत इसकी सरलता और कम लागत रही है। अत्यधिक शुल्क या जटिल वर्गीकरण भविष्य में छोटे व्यवसायों के डिजिटल भुगतान अपनाने को प्रभावित कर सकता है।
- **भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन:** बैंक, फिनटेक, भुगतान सेवा प्रदाता और ऐप प्रदाताओं के बीच MDR के वितरण की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे नवाचार और प्रतिस्पर्धा बनी रहे।
- **साइबर सुरक्षा:** राजस्व का एक हिस्सा केवल वाणिज्यिक लाभ तक सीमित न रहकर साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी का पता लगाना, सिस्टम लचीलापन और बुनियादी ढांचे की अधिकता में पुनर्निवेश किया जाना चाहिए।

आगे की राह:

- यूपीआई के लिए आगे की नीति को केवल MDR तय करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। भारत को एक संतुलित डिजिटल भुगतान मॉडल विकसित करना होगा।
- छोटे व्यापारियों के लिए सरल और पारदर्शी MDR वर्गीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- MDR से प्राप्त राजस्व का एक हिस्सा साइबर सुरक्षा और तकनीकी अवसंरचना में पुनर्निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नीति स्तर पर जोड़ा जा सकता है।
- RBI, एनपीसीआई और वित्तीय संस्थानों को शुल्क-संबंधी नियमों की स्पष्ट जानकारी उपभोक्ताओं और व्यापारियों तक पहुँचानी चाहिए।
- छोटे व्यापारियों के लिए डिजिटल भुगतान के साथ-साथ डिजिटल लेखांकन, औपचारिक ऋण, बीमा और डिजिटल क्रेडिट तक पहुँच को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- यूपीआई की खुली और इंटरऑपरेबल प्रकृति को बनाए रखना आवश्यक है ताकि शुल्क व्यवस्था प्रतिस्पर्धा को कमजोर न करे।

निष्कर्ष:

यूपीआई भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है। ऐसे में इसका आर्थिक रूप से टिकाऊ होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि इसका सस्ता, सुरक्षित और समावेशी रहना। 15 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाला नया MDR ढाँचा शून्य-शुल्क मॉडल का पूर्ण अंत नहीं, बल्कि उच्च-मूल्य वाले चयनित व्यापारी लेन-देन के लिए एक लक्षित मूल्य-निर्धारण व्यवस्था है। ₹2,000 तक के अधिकांश दैनिक व्यापारी भुगतान, P2P भुगतान और पात्र छोटे व्यापारियों के लेन-देन को संरक्षित रखना इस नीति के समावेशी चरित्र को बनाए रखता है। वास्तविक चुनौती यह सुनिश्चित करना होगा कि यूपीआई आर्थिक रूप से टिकाऊ भी बने और "कम लागत, व्यापक पहुँच तथा सार्वभौमिक उपयोगिता" की अपनी मूल भावना भी बनाए रखे।

राष्ट्रीय लेखा आँकड़े 2026: GDP में संशोधन और नया आधार वर्ष

संदर्भ:

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने 31 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2026 जारी की। इसमें संशोधित राष्ट्रीय आय और व्यापक आर्थिक संकेतकों से संबंधित 60 विवरण शामिल हैं। इसमें वित्त वर्ष 2022–23 और 2023–24 के अंतिम अनुमान, वित्त वर्ष 2024–25 के प्रथम संशोधित अनुमान तथा वित्त वर्ष 2025–26 के संशोधित संकेतक शामिल हैं।

राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी क्या है?

- राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी भारत की प्रमुख व्यापक आर्थिक गतिविधियों, जैसे सकल घरेलू उत्पाद (GDP), सकल मूल्य वर्धन (GVA), उपभोग, बचत और निवेश का आधिकारिक संकलन है।
- ये आँकड़े आर्थिक प्रदर्शन को मापने और आर्थिक नीतियाँ बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

GDP वृद्धि में संशोधन:

- नवीनतम प्रकाशन में GDP वृद्धि के कई आँकड़ों को संशोधित किया गया है:
  - **FY 2023–24:** वास्तविक GDP वृद्धि 7.2% से बढ़कर 7.3%, जबकि नाममात्र GDP वृद्धि 11.0% से 11.1% हुई।
  - **FY 2024–25:** वास्तविक GDP वृद्धि 7.1% से बढ़कर 7.2%, जबकि नाममात्र वृद्धि 9.7% से घटकर 9.4% हुई।
  - **FY 2025–26:** वास्तविक GDP वृद्धि 7.7% से बढ़कर 7.8%, जबकि नाममात्र वृद्धि 8.9% से घटकर 8.6% हुई।

GDP का नया आधार वर्ष:

- एक प्रमुख बदलाव के रूप में 2022–23 को नया आधार वर्ष अपनाया गया है, जिसने 2011–12 का स्थान लिया है।
- नई श्रृंखला 27 फरवरी 2026 को जारी की गई थी। आधार वर्ष को अपडेट करने से राष्ट्रीय लेखा आँकड़ों में उपभोग के बदलते पैटर्न, उत्पादन संरचना, उभरते उद्योगों और आधुनिक सेवा क्षेत्र को बेहतर ढंग से शामिल किया जा सकता है।

वास्तविक GDP और नाममात्र GDP:

- **वास्तविक GDP (Real GDP):** स्थिर कीमतों पर आर्थिक उत्पादन को मापता है और इसलिए वास्तविक उत्पादन वृद्धि का बेहतर आकलन करता है।
- **नाममात्र GDP (Nominal GDP):** वर्तमान कीमतों पर मापा जाता है और इसमें उत्पादन तथा कीमतों—दोनों में बदलाव शामिल होते हैं।
- GDP = GVA + उत्पादों पर शुद्ध कर
- GVA = उत्पादन – मध्यवर्ती उपभोग

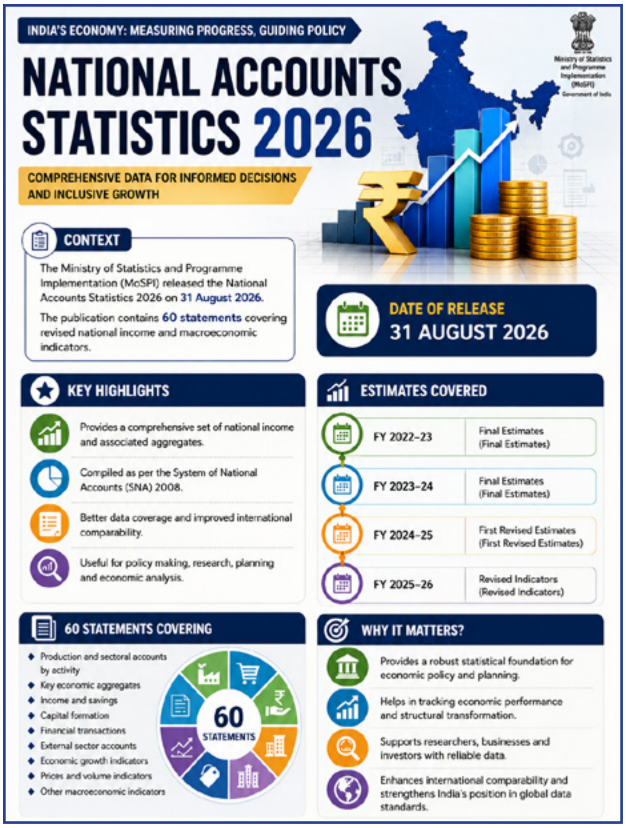

तिमाही GDP वृद्धि:

- वित्त वर्ष 2026–27 की पहली तिमाही (Q1) में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि 7.8%, जबकि नाममात्र GDP वृद्धि 10.3% रही।
- तिमाही अनुमान अल्पकालिक आर्थिक गति और उभरते रुझानों का आकलन करने में मदद करते हैं।

GDP अनुमानों में संशोधन क्यों होता है?

- GDP अनुमानों में संशोधन तब किया जाता है जब नई और अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध होती है। इसमें नए प्रशासनिक आँकड़े, बेहतर सर्वेक्षण, अद्यतन उत्पादन संबंधी जानकारी, संशोधित मूल्य सूचकांक और पद्धतिगत सुधार शामिल हो सकते हैं।

- इसलिए, GDP अनुमानों में संशोधन राष्ट्रीय आय लेखांकन की सामान्य प्रक्रिया है और इसका अर्थ यह नहीं है कि पहले के अनुमान गलत थे।

निष्कर्ष:

राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2026 सांख्यिकीय आधार को नियमित रूप से अपडेट करने, बेहतर आँकड़ों को शामिल करने और नई जानकारी के आधार पर अनुमानों को संशोधित करने के महत्व को रेखांकित करती है। एक मजबूत राष्ट्रीय लेखा प्रणाली सटीक आर्थिक आकलन और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण के लिए आवश्यक है।

चिपफ्लेशन: उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की बढ़ती कीमतें

संदर्भ:

हाल के समय में वर्ष 2026 में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतों में तेज़ वृद्धि देखी जा रही है। इसका एक प्रमुख कारण "चिपफ्लेशन" (Chipflation) है। यह मेमोरी चिप्स की कमी और उनकी बढ़ती लागत से जुड़ी स्थिति है, जो मुख्य रूप से वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के तेज़ विस्तार के कारण उत्पन्न हुई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आँकड़ों के अनुसार, जनवरी से जुलाई 2026 के बीच कई इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की कीमतों में 3–5% की वृद्धि हुई, जो वर्ष 2025 की तुलना में काफी अधिक है।

चिपफ्लेशन क्या है?

- चिपफ्लेशन उस स्थिति को कहा जाता है, जब मेमोरी चिप्स अधिक महँगी और आसानी से उपलब्ध न होने वाली हो जाती हैं। इससे सेमीकंडक्टर की लागत में ऐतिहासिक रूप से देखी जाने वाली गिरावट की प्रवृत्ति उलट जाती है।
- मेमोरी चिप्स स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए आवश्यक होती हैं।

चिपफ्लेशन क्यों हो रहा है?

- **AI और डेटा सेंटर का विस्तार:** जनरेटिव AI और डेटा सेंटरों के तेज़ी से विस्तार ने उन्नत चिप्स और उच्च-प्रदर्शन वाली मेमोरी की मांग में भारी वृद्धि की है।
- **अधिक लाभ वाले चिप्स को प्राथमिकता:** प्रमुख निर्माता AI अवसंरचना में इस्तेमाल होने वाले उन्नत चिप्स को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके कारण DRAM जैसी पारंपरिक मेमोरी के लिए उपलब्ध उत्पादन क्षमता कम हो रही है।
- **आपूर्ति का धीमा विस्तार:** नई सेमीकंडक्टर निर्माण क्षमता विकसित करने के लिए बहुत अधिक निवेश, तकनीकी विशेषज्ञता और कई वर्षों की आवश्यकता होती है। इसलिए बढ़ती मांग के अनुरूप आपूर्ति में तुरंत वृद्धि करना संभव नहीं होता।
- **भू-राजनीतिक और आपूर्ति-श्रृंखला संबंधी बाधाएँ:** निर्यात प्रतिबंध, भू-राजनीतिक तनाव और सेमीकंडक्टर की केंद्रित आपूर्ति-श्रृंखलाएँ चिप्स की उपलब्धता को और प्रभावित कर सकती हैं तथा उत्पादन लागत बढ़ा सकती हैं।

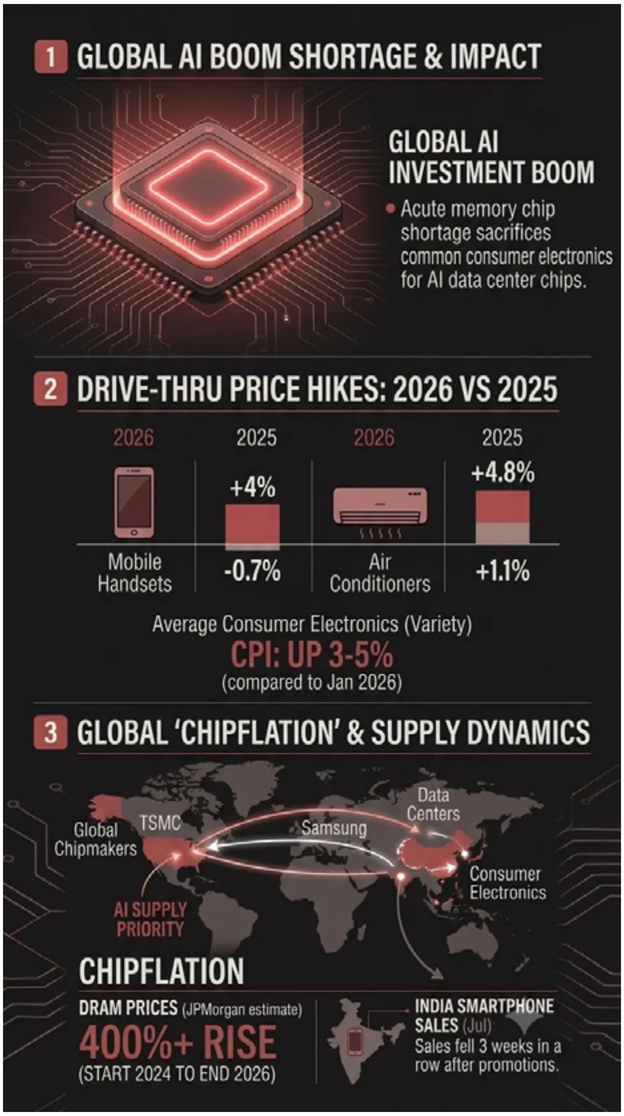

उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स पर प्रभाव:

- **स्मार्टफोन:** जनवरी–जुलाई 2026 के बीच कीमतों में लगभग 4% की वृद्धि।
- **एयर कंडीशनर:** इसी अवधि में कीमतों में 4.8% की वृद्धि।
- **टेलीविजन:** कीमतों में लगभग 3.5% की वृद्धि।
- इनपुट लागत बढ़ने से लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति (Cost-push Inflation) उत्पन्न हो सकती है और उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है।

मेमोरी चिप्स और सेमीकंडक्टर क्या हैं?

- सेमीकंडक्टर ऐसी सामग्री होती है जिसकी विद्युत चालकता को नियंत्रित किया जा सकता है। सिलिकॉन इसका सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला उदाहरण है।
- सेमीकंडक्टर चिप्स में ट्रांजिस्टर जैसे अत्यंत छोटे इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं, जो उपकरणों को सूचना के प्रसंस्करण, भंडारण और संचारण में सक्षम बनाते हैं।
- DRAM (Dynamic Random Access Memory) एक प्रकार की मेमोरी चिप है, जिसका व्यापक रूप से कंप्यूटर, स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग किया जाता है।

भारत के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है?

- भारत की बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था और आयातित इलेक्ट्रॉनिक घटकों पर निर्भरता को देखते हुए सेमीकंडक्टर आपूर्ति-श्रृंखला का लचीला और सुरक्षित होना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।
- चिपफ्लेशन का प्रभाव इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार, रक्षा और डिजिटल अवसंरचना जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पड़ सकता है।

भारत की प्रतिक्रिया:

- Semicon 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य:
  - » घरेलू सेमीकंडक्टर डिजाइन क्षमताओं का निर्माण करना।
  - » रणनीतिक महत्व वाली सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकियों का विकास करना।
  - » व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य स्वदेशी चिप्स और उनके उपयोग को बढ़ावा देना।

आगे की राह:

भारत को घरेलू सेमीकंडक्टर विनिर्माण और अनुसंधान एवं विकास (R&D) को मजबूत करने, कुशल मानव संसाधन विकसित करने, आयात स्रोतों में विविधता लाने, लचीली आपूर्ति-श्रृंखलाओं का निर्माण करने और अंतरराष्ट्रीय तकनीकी साझेदारियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

भारत को बाहरी निर्भरता कम करने और तकनीकी आत्मनिर्भरता एवं लचीलापन विकसित करने के लिए चिप डिजाइन, सेमीकंडक्टर विनिर्माण, आपूर्ति-श्रृंखला विविधीकरण और सेमीकंडक्टर अनुसंधान एवं विकास (R&D) को मजबूत करना होगा।

भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता

संदर्भ:

हाल ही में, यूनाइटेड किंगडम (UK) ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को अपने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) के तहत एक योग्य कार्बन-प्राइसिंग तंत्र के रूप में मान्यता दी है। इस कदम से भारतीय निर्यातों पर प्रभावी CBAM देयता कम हो सकती है, क्योंकि भारत में पहले से चुकाई गई कार्बन कीमत का समायोजन प्राप्त किया जा सकेगा।

कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS) क्या है?

- भारत की CCTS एक घरेलू कार्बन-बाज़ार व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना तथा कार्बन उत्सर्जन को आर्थिक मूल्य प्रदान करना है। इसे ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (Energy Conservation Act, 2001) में संशोधन के माध्यम से सक्षम किया गया और विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया।
- यह योजना मुख्य रूप से उत्सर्जन-तीव्रता (Emissions Intensity) के दृष्टिकोण पर आधारित है। जो संस्थाएँ निर्धारित उत्सर्जन-तीव्रता लक्ष्यों से बेहतर प्रदर्शन करती हैं, वे कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र अर्जित कर सकती हैं, जबकि निर्धारित लक्ष्यों को पूरा न करने वाली संस्थाओं को क्रेडिट खरीदने की आवश्यकता पड़ सकती है।

कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है?

- कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) कुछ कार्बन-गहन आयातित वस्तुओं पर कार्बन से संबंधित लागत लागू करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य कार्बन लीकेज (Carbon Leakage) को रोकना है।
- कार्बन लीकेज उस स्थिति को कहा जाता है जब उद्योग कमजोर

जलवायु नियमों वाले देशों में अपना उत्पादन स्थानांतरित कर देते हैं।

- UK की योजना 2027 से CBAM लागू करने की है। इसके दायरे में लौह एवं इस्पात, एल्युमीनियम, उर्वरक, सीमेंट, सिरेमिक, काँच और हाइड्रोजन जैसे कार्बन-गहन उत्पाद शामिल होंगे।

भारत के लिए महत्व:

- UK द्वारा भारत की CCTS को मान्यता देना भारतीय निर्यातकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पात्र भारतीय वस्तुओं के UK आयातक भारत की CCTS के तहत पहले से चुकाई गई योग्य कार्बन कीमत के अनुरूप कार्बन-प्राइस राहत का दावा कर सकते हैं।
- इससे:
  - भारतीय निर्यातों पर प्रभावी कार्बन लागत कम हो सकती है।
  - कार्बन-गहन भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हो सकता है।
  - दोहरी कार्बन कराधान (Double Carbon Taxation) को रोकने में मदद मिल सकती है।
  - भारत की उभरती हुई कार्बन-बाज़ार व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिल सकती है।
  - जलवायु नीति और कार्बन बाज़ारों के क्षेत्र में भारत-UK सहयोग मजबूत हो सकता है।
- हालाँकि, राहत की वास्तविक मात्रा इस बात पर निर्भर करेगी कि संबंधित वस्तुओं पर वास्तव में कितनी प्रभावी कार्बन कीमत वहन की गई है तथा UK की आवश्यकताओं के अनुसार प्रमाण और सत्यापन उपलब्ध कराया गया है या नहीं।

आगे की राह:

- भारत को CCTS तथा उसकी निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। साथ ही, औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन (कार्बन उत्सर्जन में कमी) को तेज करने और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- भारत को विश्वसनीय कार्बन-प्राइसिंग तंत्रों की आपसी के लिए भी प्रयास करना चाहिए, प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ रचनात्मक संवाद जारी रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जलवायु-संबंधी व्यापार उपाय WTO के सिद्धांतों के अनुरूप रहें।

निष्कर्ष:

UK द्वारा CCTS की मान्यता से भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा। भारत को इस अवसर का उपयोग विश्वसनीय व पारदर्शी कार्बन बाज़ार विकसित करने तथा जलवायु उपायों को व्यापार बाधा बनने से रोकने के लिए करना चाहिए।

समर्पित माल ढुलाई गलियारे: भारत की माल ढुलाई लॉजिस्टिक्स में बदलाव

संदर्भ:

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा (WDFC) के तीन महत्वपूर्ण खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया, जो 326 रूट किलोमीटर में फैले हैं और जिन्हें ₹20,700 करोड़ से अधिक की लागत से विकसित किया गया है।

समर्पित माल ढुलाई गलियारे क्या हैं?

- समर्पित माल ढुलाई गलियारे विशेषीकृत रेलवे मार्ग हैं, जिन्हें विशेष रूप से मालगाड़ियों के लिए डिजाइन किया गया है। वे भारी और लंबी मालगाड़ियों को अधिक गति से संचालित करने की अनुमति देते हैं, बिना यात्री सेवाओं के साथ रेलवे क्षमता के लिए प्रतिस्पर्धा किए।
- भारत के दो प्रमुख परिचालन गलियारे हैं:

विशेषता	पूर्वी DFC	पश्चिमी DFC
लंबाई	1,337 किमी	1,506 किमी

मार्ग	लुधियाना–सोननगर	दादरी– जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी
प्रमुख फोकस	कोयला और थोक माल ढुलाई	कंटेनर और EXIM कार्गो
प्रमुख क्षेत्र	उत्तरी और पूर्वी भारत	उत्तरी और पश्चिमी भारत
प्रमुख लाभ	कोयला परिवहन और औद्योगिक कनेक्टिविटी	बंदरगाह कनेक्टिविटी और कंटेनर परिवहन

- रेल मंत्रालय के अधीन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL) इन गलियारों के विकास और संचालन के लिए जिम्मेदार है। DFCCIL DFC कार्यक्रम को एक प्रमुख भारी-ढुलाई रेलवे बुनियादी ढाँचा पहल के रूप में वर्णित करता है, जो अंतर्देशीय क्षेत्रों को बंदरगाहों से जोड़ती है।

उद्घाटित WDFC के बारे में:

- नवनिर्मित WDFC खंड हैं:
  - न्यू सानंद (उत्तर)–न्यू मकरपुरा
  - न्यू उमरगांव–न्यू सफाले
  - न्यू सफाले–न्यू जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी
- जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (JNPA) के साथ सीधी कनेक्टिविटी तेज EXIM कार्गो परिवहन को सुगम बनाएगी, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करेगी और मुंबई के पारंपरिक रेलवे नेटवर्क में भीड़भाड़ कम करने में मदद करेगी।

पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा (WDFC) की प्रमुख विशेषताएँ:

- **डबल-स्टैक कंटेनर ट्रेनें:** पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा (WDFC) उच्च क्षमता वाली डबल-स्टैक कंटेनर ट्रेनों के संचालन का समर्थन करता है।
- **अधिक एक्सल लोड:** भारी मालगाड़ियों की आवाजाही को सक्षम बनाता है।
- **अधिक गति:** समर्पित ट्रैक तेज माल परिवहन की अनुमति देते हैं।
- **भीड़भाड़ में कमी:** माल यातायात को पारंपरिक यात्री मार्गों से अलग किया जाता है।
- **मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी:** रेलवे को बंदरगाहों, सड़कों और लॉजिस्टिक्स हब के साथ बेहतर एकीकरण।

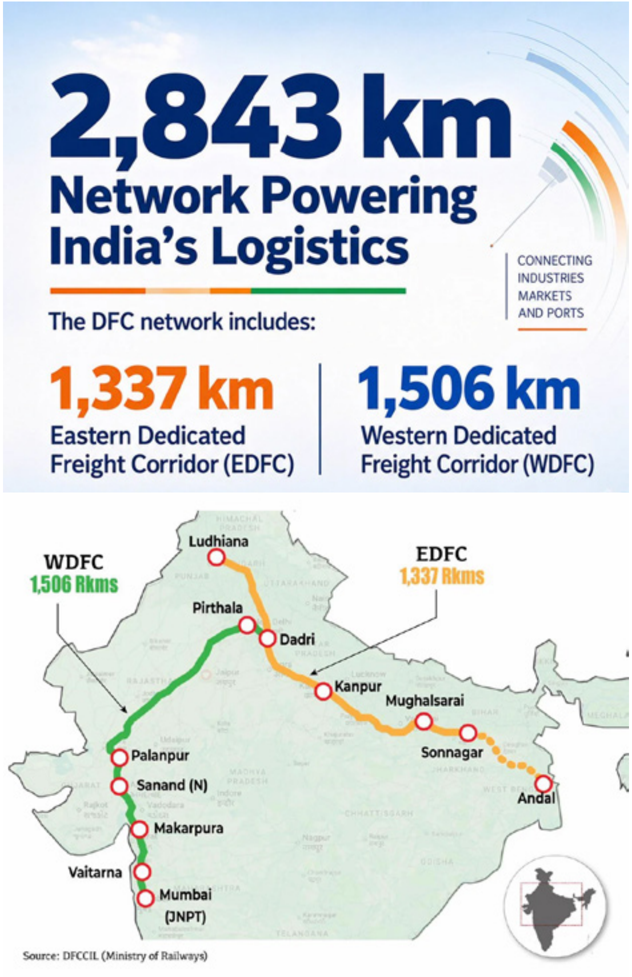

महत्व:

- **कम लॉजिस्टिक्स लागत:** तेज और अधिक विश्वसनीय रेल माल परिवहन परिवहन और इन्वेंटरी लागत को कम कर सकता है, जिससे भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा।
- **EXIM व्यापार को बढ़ावा:** पश्चिमी बंदरगाहों के साथ सीधी कनेक्टिविटी कंटेनरों और निर्यात-आयात कार्गो की सुगम आवाजाही को सक्षम बनाती है।
- **रेल नेटवर्क में भीड़भाड़ में कमी:** माल ढुलाई को समर्पित मार्गों पर स्थानांतरित करने से पारंपरिक रेलवे लाइनों पर यात्री और अतिरिक्त माल सेवाओं के लिए क्षमता मुक्त होती है।
- **औद्योगिक विकास:** उत्पादन केंद्रों, बाजारों और बंदरगाहों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी औद्योगिक गलियारों और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सकती है।
- **पर्यावरणीय लाभ:** माल ढुलाई के लिए रेलवे के अधिक उपयोग

से सड़क परिवहन, ईंधन खपत और परिवहन से संबंधित उत्सर्जन पर निर्भरता कम हो सकती है।

भारत का माल ढुलाई प्रदर्शन:

- भारतीय रेलवे की माल ढुलाई में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2014-15 में 1,098 मिलियन टन से बढ़कर 2025-26 में लगभग 1,670 मिलियन टन हो गई है। यह भारत के लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र में रेलवे के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।

अन्य सरकारी पहल:

- **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (2022):** लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण।
- **PM GatiShakti:** GIS-आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से मल्टीमॉडल बुनियादी ढाँचे की योजना।
- **यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP):** लॉजिस्टिक्स से संबंधित प्रणालियों का डिजिटल एकीकरण।
- **मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क:** एकीकृत भंडारण और परिवहन बुनियादी ढाँचा।
- **गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल:** माल ढुलाई टर्मिनलों का आधुनिकीकरण।
- **निजी वैगन निवेश योजनाएँ:** विशेषीकृत माल वैगनों को प्रोत्साहित करना।

चुनौतियाँ:

- सड़क-आधारित माल परिवहन पर उच्च निर्भरता।
- अंतिम-मील और प्रथम-मील कनेक्टिविटी में कमियाँ।
- विखंडित लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र।
- अपर्याप्त कोल्ड-चेन और भंडारण बुनियादी ढाँचा।
- भूमि अधिग्रहण और परियोजना क्रियान्वयन में देरी।
- रेल, सड़क, बंदरगाहों और जलमार्गों के बीच बेहतर एकीकरण की आवश्यकता।

आगे की राह:

- भारत को केवल रेलवे क्षमता का विस्तार करने के बजाय एंड-टू-एंड मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। DFCs को बंदरगाहों, MMLPs, औद्योगिक गलियारों, गोदामों और डिजिटल लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म के साथ अधिक एकीकृत करना आवश्यक है।
- केंद्रीय बजट 2026 में घोषित प्रस्तावित दनकुनी–सूरत ईस्ट-वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूर्व-पश्चिम माल कनेक्टिविटी को और मजबूत कर सकता है।

निष्कर्ष:

DFC नेटवर्क तेज, विशेषीकृत और कुशल माल रेलवे प्रणाली की ओर बदलाव का प्रतीक है। पारगमन समय, लॉजिस्टिक्स लागत और भीड़भाड़ को कम करते हुए तथा बंदरगाह कनेक्टिविटी में सुधार करते हुए, DFCs भारत के विनिर्माण, निर्यात और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत कर सकते हैं तथा वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी लॉजिस्टिक्स अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण को समर्थन दे सकते हैं।

भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025

संदर्भ:

हाल ही में, नीति आयोग ने WRI India के सहयोग से विकसित भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स (IEMI) 2025 जारी किया। यह अपनी तरह का पहला सूचकांक है, जो भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की प्रगति का मूल्यांकन करता है, जिसमें नीति कार्यान्वयन, EV अपनाने, चार्जिंग बुनियादी ढाँचे और नवाचार को शामिल किया गया है।

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स (IEMI) के बारे में:

- इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स (IEMI) एक समग्र सूचकांक है, जो 16 प्रदर्शन संकेतकों पर आधारित है और इन्हें तीन विषयगत क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है:
  - » परिवहन विद्युतीकरण प्रगति – 50%
  - » चार्जिंग बुनियादी ढाँचा तैयारी – 30%
  - » EV अनुसंधान और नवाचार स्थिति – 20%
- स्कोर त्रैमासिक आकलनों के परिणामों का उपयोग करके वार्षिक रूप से अपडेट किए जाते हैं, जिससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विकसित हो रहे ई-मोबिलिटी इकोसिस्टम की तुलना संभव होती है।

प्रमुख निष्कर्ष:

- समग्र स्कोर 10 से 84 के बीच रहे, जबकि औसत स्कोर 40 रहा।
- दिल्ली ने 84 के स्कोर के साथ सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया।
- महाराष्ट्र 78 के साथ दूसरे स्थान पर रहा।
- कर्नाटक 73 के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

- गोवा ने उल्लेखनीय सुधार करते हुए पाँचवाँ स्थान प्राप्त किया।
- मध्य प्रदेश 23वें स्थान से सुधार कर 7वें स्थान पर पहुँच गया।
- बड़े राज्यों में, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को अग्रणी के रूप में वर्गीकृत किया गया, जबकि छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, झारखंड, पंजाब और गुजरात को उभरते प्रदर्शनकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया।

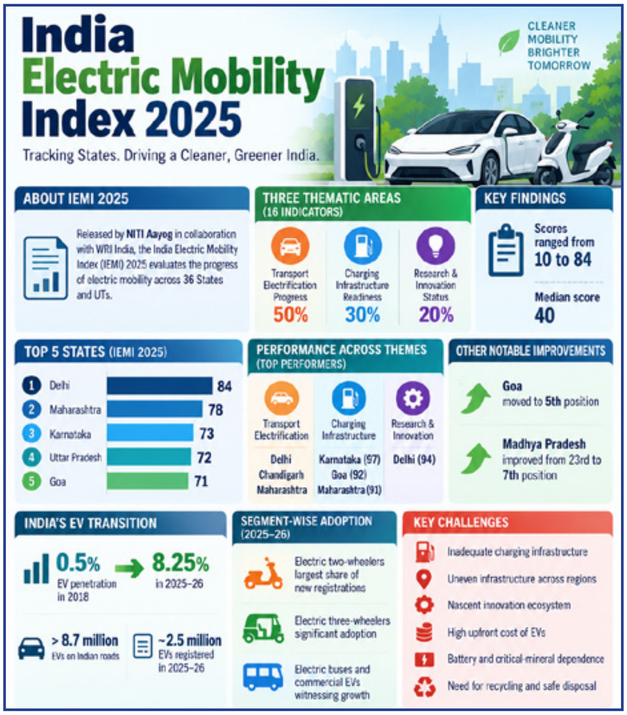

विषयगत क्षेत्रों में प्रदर्शन:

- **परिवहन विद्युतीकरण:** दिल्ली, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र शीर्ष प्रदर्शनकर्ता रहे, जो अधिक मजबूत EV अपनाने और उपभोक्ता मांग को दर्शाता है।
- **चार्जिंग बुनियादी ढाँचा:** कर्नाटक ने 97 के उच्चतम स्कोर के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जिसके बाद गोवा (92) और महाराष्ट्र (91) रहे। इस श्रेणी में चार्जर की उपलब्धता, सब्सिडी, बिजली की पहुँच और भवन संबंधी नियमों को ध्यान में रखा जाता है।
- **अनुसंधान और नवाचार:** दिल्ली ने 94 के स्कोर के साथ नेतृत्व किया, जो EV स्टार्टअप्स, R&D और पेटेंट में उसके प्रदर्शन को दर्शाता है।

भारत के EV संक्रमण की स्थिति:

- भारत में EV 2018 में 0.5% से बढ़कर 2025–26 में 8.25% हो गई। भारतीय सड़कों पर 8.7 मिलियन से अधिक EV वाहन मौजूद थे, जबकि 2025–26 के दौरान लगभग 2.5 मिलियन EV पंजीकृत किए गए।
- इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों ने नए पंजीकरण में सबसे बड़ी हिस्सेदारी बनाई, जबकि इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों में भी महत्वपूर्ण स्तर पर अपनाया जाना दर्ज किया गया। इलेक्ट्रिक बसों और वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहनों की तैनाती में भी वृद्धि हो रही है।

प्रमुख चुनौतियाँ:

- अपर्याप्त चार्जिंग बुनियादी ढाँचा
- क्षेत्रों के बीच असमान बुनियादी ढाँचा
- बिखरी हुई बस्तियाँ
- प्रारंभिक अवस्था में EV नवाचार इकोसिस्टम
- EV की उच्च प्रारंभिक लागत
- बैटरी और महत्वपूर्ण खनिजों पर निर्भरता
- रीसाइक्लिंग और सुरक्षित बैटरी निपटान की आवश्यकता

सरकारी पहल:

- महत्वपूर्ण उपायों में PLI-Auto, e-AMRIT, PM E-DRIVE और PM-eBus Sewa– भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना (Payment Security Mechanism Scheme) शामिल हैं।
- इन पहलों का उद्देश्य EV अपनाने, घरेलू विनिर्माण, चार्जिंग बुनियादी ढाँचे और इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना है।

आगे की राह:

- भारत को इंटरऑपरेबल और भौगोलिक रूप से वितरित चार्जिंग नेटवर्क विकसित करने, घरेलू बैटरी और घटक विनिर्माण को बढ़ावा देने, R&D को मजबूत करने, मजबूत बैटरी-रीसाइक्लिंग प्रणालियाँ स्थापित करने और पूर्वानुमेय दीर्घकालिक नीतिगत समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता है। सार्वजनिक परिवहन और वाणिज्यिक बेड़े के अधिक विद्युतीकरण से महत्वपूर्ण पर्यावरणीय लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं।

निष्कर्ष:

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स (IEMI) भारत के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी संक्रमण को ट्रैक करने के लिए एक उपयोगी राज्य-स्तरीय साक्ष्य-आधारित ढाँचा प्रदान करता है। हालांकि, भारत के व्यापक EV और जलवायु उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए केवल अधिक EV बिक्री ही नहीं,

बल्कि विश्वसनीय चार्जिंग बुनियादी ढाँचा, घरेलू विनिर्माण, तकनीकी नवाचार और टिकाऊ बैटरी इकोसिस्टम भी आवश्यक होंगे।

भारत–न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौता

संदर्भः

हाल ही में, भारत और न्यूज़ीलैंड ने अपने मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की पुष्टि की है, जो 20 अक्टूबर, 2026 से लागू होगा। इस समझौते का उद्देश्य अगले चार से पाँच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को लगभग 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹35,000 करोड़) तक दोगुना करना है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- **बाजार तक पहुँच और टैरिफ में कमी**
  - » न्यूज़ीलैंड भारतीय वस्तुओं को 100% शुल्क-मुक्त बाजार पहुँच प्रदान करेगा।
  - » भारत लगभग 70% टैरिफ लाइनों पर प्रतिबद्धताओं के माध्यम से न्यूज़ीलैंड के निर्यात के मूल्य के लगभग 95% हिस्से को शुल्क-मुक्त या कम शुल्क वाली बाजार पहुँच प्रदान करेगा।
  - » भारतीय कपड़ा, चमड़ा, जूते, रत्न एवं आभूषण तथा इंजीनियरिंग वस्तुओं जैसे क्षेत्रों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है।
- **संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा**
  - » भारत ने घरेलू स्तर पर कमजोर क्षेत्रों की सुरक्षा बनाए रखी है। डेयरी और संवेदनशील कृषि उत्पादों को टैरिफ रियायतों से बाहर रखा गया है।
  - » संरक्षित प्रमुख उत्पादों में चीनी, चावल, गेहूँ, प्याज, चना, मटर, बादाम, मसाले और खाद्य तेल शामिल हैं।
  - » यह भारत के उस दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें व्यापार उदारीकरण के साथ-साथ किसानों और घरेलू उत्पादकों की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया गया है।
- **निवेश प्रतिबद्धता**
  - » न्यूज़ीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। संभावित निवेश क्षेत्रों में कृषि प्रौद्योगिकी, कीवी फल की खेती, मधुमक्खी पालन, इंजीनियरिंग और विनिर्माण शामिल हैं।
  - » निवेश से भारतीय कंपनियों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (Global Value Chains) से जोड़ने और घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
- **सेवाएँ और पेशेवरों की आवाजाही**
  - » इस समझौते में 118 सेवा क्षेत्रों से संबंधित प्रतिबद्धताएँ शामिल हैं, जिनमें आईटी, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और निर्माण जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
  - » इसमें कुशल पेशेवरों, युवाओं की आवाजाही और पारंपरिक ज्ञान से जुड़े पेशेवरों के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। इसमें आयुष और पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं।

आर्थिक महत्त्व:

- भारतीय निर्यातकों के लिए बाजार तक पहुँच का विस्तार।
- MSMEs, हथकरघा कारीगरों और श्रम-प्रधान उद्योगों को समर्थन।
- निर्यात में विविधता को बढ़ावा।
- विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को प्रोत्साहन।
- भारत को विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने के अवसर।

रणनीतिक महत्त्व:

- यह FTA भारत के न्यूज़ीलैंड तथा व्यापक हिंद-प्रशांत/ओशिनिया क्षेत्र के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करता है। बढ़ते वैश्विक

टैरिफ और व्यापार बाधाओं के दौर में यह लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं और गहन आर्थिक कूटनीति को बढ़ावा देने में योगदान कर सकता है।

चुनौतियाँ:

- गैर-टैरिफ बाधाएँ और कड़े उत्पाद मानक वास्तविक निर्यात लाभ को सीमित कर सकते हैं।
- MSMEs को मूल नियम (Rules of Origin) और FTA प्रक्रियाओं के बारे में अधिक जागरूकता की आवश्यकता होगी।
- आयात में वृद्धि से कुछ घरेलू उद्योगों पर प्रतिस्पर्धात्मक दबाव बढ़ सकता है।
- 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता को प्रभावी ढंग से लागू करना आवश्यक होगा।

निष्कर्ष:

भारत–न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (FTA) व्यापार उदारीकरण के एक संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें संवेदनशील घरेलू क्षेत्रों के लिए सुरक्षा उपायों के साथ-साथ निर्यात के व्यापक अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। इसकी सफलता प्रभावी क्रियान्वयन, भारतीय निर्यातकों द्वारा समझौते के अधिकतम उपयोग तथा निवेश प्रतिबद्धताओं को उत्पादक आर्थिक गतिविधियों में बदलने पर निर्भर करेगी।

VRRR के माध्यम से RBI ने ₹71,971 करोड़ की तरलता अवशोषित की

संदर्भ:

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 22 सितंबर 2026 को एक दिवसीय परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (Variable Rate Reverse Repo—VRRR) नीलामी के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली से ₹71,971 करोड़ की तरलता अवशोषित की। इस कदम का उद्देश्य अतिरिक्त तरलता का प्रबंधन करना और अल्पकालिक मुद्रा बाजार दरों को मौद्रिक नीति के अनुरूप बनाए रखना है।

VRRR क्या है?

- परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (VRRR) एक नीलामी-आधारित तरलता-अवशोषण उपकरण है, जिसके माध्यम से बैंक अपनी अतिरिक्त धनराशि को RBI के पास अस्थायी रूप से जमा करते हैं। इसमें ब्याज दर बाजार द्वारा निर्धारित होती है।
    - » **रिवर्स रेपो:** बैंक RBI को धन उधार देते हैं।
    - » **VRRR:** ब्याज दर नीलामी के माध्यम से निर्धारित होती है।
    - » **उद्देश्य:** अतिरिक्त या अस्थायी तरलता को अवशोषित करना।
- यह भारित औसत कॉल दर (Weighted Average Call Rate-WACR) को नीति रेपो दर के अनुरूप बनाए रखने में मदद करता है। RBI अपनी तरलता प्रबंधन व्यवस्था के तहत VRRR नीलामी का उपयोग करता रहा है।

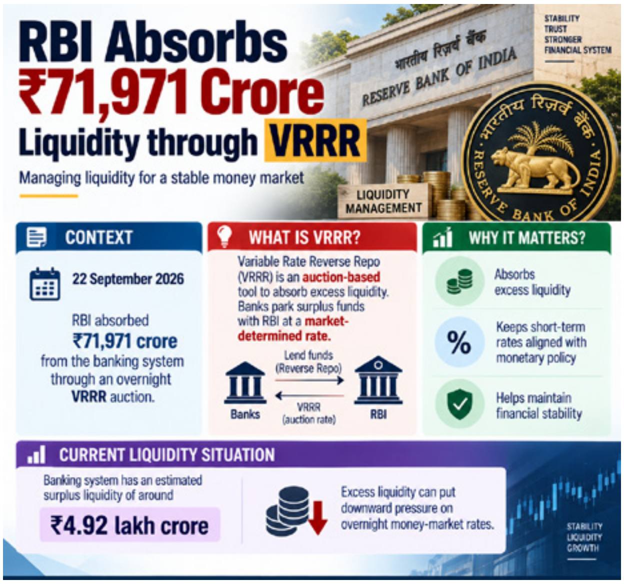

वर्तमान तरलता की स्थिति:

- वर्तमान में बैंकिंग प्रणाली में लगभग ₹4.92 लाख करोड़ की अतिरिक्त तरलता होने का अनुमान है। इतनी अधिक तरलता से रातोंरात मुद्रा बाजार की ब्याज दरों पर नीचे की ओर दबाव पड़ सकता है और वे RBI द्वारा निर्धारित वांछित परिचालन स्तर से नीचे जा सकती हैं।
- इसलिए RBI तरलता प्रबंधन उपकरणों का उपयोग करके वित्तीय परिस्थितियों में संतुलन और स्थिरता बनाए रखता है।

अतिरिक्त तरलता के कारण:

- वर्तमान अतिरिक्त तरलता के प्रमुख कारण हैं:
    - » **FCNR(B) जमाओं में भारी वृद्धि:** विदेशी मुद्रा अनिवासी (FCNR-B) जमाओं के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में अतिरिक्त विदेशी मुद्रा प्रवाह आया है।
    - » **RBI के साथ करेंसी स्वैप:** इस प्रकार के परिचालन से बैंकों के पास उपलब्ध रुपये की तरलता में बदलाव हो सकता है।

» **सरकारी व्यय:** महीने के अंत में वेतन, पेंशन और अन्य सरकारी भुगतानों पर होने वाला खर्च बैंकिंग प्रणाली में अतिरिक्त तरलता डालता है।

RBI तरलता को क्यों अवशोषित कर रहा है?

- **मुद्रास्फीति पर नियंत्रण:** अत्यधिक तरलता से ऋण और समग्र मांग में वृद्धि हो सकती है, जिससे मुद्रास्फीति संबंधी दबाव बढ़ सकता है।
- **मौद्रिक नीति का प्रभावी संचरण:** तरलता प्रबंधन से अल्पकालिक बाजार ब्याज दरों को नीति दर के अनुरूप बनाए रखने में मदद मिलती है।
- **वित्तीय स्थिरता:** यह अतिरिक्त धनराशि के अत्यधिक प्रवाह को रोकता है, जिससे बैंकों द्वारा सट्टात्मक या अधिक जोखिम वाले ऋण देने की प्रवृत्ति को नियंत्रित किया जा सकता है।
- **पूंजी प्रवाह का प्रबंधन:** बड़े पैमाने पर पूंजी या विदेशी मुद्रा प्रवाह से रुपये की तरलता बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में RBI को अतिरिक्त तरलता को निष्फल (Sterilise) करने की आवश्यकता पड़ सकती है।

कानूनी और संस्थागत ढाँचा:

- **भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934**
  - » **धारा 17:** RBI के बैंकिंग और मौद्रिक परिचालन, जिसमें तरलता प्रबंधन संबंधी गतिविधियाँ शामिल हैं, के लिए वैधानिक ढाँचा प्रदान करती है।
  - » **धारा 42(1):** RBI को अनुसूचित बैंकों के लिए नकद आरक्षित अनुपात (Cash Reserve Ratio-CRR) निर्धारित करने का अधिकार देती है।
  - » स्थायी जमा सुविधा (Standing Deposit Facility-SDF) को धारा 17 में संशोधन के माध्यम से सक्षम किया गया। सामान्य संपार्श्विक-आधारित रिवर्स रेपो परिचालन के विपरीत, SDF के माध्यम से RBI बिना किसी संपार्श्विक (Collateral) के तरलता अवशोषित कर सकता है।
- **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949**
  - » **धारा 24:** वैधानिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio-SLR) के लिए वैधानिक ढाँचा प्रदान करती है, जिसके तहत बैंकों को निर्धारित मात्रा में तरल परिसंपत्तियाँ बनाए रखना आवश्यक है।

तरलता अवशोषण के प्रमुख उपकरण:

उपकरण	प्रकृति	तंत्र
SDF	एक दिवसीय	बैंक बिना संपार्श्विक के अपनी अतिरिक्त धनराशि RBI के पास जमा करते हैं
VRRR	अल्पकालिक	नीलामी के माध्यम से तरलता का अवशोषण
OMO Sales	दीर्घकालिक/ स्थायी	RBI सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करता है
CRR	संरचनात्मक	बैंक RBI के पास नकद आरक्षित रखते हैं
MSS	संरचनात्मक	विशेष प्रतिभूतियों के माध्यम से अतिरिक्त तरलता को अवशोषित किया जाता है।

LAF कॉरिडोर के बारे में:

- **SDF:** कॉरिडोर की निचली सीमा (Floor)
- **रेपो दर:** केंद्रीय नीति दर
- **MSF:** कॉरिडोर की ऊपरी सीमा (Ceiling)
- RBI इस ढाँचे का उपयोग अल्पकालिक ब्याज दरों और बैंकिंग प्रणाली में तरलता की स्थिति को प्रभावित करने के लिए करता है।

भारत के लिए महत्व:

- मूल्य स्थिरता बनाए रखने में सहायता।
- मौद्रिक नीति के प्रभावी संचरण (Transmission) में सुधार।
- मुद्रा बाजार में व्यवस्थित एवं सुचारु संचालन सुनिश्चित करना।
- अत्यधिक अतिरिक्त तरलता को नियंत्रित करना।
- तरलता प्रबंधन और ऋण की उपलब्धता के बीच संतुलन बनाए रखना।

निष्कर्ष:

RBI का VRRR परिचालन नीति रेपो दर में बदलाव किए बिना प्रणालीगत तरलता को सूक्ष्म रूप से समायोजित (Fine-tune) करने का उदाहरण है। ऐसे उपकरण मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने, मौद्रिक नीति के प्रभावी संचरण और वित्तीय बाजारों के सुचारु संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं।

7 आंतरिक सुरक्षा

रक्षा: भारत की वैश्विक रक्षा कूटनीति के लिए 10-वर्षीय रोडमैप

संदर्भ:

हाल ही में, 3 सितंबर 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में 'रक्षा (RAKSHA)' रक्षा कूटनीति दस्तावेज जारी किया। यह दस्तावेज अगले 10 वर्षों के लिए भारत की वैश्विक रक्षा साझेदारियों, सुरक्षा सहयोग और रक्षा कूटनीति की रणनीतिक दिशा प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को अधिक सक्रिय अंतरराष्ट्रीय सहयोग से जोड़ते हुए भारत की भूमिका को क्षेत्रीय स्थिरता, समुद्री सुरक्षा तथा वैश्विक रक्षा सहयोग में मजबूत करना है। रक्षा (RAKSHA) के माध्यम से भारत ने रक्षा कूटनीति को केवल सैन्य अभ्यासों और रक्षा संबंधों तक सीमित रखने के बजाय उसे विदेश नीति, रक्षा उत्पादन, क्षमता निर्माण और समुद्री सुरक्षा के व्यापक ढाँचे से जोड़ने का प्रयास किया है।

रक्षा कूटनीति क्या है?

- रक्षा कूटनीति (Defence Diplomacy) से आशय रक्षा संस्थानों, सशस्त्र बलों, सैन्य प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यासों, रक्षा सहयोग, रणनीतिक संवाद और सैन्य क्षमताओं के माध्यम से विदेश नीति तथा राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों को आगे बढ़ाने से है।
- परंपरागत रूप से रक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य युद्ध की स्थिति में देश की सुरक्षा करना रहा है। लेकिन बदलती वैश्विक व्यवस्था में रक्षा क्षमता का उपयोग विश्वास निर्माण, सामरिक साझेदारी, संकट प्रबंधन, क्षमता निर्माण और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी किया जा रहा है।
- इसी व्यापक दृष्टिकोण को रक्षा दस्तावेज़ में संस्थागत रूप देने का प्रयास किया गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, रक्षा कूटनीति भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और नया दस्तावेज आगामी दशक के लिए एक स्पष्ट एवं क्रियान्वयन योग्य दृष्टि प्रस्तुत करता है।

रक्षा (RAKSHA) के चार प्रमुख स्तंभ:

- **रणनीतिक साझेदारियाँ**
  - » रक्षा (RAKSHA) का पहला स्तंभ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सुरक्षा सहयोग को गहरा करना है। वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में किसी एक शक्ति पर निर्भर रहने की अपेक्षा भारत विभिन्न देशों के साथ मुद्दा-आधारित और हित-आधारित साझेदारी विकसित कर रहा है।
  - » इसमें सैन्य संवाद, रणनीतिक वार्ता, संयुक्त अभ्यास, रक्षा औद्योगिक सहयोग तथा सुरक्षा संबंधों को दीर्घकालिक

आधार देना शामिल है।

- » भारत के लिए ऐसी साझेदारियाँ इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वर्तमान सुरक्षा वातावरण बहुस्तरीय हो गया है। पारंपरिक युद्ध के साथ साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, ड्रोन, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद तथा महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों से जुड़े जोखिम भी बढ़ रहे हैं।
- » इस संदर्भ में रक्षा कूटनीति भारत को विभिन्न देशों के साथ अनुभव, तकनीक और सुरक्षा सूचनाओं के आदान-प्रदान का अवसर प्रदान कर सकती है।

▪ **क्षमता निर्माण**

- » दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ क्षमता निर्माण (Capacity Building) है। इसके अंतर्गत मित्र देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण कार्यक्रम और सर्वोत्तम सैन्य प्रथाओं का आदान-प्रदान किया जाएगा।
- » क्षमता निर्माण को केवल सैन्य उपकरण उपलब्ध कराने के रूप में नहीं देखना चाहिए। इसमें सैन्य प्रशिक्षण, संस्थागत क्षमता, मानवीय सहायता एवं आपदा राहत, समुद्री निगरानी और पेशेवर सैन्य शिक्षा जैसे क्षेत्र भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
- » भारत के लिए इसका एक बड़ा लाभ यह है कि इससे मित्र देशों की सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के साथ-साथ भारत के साथ दीर्घकालिक संस्थागत संबंध भी विकसित हो सकते हैं।

▪ **स्वदेशी रक्षा निर्यात**

- » रक्षा (RAKSHA) का तीसरा स्तंभ स्वदेशी रक्षा निर्यात (Indigenous Defence Exports) है। इसका उद्देश्य मेक इन इंडिया के तहत विकसित रक्षा प्लेटफॉर्मों को वैश्विक बाजार में स्थापित करना तथा भारत को एक विश्वसनीय रक्षा विनिर्माण भागीदार के रूप में विकसित करना है।
- » यह पहल भारत की बदलती रक्षा अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन लगभग ₹1.78 लाख करोड़ तक पहुँच गया, जबकि रक्षा निर्यात रिकॉर्ड ₹38,424 करोड़ रहा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारतीय रक्षा उत्पाद 80 से अधिक देशों तक पहुँच रहे हैं।
- » इससे स्पष्ट होता है कि रक्षा निर्यात अब केवल आर्थिक गतिविधि नहीं है, बल्कि विदेश नीति का भी साधन बन सकता है। किसी देश के साथ रक्षा उपकरणों का संबंध केवल खरीद तक सीमित नहीं रहता; इसके साथ प्रशिक्षण, रखरखाव, तकनीकी सहायता, लॉजिस्टिक्स और दीर्घकालीन संस्थागत संपर्क विकसित हो सकते हैं।
- » इस प्रकार रक्षा (RAKSHA) रक्षा उत्पादन और विदेश नीति के बीच संबंध को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

▪ **समुद्री सुरक्षा**

- » रक्षा (RAKSHA) का चौथा स्तंभ समुद्री सुरक्षा (Maritime Security) है। इसमें हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर और फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में मजबूत करने पर बल दिया गया है।
- » भारत की भौगोलिक स्थिति उसे हिंद महासागर क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। भारत का समुद्री व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचार मार्ग और द्वीपीय पड़ोस समुद्री सुरक्षा से सीधे जुड़े हैं।
- » समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ना, मानव तस्करी, प्राकृतिक आपदाएँ, समुद्री प्रदूषण तथा महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा जैसी चुनौतियों के कारण हिंद महासागर में सहयोग का महत्व बढ़ा है।
- » फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका के माध्यम से भारत संकट की स्थिति में मानवीय सहायता, आपदा राहत तथा आवश्यक सुरक्षा सहयोग प्रदान करने की अपनी क्षमता को बढ़ा सकता है।

भारत के लिए रक्षा (RAKSHA) का महत्व:

- ▪ **विदेश नीति और रक्षा नीति में बेहतर समन्वय:** भारत की विदेश नीति अब सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, तकनीक और रणनीतिक हितों के परस्पर संबंधों को अधिक महत्व देती है। रक्षा (RAKSHA) रक्षा कूटनीति को विदेश नीति का संस्थागत हिस्सा बनाकर दोनों क्षेत्रों के बीच बेहतर समन्वय का आधार प्रदान कर सकता है।
- ▪ **सामरिक स्वायत्तता को मजबूत करना:** भारत लंबे समय से रणनीतिक स्वायत्तता की नीति पर जोर देता रहा है। रक्षा कूटनीति के माध्यम से अनेक देशों के साथ संबंध विकसित करने से भारत किसी एक स्रोत, बाजार या साझेदार पर अत्यधिक निर्भरता कम करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। हालाँकि, बहु-साझेदारी का

अर्थ किसी सैन्य गठबंधन में शामिल होना नहीं है। भारत के लिए चुनौती यह होगी कि वह सहयोग बढ़ाते हुए अपनी स्वतंत्र निर्णय क्षमता बनाए रखे।

- **आत्मनिर्भर भारत और रक्षा उद्योग:** भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता में वृद्धि ने निजी क्षेत्र, एमएसएमई और स्टार्ट-अप्स के लिए भी अवसर पैदा किए हैं। अप्रैल 2026 में रक्षा मंत्रालय ने बताया था कि वित्त वर्ष 2025-26 में रक्षा निर्यात ₹38,424 करोड़ तक पहुँच गया और इसमें सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों का योगदान रहा। रक्षा (RAKSHA) इस औद्योगिक क्षमता को अंतरराष्ट्रीय बाजार और रणनीतिक साझेदारियों से जोड़ सकता है।
- **हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका:** हिंद महासागर भारत की सुरक्षा और आर्थिक हितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। समुद्री सहयोग, संयुक्त अभ्यास, तटीय निगरानी और मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) गतिविधियों के माध्यम से भारत क्षेत्रीय देशों के साथ सुरक्षा संबंधों को मजबूत कर सकता है।

प्रमुख चुनौतियाँ:

- **तकनीकी प्रतिस्पर्धा:** वैश्विक रक्षा बाजार में अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजरायल और अन्य प्रमुख देश पहले से मजबूत स्थिति में हैं। भारतीय उत्पादों को गुणवत्ता, लागत, समय पर आपूर्ति और बिक्री के बाद की सेवाओं के आधार पर प्रतिस्पर्धा करनी होगी।
- **तकनीकी हस्तांतरण और बौद्धिक संपदा:** उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी में सहयोग करते समय राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यावसायिक हितों के बीच संतुलन आवश्यक होगा।
- **साझेदार देशों की अलग-अलग रणनीतिक प्राथमिकताएँ:** भारत को एक साथ पश्चिमी देशों, रूस, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ संबंधों को संतुलित करना होगा।
- **संस्थागत समन्वय:** रक्षा कूटनीति में रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सशस्त्र बलों, रक्षा उद्योग, DRDO और अन्य संस्थानों के बीच निरंतर समन्वय आवश्यक होगा।

आगे की राह:

- रक्षा (RAKSHA) को प्रभावी बनाने के लिए केवल उच्च स्तरीय रणनीतिक घोषणाएँ पर्याप्त नहीं होंगी। इसे ठोस कार्ययोजनाओं से जोड़ना आवश्यक है। भारत को रक्षा निर्यात के साथ-साथ रक्षा अनुसंधान एवं विकास, स्वदेशी डिजाइन, परीक्षण क्षमता और वैश्विक आफ्टर-सेल्स सपोर्ट पर भी ध्यान देना होगा।
- इसके साथ ही मित्र देशों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को अधिक संस्थागत बनाया जा सकता है। भारतीय सैन्य प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता का उपयोग करके विदेशी सैन्य अधिकारियों के लिए दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए जा सकते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डोमेन जागरूकता, मानवीय सहायता और आपदा राहत, समुद्री डकैती-रोधी सहयोग तथा खोज एवं बचाव क्षमताओं को और मजबूत किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

रक्षा (RAKSHA) भारत की रक्षा कूटनीति को अगले दशक के लिए एक व्यापक रणनीतिक दिशा देने वाला दस्तावेज है। इसका महत्व केवल सैन्य सहयोग तक सीमित नहीं है; यह रक्षा कूटनीति, रणनीतिक साझेदारी, आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन और समुद्री सुरक्षा को एक साझा ढाँचे में जोड़ता है। भारत के लिए वास्तविक चुनौती इस रोडमैप को घोषणात्मक दस्तावेज से आगे ले जाकर ठोस परिणामों में बदलने की होगी। यदि रणनीतिक साझेदारियों को विश्वसनीय रक्षा उत्पादन, तकनीकी नवाचार, क्षमता निर्माण और समुद्री सहयोग से प्रभावी रूप से जोड़ा जाता है, तो रक्षा कूटनीति भारत की व्यापक विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का अधिक प्रभावी साधन बन सकती है। इस दृष्टि से RAKSHA को केवल 10-वर्षीय रक्षा योजना के रूप में नहीं, बल्कि भारत की उभरती वैश्विक भूमिका में सुरक्षा, कूटनीति और रक्षा अर्थव्यवस्था के एकीकरण के प्रयास के रूप में समझना अधिक उपयुक्त होगा।

1.10 लाख करोड़ रुपये की रक्षा खरीद को भारत की मंजूरी

संदर्भ:

हाल ही में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए लगभग 1.10 लाख करोड़ रुपये के रक्षा अधिग्रहण प्रस्तावों को आवश्यकता की स्वीकृति (AoN),अर्थात सैद्धांतिक प्रशासनिक मंजूरी, प्रदान की। स्वीकृत खरीद का लगभग 98% भारतीय उद्योग से किया जाएगा, जिससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।

रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC):

- रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत प्रमुख रक्षा खरीद और पूंजीगत अधिग्रहण से संबंधित मामलों में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। इसका गठन 2001 में कारगिल युद्ध के बाद "राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार" संबंधी मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के बाद किया गया था।
- इसकी अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री करते हैं और यह थलसेना, नौसेना, वायुसेना तथा भारतीय तटरक्षक बल सहित सशस्त्र बलों की खरीद आवश्यकताओं को देखती है।

प्रमुख उद्देश्य एवं कार्य:

- DAC का उद्देश्य सैन्य उपकरणों की समयबद्ध खरीद सुनिश्चित करना, परिचालन आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों के बीच संतुलन बनाना तथा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना है।
- इसके प्रमुख कार्यों में शामिल हैं:
  - **आवश्यकता की स्वीकृति (AoN):** प्रमुख खरीद प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से पहले अनिवार्य सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान करना।
  - **खरीद का मार्ग:** रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) के अंतर्गत भारतीय-स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित खरीद (Buy Indian-IDDM), खरीद एवं निर्माण (Buy & Make) तथा निर्माण (Make) जैसी श्रेणियाँ निर्धारित करना।
  - **दीर्घकालिक योजना:** दीर्घकालिक सैन्य क्षमता-विकास योजनाओं के लिए मंजूरी और दिशा प्रदान करना।
  - **नीति निर्माण:** पारदर्शिता, दक्षता और स्वदेशीकरण में सुधार के लिए खरीद प्रक्रियाओं में बदलाव की सिफारिश करना।

प्रमुख रक्षा अधिग्रहण:

- **भारतीय थलसेना:** स्वीकृतियों में रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल एवं परमाणु (CBRN) टोही वाहन, उच्च गतिशीलता वाहन, स्वचालित यांत्रिक बारूदी सुरंग बिछाने वाले वाहन, उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक तथा सर्वत्र पुल प्रणाली शामिल हैं। ये गतिशीलता, रसद, रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल एवं परमाणु तैयारी और युद्धक्षेत्र में संचालन क्षमता को बेहतर बनाएँगे।
- **भारतीय नौसेना:** नौसेना के लिए अरुध्र रडार तथा समुद्री गैस टर्बाइनों के डिजाइन, विकास और बाद में खरीद को मंजूरी दी गई है। स्वदेशी समुद्री गैस टर्बाइन महत्वपूर्ण युद्धपोत प्रणोदन के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम कर सकते हैं।
- **भारतीय वायुसेना:** स्वीकृतियों में लड़ाकू विमान, परिवहन विमान और हेलीकॉप्टरों से संबंधित क्षमताएँ, साथ ही भूमि-आधारित बहुउद्देशीय जैमर (GBMPJ) और रक्षा बल सुरक्षित अभिगम कार्ड (DEFSAC) प्रणाली शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्व:

- लगभग 98% भारतीय स्रोतों से खरीद इस निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इससे:
  - विदेशी रक्षा आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम होगी।
  - घरेलू रक्षा विनिर्माण को मजबूती मिलेगी।
  - स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास तथा महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा मिलेगा।
  - रोजगार सृजन और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को मजबूती मिलेगी।

  - » भारत की रणनीतिक स्वायत्तता बढ़ेगी।
  - » भविष्य के रक्षा निर्यात को समर्थन मिलेगा।
- भारत का रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025–26 में रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया, जबकि रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ रुपये रहा, जो देश के बढ़ते घरेलू रक्षा तंत्र को दर्शाता है।

निष्कर्ष:

1.10 लाख करोड़ रुपये की स्वीकृतियाँ केवल सैन्य आधुनिकीकरण तक सीमित नहीं हैं। 98% घरेलू खरीद के साथ ये भारत के परिचालन तैयारियों और रणनीतिक आत्मनिर्भरता के दोहरे उद्देश्यों को आगे बढ़ाती हैं। स्वदेशी डिजाइन, अनुसंधान एवं विकास तथा महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में निरंतर निवेश भारत को एक बड़े रक्षा आयातक से वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी रक्षा प्रौद्योगिकी एवं विनिर्माण शक्ति में बदलने के लिए आवश्यक होगा।

ORV सागर मंथन

संदर्भ:

हाल ही में, कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र (NCPOR) के लिए भारत का उन्नत स्वदेशी महासागर अनुसंधान पोत ORV सागर मंथन लॉन्च किया। ₹840 करोड़ की लागत वाले इस पोत को 2028 की शुरुआत तक कमीशन किए जाने की उम्मीद है।

ORV सागर मंथन के बारे में:

- सागर मंथन भारत का पहला उन्नत महासागर अनुसंधान पोत है, जिसे GRSE द्वारा बनाया गया है और यह 43 वर्ष पुराने ORV सागर कन्या का स्थान लेगा। इसकी लंबाई 89.5 मीटर, चौड़ाई 18.8 मीटर है, इसका सकल टन भार लगभग 5,900 टन है और यह 14 नॉट की गति से संचालन कर सकता है।
- कठिन समुद्री परिस्थितियों में संचालन के लिए डिजाइन किया गया यह पोत हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, दक्षिणी महासागर और अंटार्कटिका के आसपास के जल क्षेत्रों में अनुसंधान करेगा। इसकी अपेक्षित सेवा अवधि लगभग 30 वर्ष है।

प्रमुख क्षमताएँ:

- यह पोत निम्नलिखित सुविधाओं से सुसज्जित है:
  - » 6 किमी गहराई तक स्वाथ मल्टीबीम और भू-भौतिकीय भूकंपीय सर्वेक्षण।
  - » सब-बॉटम प्रोफाइलर और समुद्र विज्ञान संबंधी उपकरण।
  - » CTD प्रोफाइलिंग, जल और जैविक नमूनों का संग्रह।
  - » सीबेड कोरर, ग्रैब और रॉक-ड्रेजिंग सिस्टम।
  - » उन्नत डॉप्लर मौसम रडार और वायुमंडलीय अवलोकन प्रणालियाँ।
  - » AUVs और ROVs को तैनात करने और वापस लाने की सुविधाएँ।
  - » मूरिंग्स, डेटा बॉय और ऑनबोर्ड डेटा-प्रोसेसिंग सुविधाएँ।
- यह पोत समुद्री खनिजों, जलवायु परिवर्तन, सुनामी, महासागर की गतिशीलता और जैव विविधता से संबंधित अनुसंधान में सहायता करेगा।

डीप ओशन मिशन से संबंध:

- डीप ओशन मिशन का उद्देश्य गहरे समुद्र के संसाधनों के सतत अन्वेषण के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास करना है। सागर मंथन इसके डीप ओशन सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन घटक को काफी मजबूत करेगा।

डीप ओशन मिशन (DOM) के बारे में:

- भारत का डीप ओशन मिशन, MoES द्वारा 2021 में लगभग ₹4,077 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। यह गहरे समुद्र के अन्वेषण और ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करने के उद्देश्य से

एक व्यापक पहल है।

- इसके प्रमुख घटकों में शामिल हैं:
  - **समुद्रयान:** MATSYA 6000 का विकास, एक स्वदेशी मानवयुक्त पनडुब्बी जिसे तीन एक्वानॉट्स को 6,000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है।
  - **गहरे समुद्र में खनन:** मध्य भारतीय महासागर बेसिन में निकेल, कोबाल्ट, मैंगनीज और तांबा युक्त पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स के अन्वेषण के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास।
  - **महासागर जलवायु परामर्श:** उन्नत महासागर-जलवायु पूर्वानुमान और परामर्श सेवाओं का विकास।
  - **ऊर्जा और मीठा पानी:** ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन और अपतटीय विलवणीकरण पर अनुसंधान।
  - **समुद्री जीव विज्ञान:** जैव-प्रौद्योगिकी और संरक्षण के लिए ओशन बायोलॉजी हेतु उन्नत समुद्री स्टेशन की स्थापना।
- सागर मंथन एक उन्नत स्वदेशी अनुसंधान मंच उपलब्ध कराकर DOM के डीप ओशन सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन वर्टिकल को मजबूत करता है।

रणनीतिक महत्व:

- **आत्मनिर्भर भारत:** आयातित अनुसंधान पोतों पर निर्भरता कम करता है।
- **ब्लू इकोनॉमी:** समुद्री संसाधनों, नौवहन, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और महासागर-आधारित उद्योगों को समर्थन देता है।
- **जलवायु एवं आपदा प्रबंधन:** महासागर-वायुमंडल अंतःक्रियाओं, चक्रवातों और सुनामी की बेहतर समझ विकसित करने में सहायता करता है।
- **महत्वपूर्ण खनिज:** रणनीतिक गहरे समुद्री खनिज संसाधनों के अन्वेषण को सक्षम बनाता है।
- **समुद्री क्षमता:** हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की वैज्ञानिक और रणनीतिक उपस्थिति को बढ़ाता है।

निष्कर्ष:

ORV सागर मंथन भारत के लिए महासागर अनुसंधान प्लेटफॉर्म आयात करने से लेकर उन्हें घरेलू स्तर पर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीप ओशन मिशन के साथ एकीकृत होकर यह भारत की वैज्ञानिक क्षमताओं, संसाधन सुरक्षा, जलवायु लचीलापन और दीर्घकालिक ब्लू इकोनॉमी की महत्वाकांक्षाओं को मजबूत कर सकता है।

अभ्यास समुद्र लक्ष्मण 2026: भारत-मलेशिया नौसेना अभ्यास

संदर्भ:

हाल ही में, INS मैसूर ने 9–12 सितंबर, 2026 तक मलेशिया के लुमुट में रॉयल मलेशियाई नौसेना के साथ अभ्यास समुद्र लक्ष्मण के चौथे संस्करण में भाग लिया। इस अभ्यास का उद्देश्य भारत और मलेशिया के बीच नौसैनिक सहयोग, अंतर-संचालन क्षमता और परिचालन समन्वय को बढ़ाना था।

समुद्र लक्ष्मण अभ्यास क्या है?

- समुद्र लक्ष्मण भारतीय नौसेना और रॉयल मलेशियाई नौसेना के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। इसमें दोनों देशों के नौसैनिक कर्मी, विशेषीकृत जहाज और समुद्री परिसंपत्तियाँ शामिल होती हैं। यह अभ्यास पेशेवर सहयोग को मजबूत करता है और दोनों नौसेनाओं की समन्वित समुद्री अभियान संचालित करने की क्षमता को बढ़ाता है।

अभ्यास के चरण:

- यह अभ्यास दो चरणों में आयोजित किया जाता है:

» **बंदरगाह चरण (Harbour Phase):** इसमें पेशेवर बातचीत, एक-दूसरे के जहाजों का दौरा, विषय-वस्तु से संबंधित आदान-प्रदान तथा परिचालन अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना शामिल है।

» **परिचालन समुद्री चरण (Operational Sea Phase):** इसमें संचार, अंतर-संचालन क्षमता और परिचालन समन्वय को बढ़ाने के लिए सामरिक युद्धाभ्यास, समन्वित ड्रिल और समुद्री अभ्यास शामिल होते हैं।

महत्व:

- यह अभ्यास भारत-मलेशिया समुद्री सहयोग की बढ़ती गहराई को दर्शाता है। यह विशेष रूप से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आपसी विश्वास, परिचालन तैयारियों और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को मजबूत करता है।

भारत-मलेशिया रक्षा सहयोग के बारे में:

- भारत और मलेशिया उन्नत रणनीतिक साझेदारी (Enhanced Strategic Partnership) के तहत रक्षा साझेदारी साझा करते हैं। मलेशिया-भारत रक्षा सहयोग बैठक (MIDCOM) और सैन्य सहयोग पर उप-समिति (SCMC) जैसे संस्थागत तंत्र द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को समर्थन प्रदान करते हैं।

रक्षा सहयोग के प्रमुख स्तंभ:

- प्रमुख क्षेत्रों में संस्थागत संवाद, सैन्य अभ्यास, रक्षा प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, समुद्री क्षेत्र जागरूकता (Maritime Domain Awareness - MDA) और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (Humanitarian Assistance and Disaster Relief - HADR) शामिल हैं। हरिमाउ शक्ति और समुद्र लक्ष्मण जैसे अभ्यास अंतर-संचालन क्षमता को मजबूत करते हैं।

भारत के लिए मलेशिया का रणनीतिक महत्व:

- मलेशिया की स्थिति मलक्का जलडमरूमध्य, जो एक महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार मार्ग है, के निकट होने के कारण इसे प्रमुख रणनीतिक महत्व प्रदान करती है। मजबूत संबंध भारत की एक्ट ईस्ट नीति, आसियान के साथ जुड़ाव और हिंद-प्रशांत रणनीति का समर्थन करते हैं।

निष्कर्ष:

अभ्यास समुद्र लक्ष्मण मलेशिया के साथ भारत की समुद्री साझेदारी को मजबूत करता है और क्षेत्रीय स्थिरता, रक्षा तैयारियों तथा एक स्वतंत्र, खुले और सुरक्षित हिंद-प्रशांत में योगदान देता है।

PRAHAAR रणनीति और नया प्रत्यर्पण पोर्टल

संदर्भ:

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्री ने 28 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में प्रहार (PRAHAAR) – राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति और रणनीति (National Counter-Terrorism Policy and Strategy) सम्मेलन का उद्घाटन किया और नया प्रत्यर्पण पोर्टल (Extradition Portal) लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में बेहतर समन्वय स्थापित करना और प्रक्रिया को तेज करना है। सम्मेलन में PRAHAAR को मजबूत करने तथा इसे पुलिस थाना स्तर तक प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया गया।

आतंकवाद क्या है?

- आतंकवाद का व्यापक अर्थ भय पैदा करने और राजनीतिक, वैचारिक या अन्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित रूप से हिंसा या हिंसा की धमकी तथा डराने-धमकाने का उपयोग करना है।
- भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 113 के तहत आतंकवादी कृत्य में ऐसे कार्य शामिल हैं, जिनका उद्देश्य भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को खतरा पहुँचाना या विस्फोटक, आग्नेयास्त्र, खतरनाक पदार्थों या अन्य साधनों के माध्यम से लोगों में आतंक पैदा करना है।
- **आतंकवाद और उग्रवाद (Insurgency) में अंतर:** उग्रवाद में सामान्यतः राज्य की सत्ता को चुनौती देने का एक संगठित प्रयास शामिल होता है, जिसमें अक्सर क्षेत्रीय या राजनीतिक उद्देश्य होते हैं। इसके विपरीत, आतंकवाद में मुख्य रूप से हिंसा और भय को दबाव या मजबूरी पैदा करने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

PRAHAAR: भारत का आतंकवाद-रोधी ढाँचा

- भारत की राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति एवं रणनीति (PRAHAAR) को गृह मंत्रालय द्वारा फरवरी 2026 में जारी किया गया था। यह रणनीति संपूर्ण सरकार (Whole-of-Government) और संपूर्ण समाज (Whole-of-Society) के दृष्टिकोण को अपनाती है तथा एक सक्रिय और खुफिया-आधारित ढाँचा प्रदान करती है।

- **PRAHAAR के सात स्तंभ:**
  - » **रोकथाम (Prevention)** – आतंकवादी हमलों को रोकना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
  - » **प्रतिक्रिया (Response)** – आतंकवादी घटनाओं के प्रति त्वरित और उचित कार्रवाई सुनिश्चित करना।
  - » **आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण (Aggregating Internal Capacities)** – विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत करना।
  - » **मानवाधिकार और कानून का शासन (Human Rights & Rule of Law)** – कानून के अनुरूप आतंकवाद-रोधी कार्रवाई सुनिश्चित करना।
  - » **अनुकूल परिस्थितियों को कम करना (Attenuating Conditions)** – कट्टरपंथीकरण तथा आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को संबोधित करना।
  - » **अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के साथ समन्वय (Aligning International Efforts)** – वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को मजबूत करना।
  - » **पुनर्प्राप्ति और लचीलापन (Recovery & Resilience)** – संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण के माध्यम से समाज की आतंकवाद से निपटने और उससे उबरने की क्षमता को मजबूत करना।

नया प्रत्यर्पण पोर्टल:

- नए प्रत्यर्पण पोर्टल का उद्देश्य विदेशी देशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने की प्रक्रिया में समन्वय बेहतर करना और प्रक्रिया को तेज करना है।
- सरकार ने राज्य पुलिस बलों से केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने के लिए समर्पित टीमें गठित करने का भी आह्वान किया है।
- सरकार द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया।

संस्थागत एवं कानूनी ढाँचा:

- भारत के आतंकवाद-रोधी ढाँचे में कई प्रमुख संस्थाएँ और एजेंसियाँ शामिल हैं, जैसे:
  - » राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA)
  - » मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC)
  - » राज्य पुलिस/आतंकवाद-रोधी दस्ता (ATS)
  - » गृह मंत्रालय का आतंकवाद-रोध एवं कट्टरपंथ-रोध प्रभाग
  - » आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने वाली विभिन्न व्यवस्थाएँ
- आतंकवाद से निपटने के लिए प्रमुख कानूनों में गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), NIA अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) शामिल हैं।

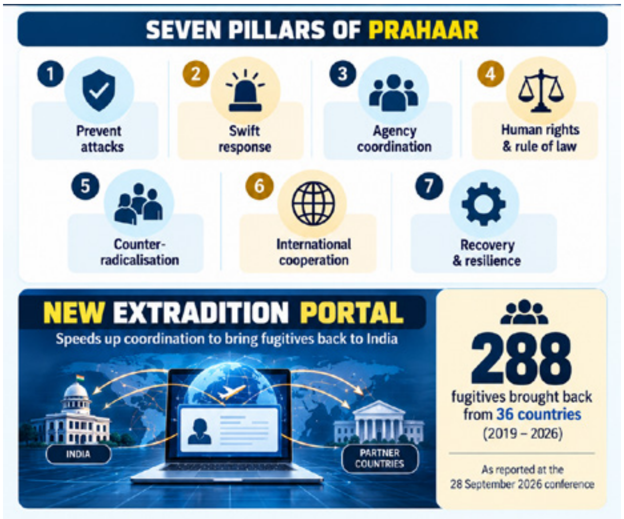

उभरती चुनौतियाँ:

- भारत को सीमा-पार आतंकवाद, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए कट्टरपंथ को बढ़ावा, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन, डार्क-वेब की गतिविधियों, क्रिप्टोकरेंसी के ज़रिए आतंकवाद के लिए फंडिंग और CBRN (केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर) खतरों का सामना करना पड़ रहा है।
- गृह मंत्रालय की रणनीति में प्रौद्योगिकी के उपयोग, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और राज्यों की आतंकवाद-रोधी इकाइयों की क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है।

आगे की राह:

PRAHAAR को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, वास्तविक समय में खुफिया जानकारी साझा करना, राज्य ATS की क्षमताओं को मजबूत करना, आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकना, अंतरराष्ट्रीय कानूनी सहयोग और तकनीक-आधारित जाँच को मजबूत करना आवश्यक है। साथ ही, आतंकवाद-रोधी कार्रवाई के दौरान मानवाधिकारों और उचित कानूनी प्रक्रिया (Due Process) का पालन सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।

प्रमुख चर्चित स्थल

उत्तरी समुद्री मार्ग (Northern Sea Route–NSR)

हाल के समय में, आर्कटिक क्षेत्र में स्थित उत्तरी समुद्री मार्ग (Northern Sea Route–NSR) एशिया-यूरोप के बीच समुद्री परिवहन के लिए स्वेज नहर मार्ग के मौसमी विकल्प के रूप में उभर रहा है। यह यूरोप-एशिया के कुछ समुद्री यात्राओं में नौवहन की दूरी को लगभग 40% तक कम कर सकता है।

उत्तरी समुद्री मार्ग क्या है?

- उत्तरी समुद्री मार्ग (NSR) लगभग 5,600 किमी लंबा समुद्री गलियारा है, जो रूस के आर्कटिक तट के साथ-साथ गुजरता है। यह व्यापक रूप से कारा गेट, जो बैरेंट्स सागर और कारा सागर के बीच स्थित है, से लेकर बेरिंग जलडमरूमध्य तक फैला हुआ है। बेरिंग जलडमरूमध्य साइबेरिया को अलास्का से अलग करता है।
- उत्तरी समुद्री मार्ग को रूस के आर्कटिक तट के साथ पश्चिमी यूरेशिया और एशिया-प्रशांत क्षेत्र के बीच सबसे छोटा समुद्री संपर्क मार्ग माना जाता है। इस मार्ग पर कई महत्त्वपूर्ण बंदरगाह और बस्तियाँ स्थित हैं, जिनमें साबेटा, डिक्सन, दुडिंका, खातांगा, टिकसी और पेवेक शामिल हैं। ये बंदरगाह समुद्री परिवहन, संसाधनों की ढुलाई और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देते हैं।

मरमारा सागर, तुर्किये (Marmara Sea, Türkiye)

तुर्किये के मरमारा सागर में खराब मौसम की स्थिति के दौरान एक मालवाहक जहाज के डूबने की बड़ी समुद्री दुर्घटना हुई।

- **भौगोलिक स्थिति:** मरमारा सागर पूरी तरह से तुर्किये के भीतर स्थित एक छोटा अंतर्देशीय सागर है, जो देश के यूरोपीय और एशियाई हिस्सों के बीच स्थित है। यह क्रमशः बोस्फोरस जलडमरूमध्य और डार्डनेल्स जलडमरूमध्य के माध्यम से काला सागर और एजियन सागर के बीच एक महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक संपर्क स्थापित करता है।
- **रणनीतिक स्थिति:** मरमारा सागर तुर्की जलडमरूमध्य प्रणाली (Turkish Straits System) का हिस्सा है, जो दुनिया के महत्त्वपूर्ण समुद्री प्रवेश मार्गों में से एक है। इसके उत्तर-पूर्व में स्थित बोस्फोरस जलडमरूमध्य इसे काला सागर से जोड़ता है, जबकि दक्षिण-पश्चिम में स्थित डार्डनेल्स जलडमरूमध्य इसे एजियन सागर से जोड़ता है। इस प्रकार, यह सागर काला सागर और

भूमध्य सागर के बीच समुद्री मार्ग प्रदान करता है।

- **प्रमुख द्वीप:** मरमारा सागर में कई द्वीप स्थित हैं, जिनमें मरमारा द्वीपसमूह, प्रिंसेस द्वीपसमूह और अवशा द्वीप शामिल हैं। इसके तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल है, जो बोस्फोरस जलडमरूमध्य के दोनों ओर फैला हुआ है और यूरोप तथा एशिया के बीच रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण स्थिति में स्थित है।
- **भूवैज्ञानिक महत्त्व:** मरमारा क्षेत्र उत्तर अनातोलियन भ्रंश (North Anatolian Fault) के साथ स्थित है। यह एक प्रमुख सक्रिय भ्रंश क्षेत्र है, जहाँ अनातोलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट के सापेक्ष गति करती है। परिणामस्वरुप, यह क्षेत्र भूकंपों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। इस कारण, तुर्किये के भूकंपीय भूगोल को समझने के लिए मरमारा सागर महत्त्वपूर्ण है।

मोखा और बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य (Mokha and Bab al-Mandeb Strait)

यमन के लाल सागर तट पर स्थित रणनीतिक बंदरगाह शहर मोखा और बाब-अल-मंदेब जलडमरुमध्य हाल ही में चर्चा में आए, हूती बलों ने यमन के लाल सागर तट पर बड़ा सैन्य आक्रमण किया, मोखा पर कब्जा कर लिया और बाब-अल-मंदेब जलडमरुमध्य पर नियंत्रण स्थापित कर लिया।

मोखा और बाब-अल-मंदेब के बारे में:

- बाब-अल-मंदेब जलडमरुमध्य लगभग 32 किमी की अधिकतम चौड़ाई वाला एक संकरा समुद्री अवरोध-बिंदु (Maritime Chokepoint) है, जो लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है।
- यह अरब प्रायद्वीप में स्थित यमन तथा अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र में स्थित जिबूती और इरिट्रिया के बीच स्थित है। यह जलडमरुमध्य लाल सागर और स्वेज नहर का दक्षिणी प्रवेश द्वार है तथा हिंद महासागर को यूरोप और भूमध्य सागर से जोड़ता है।
- इसकी एक प्रमुख भौगोलिक विशेषता पेरिम द्वीप (मयुन) है, जो इस जलडमरुमध्य के भीतर स्थित यमन का एक ज्वालामुखीय द्वीप है। यह द्वीप समुद्री मार्ग को दो जलमार्गों में विभाजित करता है।
- मोखा, बाब-अल-मंदेब जलडमरुमध्य से लगभग 80 किमी उत्तर में स्थित लाल सागर तट पर यमन का एक ऐतिहासिक बंदरगाह है। यह कभी अंतरराष्ट्रीय कॉफी व्यापार का एक महत्त्वपूर्ण केंद्र था और समुद्री अवरोध-बिंदु के निकट स्थित होने के कारण आज भी रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण है।
- बाब-अल-मंदेब–लाल सागर–स्वेज नहर मार्ग वैश्विक व्यापार के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इस मार्ग से कंटेनरों में लदा माल, तेल और अन्य वस्तुओं का परिवहन होता है। इस मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा आने पर जहाजों को केप ऑफ गुड होप के चारों ओर से लंबे मार्ग का उपयोग करना पड़ सकता है। इससे परिवहन में लगने वाला समय, ईंधन की खपत और लागत बढ़ जाती है।

चिली (Chile)

भारत ने वर्ष 2026 के अंत तक चिली के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (Comprehensive Economic Partnership

Agreement–CEPA) को अंतिम रूप देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

चिली के बारे में:

- चिली, जिसकी राजधानी सैंटियागो है, दक्षिण अमेरिका के दक्षिण-पश्चिमी भाग में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। यह विश्व का सबसे संकरा देश है, जो उत्तर से दक्षिण तक लगभग 4,300 किमी लंबा है, जबकि इसकी औसत चौड़ाई केवल 175 किमी है।
- चिली की सीमाएँ उत्तर में पेरू, उत्तर-पूर्व में बोलीविया और पूर्व में अर्जेंटीना से लगती हैं। दक्षिण में ड्रेक जलडमरूमध्य मुख्य भूमि चिली को अंटार्कटिका से अलग करता है।

भूगोल:

- उत्तर में स्थित अटाकामा मरुस्थल पृथ्वी का सबसे शुष्क गैर-ध्रुवीय मरुस्थल है।
- दक्षिण में स्थित पैटागोनिया हिमनदों, फियोर्ड (समुद्र द्वारा निर्मित गहरी संकरी खाड़ियों) और अल्पाइन टुंड्रा वाले भू-दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है।
- एंडीज पर्वत श्रृंखला चिली की पूर्वी सीमा के बड़े हिस्से का निर्माण करती है।
- प्रशांत अग्नि वलय (Pacific Ring of Fire) में स्थित होने के कारण चिली भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोटों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।
- **सर्वोच्च बिंदु:** ओजोस डेल सालाडो (6,893 मीटर) विश्व का सबसे ऊँचा सक्रिय ज्वालामुखी और दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे ऊँचा पर्वत है।

द्वीप एवं द्वीपसमूह:

- **ईस्टर द्वीप (रापा नुई):** अपनी विशालकाय मोआई प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है।
- **जुआन फर्नांडीज द्वीपसमूह:** प्रशांत महासागर में स्थित है।
- **टिएरा डेल फुएगो:** दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे पर स्थित एक द्वीपसमूह है, जो चिली और अर्जेंटीना के बीच विभाजित है।

आर्थिक महत्त्व:

- चिली विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है।
- यह लिथियम त्रिकोण (Lithium Triangle) का हिस्सा है, जिसमें चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया शामिल हैं। इस क्षेत्र में वैश्विक लिथियम संसाधनों का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा मौजूद है।

पावर पैक्ड न्यूज

तुर्किये आर्टेमिस समझौते में शामिल

- 31 अगस्त 2026 को तुर्किये आर्टेमिस समझौते (Artemis Accords) में शामिल होने वाला 71वाँ देश बन गया। इससे शांतिपूर्ण और सतत अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूती मिली। इस समझौते पर वॉशिंगटन डी.सी. स्थित नासा मुख्यालय में तुर्किये के उद्योग एवं प्रौद्योगिकी मंत्री मेहमत फातिह काचिर ने नासा प्रशासक जेरेड आइजैकमैन की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।
- आर्टेमिस समझौते की शुरुआत वर्ष 2020 में अमेरिका और सात साझेदार देशों द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य चंद्रमा, मंगल और अन्य खगोलीय पिंडों के अन्वेषण एवं उपयोग के लिए साझा सिद्धांत स्थापित करना है। यह समझौता 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि (Outer Space Treaty) पर आधारित है। इसमें शांतिपूर्ण उद्देश्यों, पारदर्शिता, तकनीकी अंतर-संचालनीयता, आपातकालीन सहायता, वैज्ञानिक आँकड़ों के आदान-प्रदान तथा अंतरिक्ष विरासत स्थलों के संरक्षण पर जोर दिया गया है।

रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2026

- हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2026, जिसे एशिया का प्रमुख नागरिक सम्मान माना जाता है, सिंगापुर के टॉमी कोह, बांग्लादेश की रूना खान और म्यांमार के बो क्यी को समाज के लिए उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया।
- टॉमी कोह को अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और कानून के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। रूना खान को गरीब और जलवायु-संवेदनशील समुदायों के बीच उनके मानवीय कार्यों के लिए, जबकि बो क्यी को मानवाधिकार, न्याय और राजनीतिक कैदियों के संरक्षण के लिए उनके निरंतर प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार एशिया में मानवीय गरिमा, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हैं।

ISRO के GSLV-F17 ने EOS-05 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया

- हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने GSLV-F17 के माध्यम से EOS-05 (GISAT-1A) पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा के दूसरे प्रक्षेपण परिसर से प्रक्षेपित किया गया।
- लगभग 2,367 किलोग्राम वजनी EOS-05 को प्रक्षेपण के लगभग 18 मिनट बाद उप-भू-समकालिक अंतरण कक्षा (Sub-Geosynchronous Transfer Orbit–Sub-GTO) में स्थापित किया गया। इसका संचालन लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊँचाई पर भू-समकालिक कक्षा में किया जाना है।
- यह उपग्रह भारतीय उपमहाद्वीप की उच्च आवृत्ति और लगभग वास्तविक समय में तस्वीरें लेने के लिए डिजाइन किया गया है। यह लगभग हर 30 मिनट में अवलोकन करने में सक्षम होगा। इसके प्रमुख उपयोगों में मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, कृषि, शहरी नियोजन और रणनीतिक निगरानी शामिल हैं।

UPI–UZQR संपर्क

- हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान ने उज्बेकिस्तान की UZQR प्रणाली के माध्यम से UPI आधारित भुगतान की सुविधा शुरू की है। इससे भारतीय यात्री, विद्यार्थी और व्यावसायिक आगंतुक अपने मौजूदा UPI ऐप के माध्यम से व्यापारियों को भुगतान कर सकेंगे।
- इस समझौते में NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) और उज्बेकिस्तान के नेशनल इंटरबैंक प्रोसेसिंग सेंटर (NIPC) की भागीदारी है, जो HUMO भुगतान प्रणाली का संचालन करता है। इस व्यवस्था को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और उज्बेकिस्तान के केंद्रीय बैंक की

मंजूरी प्राप्त है।

- उपयोगकर्ता भाग लेने वाले खुदरा, आतिथ्य और सेवा प्रतिष्ठानों पर UZQR कोड को स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। भुगतान की राशि सीधे उनके भारतीय बैंक खातों से काट ली जाएगी।

सेवानिवृत्त एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ

- भारतीय वायुसेना (IAF) की पश्चिमी वायु कमान के पूर्व प्रमुख, सेवानिवृत्त एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है।
- इस प्रतिष्ठित पद के लिए देशभर से कुल 5,585 आवेदन प्राप्त हुए थे। उच्चस्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदनों की छंटनी और साक्षात्कार के बाद जितेंद्र मिश्रा के नाम को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। एयर मार्शल मिश्रा ने लगभग 39 वर्षों तक भारतीय वायुसेना में सेवा की। वह चर्चित 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख थे, जिसके लिए उन्हें सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया। वे 30 अप्रैल 2026 को सेवा से सेवानिवृत्त हुए।
- सीईओ के रूप में वे राम मंदिर परिसर के प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं से संबंधित सभी परिचालन कार्यों की देखरेख करेंगे।

तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक खेल पुरस्कार 2024

- हाल ही में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की। इन पुरस्कारों के माध्यम से भारत में साहसिक खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों और योगदान के लिए चार व्यक्तियों को सम्मानित किया गया।
- विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए। बलजीत कौर को भूमि साहसिक खेल (Land Adventure) श्रेणी में सम्मानित किया गया। उन्होंने एक ही सत्र में 8,000 मीटर से अधिक ऊँचाई वाली पाँच चोटियों पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनने की उपलब्धि हासिल की। इसी श्रेणी में स्कालजांग रिगजिन को बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन और शेरपा की सहायता के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बनने के लिए सम्मानित किया गया।
- जल साहसिक खेल (Water Adventure) श्रेणी में रीमो साहा को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पैरा-तैराकी में उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। वहीं लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार शिव प्रसाद चमोली को शीतकालीन खेलों में उनके योगदान और साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया।
- प्रत्येक पुरस्कार के साथ ₹15 लाख की नकद राशि, तेनजिंग नॉर्गे की कांस्य प्रतिमा, प्रमाण-पत्र और औपचारिक पोशाक प्रदान की जाती है।

स्मृति मंधाना ने 11,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे किए

- हाल ही में भारतीय उप-कप्तान स्मृति मंधाना 11,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गईं। मंधाना ने पूर्व भारतीय कप्तान मिताली राज के 10,868 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी का स्थान हासिल किया। वह हाल ही में T20I क्रिकेट में भी सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी हैं। उन्होंने न्यूज़ीलैंड की सूज़ी बेट्स को पीछे छोड़कर यह उपलब्धि हासिल की।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड 740.8 अरब डॉलर पर पहुँचा

- हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, 28 अगस्त 2026 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves)

बढ़कर रिकॉर्ड 740.803 अरब डॉलर हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार में 11.475 अरब डॉलर की वृद्धि हुई, जो लगातार नौवें सप्ताह की वृद्धि है।

- विदेशी मुद्रा भंडार किसी देश के केंद्रीय बैंक के पास रखी गई ऐसी परिसंपत्तियाँ हैं, जिनमें विदेशी मुद्राएँ, सोना और अन्य अंतरराष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्तियाँ शामिल होती हैं।
- भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के प्रमुख घटक हैं:
  - » **विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ (FCAs):** विदेशी मुद्राओं में जमा राशि और प्रतिभूतियाँ।
  - » **स्वर्ण भंडार:** विविधीकरण और वित्तीय सुरक्षा के लिए रखा गया सोना।
  - » **विशेष आहरण अधिकार (SDRs):** अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा निर्मित अंतरराष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्तियाँ।
  - » **रिजर्व ट्रेंच पोजीशन (RTP):** IMF में भारत की कोटा-आधारित, तत्काल उपयोग योग्य आरक्षित स्थिति।
- हालिया वृद्धि में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ (FCAs) 9.337 अरब डॉलर बढ़कर 600.670 अरब डॉलर हो गईं, जबकि स्वर्ण भंडार 2.191 अरब डॉलर बढ़कर 116.409 अरब डॉलर हो गया। मजबूत विदेशी मुद्रा प्रवाह और RBI द्वारा किए गए विदेशी मुद्रा स्वैप उपायों ने इस वृद्धि में योगदान दिया।

डॉ. दिनेश शर्मा बने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नए उपराज्यपाल

- हाल ही में 62 वर्षीय डॉ. दिनेश शर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया उपराज्यपाल (L-G) नियुक्त किया गया है। उन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रविंद्र विठ्ठलराव घुगे ने पद की शपथ दिलाई। उन्होंने एडमिरल (सेवानिवृत्त) डी.के. जोशी का स्थान लिया है, जिन्होंने अक्टूबर 2017 से इस पद पर कार्य किया था।
- अनुच्छेद 239 के तहत बिना विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से किया जाता है। कुछ केंद्रशासित प्रदेशों में इस प्रशासक को उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) कहा जाता है। उपराज्यपाल संवैधानिक और प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है तथा केंद्र सरकार की ओर से प्रत्यक्ष प्रशासनिक अधिकारों का प्रयोग करता है।
- किसी राज्य के राज्यपाल के विपरीत, बिना विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेश का उपराज्यपाल सामान्यतः मंत्रिपरिषद के माध्यम से कार्य नहीं करता।

आठ उच्च न्यायालयों को मिले नए मुख्य न्यायाधीश

- हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिशों के बाद आठ उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की। प्रमुख नियुक्तियों में न्यायमूर्ति वल्लुरी कामेश्वर राव को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति रविंद्र विठ्ठलराव घुगे को कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी को बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
- अन्य नियुक्तियों में न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा — पंजाब एवं हरियाणा, न्यायमूर्ति कृष्ण राम महापात्र — छत्तीसगढ़, न्यायमूर्ति अल्पेश यशवंत कोगजे — मध्य प्रदेश, न्यायमूर्ति डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी — जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख और न्यायमूर्ति संजय कुमार अग्रवाल — राजस्थान शामिल हैं।
- अनुच्छेद 217(1) के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं, की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस प्रक्रिया में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श किया जाता है, जबकि नियुक्तियों की सिफारिश सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 222(1) के तहत राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कर सकते हैं।

जोहेरी मोल डोमिंगुएज़ बनीं मिस वर्ल्ड 2026

- हाल ही में डोमिनिकन गणराज्य की 24 वर्षीय जोहेरी मोल डोमिंगुएज़ को मिस वर्ल्ड 2026 का ताज पहनाया गया। यह प्रतियोगिता का 73वाँ मिस वर्ल्ड फाइनल था, जिसका आयोजन न्हा ट्रांग, वियतनाम में किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन 2 अप्रैल स्क्वायर में हुआ और यह पहली बार था जब वियतनाम ने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी की।
- स्पेन की एलिजाबेथ रेनेस को प्रथम रनर-अप, जबकि मलेशिया की तानुसिया चेट्टी को द्वितीय रनर-अप घोषित किया गया।
- जोहेरी मोल की जीत के साथ डोमिनिकन गणराज्य ने अपना दूसरा मिस वर्ल्ड खिताब हासिल किया। इससे पहले मारियासेला अल्वारेज़ ने वर्ष 1982 में डोमिनिकन गणराज्य के लिए यह खिताब जीता था।
- भारत का प्रतिनिधित्व निकिता पोरवाल ने किया। वह टॉप 40 तक पहुँचीं, लेकिन टॉप 20 में जगह नहीं बना सकीं।अगली मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2027 में तंजानिया में आयोजित होने वाली है।

लाहौर को 2026–27 के लिए SCO पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी का दर्जा

- हाल ही में लाहौर को वर्ष 2026–27 के लिए शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया। यह निर्णय ऐसे समय हुआ है जब पाकिस्तान संगठन की घूर्णन अध्यक्षता संभाल रहा है। इस निर्णय को सितंबर 2026 में किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित SCO के राष्ट्राध्यक्षों की 26वीं परिषद की बैठक में अंतिम रुप दिया गया।
- इस पहल का उद्देश्य जन-से-जन संपर्क, सीमा-पार पर्यटन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना तथा चयनित शहर की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
- लाहौर को पाकिस्तान का सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। यह शहर समृद्ध मुगल, सूफी और ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत को दर्शाता है। इसके प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में लाहौर किला और शालीमार गार्डन शामिल हैं, जो दोनों यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। इसके अलावा बादशाही मस्जिद, वाल्ड सिटी और ऐतिहासिक सूफी दरगाहें भी महत्वपूर्ण हैं।
- SCO की स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। इसने 1996 में स्थापित शंघाई फाइव तंत्र का स्थान लिया। इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में स्थित है। वर्तमान में SCO में 10 सदस्य देश हैं—चीन, भारत, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस।
- SCO की पूर्व पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानियों में वाराणसी (2022–23), अल्माटी (2023–24), चिंगदाओ (2024–25) और चोलपोन-अता (2025–26) शामिल हैं।

अभ्यास वीर गार्जियन 2026

- हाल ही में अभ्यास वीर गार्जियन 2026 भारत और जापान की वायु सेनाओं के बीच आयोजित 14 दिवसीय द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास है। इसका आयोजन 9–22 सितंबर 2026 के दौरान राजस्थान के वायुसेना स्टेशन जोधपुर में किया गया।
- इस अभ्यास का दूसरा संस्करण जनवरी 2023 में जापान के हयाकुरी एयर बेस में आयोजित पहले संस्करण के बाद हुआ। वर्ष 2026 का संस्करण विशेष रुप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पहली बार जापान वायु आत्मरक्षा बल (JASDF) के लड़ाकू विमानों ने भारतीय धरती पर अभ्यास में भाग लिया।
- भारतीय वायुसेना ने Su-30MKI, राफेल और स्वदेशी LCA तेजस विमानों के साथ भाग लिया, जबकि जापान ने F-2A लड़ाकू विमानों और C-2 परिवहन विमानों को तैनात किया।
- भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह और JASDF प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने अभ्यास का दौरा किया और तेजस विमान में उड़ान भी भरी। यह दोनों देशों के बीच बढ़ती रक्षा अंतर-संचालनीयता को दर्शाता है।

- वीर गार्जियन भारत-जापान रक्षा सहयोग के वायु घटक के रूप में कार्य करता है। यह सेना के धर्म गार्जियन और नौसेना के JIMEX अभ्यासों का पूरक है। यह दोनों देशों की सेनाओं के बीच परिचालन समन्वय, हवाई युद्ध कौशल और अंतर-संचालनीयता को मजबूत करता है।

शेखावाटी के चित्रित हवेली नगर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल

- शेखावाटी के चित्रित हवेली नगरों को 1 जून 2026 को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची (Tentative List) में शामिल किया गया। यह नामांकन यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
- इस सांस्कृतिक विरासत नामांकन में राजस्थान के झुंझुनू, सीकर और चूरु जिलों के 14 ऐतिहासिक नगरों का एक क्रमिक समूह शामिल है। इनमें मंडावा, नवलगढ़, फतेहपुर, चूरु, सीकर और झुंझुनू प्रमुख हैं।
- शेखावाटी का नाम 15वीं शताब्दी के कछवाहा राजपूत सरदार राव शेखा के नाम पर पड़ा। इस क्षेत्र का विकास ठिकानों के नाम से जाने जाने वाले अर्ध-स्वायत्त सामंती राज्यों के माध्यम से हुआ।
- बाद में यह क्षेत्र मारवाड़ी व्यापारी समुदायों के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ। इन व्यापारियों ने गंगा के मैदानों और गुजरात के बंदरगाहों के बीच होने वाले लंबी दूरी के आंतरिक व्यापार से अर्जित धन का उपयोग भव्य हवेलियों के निर्माण में किया। इन हवेलियों की दीवारों और छतों पर बने विस्तृत भित्तिचित्र (फ्रेस्को) शेखावाटी की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान का प्रमुख हिस्सा हैं।

किशोर मकवाना को डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जन सेवा पुरस्कार 2026

- हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के अध्यक्ष किशोर मकवाना को 9 सितंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में आयोजित 16वें सांसद रत्न पुरस्कार 2026 समारोह में डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जन सेवा पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार प्राइम पॉइंट फाउंडेशन और सांसद रत्न पुरस्कार समिति द्वारा प्रदान किया गया।
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना है। प्रारंभ में यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी के रूप में कार्य करता था। 65वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1990 के माध्यम से इसे बहु-सदस्यीय आयोग का रूप दिया गया।
- बाद में 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के तहत इसे दो अलग-अलग आयोगों में विभाजित किया गया—अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) और अनुच्छेद 338A के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)।

युद्ध अभ्यास 2026

- युद्ध अभ्यास 2026, भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच आयोजित होने वाले वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का 22वाँ संस्करण था। इसका आयोजन 9–28 सितंबर 2026 के दौरान किया गया।
- वर्ष 2004 में शुरु होने के बाद पहली बार इस अभ्यास को दो-थिएटर प्रारूप (Two-Theatre Format) में आयोजित किया गया। इसके तहत राजस्थान के अर्ध-रेगिस्तानी क्षेत्र और उत्तराखंड के ऊँचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र में एक साथ युद्धक क्षमताओं का परीक्षण किया गया।
- राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सैनिकों ने यंत्रीकृत अभियानों, वास्तविक गोलीबारी और लंबी दूरी के सटीक हमलों पर ध्यान केंद्रित किया। वहीं उत्तराखंड के औली फॉरेन ट्रेनिंग नोड में, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) से लगभग 95 किलोमीटर दूर है, प्रशिक्षण में पर्वतीय युद्ध, हवाई गतिशीलता और अत्यधिक ठंड वाले क्षेत्रों में सैन्य अभियानों पर जोर दिया गया।
- युद्ध अभ्यास भारत-अमेरिका के बीच रणनीतिक सैन्य अंतर-संचालनीयता को मजबूत करता है तथा वज्र प्रहार और मालाबार जैसे अन्य सैन्य अभ्यासों का पूरक है।

28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक 2026

- हाल ही में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद (Western Zonal Council) की 28वीं बैठक का आयोजन 7 सितंबर 2026 को पणजी, गोवा में किया गया। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
- बैठक में गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात तथा दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- बैठक में आंतरिक सुरक्षा, साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी और नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही, शहरी सहकारी बैंकों के लिए डिजिटल अपराध प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करने पर जोर दिया गया।
- क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils) सांविधिक और सलाहकारी निकाय हैं, न कि संवैधानिक निकाय। इनकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15–22 के तहत की गई थी। इसका विचार वर्ष 1955 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु द्वारा राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था।
- भारत में कुल पाँच क्षेत्रीय परिषदें हैं—उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। केंद्रीय गृह मंत्री इन सभी क्षेत्रीय परिषदों के सामान्य अध्यक्ष होते हैं, जबकि सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री बारी-बारी से एक वर्ष के लिए उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।

एलेना रिबाकिना ने यूएस ओपन 2026 जीता

- हाल ही में कजाकिस्तान की एलेना रिबाकिना ने न्यूयॉर्क के आर्थर ऐश स्टेडियम में 2026 यूएस ओपन महिला एकल फाइनल में बेलारूस की दो बार की गत चैंपियन आर्यना सबालेंका को हराया। इस जीत के साथ रिबाकिना ने अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीता। इससे पहले उन्होंने 2022 में विंबलडन और 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता था।
- इस जीत के बाद वह WTA विश्व रैंकिंग में नंबर-1 पर पहुँच गईं और सबालेंका के 99 सप्ताह के शीर्ष स्थान पर रहने के सिलसिले को समाप्त कर दिया। रिबाकिना का जन्म रूस में हुआ था, लेकिन वर्ष 2018 में उन्होंने अपनी खेल राष्ट्रीयता बदलकर कजाकिस्तान कर ली। इसके बाद उन्हें कजाकिस्तान के टेनिस महासंघ से अधिक संस्थागत और वित्तीय सहायता मिली।
- यूएस ओपन टेनिस के चार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में से एक है। अन्य तीन ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन हैं। यूएस ओपन का आयोजन हार्ड कोर्ट, फ्रेंच ओपन का क्ले कोर्ट और विंबलडन का घास के कोर्ट पर होता है। 2026 में रिबाकिना की ग्रैंड स्लैम उपलब्धियों के बाद फ्रेंच ओपन ही एकमात्र प्रमुख खिताब है, जो उनके संभावित कैरियर ग्रैंड स्लैम को पूरा करने के लिए शेष है।

अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने यूएस ओपन 2026 जीता

- जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने 13 सितंबर 2026 को अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर यूएस ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब अपने नाम किया। फाइनल मुकाबला न्यूयॉर्क के आर्थर ऐश स्टेडियम में खेला गया और यह 3 घंटे 33 मिनट तक चला।
- इस जीत के साथ ज्वेरेव ने अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इससे पहले उन्होंने 2026 में फ्रेंच ओपन का खिताब हासिल किया था।
- यह जीत वर्ष 2020 के यूएस ओपन फाइनल की हार के बाद उनके लिए एक तरह की वापसी भी रही। उस मुकाबले में वह डोमिनिक थीम के खिलाफ दो सेट की बढ़त हासिल करने के बावजूद मैच हार गए थे।

विश्व परिपत्र अर्थव्यवस्था मंच 2026: भारत ने 10वें संस्करण की मेजबानी की

- हाल ही में भारत ने 15–18 सितंबर 2026 के दौरान गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में विश्व परिपत्र अर्थव्यवस्था मंच (WCEF) 2026 के 10वें संस्करण की मेजबानी की। यह पहली बार था जब WCEF का आयोजन दक्षिण एशिया में किया गया। इसमें 65 से अधिक देशों के 2,000 से अधिक हितधारकों ने भाग लिया।

- इस वर्ष की विषय-वस्तु थी—"परिपत्र अर्थव्यवस्था: लोगों और समृद्धि के लिए परिवर्तन" (Circular Economy: Transition for People and Prosperity)। इसमें संसाधन दक्षता, सतत उत्पादन और समावेशी हरित विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस दौरान दो प्रमुख पहलों "उपचारित सीवेज के पुनः उपयोग के लिए नीति रूपरेखा, MSME क्षेत्र में परिपत्रता के लिए रोडमैप" की शुरुआत की गई।
- परिपत्र अर्थव्यवस्था (Circular Economy) पारंपरिक रैखिक "लेना–बनाना–उपयोग करना–फेंकना" मॉडल के स्थान पर मरम्मत, पुनः उपयोग, नवीनीकरण, साझा उपयोग और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देती है। इसका उद्देश्य संसाधनों के अत्यधिक दोहन और अपशिष्ट को कम करना है।
- यह आर्थिक विकास को पर्यावरणीय क्षरण से अलग करने तथा संसाधनों के अधिक टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देने का प्रयास करती है।

भारत ने जूनियर एशिया कप 2026 में पुरुष और महिला दोनों खिताब जीते

- हाल ही में भारत ने AHF जूनियर एशिया कप 2026 में पुरुष और महिला दोनों हॉकी खिताब जीतकर गोल्डन डबल हासिल किया। प्रतियोगिता का आयोजन 4 से 13 सितंबर तक मोकी, चीन में किया गया।
- भारतीय महिला टीम ने मेजबान चीन को 1–0 से हराकर लगातार तीसरी बार जूनियर एशिया कप का खिताब जीता। निर्णायक गोल सानिका चंद्रकांत माने ने 17वें मिनट में हवाई पास पर किया। इससे पहले भारत ने क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को 19–0 और सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 5–1 से हराया था।
- भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4–1 से हराकर अपना छठा महाद्वीपीय खिताब जीता। भारत की ओर से अजीत यादव, अनमोल एक्का, प्रभदीप सिंह और आशु मौर्य ने गोल किए। इस जीत के साथ भारत ने जूनियर एशिया कप में अपने पिछले खिताबों—2004, 2008, 2015, 2023 और 2024—में एक और उपलब्धि जोड़ी। अनमोल एक्का 17 गोल के साथ टूर्नामेंट के सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी रहे और उन्होंने नया स्कोरिंग रिकॉर्ड बनाया।

डॉ. संजुक्ता पराशर ने CRPF की CoBRA की कमान संभाली

- सितंबर 2026 में 2006 बैच की असम-मेघालय कैडर की IPS अधिकारी डॉ. संजुक्ता पराशर ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की विशिष्ट जंगल युद्धक इकाई कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन (CoBRA) की कमान संभाली। वह CoBRA का नेतृत्व करने वाली पहली महिला महानिरीक्षक (IG) बनीं। उन्होंने 1996 बैच के IPS अधिकारी दानेश राणा का स्थान लिया।
- CoBRA का गठन 2008–09 के दौरान वामपंथी उग्रवाद (LWE) और अन्य उग्रवादी गतिविधियों से निपटने के लिए भारत की क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था। इसके जवान जंगल युद्ध, गुरिल्ला युद्धक रणनीति, घात और प्रति-घात अभियान, खुफिया जानकारी आधारित अभियानों तथा लंबी दूरी की गश्त में विशेषज्ञता रखते हैं। यह बल मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के अलावा अन्य आंतरिक सुरक्षा क्षेत्रों में भी तैनात किया जाता है।

PM विश्वकर्मा योजना ने पूरे किए तीन वर्ष

- हाल ही में 17 सितंबर 2023 को शुरु की गई PM विश्वकर्मा योजना ने 17 सितंबर 2026 को कार्यान्वयन के तीन वर्ष पूरे किए। इस दौरान योजना के तहत 30 लाख पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के पंजीकरण का लक्ष्य हासिल किया गया।
- यह एक केंद्रीय क्षेत्र योजना (Central Sector Scheme) है, जिसका पूरा वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इसके लिए वर्ष 2023–24 से 2027–28 तक ₹13,000 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। इस योजना को संयुक्त रुप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME), कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) और वित्तीय सेवा विभाग (DFS) द्वारा लागू किया जा रहा है।
- योजना का मूल दर्शन सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि पर आधारित है। साथ ही, इसका उद्देश्य पारंपरिक गुरु-शिष्य परंपरा को संरक्षित करना

भी है। लगभग 24.4 लाख कारीगरों को बुनियादी कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें प्रतिदिन ₹500 का वजीफा भी दिया जाता है। वहीं 18.15 लाख से अधिक कारीगरों को ₹15,000 तक मूल्य की आधुनिक टूलकिट उपलब्ध कराई गई है।

- ऋण सहायता के तहत ₹1 लाख और ₹2 लाख तक के बिना किसी जमानत वाले ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं, जिन पर 5% की रियायती ब्याज दर लागू होती है। यह योजना 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल करती है, जिनमें बढ़ई, लोहार, कुम्हार, सुनार, मोची, दर्जी, राजमिस्त्री और खिलौना निर्माता आदि शामिल हैं।

EPFO की वेतन सीमा बढ़ाकर ₹25,000 की गई

- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने EPFO के लिए अनिवार्य वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह कर दी। यह बदलाव 17 सितंबर 2026 से प्रभावी हुआ और विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर लागू किया गया। इससे पहले वेतन सीमा सितंबर 2014 में निर्धारित की गई थी और लगभग 12 वर्षों तक इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। नई सीमा से ₹15,000 से ₹25,000 के बीच वेतन पाने वाले लगभग 51 लाख से 1 करोड़ अतिरिक्त कर्मचारियों के अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा दायरे में आने की उम्मीद है।
- यह कदम कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952 (EPF & MP Act) तथा व्यापक सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के ढाँचे के तहत लागू किया गया है। इससे सरकार पर अनुमानित वित्तीय भार ₹11,339 करोड़ प्रतिवर्ष और लगभग ₹56,696 करोड़ पाँच वर्षों में होगा। कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के तहत मानक 12% योगदान के आधार पर अधिकतम कर्मचारी योगदान ₹1,800 से बढ़कर ₹3,000 प्रति माह हो जाएगा।
- कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत सीमा ₹1,250 से बढ़कर ₹2,082.50 हो गई है, जबकि कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा (EDLI) के तहत बीमा-आधारित योगदान ₹75 से बढ़कर ₹125 हो गया है।

मूडीज़ ने FY27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7% किया

- हाल ही में मूडीज़ रेटिंग्स (Moody's Ratings) ने वित्त वर्ष 2026–27 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। इससे भारत की G20 में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था की स्थिति की पुष्टि होती है।
- भारत ने वित्त वर्ष 2026–27 की पहली तिमाही में 7.8% वास्तविक GDP वृद्धि दर्ज की, जिसे मजबूत घरेलू मांग का समर्थन मिला। इस दौरान निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE) में 7.1% और सकल स्थिर पूंजी निर्माण (GFCF) में 11.9% की वृद्धि हुई।
- विनिर्माण क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धन (GVA) में 9.2% की वृद्धि हुई, जबकि वित्तीय, रियल एस्टेट, सूचना प्रौद्योगिकी और पेशेवर सेवाओं में 12.1% की वृद्धि दर्ज की गई। तुलना के लिए, मूडीज़ का अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के 6.6%, एस एंड पी के 6.6% और आईएमएफ के 6.4% FY27 वृद्धि अनुमानों से अधिक है।
- मूडीज़ ने भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग Baa3 पर बरकरार रखी है और इसका परिदृश्य स्थिर (Stable) रखा है।

आइची-नागोया एशियाई खेल 2026: भारत चौथे स्थान पर

- हाल ही में 20वें एशियाई खेल (आइची-नागोया 2026) का आयोजन जापान में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक किया गया। इन खेलों का आयोजन आइची प्रीफेक्चर और नागोया में हुआ। खेलों का आयोजन ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया (OCA) के तत्वावधान में किया गया। इन खेलों में एशिया के 45 देशों और क्षेत्रों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। कुल 43 खेलों, 71 विधाओं और 469 पदक स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। इन खेलों में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA), पैडल, सर्फिंग, वर्चुअल ताइक्वांडो और टेकबॉल जैसे खेलों को पहली बार शामिल किया गया। वहीं शतरंज, गो, ब्रिज और ड्रैगन बोट रेसिंग को खेल कार्यक्रम से बाहर रखा गया।
- हॉकी और तीरंदाजी सहित कुछ प्रतियोगिताएँ लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक के लिए क्वालीफिकेशन के माध्यम के रूप में भी काम कर

रही थीं। भारत ने 503 खिलाड़ियों का दल भेजा, जिसमें 269 पुरुष और 234 महिलाएँ शामिल थीं। भारतीय खिलाड़ियों ने 36 खेल विधाओं में भाग लिया।

- भारत 85 पदकों—21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। हालांकि यह प्रदर्शन हांगझोउ 2022 में भारत द्वारा जीते गए रिकॉर्ड 107 पदकों से कम रहा, लेकिन तीरंदाजी, एथलेटिक्स, हॉकी, कबड्डी और क्रिकेट में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। तीरंदाजी में भारत ने कुल 9 पदक जीते, जिनमें 5 स्वर्ण पदक शामिल थे। इन खेलों में कई उल्लेखनीय उपलब्धियाँ भी देखने को मिलीं। प्रणवी उर्स ने व्यक्तिगत गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता, जबकि बारानिका एलंगोवन ने भारत के लिए पोल वॉल्ट में पहला पदक हासिल किया।

ल्यूक जे. लिंडबर्ग बने WFP के कार्यकारी निदेशक

- हाल ही में अमेरिकी कृषि अधिकारी ल्यूक जे. लिंडबर्ग को संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। उन्होंने सिंडी मैक्केन का स्थान लिया है और उनका कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा। 37 वर्ष की आयु में लिंडबर्ग WFP का नेतृत्व करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं।
- यह नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और FAO के महानिदेशक क्यू डोंग्यू द्वारा की गई, जिसे WFP के कार्यकारी बोर्ड ने मंजूरी दी। WFP का नेतृत्व परंपरागत रूप से किसी अमेरिकी नागरिक द्वारा किया जाता रहा है। इसका प्रमुख कारण अमेरिका का WFP में सबसे बड़े एकल दाता के रूप में महत्वपूर्ण वित्तीय योगदान है।
- WFP की स्थापना 1961 में FAO और संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहल पर की गई थी। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। इसका संचालन 36 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड द्वारा किया जाता है और यह पूरी तरह स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर करता है।
- WFP का मुख्य उद्देश्य भूख और कुपोषण से निपटना तथा संघर्ष, प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु संबंधी संकटों के दौरान आपातकालीन खाद्य सहायता प्रदान करना है। संगठन को 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

अनंत नाग को दादासाहेब फाल्के पुरस्कार 2024

- हाल ही में दिग्गज कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को 22 सितंबर 2026 को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा वर्ष 2024 का दादासाहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। वह भारत के सर्वोच्च सिनेमाई सम्मान को प्राप्त करने वाले दूसरे कन्नड़ अभिनेता बने हैं। उनसे पहले डॉ. राजकुमार को वर्ष 1995 में यह सम्मान प्रदान किया गया था।
- 1948 में अनंत नागरकट्टे के रूप में जन्मे अनंत नाग का फिल्मी करियर पाँच दशकों से अधिक का रहा है और उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है। उन्होंने मुख्य रूप से कन्नड़ फिल्मों के साथ-साथ हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी अभिनय किया है। उनकी प्रमुख फिल्मों में 'संकल्प', 'अंकुर', 'हंसगीते' और 'मिंचिना ओटा' शामिल हैं। टेलीविजन धारावाहिक 'मालगुडी डेज' के माध्यम से भी उन्हें देशभर में पहचान मिली। उन्हें वर्ष 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें कई फिल्मफेयर और कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिल चुके हैं। उन्होंने कर्नाटक के सार्वजनिक जीवन में भी योगदान दिया और विधायक (MLA) तथा विधान परिषद सदस्य (MLC) के रूप में कार्य किया।
- दादासाहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 में भारतीय सिनेमा के जनक माने जाने वाले दादासाहेब फाल्के की स्मृति में की गई थी। उन्होंने वर्ष 1913 में भारत की पहली पूर्ण लंबाई की फीचर फिल्म 'राजा हरिश्चंद्र' का निर्देशन किया था। देविका रानी इस पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता थीं। इस पुरस्कार में स्वर्ण कमल, शॉल और ₹15 लाख की नकद राशि प्रदान की जाती है। 72वाँ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह गुजरात के एकता नगर में आयोजित किया गया। यह पहली बार था जब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह को नई दिल्ली से बाहर आयोजित किया गया।

कुमिक को लद्दाख का पहला विरासत गाँव घोषित किया गया

- हाल ही में कारगिल जिले के जांस्कर क्षेत्र में स्थित कुमिक गाँव को 15 सितंबर 2026 को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा आधिकारिक रुप से लद्दाख का पहला नामित विरासत गाँव (Heritage Village) घोषित किया गया। यह घोषणा 11वें लद्दाख जांस्कर महोत्सव के उद्घाटन के दौरान की गई। यह अप्रैल 2026 में जांस्कर को जिला का दर्जा मिलने के बाद आयोजित होने वाला पहला महोत्सव था। कुमिक एक "जीवंत विरासत" (Living Heritage) का उदाहरण है, जहाँ स्थानीय समुदाय आज भी पारंपरिक मिट्टी की वास्तुकला, पवित्र स्थलों, कृषि पद्धतियों और प्राचीन रीति-रिवाजों को संरक्षित किए हुए हैं।
- यह गाँव महत्वपूर्ण तिब्बती बौद्ध साहित्यिक विरासत को भी संरक्षित करता है। इसमें कंजुर (कंग्यूर) पांडुलिपियाँ शामिल हैं, जिनमें बुद्ध से संबंधित माने जाने वाले प्रमाणिक उपदेशों का संकलन है। इसकी तुलना तेंग्यूर से की जा सकती है, जिसमें विद्वानों की टीकाएँ और विभिन्न ग्रंथ शामिल हैं।
- जांस्कर के उच्च ऊँचाई वाले ट्रांस-हिमालयी शीत मरुस्थल में स्थित इस गाँव को विरासत का दर्जा देने का उद्देश्य सांस्कृतिक संरक्षण के साथ सतत विकास और पर्यटन को बढ़ावा देना है। यह "विकास भी, विरासत भी" की राष्ट्रीय दृष्टि को दर्शाता है, जिसमें बुनियादी ढाँचे के विकास के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को जोड़ा गया है।

अभ्यास तरंग शक्ति 2026

- हाल ही में भारतीय वायुसेना (IAF) ने 26 सितंबर से 12 अक्टूबर 2026 तक राजस्थान के जोधपुर में अभ्यास तरंग शक्ति के दूसरे संस्करण का आयोजन किया। इसे भारत का प्रमुख बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास माना जाता है। इसमें मित्र देशों की वायु सेनाएँ संयुक्त हवाई अभियानों, सामरिक प्रशिक्षण और अंतर-संचालनीयता अभ्यासों में भाग लेती हैं।
- इस अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाली वायु सेनाओं के बीच अंतर-संचालनीयता, मिशन योजना, सामरिक समन्वय और परिचालन सहयोग को बढ़ाना है। यह बहुराष्ट्रीय वातावरण में प्रशिक्षण लेने, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का आदान-प्रदान करने तथा विभिन्न देशों की परिचालन प्रक्रियाओं और सैन्य सिद्धांतों को समझने का अवसर प्रदान करता है।
- तरंग शक्ति का पहला संस्करण वर्ष 2024 में दो चरणों में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन सुलूर, तमिलनाडु और जोधपुर, राजस्थान में किया गया। इसमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई देशों ने भाग लिया था।

स्लाईनेक्स-26 (SLINEX-26)

- भारत और श्रीलंका ने 17–21 सितंबर 2026 के दौरान विशाखापत्तनम में श्रीलंका–भारत नौसैनिक अभ्यास (SLINEX-26) के 13वें संस्करण का आयोजन किया। यह अभ्यास भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान के तत्वावधान में आयोजित किया गया। इस वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों पड़ोसी देशों के बीच समुद्री सहयोग, परिचालन समन्वय और अंतर-संचालनीयता को मजबूत करना है।
- अभ्यास को बंदरगाह चरण (Harbour Phase) और समुद्री चरण (Sea Phase) में आयोजित किया गया। इसमें भारतीय नौसेना की ओर से INS कवरत्ती और INS ज्योति, जबकि श्रीलंकाई नौसेना की ओर से SLNS सिंदुराला ने भाग लिया।
- INS कवरत्ती स्वदेश निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्धक (ASW) कॉर्वेट है, जबकि INS ज्योति एक फ्लीट टैंकर है।
- SLINEX की शुरुआत 2005 में हुई थी और तब से यह भारत–श्रीलंका रक्षा सहयोग के एक महत्वपूर्ण संस्थागत तंत्र के रूप में विकसित हुआ है। यह हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने तथा सूचना साझा करने और क्षमता निर्माण में योगदान देता है।

मीराबाई चानू ने एशियाई खेल 2026 में रजत पदक जीता

- हाल ही में भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने जापान के आइची-नागोया में आयोजित 2026 एशियाई खेलों में महिलाओं की 49 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। इसके साथ भारत का एशियाई खेलों में भारोत्तोलन पदक के लिए 28 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ।
- चानू ने कुल 198 किलोग्राम वजन उठाया, जिसमें स्नैच में 87 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 111 किलोग्राम शामिल था।
- उत्तर कोरिया की री सोंग गुम ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि इंडोनेशिया की विजायना लुलुक डियानी त्रि ने कुल 191 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक हासिल किया। यह पदक विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि 1998 के बैंकॉक एशियाई खेलों में महिलाओं की 63 किलोग्राम श्रेणी में कर्णम मल्लेश्वरी का रजत पदक एशियाई खेलों में भारत का अंतिम भारोत्तोलन पदक था। इस प्रकार, चानू की उपलब्धि लगभग तीन दशक बाद भारत की एशियाई खेलों के भारोत्तोलन पोडियम पर वापसी का प्रतीक है।
- यह उपलब्धि चानू के शानदार करियर में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जोड़ती है। वह ओलंपिक रजत पदक विजेता, विश्व चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता और कई बार की राष्ट्रमंडल खेल चैंपियन रह चुकी हैं।

भारत और नीदरलैंड ने गुजरात की कल्पसर परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए

- भारत और नीदरलैंड ने गुजरात की कल्पसर परियोजना, जिसे खंभात की खाड़ी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, के लिए तकनीकी सहयोग को मजबूत करने हेतु दो त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में भारत का केंद्रीय जल आयोग, गुजरात का कल्पसर विभाग तथा नीदरलैंड के संगठन डेल्टारेस और डेल्फ्ट प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (TU Delft) शामिल हैं।
- इन समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य जलगतिकीय एवं जलवैज्ञानिक मॉडलिंग, तटीय एवं संरचनात्मक अभियांत्रिकी, लवणता प्रबंधन, जलवायु-अनुकूल अवसंरचना, पारिस्थितिक आकलन, डिजिटल अनुप्रयोगों और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना है। इस सहयोग का उद्देश्य परियोजना की योजना, डिजाइन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को बेहतर बनाना है।
- यह पहल मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित तकनीकी सहयोग संबंधी आशय पत्र पर आधारित है।
- कल्पसर परियोजना में खंभात की खाड़ी पर एक बैराज का निर्माण करके नर्मदा, माही, धाधर और साबरमती नदियों के जल का उपयोग करते हुए मीठे पानी का जलाशय बनाने की परिकल्पना की गई है। इसके प्रमुख उद्देश्यों में विशेष रूप से सौराष्ट्र क्षेत्र में जल की उपलब्धता बढ़ाना और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना शामिल है।
- प्रस्तावित परियोजना में सड़क एवं रेल संपर्क तथा 2,470 मेगावाट की मिश्रित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता भी शामिल है।

फातिमा ज़हरा एल मंसूरी मोरक्को की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं

- 29 सितंबर 2026 को मोरक्को के राजा मोहम्मद VI ने 23 सितंबर 2026 को हुए संसदीय चुनावों के बाद फातिमा ज़हरा एल मंसूरी को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया। उनकी नियुक्ति अरब जगत में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
- एल मंसूरी ऑथेंटिसिटी एंड मॉडर्निटी पार्टी (PAM) की वरिष्ठ नेता हैं। यह पार्टी चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसने प्रतिनिधि सभा की कुल 395 सीटों में से 97 सीटें जीतीं। चूँकि PAM के पास 198 सीटों का पूर्ण बहुमत नहीं है, इसलिए उन्हें सरकार बनाने के लिए गठबंधन तैयार करना होगा। इससे पहले, वह माराकेश की महापौर और मोरक्को की राष्ट्रीय योजना, शहरी नियोजन, आवास एवं शहरी नीति मंत्री के रूप में कार्य कर चुकी हैं। वह विधि की प्रशिक्षित स्नातक भी हैं।

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. हाल ही में शुरू की गई "एक राष्ट्र, एक समय" पहल तथा विधिक मापविज्ञान (भारतीय मानक समय) नियम, 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ये नियम भारतीय मानक समय (IST) को विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के वैधानिक समर्थन के अंतर्गत अनिवार्य और एकमात्र संदर्भ समय बनाते हैं।
2. राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (सीएसआईआर-एनपीएल) संस्थानों के बीच सूक्ष्म-सेकंड से लेकर नैनो-सेकंड स्तर तक समय-सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रकाश-तंतु आधारित संचार तंत्र पर व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी (White Rabbit Technology) का उपयोग करती है।
3. इस पहल का उद्देश्य प्राथमिक समय-अंकन के लिए मुख्य रूप से अमेरिका द्वारा नियंत्रित वैश्विक स्थिति-निर्धारण प्रणाली (GPS) पर निर्भर रहकर राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

2. भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हाल के द्विपक्षीय घटनाक्रमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अगस्त 2026 में प्रधानमंत्री की ताशकंद यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership) के स्तर तक उन्नत किया।
2. दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार को 5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया।
3. दोनों देशों के बीच मूल रणनीतिक साझेदारी की स्थापना वर्ष 2011 में हुई थी, जिसके कारण वर्ष 2026 में इस साझेदारी के 15 वर्ष पूरे हो गए।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

3. एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (iFMS) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक राष्ट्रीय स्तर का समग्र डिजिटल निगरानी मंच है, जिसे राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा विकसित किया गया है और तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती है।
2. उर्वरकों के लिए वर्तमान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) व्यवस्था के अंतर्गत, सब्सिडी की राशि सीधे व्यक्तिगत किसानों के सत्यापित बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है।
3. यह मंच खरीदारों की श्रेणी, भूमि-स्वामित्व और फसल के प्रकार जैसे विशिष्ट मानकों के आधार पर उर्वरक की खरीद का विश्लेषण करने के लिए बड़े आँकड़ों के विश्लेषण का उपयोग करता है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

4. शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. SCO का गठन मूल रूप से 2001 में हुआ था, जो "शंघाई फाइव" (Shanghai Five) नामक समूह से विकसित हुआ था।
2. ईरान शंघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य देश है।
3. SCO का सचिवालय ताशकंद, उज़्बेकिस्तान में स्थित है।

उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

5. "हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य" (Strait of Hormuz), जो अक्सर पश्चिम एशिया में अस्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में समाचारों में रहता है, निम्नलिखित में से किन जल निकायों को जोड़ता है?

A: लाल सागर और अदन की खाड़ी
B: फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी
C: कैस्पियन सागर और काला सागर
D: भूमध्य सागर और लाल सागर

6. उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स (Great Lakes) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. लेक ओंटारियो (Lake Ontario) पाँचों ग्रेट लेक्स में सबसे पूर्वी

और सबसे कम ऊँचाई पर स्थित झील है।

2. पाँचों ग्रेट लेक्स पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर स्थित हैं और इनकी सीमा कनाडा से नहीं लगती।
3. लेक ओंटारियो, सेंट लॉरेंस नदी (St. Lawrence River) के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है।

उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

7. शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 26वीं बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह शिखर सम्मेलन बिश्केक में आयोजित किया गया, जो SCO की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुआ।
2. इस शिखर सम्मेलन के दौरान SCO चार्टर में एक प्रोटोकॉल संशोधन के माध्यम से अंग्रेजी को SCO की आधिकारिक एवं कार्यकारी भाषा के रूप में मंजूरी दी गई।
3. तुर्कमेनिस्तान उन दस पूर्ण सदस्य देशों में से एक है, जिन्होंने इस शिखर सम्मेलन में बिश्केक घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

8. हाल ही में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित किए गए गोल्लाला गुड़ी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह तेलंगाना के मुलुगु जिले में स्थित है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल रामप्पा मंदिर के निकट स्थित है।
2. स्थापत्य की दृष्टि से यह त्रिकूटालय (Trikutalaya) शैली में निर्मित है, जिसमें पूर्व दिशा की ओर मुख वाला एक मंडप है और उसके चारों ओर तीन गर्भगृह स्थित हैं।
3. इस स्थल को वैधानिक संरक्षण और अधिसूचना प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्त्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम (AMASR Act), 1958 के तहत प्रदान की गई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

9. मध्यकालीन दक्कन में काकतीय राजवंश और उनकी मंदिर स्थापत्य शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. काकतीय शासकों ने अपनी जटिल स्थापत्य संरचनाओं के लिए मुख्य रूप से ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर (Sandstone) का प्रयोग किया।
2. त्रिकूटालय (Trikutalaya) मंदिर शैली केवल वारंगल की शाही राजधानियों तक ही सीमित थी और इसे पालमपेट जैसे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में कभी नहीं अपनाया गया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1
B: केवल 2
C: 1 व 2 दोनों
D: कोई नहीं

10. मतदाता सूची से नाम हटाने तथा इससे संबंधित वैधानिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) क्षेत्रीय सत्यापन के बाद मतदाता का नाम हटाने से संबंधित दावों और आपत्तियों पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए अधिकृत हैं।
2. फॉर्म 7 का उपयोग या तो किसी अन्य व्यक्ति के नाम को मतदाता सूची में शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज करने के लिए या स्वयं का नाम मतदाता सूची से हटाने का अनुरोध करने के लिए किया जा सकता है।
3. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 22 के अंतर्गत निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) उचित जाँच करने तथा संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के बाद ही किसी प्रविष्टि को हटा सकता है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

11. हाल ही में जारी किए गए 'RAKSHA' दस्तावेज़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह भारत की रक्षा कूटनीति (Defence Diplomacy) के लिए 10 वर्षीय रणनीतिक रोडमैप है।
2. परमाणु हथियारों का विस्तार (Nuclear Arms Race Expansion) इसके प्रमुख स्तंभों में से एक है।
3. यह हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region) में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने पर केंद्रित है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

12. 7वीं 'स्टेटस ऑफ कोरल रीफ्स ऑफ द वर्ल्ड (Status of Coral Reefs of the World)' रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वैश्विक हार्ड कोरल कवर (Hard Coral Cover) में संदर्भ अवधि की तुलना में लगभग 9.5% की कमी आई है।
2. जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न समुद्री हीटवेव (Marine Heatwaves) को वैश्विक स्तर पर कोरल कवर में गिरावट का प्रमुख कारण माना गया है।
3. ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क (Global Coral Reef Monitoring Network—GCRMN), इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव (International Coral Reef Initiative—ICRI) के एक ऑपरेशनल नेटवर्क के रूप में कार्य करता है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

13. प्रवाल भित्तियों (Coral Reefs) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. रीफ बनाने वाले प्रवाल (Reef-building Corals), ज़ूज़ैंथेली (Zooxanthellae) नामक सूक्ष्म शैवाल के साथ पारस्परिक सहजीवी संबंध (Mutualistic Symbiotic Relationship) साझा करते हैं।
2. प्रवाल भित्तियाँ केवल उथले उष्णकटिबंधीय जल तक ही सीमित होती हैं और ठंडे या गहरे समुद्री क्षेत्रों में जीवित नहीं रह सकतीं।
3. प्रवाल पॉलीप (Coral Polyps) जंतु जगत (Animal Kingdom) से संबंधित होते हैं, जबकि ज़ूज़ैंथेली प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव होते हैं।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

14. भारतीय विधिज्ञ परिषद (BCI) और इसकी अनुशासनात्मक अधिकारिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारतीय विधिज्ञ परिषद (BCI) एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत की गई है।
2. BCI और राज्य विधिज्ञ परिषदों (State Bar Councils) के पास अधिवक्ता अधिनियम के तहत विधि छात्रों के विरुद्ध कैंपस में कदाचार या विरोध-प्रदर्शन के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की स्पष्ट वैधानिक शक्तियाँ हैं।
3. नामांकन (Enrolment) से पहले विधि छात्रों पर अनुशासनात्मक और प्रशासनिक अधिकार पूरी तरह उनके संबंधित शैक्षणिक संस्थानों या विश्वविद्यालयों में निहित होता है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

15. संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council) द्वारा 1946 में युद्धोत्तर यूरोप में बच्चों को आपातकालीन राहत प्रदान करने के लिए की गई थी।
2. यह संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी (Specialized Agency) है और इसका वित्तपोषण सदस्य देशों से प्राप्त अनिवार्य निर्धारित अंशदान तथा स्वैच्छिक दान के मिश्रण से होता है।
3. मानवीय कार्यों के लिए इसे 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

16. 2029 तक मादक पदार्थों के खतरे को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय रोडमैप के तहत निर्धारित समयबद्ध लक्ष्यों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सरकार ने मार्च 2029 तक 100 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ नेटवर्कों को नष्ट करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
2. इस रणनीति में केवल घरेलू पुलिसिंग पर निर्भर किया गया है तथा आपूर्ति श्रृंखला में वित्तीय जाँच या रिवर्स-इन्वेस्टिगेशन मॉडल को शामिल नहीं किया गया है।
3. इस रोडमैप में 1 लाख 'नशा मुक्त मित्र' तैयार करने और पूरे देश में नशा मुक्ति/डी-एडिक्शन केंद्रों का विस्तार करने की परिकल्पना की गई है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

17. हाल ही में ISRO द्वारा प्रक्षेपित EOS-05 उपग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. EOS-05 भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है, जिसे भू-समकालिक कक्षा (Geosynchronous Orbit) से संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है।
2. इसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV-C श्रृंखला) के माध्यम से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था।
3. यह उपग्रह भारतीय भू-भाग की लगभग वास्तविक समय (Near-real-time) और निरंतर भू-इमेजिंग निगरानी प्रदान करता है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

18. हाल ही में जारी UNEP स्पॉटलाइट रिपोर्ट में चर्चा किए गए 'क्लाइमेट ओवरशूट (Climate Overshoot)' और 1.5°C वैश्विक तापमान वृद्धि की सीमा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. किसी एक कैलेंडर वर्ष में 1.5°C की सीमा पार कर लेना स्वतः यह दर्शाता है कि 2015 के पेरिस समझौते के दीर्घकालिक तापमान लक्ष्यों की कानूनी और वैज्ञानिक रूप से विफलता हो गई है।
2. ओवरशूट (Overshoot) के परिप्रेक्ष्य में, कुछ पारिस्थितिकीय प्रभाव—जैसे ग्लेशियरों का पिघलना और प्रवाल भित्तियों (Coral Reefs) का क्षरण—अपरिवर्तनीय हो सकते हैं, भले ही भविष्य में वैश्विक औसत तापमान में फिर से कमी आ जाए।
3. वैज्ञानिक आकलन के अनुसार, वैश्विक तापमान वृद्धि की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली पूर्व-औद्योगिक (Pre-industrial) आधार रेखा 1750–1800 की अवधि के औसत तापमान से निर्धारित की जाती है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

19. हाल ही में समाचारों में देखे गए "Chipflation" शब्द के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह पर्यावरण-अनुकूल ग्रीन चिप्स की उच्च विनिर्माण लागत के कारण उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतों में लगातार वृद्धि को संदर्भित करता है।
2. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के वैश्विक विस्तार ने सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षमता को Dynamic Random Access Memory (DRAM) जैसे सामान्य मेमोरी कंपोनेंट्स से हटाकर AI-संबंधित चिप्स की ओर मोड़ दिया है।
3. इस घटना के तहत, बड़े क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं को चिप्स की आपूर्ति में प्राथमिकता मिलती है, जिसके कारण पारंपरिक उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं के लिए चिप्स की आपूर्ति सीमित हो जाती है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

20. भारत–चीन के बीच हाल ही में हुई कोर कमांडर स्तर की वार्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में पहली बार कोर कमांडर स्तर की वार्ता वाचा-दामाई सीमा बैठक स्थल पर आयोजित की गई।
2. वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) भारत और चीन के बीच कानूनी रूप से सीमांकित तथा दोनों देशों द्वारा पारस्परिक रूप से स्वीकृत अंतरराष्ट्रीय सीमा है।
3. भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय के लिए कार्य तंत्र (WMCC) की स्थापना वर्ष 2012 में सीमा प्रबंधन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए की गई थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

21. वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (VVP) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. मूल वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (VVP-I) एक केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) है, जिसका उद्देश्य भारत की उत्तरी भूमि सीमा से लगे गांवों का विकास करना है।
2. वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम–II (VVP-II) को एक केंद्रीय क्षेत्र योजना (Central Sector Scheme) के रूप में बनाया गया है, जिसके अंतर्गत अन्य अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमाओं से लगे चयनित ब्लॉकों को शामिल किया जाएगा, जबकि VVP-I के अंतर्गत पहले से शामिल क्षेत्रों को इससे बाहर रखा जाएगा।
3. रक्षा मंत्रालय इस कार्यक्रम के समग्र कार्यान्वयन और धनराशि के आवंटन के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

22. विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) – FCNR(B) जमा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. FCNR(B) खाते में मूलधन (Principal) और अर्जित ब्याज (Interest), दोनों को विदेशी मुद्रा में पुनः विदेश भेजा (Repatriate) जा सकता है।
2. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा घोषित विशेष तरलता सुविधा (Special Liquidity Window) के अंतर्गत, विदेशी पूंजी जुटाने को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बैंक ने हेजिंग लागत (Hedging Costs) को वहन किया।
3. निजी क्षेत्र के बैंकों ने कुल 130 अरब डॉलर के FCNR(B) अंतर्वाह (Inflows) में सबसे बड़ी हिस्सेदारी हासिल की और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा विदेशी बैंकों से बेहतर प्रदर्शन किया।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

23. भारतीय बैंकिंग प्रणाली में तरलता अधिशेष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. बैंकिंग प्रणाली में तरलता में भारी वृद्धि होकर यह 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई। इसका मुख्य कारण विदेशी मुद्रा परिचालन से प्राप्त अंतर्वाह तथा विशेष अमेरिकी डॉलर-रुपया विदेशी मुद्रा/ FCNR(B) स्वैप सुविधाएँ थीं।
2. बैंकिंग प्रणाली में अत्यधिक अतिरिक्त तरलता स्वाभाविक रूप से अल्पकालिक ब्याज दरों और ओवरनाइट ब्याज दरों को नीतिगत रेपो दर से ऊपर ले जाती है।
3. अत्यधिक तरलता अधिशेष केंद्रीय बैंक के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति (Headline Inflation) को नियंत्रित करना कठिन बना देता है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

24. भारत में सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. कॉलेजियम प्रणाली का स्पष्ट रूप से प्रावधान भारत के मूल संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत किया गया है।
2. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय का कॉलेजियम भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों से मिलकर बना होता है।
3. यदि कॉलेजियम अपनी सिफारिश को दोहराता है, तो उसके द्वारा की गई सिफारिशें केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी होती हैं।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

25. स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाने वाला द्विवार्षिक (Biennial) आकलन है, जिसमें वास्तविक समय (Real-time) के परिवेशी वायु गुणवत्ता आँकड़ों के आधार पर शहरों की रैंकिंग की जाती है।
2. यह ढाँचा पूरी तरह से PM10 और PM2.5 के स्तर में कमी पर निर्भर करता है तथा अंतिम रैंकिंग में इसे 100% भारांक (Weightage) दिया जाता है।
3. यह शहर-विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाओं के शासन और कार्यान्वयन का मूल्यांकन करके प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

26. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. NCAP का लक्ष्य 2025-26 तक PM10 की सांद्रता में 40% तक की कमी लाना या राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करना है।
2. स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में लखनऊ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, क्योंकि वह अपने वार्षिक PM10 स्तर को राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (NAAQS) से नीचे लाने में सफल रहा।
3. मूल्यांकन की कार्यप्रणाली में एक बहु-स्तरीय प्रक्रिया शामिल है, जिसमें शहर द्वारा स्व-मूल्यांकन, राज्य स्तर पर निगरानी और स्वतंत्र क्षेत्रीय सत्यापन शामिल हैं।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

27. भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक घरेलू बाजार-आधारित तंत्र है, जो मुख्य रूप से पूर्ण उत्सर्जन सीमा (Absolute Emission-Cap) दृष्टिकोण पर आधारित है।
2. इस योजना को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (Energy Conservation Act, 2001) में संशोधन के माध्यम से सक्षम बनाया गया है तथा इसे विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power) द्वारा अधिसूचित किया गया है।
3. जो संस्थाएँ अपने लिए निर्धारित लक्ष्यों से बेहतर प्रदर्शन करती हैं, उन्हें कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र (Carbon Credit Certificates - CCCs) प्राप्त होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

28. यूनाइटेड किंगडम के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) और भारत की CCTS को हाल ही में मिली मान्यता के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. CBAM का प्राथमिक उद्देश्य कार्बन रिसाव (Carbon Leakage) को रोकना है, जिसके लिए घरेलू उत्पादन और कार्बन-गहन आयातित वस्तुओं के बीच कार्बन लागत को समान स्तर पर लाया जाता है।
2. UK द्वारा CCTS को मान्यता दिए जाने से पात्र भारतीय वस्तुओं के UK आयातक भारत में पहले से भुगतान किए गए कार्बन मूल्य (Carbon Price) के लिए राहत का दावा कर सकते हैं।
3. CBAM सभी आयातित वस्तुओं पर सार्वभौमिक रूप से लागू होता है, चाहे उनकी कार्बन तीव्रता या क्षेत्र (Sector) कुछ भी हो।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

29. महासागरीय अनुसंधान पोत (ORV) सागर मंथन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह भारत का पहला उन्नत स्वदेशी महासागरीय अनुसंधान पोत है, जिसे गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) द्वारा बनाया गया है।
2. इसे पुराने हो चुके ORV सागर कन्या को पूरी तरह बदलने के लिए तैयार किया गया है।
3. यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और समुद्री सुरक्षा तथा गहरे समुद्र में पनडुब्बी बचाव अभियानों को संचालित करता है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

30. भारत के डीप ओशन मिशन (DOM) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) द्वारा शुरू की गई एक व्यापक पहल है, जिसका उद्देश्य ब्लू इकॉनमी (नीली अर्थव्यवस्था) को बढ़ावा देना है।
2. इस मिशन के अंतर्गत 'समुद्रयान' परियोजना में MATSYA 6000 नामक स्वदेशी मानवयुक्त पनडुब्बी (Manned Submersible) विकसित करना शामिल है।
3. ORV सागर मंथन डीप ओशन मिशन के डीप ओशन सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन (गहरे समुद्र का सर्वेक्षण एवं अन्वेषण) घटक को सीधे मजबूत करता है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

31. हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य संकट के कानूनी और सुरक्षा संबंधी पहलुओं के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS) के तहत विदेशी जहाजों को हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य से 'पारगमन मार्ग (Transit Passage)' के अधिकार के तहत निरंतर और शीघ्र नौवहन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है।
2. 'ऑपरेशन संकल्प' (Operation Sankalp) भारतीय नौसेना द्वारा शुरू की गई एक समुद्री सुरक्षा पहल है, जिसका उद्देश्य खाड़ी क्षेत्र से होकर गुजरने वाले भारतीय ध्वज वाले जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: 1 व 2 दोनों

D: कोई नहीं

32. अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह सम्मेलन फ्रांस के पेरिस स्थित ग्रां पालै (Grand Palais) में आयोजित किया गया था।
2. इस शिखर सम्मेलन ने अपनी तरह के पहले वैश्विक आयोजन के रूप में विशेष रूप से पृथ्वी की कक्षा के प्रबंधन के बजाय अंतरिक्ष में खनन (Deep-Space Mining) के नियमों पर ध्यान केंद्रित किया।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1
B: केवल 2
C: 1 व 2 दोनों
D: कोई नहीं

33. डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP) 3.0 (2026–2031) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जाता है।
2. इस कार्यक्रम के तहत GIS-सक्षम "लैंड स्टैक (Land Stack)" की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों में भूमि अभिलेखों, भूकर मानचित्रों (Cadastral Maps) और संपत्ति पंजीकरण को एक संघबद्ध (Federated) राष्ट्रीय ढाँचे में एकीकृत करना है।
3. इस चरण के अंतर्गत प्रत्येक भूमि के टुकड़े (Land Parcel) को एक स्पष्ट और विशिष्ट पहचान प्रदान करने के लिए 14 अंकों की विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या या यूनिवर्सल भू-आधार जारी की जाती है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

34. भारत–श्रीलंका द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. श्रीलंका कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव (Colombo Security Conclave – CSC) का सदस्य है, जो क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद-रोधी गतिविधियों पर केंद्रित है।
2. दोनों देशों के बीच आयोजित होने वाले द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासों में मित्र शक्ति (Mitra Shakti) — थल सेना के बीच तथा SLINEX — नौसेनाओं के बीच आयोजित होने वाले अभ्यास शामिल हैं।
3. किसी भारतीय रक्षा मंत्री की श्रीलंका की पहली यात्रा वर्ष 2026 में हुई, जो इस वर्ष से पहले दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों के इतिहास में पूर्णतः शून्य-संपर्क (Zero-Contact) की स्थिति को दर्शाती है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

35. चाबहार बंदरगाह और भारत की कनेक्टिविटी रणनीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. चाबहार बंदरगाह पाकिस्तान को बायपास करते हुए भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुँच प्रदान करता है।
2. भारत ने मई 2024 में चाबहार बंदरगाह के टर्मिनल को विकसित करने और संचालित करने के लिए ईरान के साथ 10 वर्ष की दीर्घकालिक समझौता किया।
3. चाबहार बंदरगाह पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) के ढाँचे के दायरे से बाहर है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

36. भारत–ईरान संबंधों और बहुपक्षीय समूहों में हालिया घटनाक्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ईरान 2023 में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का पूर्ण सदस्य बना और 2024 में BRICS समूह का हिस्सा बना।
2. BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान हुई हालिया द्विपक्षीय चर्चाओं में भारत और ईरान दोनों ने महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के माध्यम से नौवहन और वाणिज्य की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
3. ईरान पर संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिबंधों ने गैर-तेल व्यापार की सभी संभावनाओं को पूरी तरह समाप्त कर दिया है, जिसमें ईरान को भारतीय बासमती चावल और फार्मास्यूटिकल्स का निर्यात भी शामिल है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

37. भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानूनों और डिजिटल मार्केटप्लेस के विनियमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों को डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन से संबंधित वार्षिक स्व-ऑडिट करना तथा अनुपालन प्रमाण-पत्र को प्रमुखता से प्रदर्शित करना अनिवार्य है।
2. आयातित उत्पादों के मामले में, प्लेटफॉर्मों के लिए मूल देश और संबंधित आयातक (Importer) का विवरण दोनों का खुलासा करना कानूनी रूप से अनिवार्य है।
3. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की स्थापना मूल रूप से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत की गई थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

38. शास्त्रीय तमिल ग्रंथ तिरुक्कुरल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह 1,330 दोहों (Couplets) से बना है, जिन्हें चार प्रमुख भागों—अरम (Aram), पोरुल (Porul), इनबम (Inbam) और वीडु (Veedu)—में समान रूप से विभाजित किया गया है।
2. प्रत्येक कुरल (दोहा) में सात शब्द होते हैं और यह जाति, धर्म या नस्ल के भेद से ऊपर उठकर सार्वभौमिक मानवतावाद पर जोर देता है।
3. पोरुल (Porul) खंड मुख्य रूप से राज्य-कला, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक नैतिकता और सुशासन से संबंधित विषयों पर केंद्रित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

39. समान नागरिक संहिता (UCC) और भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान का अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को एक न्यायसंगत (Justiciable) कानूनी अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता देता है, जिसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है।
2. राज्य के नीति-निदेशक तत्व (DPSPs), जिनमें अनुच्छेद 44 भी शामिल है, देश के शासन में मूलभूत हैं और राज्य को कानून बनाने में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
3. भारत में वर्तमान में विभिन्न समुदायों के लिए आपराधिक कानून और वाणिज्यिक कानून समान हैं, लेकिन व्यक्तिगत कानून (Personal Laws) अभी भी धर्म के आधार पर अलग-अलग हैं।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

40. भारत और फिलीपींस के बीच हालिया द्विपक्षीय घटनाक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत को फिलीपींस के पाँचवें आधिकारिक रणनीतिक साझेदार के रूप में औपचारिक रूप से नामित किया गया है।
2. दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को लागू करने के लिए वर्ष 2025–2029 की अवधि को कवर करने वाली कार्ययोजना (Plan of Action) पर हस्ताक्षर किए।
3. फिलीपींस ने भारत के नेतृत्व वाले आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल होने का निर्णय लिया।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

41. आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी (Legally Binding), संधि-आधारित अंतर-सरकारी संगठन है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
2. इसे 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन (UN Climate Action Summit) में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था।
3. इसकी सदस्यता केवल राष्ट्रीय सरकारों और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों तक सीमित है।
4. लचीले द्वीपीय देशों के लिए बुनियादी ढांचा (IRIS), CDRI से संबंधित एक महत्वपूर्ण पहल है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1,3 और 4

C: केवल 2 और 4

D: 1, 2, 3 और 4

42. सितंबर 2026 में आयोजित 18वें BRICS शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 2026 में भारत की BRICS अध्यक्षता (Chairship) का विषय "लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माण" था।

2. इस शिखर सम्मेलन ने BRICS समूह की स्थापना की 20वीं वर्षगांठ को चिह्नित किया।
3. BRICS नई दिल्ली घोषणा ने निष्पक्ष व्यापार संतुलन बनाए रखने के लिए एकतरफा शुल्क और आर्थिक प्रतिबंधों का स्पष्ट रूप से समर्थन किया।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

43. अभ्यास 'समुद्र लक्ष्मणा' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह भारतीय नौसेना और रॉयल मलेशियाई नौसेना के बीच आयोजित होने वाला एक वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है।
2. वर्ष 2026 में इस अभ्यास का चौथा संस्करण मलेशिया के लुमुट (Lumut) में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय नौसेना पोत (INS) मैसूर ने भाग लिया।
3. यह अभ्यास केवल बंदरगाह चरण (Harbour Phase) तक सीमित है, जिसमें मुख्य रूप से सैद्धांतिक कक्षा व्याख्यान और राजनयिक वार्ताएं आयोजित की जाती हैं।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

44. भारत और मलेशिया के बीच रणनीतिक संबंधों एवं हालिया घटनाक्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत और मलेशिया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया है।
2. मलेशिया मलक्का जलडमरूमध्य के किनारे एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक स्थिति रखता है, जिसके माध्यम से भारत के व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गुजरता है।
3. दोनों देशों ने औपचारिक रूप से स्थानीय मुद्रा में लेन-देन को खारिज कर दिया है और यह अनिवार्य किया है कि सभी द्विपक्षीय व्यापार का भुगतान केवल अमेरिकी डॉलर (US Dollar) में किया जाए।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

45. अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. छठा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2026 में मुंबई (नवी मुंबई), महाराष्ट्र में हिंदी दिवस 2026 के अवसर पर आयोजित किया गया।
2. यह वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन श्रृंखला संस्कृति मंत्रालय द्वारा साहित्य अकादमी के सहयोग से आयोजित की जाती है।
3. 2026 के आयोजन के दौरान हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग में योगदान को मान्यता देने के लिए प्रतिष्ठित राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किए गए।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

46. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ और भारत के सभी राज्यों की राजभाषा घोषित करता है।
2. संघ के आधिकारिक कार्यों के लिए प्रयुक्त अंकों का स्वरूप अनिवार्य रूप से देवनागरी अंकों के अनुसार होना चाहिए।
3. इस अनुच्छेद ने मूल रूप से संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों की अवधि तक संघ के आधिकारिक कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की अनुमति दी थी।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

47. अंतरिक्ष से संबंधित कानूनी ढाँचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि अंतरिक्ष में सभी पारंपरिक तथा प्रति-अंतरिक्ष हथियारों की तैनाती पर व्यापक प्रतिबंध लगाती है।
2. अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती की रोकथाम संधि रूस और चीन द्वारा प्रस्तावित एक बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि है, जो पृथ्वी से अंतरिक्ष में मार करने वाले हथियारों पर व्यापक प्रतिबंध लगाती है।
3. आर्टेमिस समझौते शांतिपूर्ण और जिम्मेदार अंतरिक्ष अन्वेषण को बढ़ावा देते हैं, लेकिन ये व्यापक हथियार प्रतिबंध के रूप में कार्य नहीं करते हैं।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

48. किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह परियोजना टोंस नदी पर प्रस्तावित है, जो यमुना नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है।
2. यह हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर स्थित है।
3. केंद्र सरकार परियोजना के लिए विशेष रूप से आवंटित जल घटक की लागत का 90% वहन करती है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

49. 15 अक्टूबर, 2026 से प्रभावी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लेनदेन के लिए नए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) ढाँचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) UPI लेनदेन, लेनदेन की राशि चाहे कितनी भी हो, MDR से पूरी तरह मुक्त हैं।
2. ₹2,000 तक के व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) लेनदेन पर व्यापारी से मानक 0.4% MDR शुल्क लिया जाता है।
3. छोटे P2PM व्यापारी, जो UPI QR कोड के माध्यम से प्रति माह ₹1 लाख तक प्राप्त करते हैं, MDR से पूरी तरह मुक्त रहते हैं।
4. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) सीधे UPI नेटवर्क के तकनीकी बुनियादी ढाँचे का संचालन और प्रबंधन करता है, जबकि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) केवल एक नीति नियामक के रूप में कार्य करता है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 1,2 और 3

D: 1, 2, 3 और 4

50. वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है।
2. यह लैंगिक समानता पर आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करता है, जिसमें 0% पूर्ण लैंगिक समानता को दर्शाता है।
3. यह चार प्रमुख आयामों में लैंगिक असमानताओं को मापता है, जिनमें स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता (Health and Survival) तथा राजनीतिक सशक्तिकरण (Political Empowerment) शामिल हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

उत्तर

1	A	11	B	21	A	31	C	41	D
2	D	12	D	22	D	32	A	42	A
3	B	13	B	23	B	33	C	43	A
4	A	14	B	24	C	34	A	44	A
5	B	15	B	25	B	35	A	45	C
6	B	16	B	26	B	36	A	46	B
7	A	17	B	27	C	37	A	47	B
8	D	18	B	28	A	38	C	48	D
9	A	19	C	29	A	39	B	49	C
10	C	20	B	30	D	40	C	50	B

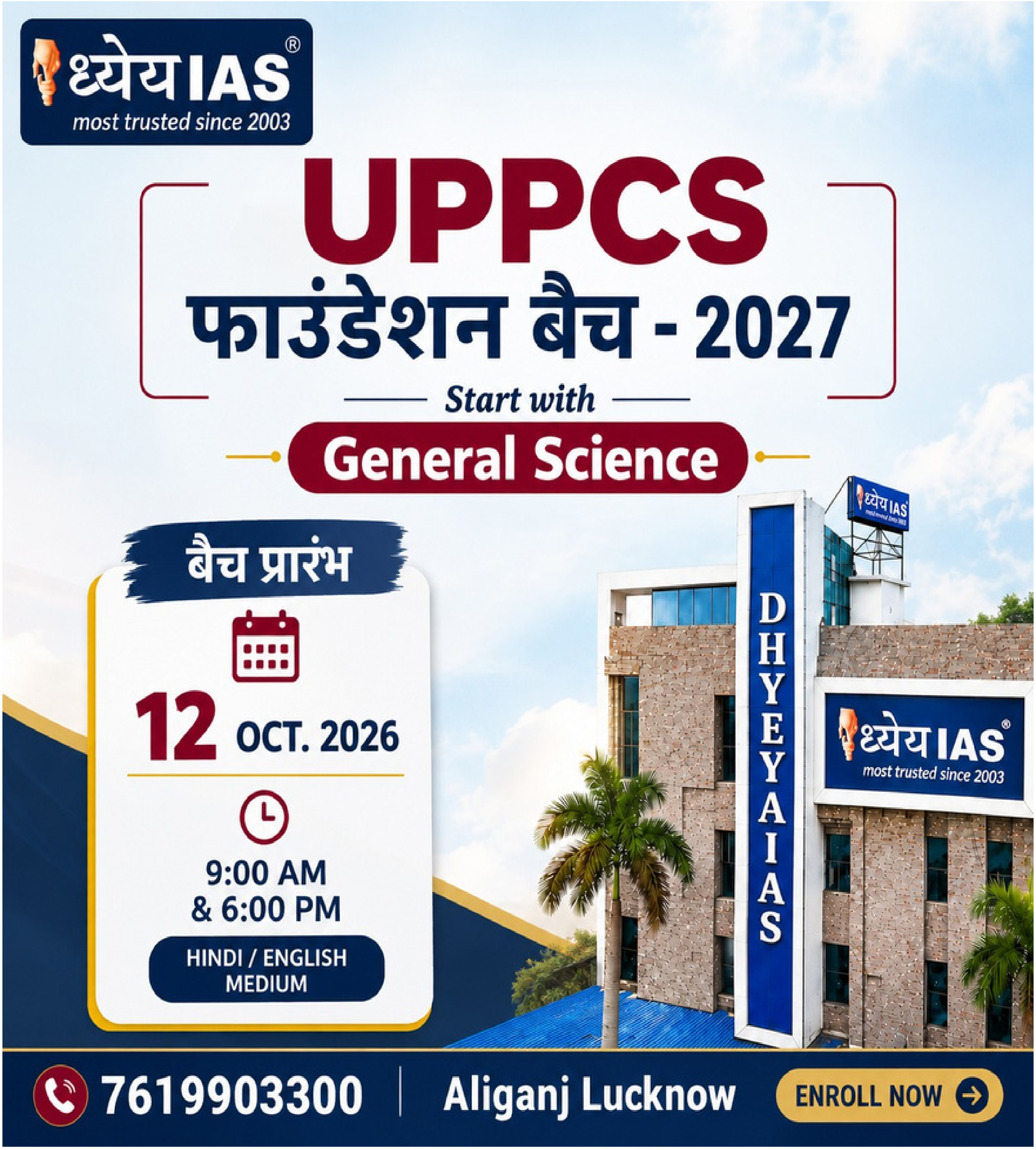

ध्येय IAS
most trusted since 2003
UPPCS
फाउंडेशन बैच - 2027
Start with
General Science
बैच प्रारंभ
12 OCT. 2026
9:00 AM
& 6:00 PM
HINDI / ENGLISH
MEDIUM
DHYEYA IAS
ध्येय IAS
most trusted since 2003
7619903300
Aliganj Lucknow
ENROLL NOW

ध्येयIAS®
most trusted since 2003
शाखा
अलीगंज, लखनऊ
नया बैच
UPSC(IAS)
Start with
MODERN HISTORY
5
अक्टूबर 2026
8:30 AM हिन्दी / अंग्रेजी माध्यम
6:00 PM अंग्रेजी माध्यम
3 Days Class
FREE
ऑफलाइन / ऑनलाइन मोड
A-12, Sec-J,
Aliganj, Lucknow
संपर्क करें:
9506256789